राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 3] चतुर्थ विधान सभा के तृतीय सत्र का दूसरा दिवस [संख्या 2

मंगलवार, 27 अगस्त, 1968

विधान सभा की बैठक म.पू. 11.1 को विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(राजस्व, खाद्य, आबकारी, वन, सिंचाई, चिकित्सा, पंचायत, समाज कल्याण, अकाल सहायता, उपनिवेशन और देवस्थान विभाग)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न, श्री विजयसिंह !

पटवारी के विरुद्ध शिकायत

1. श्री विजय सिंह (मकराना) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पटवारी नवाबअली मकराना को सस्पेन्ड किया गया था ? अगर हां, तो किस तारीख को ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त पटवारी को श्री बाघसिंह ने अपने खेत की बीघोड़ी के रु. 100) जमा करवा कर कच्ची रसीद प्राप्त कर ली और वे रुपये पटवारी ने खयानत कर जमा नहीं किए ?

(3) क्या यह सही है कि जिलाधीश नागौर को उन 100) रु. की कच्ची रसीद की सही प्रतिलिपि दे दी गई है ? अगर हां, तो जिलाधीश नागौर ने क्या कार्यवाही की है ?

(4) क्या यह सही है कि श्री बाघसिंह ने तहसीलदार परबतसर को भी इन 100) रु. के गबन की शिकायत की है परन्तु तहसीलदार परबतसर उस पर कोई कार्यवाही नहीं कर रहे है ?

(5) क्या यह सही है कि पटवारी मकराना ने सस्पेन्ड होने पर जो चार्ज पटवारी छोटूराम को दिया था उसमें वह 100) रु. जमा नहीं कराये थे ? कृपया उस चार्जलिस्ट की ओरिजिनल कॉपी सदन की मेज पर रखें।

उप मंत्री राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी): (1) जी हां। श्री नवाबखां पटवारी को दिनांक 13-11-67 को सस्पेन्ड किया गया था।

(2) जी नहीं। ऐसा कोई रेकार्ड उपलब्ध नहीं है जिससे कि पता चल सके और न ही ऐसी कोई शिकायत प्राप्त हुई है।

(3) जिलाधीश नागौर के कार्यालय में कच्ची रसीद की कोई प्रतिलिपि नहीं दी गई है।

(4) ऐसी कोई शिकायत तहसीलदार परबतसर के कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई है।

(5) पटवारी मकराना ने निलम्बित होने पर जो चार्ज पटवारी छोटूमल को दिया था उसमें 100) रु. जमा कराने बाबत कोई जिक्र नहीं है।

श्री विजयसिंह : वाह रे तेरी कुदरत वाह रे तेरा खेल। छछूंदर के सिर में और चमेली का तेल ॥

(श्री विजयसिंह)

प्रश्न के भाग (1) और (5) के जवाब में कहते हैं कि सस्पेन्ड किया है और भाग (2) के जवाब में कहते हैं कि ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

श्री गंगाराम चौधरी : इसके सम्बन्ध में और चार्जेज हैं, जिनके सम्बन्ध में डिटेल्ड जानकारी प्राप्त की जा रही है।

श्री विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, नवाब अली ने 100) रु. बाघसिंह से उसको बीघोड़ी के लिये हैं, उसकी कच्ची रसीद मेरे पास है। बाघसिंह ने नवाबअली को जो 12–12–67 को मकराना पत्र दिया था वह मेरे पास है, बाघसिंह ने जो रिपोर्ट की है, वह मेरे पास है, मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। उसने 100) रु. लिये हैं, उसको चार्जशीट दी गई है, उसमें मथुरादासजी माथुर ने बहाल करवाया है, ये मथुरादासजी माथुर मकराना के हर मामले में गड़बड़ करते हैं...

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज ! प्रश्न पूछिये। भाषण नहीं, आप यह टेबिल पर रख रहे हैं...

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : जो माननीय सदस्य ने कहा है, क्या यह स्थिति सही है ?

श्री गंगाराम चौधरी : सही नहीं है।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, माननीय सदस्य ने जो आरोप प्रस्तुत करते हुए आरोप लगाया है, उसके सम्बन्ध में क्या कहते हैं ?

श्री गंगाराम चौधरी : इस सम्बन्ध में जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुई है। ज्योंही डिटेल्ड रिपोर्ट आयेगी और पटवारी अगर गुनहगार समझा जायगा तो उसको सजा दी जायगी, बख्शा नहीं जायेगा।

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : क्या पटवारी को चार्ज-शीट दी गई थी ?

श्री गंगाराम चौधरी : दी गई है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : चार्ज-शीट किस आधार पर दी गई, चार्ज-शीट में उसके विरुद्ध कौनसा आरोप था ?

श्री गंगाराम चौधरी : इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्राप्त नहीं हुई है ?

श्री अध्यक्ष : आरोप क्या है, विस्तृत जानकारी का प्रश्न क्या है ?

श्री गंगाराम चौधरी : जो अभी कलेक्टर से जवाब आया, उसमें चार्ज-शीट की दूसरी रिपोर्ट भेज दी, कलेक्टर से टेलीफोन पर बात करने की कोशिश की गई पर लाइन खराब थी इसलिये बात नहीं हो सकी...

कई माननीय सदस्य : तो फिर इसे पोस्टपोन किया जाय।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): अध्यक्ष महोदय, मेरी यह शिकायत है कि सरकार इस बात की आदी हो चुकी है, बार बार इस सरकार की तरफ से यह उत्तर मिलते हैं, यह टिपिकल करेक्टिरिस्टिक का उत्तर है कि विस्तृत जानकारी की जा रही है। अभी सदन की शुरुआत है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं, सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिये कि इस

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

तरह के उत्तर सरकार की तरफ से मिलना मेरे ख्याल से इस सदन का अपमान है। आपसे मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि आप सरकार को सजग कीजिये और उनको कड़ी से कड़ी हिदायत दें कि सरकार की तरफ से जो भी जवाब आयें, इस प्रकार के टेम्प्रान्सर्स सरकार के द्वारा, ट्रेजरी बैंचेज के द्वारा नहीं दिये जायं।

श्री विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसकी सही प्रतिलिपि कलेक्टर नागौर को दी गई है, कलेक्टर उसका क्या करे, मुझे क्या पता। इसके अलावा उस व्यक्ति ने तहसीलदार को रिपोर्ट की है पर तहसीलदार जैसे ये पैसे खाते हैं, वो भी पैसे खाता है। उनको बचाने की सारी कार्यवाही मथुरादास जी की है, मथुरादास जी को यहां से हटाया जाय, ये हमेशा गड़बड़ी करते हैं....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर....

श्री विजयसिंह : (बैठे हुए) सिर हिलाते हैं, शर्म नहीं आती ?

श्री अध्यक्ष : बैठे हुए शर्म नहीं।

श्री गंगाराम चौधरी : पटवारी सस्पेन्डेड है, उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी जारी है, अगर उसके खिलाफ अपराध साबित होगा तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जायगी।

श्री अध्यक्ष : मैं इस प्रश्न को स्थगित करता हूं।

नेक्स्ट ! श्री श्रवणलाल !

नीम का थाना के गोदाम में नष्ट गेहूं

2. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सच है कि नीम का थाना के स्थानीय सरकारी गोदाम में 600 बोरी आयातित गेहूं सड़ कर नष्ट हो गया था ?

(2) यदि हां, तो यह गेहूं किस कारण से व किस की गलती से खराब हुआ ?

(3) उपरोक्त गेहूं की कीमत कितनी होती है और किस अधिकारी की गलती से वह खराब हुआ ? उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उप मंत्री खाद्य (श्री रामदेवसिंह) : (1) जी नहीं, जून 1966 में कांडला पोर्ट से ही 5 वैगन गेहूं खुली वैगनों में आने से बारिश से काफी गीला हो गया था। इन वैगनों की डिलीवरी लेते समय रेलवे डिलीवरी बुक में गेहूं के भीगी हालत के बारे में अंकित करने के बाद ही डिलीवरी ले ली गई। बारिश की मौसम होने से उक्त गेहूं वैसा ही गोदामों में रखना पड़ा। जिसमें से 315 क्विन्टल गेहूं बिलकुल नष्ट हो गया जिसके लिये कुल 18040 रुपये का क्लेम रेलवे से किया गया है।

(2) प्रश्न के भाग 1 में कारण अंकित है।

(3) जैसा प्रश्न के भाग 1 में बताया गया है रेलवे से कीमत वसूली की कार्यवाही चल रही है।

श्री श्रवणलाल : क्या यह सही है कि जिस समय डिलीवरी विभाग ने छुड़ाई तो क्या उसका फर्ज नहीं था कि ये वैगन बरसात से भीग गये थे, उस गेहूं को ऐसी जगह रखा जाता जिससे कि गेहूं नष्ट नहीं होता ?

श्री रामदेवसिंह : वर्षा के कारण भीग गया था, दूसरा कोई स्थान नहीं था जहां रखा जाता, वर्षा निकलने के बाद सुखा कर ठीक किया गया ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट श्री दौलतराम सारण !

श्री श्रवणलाल : नहीं, अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि रेलवे से जो 18 हजार और कुछ रुपयों की मांग की गई है, वह कब रखी, अब तक इस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री रामदेवसिंह : तारीख तो मेरे पास नहीं है पर रेलवे को लिखा है, कोरेस्पोन्डेन्स जारी है, क्लेम अभी तय नहीं हुआ है।

श्री श्रवणलाल : 66 का मामला है और यह 68 चल रहा है, उन्होंने क्लेम को मंजूर किया है या नहीं । किसके द्वारा यह कार्यवाही की गई, उसके खिलाफ एक्शन लिया गया या नहीं ?

(अनेक माननीय सदस्य एक साथ बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ! शान्ति !

श्री रामदेवसिंह : अभी तक क्लेम का फैसला नहीं हो पाया है, कोरेस्पोन्डेन्स चल रही है ।

श्री अध्यक्ष : उनकी तरफ से कुछ लिखा हुआ आया है ?

श्री रामदेवसिंह : अभी तक कोई जवाब नहीं आया है ।

श्री श्रवणलाल : जानबूझ कर जवाब टाल रहे हैं, वैगन सुरक्षित रूप में आये थे, भीगा नहीं था····

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं। श्री सारण।

तहसीलदार डूंगला के विरुद्ध प्रदर्शन

3. **श्री दौलतराम सारण** (डूंगरगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि तहसीलदार डूंगला के अन्याय, पक्षपात, रिश्वतखोरी के विरुद्ध 22-6-68 से तहसील भवन के सामने धरना दिया गया और 25-6-68 को तहसील क्षेत्र के हजारों किसानों ने जुलूस निकाल कर विरोध में प्रदर्शन किया ?

(2) क्या यह भी सही है कि इसके लिये छपे हुए पर्चे निकाल कर जनता का आह्वान किया गया था ?

(3) यदि हां, तो इस पर तहसीलदार के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(4) क्या इस तहसीलदार के विरुद्ध लिखित शिकायतें कलेक्टर चित्तौड़ और राज्य सरकार को की गई थी ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

Page No. 5

उप मंत्री राजस्व (श्री गंगाराम) :

(1) जी हां

(2) जी हां।

(3) जांच सब डिविजन ग्राफीसर निम्बाहेड़ा द्वारा कराई गई तथा तहसीलदार से जवाब तलब किया जा रहा है।

(4) कार्यवाही चालू है।

श्री दौलतराम सारण : जांच कब करवायी गयी थी और इसके क्या परिणाम रहे ?

श्री गंगाराम चौधरी : प्रिलिमिनरी जांच श्री एस. डी. ओ. द्वारा जुलाई में कम्प्लीट कर ली गयी थी। प्रिलिमिनरी जांच से तहसीलदार के खिलाफ कुछ आंशिक आरोप पाये जाते हैं जिसके लिये एक्सप्लेनेशन पूछा गया है, उत्तर प्राप्त होने के बाद आवश्यकतानुसार डिपार्टमेन्टल कार्यवाही की जावेगी।

श्री दौलतराम सारण : सुना नहीं पूरा।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : क्या यह सही है कि··

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता सुन नहीं पाये हैं। आंसिक आरोप प्रमाणित हो पाये हैं।

श्री दौलतराम सारण : तहसीलदार को चार्ज-शीट कब दी गयी ?

श्री गंगाराम चौधरी : प्रिलिमिनरी जांच हो रही है, जसके बाद चार्ज-शीट दी जावेगी आवश्यकता हुई तो।

श्री दौलतराम सारण : प्रिलिमिनरी जांच का नोटिस कब दिया गया ?

श्री गंगाराम चौधरी : प्रिलिमिनरी जांच के बाद नोटिस दिया गया।

श्री दौलतराम सारण : उस तहसीलदार के खिलाफ भ्रष्टाचार, पक्षपात और अनैतिक काम करने के आरोप हैं। प्रारंभिक नोटिस दिया गया है उसके बाद अभी तक जवाब नहीं दे रहा है। आपको चाहिये कि सावधानी और सतर्कता से काम लें।

(विराम)

श्री अध्यक्ष : क्या आप (उप मंत्री राजस्व) सतर्कता से काम ले रहे हैं ?

श्री गंगाराम चौधरी : जल्दी से जल्दी कार्यवाही की जावेगी।

श्री दौलतराम सारण : आंशिक रूप से आरोप प्रमाणित हैं तो फिर उसको निलम्बित क्यों नहीं किया गया ?

श्री गंगाराम चौधरी : नोटिस देकर उनसे जवाब मांगा गया है।

श्री दौलतराम सारण : तहसीलदार के केडर का आदमी जवाब न दे, भ्रष्टाचार के जिस पर आरोप हों, उप मंत्रीजी यह कहे कि जवाब आने के बाद कार्यवाही को जायगी, प्राइमाफेसी केस साबित है तो एक्शन लेना चाहिये।

श्री गंगाराम चौधरी : इसके लिये नियमानुसार प्रावधान हैं। अपील्स और रेफरेन्स होंगे। आवंटन गलत करने के आरोप साबित हुए तो उस तरह से कार्यवाही की जावेगी।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : तहसीलदार लेवल पर रेवेन्यू विभाग में व्यापक भ्रष्टाचार है। मैं निहायत नम्रतापूर्वक

Page No. 6

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

निवेदन करना चाहता हूं राजस्व मंत्रीजी से कि इसका जनता के जीवन से सीधा सम्बन्ध है....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! प्रश्न कर्ता।

श्री दौलतराम सारण : शिकायत कर्ताओं को शिकायत साबित करने का अवसर दिया गया ? उनसे पूछताछ की गयी ?

श्री गंगाराम चौधरी : जी हां, उनसे पूछताछ की गयी।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : सरकार ने तहसीलदार को नोटिस दिया कि मयाद नोटिस अमुक समय में जवाब दे, कहीं ऐसा नहीं कि नोटिस में उसका उल्लेख ही नहीं है ? क्या इस सम्बन्ध में उनसे जानकारी नहीं की गयी ?

श्री अध्यक्ष : श्री शर्मा।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, नोटिस ही नहीं दिया है।

श्री गंगाराम चौधरी : नोटिस दिया है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : जवाब देंगे ही नहीं तो क्या होगा ? भ्रष्टाचार करते रहें सब आपके लिये क्षम्य है। कुछ न कुछ तो जवाब आये। आप सरकार के प्रतिनिधि के रूप में यहां बैठे हुए हैं। तहसीलदार के खिलाफ आरोप में तथ्य आप मानते हैं तो आखिरकार कब तक आप इसको सहन करते जायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : श्री शर्मा।

श्री नत्थीसिंह : राजस्व मंत्रीजी भ्रष्टाचार के बारे में कुछ कह रहे हैं उनको जरा सुन लिया जाय।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : भ्रष्टाचार मिटाने के लिये कुछ कहने दीजिये राजस्व मंत्री जी को।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज।

आबकारी मंत्री।

झालावाड़ जिले की शराब की दुकान

4. **श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा** (अकलेरा) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) झालावाड़ जिले में शराब की कितनी दुकानें किस किस स्थान पर कितने ठेके पर गारन्टी सिस्टम पर उठाई हुई हैं एवं किन किन व्यक्तियों के नाम लाइसेन्स है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि शराब के लाइसेन्स की फीस तो जमा कराली जाती है किन्तु लाइसेन्स 4-6 माह तक भी विभाग जारी नहीं करता है ?

(3) क्या शराब के ठेकेदारों के पास लाइसेन्स न होने के कारणों को लेकर झालावाड़ जिले में पुलिस ने कोई चालान किया है ? यदि हां तो किस किस स्थान पर किस किस ठेकेदार का कब कब चालान किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) जिले में अंग्रेजी शराब की कितनी दुकानें कहां कहां पर हैं और किस

(श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा)

किस के नाम हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(5) अंग्रेजी शराब का लाइसेन्स देने के लिए क्या आधार एवं नीति राज्य सरकार मानती रही है ?

(6) अभी राज्य में अंग्रेजी शराब की कुल कितनी बिक्री है ?

उपमंत्री आबकारी (श्री शिवचरणसिंह): (1) झालावाड़ जिले में 120 देशी मदिरा की दुकानें हैं जिनको एकाको विशेषाधिकारी प्रथा पर चालू वित्तीय वर्ष 1968–69 के लिए उठाया गया है। दुकानों की सूची संलग्न है।

(2) आबकारी विभाग द्वारा लाइसेन्स समय पर ही जारी किये जाते हैं। जिन मामलों में औपचारिक लाइसेन्स देने में देरी होती है वहां शराब की दुकान अधिकार-पत्र अनुसार चलाई जाती है।

(3) जी हां। पुलिस ने झालावाड़ शहर की मंगलपुरा नामक ठेकेदार का दिनांक 20–1–68 को चालान किया है।

(4) झालावाड़ जिले में विदेशी मदिरा की एक दुकान है जो झालावाड़ शहर में स्थित है। इस दुकान के लाइसेन्स धारी का नाम हेतुमल है।

(5) टुरिस्ट ट्रैफिक को बढ़ावा देने हेतु लाइसेन्स दिये जाते हैं।

(6) राज्य में अंग्रेजी शराब की बिक्री लगभग आठ लाख लीटर की है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : क्या यह सही है कि झालावाड़ जिले में जितने शराब के ठेके हैं उनको लाइसेन्स अब तक नहीं मिले हैं ?

श्री शिवचरण सिंह : ऐसा है कि लाइसेन्स नहीं मिलता है तो प्रोविजनल अथोरिटी दे दी जाती है। या तो ठेकेदारों ने ली नहीं होगी या पैसा वगैरा जमा कराने में विलम्ब हुआ होगा।

श्री विट्ठलप्रसाद : शराब का ठेका तो आपने दे दिया लेकिन लाइसेन्स उनको नहीं मिल पाये हैं। क्या सरकार की यह जानकारी में है ?

श्री शिवचरणसिंह : लाइसेन्स बन गये होंगे। ठेकेदारों ने नहीं लिये होंगे।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : लाइसेन्स न मिलने के कारण पुलिस वाले उनका चालान कर रहे हैं और तीन तीन दिन उनको हवालात में घुमा रहे हैं।

श्री शिवचरण सिंह : लाइसेन्स नहीं है तो चालान होगा ही जैसे मंगलपुरा का हुआ। उस समय लाइसेन्स होगा नहीं या ठेकेदार ने लटकाया नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : हाईपेथेटिकल।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : क्या माननीय मंत्री महोदय इस पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे कि जब ठेका देते हैं तो साथ साथ लाइसेन्स भी क्यों नहीं दिया जाय,

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

इसमें आपको क्या आपत्ति है ? सिम्पली एडमिनिस्ट्रेशन का मामला है।

श्री शिवचरण सिंह : कुछ फोर्मेलिटीज पूरी करनी होती है। उसको पूरा करने के पहले अथोरिटी लेटर दे दिया जाता है। फिर लाइसेन्स वह ले लेता है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : सब फोर्मेलिटीज पूरी करने के बाद अगर आप उस ठेकेदार को शराब बेचने का अधिकार देना चाहते हैं तो जिस रोज अधिकार देते हैं तो उसके साथ साथ लाइसेन्स भी आपको देना चाहिये। अगर आप यही नहीं कर सकते हैं तो मेरे खयाल से फिर क्या कर सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष : श्री बोहरा।

मालनवासा (रेंज खानपुर) में वन विभाग की भूमि पर बगीचा

5. श्री रामप्रसाद बोहरा : (झालरापाटन) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि मालनवासा (रेंज खानपुर) जिला झालावाड़ में फोरेस्ट विभाग की 15 बीघा जमीन में श्री मांगो लाल घाकड़ ने खेती करके बगीचा लगाया है ?

(2) क्या यह जमीन रेंजर ... बिना एलाटमेन्ट के ही उस आदमी को दे दी गई ? यदि हां, तो क्यों तथा कब दी गयी ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त जमीन में एक पक्की बावड़ी 22' × 22' लम्बी चौड़ी बनाली गई है ?

(4) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

उप मंत्री वन (श्री कन्हैयालाल) : (1) जी हां, खेती की है बगीचा नहीं लगाया है।

(2) दी नहीं गई। उस भूमि पर मांगीलाल ने अवैध कब्जा किया हुआ है।

कई माननीय सदस्य : सुनाई बिलकुल नहीं दे रहा है !

(विराम)

श्री रामप्रसाद लड़ढा (सिंचाई मंत्री) : सन् 1967–68 में 535 एकड़ भूमि सिंचित हुई।

कई माननीय सदस्य : यह किस प्रश्न का जवाब देने लग गये हैं ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज़ !

वन मंत्री महोदय।

उप मंत्री वन (श्री कन्हैयालाल) : (1) जी हां, खेती की है बगीचा नहीं लगाया है।

(2) दी नहीं गई। उस भूमि पर श्री मांगीलाल ने अवैध कब्जा किया हुआ है।

(शोरगुल व्यवधान)

कई माननीय सदस्य : सुनाई ही नहीं दे रहा है।

श्री अध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज़ ।

श्री देवीदत्त गाडिया (बारां) : अध्यक्ष महोदय, आप इनको अपने चेम्बर में बुला कर ट्रेनिंग दीजिये।

श्री अध्यक्ष : यह अध्यक्ष का काम नहीं है।

श्री कन्हैयालाल : (2) की नहीं गई ।

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय बिलकुल सुनाई नहीं दे रहा है। अध्यक्ष महोदय, आपको भी क्या सुनाई दे रहा है ?

श्री कन्हैयालाल : दी नहीं गई । उस भूमि पर श्री मांगीलाल ने अवैध कब्जा किया हुआ है।

कई माननीय सदस्य : बिलकुल भी सुनाई नहीं दे रहा है ।

श्री अध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज़ ।

श्री देवीदत्त गाडिया : बिलकुल ही तो सुनाई नहीं दे रहा है ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : आप समझ रहे हैं क्या अध्यक्ष महोदय ?

श्री अध्यक्ष : माननीय वन मंत्रीजी । माईक के पास थोड़ा जोर से बोलें ताकि शिकायत बन्द हो जाय ।

श्री कन्हैयालाल : (1) जी हां, खेती की है, बगीचा नहीं लगाया है ।

(2) दी नहीं गई। उस भूमि पर श्री मांगीलाल ने अवैध कब्जा किया हुआ है ।

(3) कुए का निर्माण किया है ।

(4) वन विभाग द्वारा श्री मांगीलाल के विरुद्ध राजस्थान वन अधिनियम, 1953 के अनुसार उप दंडनायक अटलेरा के न्यायालय में कार्यवाही जारी है। अपराधी के विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अनुसार भी तहसील खानपुर में कार्यवाही की गई जहां से मांगीलाल धाकड़ पर 8-11-67 को कीमत फसल 5000) रु. तथा पैनल्टी 585) रु. नियत की गई है। बेदखली व कुआं जब्त करने की कार्यवाही भी जारी हैं ।

श्री विजय सिंह : इतनी देर से तो अध्यक्ष महोदय न जाने क्या निकल गया होगा ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : यह धारा 91 क्या होती है। आप समझा दीजिये कृपा करके।

श्री दौलतराम सारण : धारा 91 क्या है ?

श्री अध्यक्ष : कानून का परीक्षण नहीं है।

श्री दुर्गालाल बाढदार : धारा 91 क्या है अध्यक्ष महोदय ?

श्री अध्यक्ष : यह क्वेश्चन ग्रांफ ला है देख लीजिये ।

उप मंत्री, वन (श्री कन्हैया लाल पटेल): राजस्थान का पैसा इस प्रकार····

(कई माननी सदस्यों एक के साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष : ग्रार्डर ! ग्रार्डर ! नेक्स्ट।

श्री विद्यासागर ।

Page No. 10

श्री रामप्रसाद : अध्यक्ष महोदय, जानकारी होते हुये भी दो साल में बावडी बनी इसका क्या कारण है ?

उप मंत्री, वन (श्री कन्हैया लाल पटेल): सुनाई नहीं दिया ।

श्री अध्यक्ष : वापिस प्रश्न को दोहराइये, आप भी जोर से बोलिये ।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्षः आर्डर । आर्डर प्लीज ! प्रश्न कर्त्ता ।

श्री राम प्रसाद बोहरा (अकलेरा): क्या यह सही है कि बावड़ी दो साल तक जानकारी होते हुये भी क्यों बनने दी गई ?

श्री अध्यक्ष : दो साल तक जानकारी होते हुये भी बावड़ी क्यों बनने दी गई ?

वन मंत्री (राव श्री नारायण सिंह मसूदा): अध्यक्ष महोदय, बावडी पहले से बनी हुई है और ....

(माननीय सदस्यों द्वारा हंसी)

श्री रघुनाथ बिश्नोई: माईक खराब हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष ; आप भी कृपा करके जोर से बोलें ।

वन मंत्री (राव श्री नारायण सिंह मसूदा): बावडी पहले से बनी हुई है । तहसील में बाद में दर्ज हुई है । उसके अलावा धारा 91 के अन्तर्गत भी तहसील से कार्यवाही करने के लिये किया गया और उसी के अन्दर पांच हजार रुपये फसल के और 585 रु. पैनेल्टी उन पर लगाई गई है ।

श्री मदन सिंह (दांतारामगढ़) : यह अब आप कह रहे हैं सो ठीक कह रहे हैं या अब उप मंत्री जी कह रहे थे सो ठीक है ? और दो वर्ष तक बावडी बनती रही, वहां के जंगल के जो अधिकारी हैं उन्होंने क्यों नहीं इस पर निगरानी रखी ?

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : ऐसी बात नहीं है । जहां तक वन विभाग की और लैन्ड रेवेन्यू की तवालगी का सवाल है, वह दुरुस्त की जा रही है । कोई सन्देहात्मक कार्यवाही हुई है तो रेकार्ड की तुलना में वन विभाग की कार्यवाही ठीक है ।

श्री मदन सिंह (दांतारामगढ) : आपने फरमाया अभी एक सैकिन्ड पहले कि बावडी बनी हुई थी क्या यह सही है या आपके उप मंत्री जी फरमा रहे वह सही ?

श्री लाभ चन्द वैद (सुजानगढ़): इसमें कौनसी सही है ?

श्री मदन सिंह : अभी आपने फरमाया था कि बावडी बनी हुई थी और उप मंत्री जी फरमा रहे थे कि बावड़ी अभी बनी है । इसमें कौनसी सही बात है ?

राव श्री नारायण सिंह मसूदा : अभी इसी अर्से में बनी हुई थी ।

श्री राम प्रसाद बोहरा : अभी से मतलब ?

राव श्री नारायणसिंह मसूदा । दो तीन साल से,

श्री मदन सिंह : दो—तीन साल से बावडी बनी हुई थी और इसको आप अभी कह रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर) आर्डर प्लीज! श्री दिग्विजय सिंह ।

श्री दिग्विजय सिंह : वन मंत्रीजी ने फरमाया कि फॉरेस्ट के नीचे जमीन है तो धारा 91 के तहत कार्यवाही····

श्री नारायण सिंह मसूदा : धारा 91 में जो कार्यवाही की जा सकती है वह फारेस्ट डिपार्टमेंट के साथ होती है। लैण्ड रेवेन्यू के लिये तहसील को चालान पेश करना पड़ता है, और उसी मुकद्दमें के अनुसार कार्यवाही करते हैं ।

श्री मदन सिंह : क्या यह सही है कि इस वर्ष भी फसल काटी गई है ?

श्री नारायण सिंह मसूदा : इस समय कटाई हो सकती है। कलेक्टर ने आदेश दिये थे। कलेक्टर ने यह आदेश दिये हैं कि यह फॉरेस्ट लेन्ड है इसको बेदखल किया जाय, लेकिन उन्होंने लेन्ड अपीलेट ऑथोरिटी को अपील कर दी है और उसको स्टे किया गया है इसलिये अभी यह मामला अनिर्णित है ।

श्री मदन सिंह : इसका मतलब है···

श्री अध्यक्ष : सिंचाई मंत्री ।

श्री मदन सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब है कि·····

श्री अध्यक्ष : अगर इस तरह करेंगे तो अन्य माननीय सदस्यों के प्रश्न रह जायेंगे ।

श्री विद्या सागर !

अमर सागर बांध से सिंचाई

6. श्री विद्या सागर (खेरवाड़ा सु.) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अमर सागर (भूदर) तालाब से सन् 67–68 में कितना एरिया (एकड़) जमीन पीवल हुई ?

(2) नहर सर्वे के अनुसार भूदर तालाब से कितना एरिया (एकड़) पीवल होने का है ?

(3) क्या यह सही कि अमरसागर (भूदर) तालाब की पाल को और ऊंची उठाई जाय तो चिक्का, कागदर, कानूवाड़ा की जमीन पीवल हो सकती है ? क्या इसका कोई सर्वे कराया गया है ? यदि हां, तो कब ?

(4) अगर सर्वे नहीं करा तो क्या सरकार सर्वे कराने का इरादा रखती है ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा):

(1) सन् 1967–68 में 535 एकड़ भूमि सिंचित हुई ।

(2) भूदर की नहरों से 500 एकड़ भूमि सिंचित होने का अनुमान है ।

(3) अभी कोई सर्वे नहीं कराई गई ।

फिलहाल ऐसा कोई इरादा नहीं है ।

श्री मनोहर सिंह (मांडलगढ़) : सुना नहीं हमने साहब ।

श्री राम प्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया कि उसका कोई सर्वे नहीं कराया ऐसा

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

है और इस तालाब को बडा करने में कई चट्टानें ऊंची ऊंची आती हैं। फिर इसका सामन्जस्य एरिया बढ़ता है। आज की बुनियाद पर इसका विस्तार सम्भव है या नहीं यह सारी बातें सर्वे से पता लग सकती है। अभी इसको मंहगी योजना मानकर सर्वे नहीं कराया गया।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट। श्री गिरधारीलाल !

नर्सों के विशिष्ट प्रशिक्षण के लिए चयन

7. श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या देश और विदेशों में नर्सों को (पुरुष व महिला) विशिष्ट प्रशिक्षण के लिए चुनने व भेजने के लिये राज्य सरकार या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने कोई सिद्धान्त व नियम बनाये हैं? बनाये हैं, तो वे क्या हैं और क्या चयन करने में उनकी पालना की गई ?

(2) क्या विश्व स्वास्थ्य संघ की ओर से इस वर्ष नर्सों को विदेशों में एम.एस.सी. व डिप्लोमा कोर्स के लिये प्रशिक्षण के लिये छात्रवृत्ति का विज्ञापन राज्य सरकार को प्राप्त हुआ था ? यदि हुआ था, तो कितनी नर्सों के प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए और उनमें से कितने प्रार्थना-पत्र आगे भेजे गये ? अगर नहीं भेजे गये, तो क्यों नहीं ?

(3) क्या राज्य सरकार को एम.एस.सी. नर्सिंग योग्यता प्राप्त नर्सों की आवश्यकता है, और यदि है, तो किन-किन पदों के लिये तथा अभी इनकी पूर्ति किस प्रकार की गई है ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(4) सन् 1962 से अब तक कितने कर्मचारी (पुरुष और महिला नर्स) किस किस विशेष प्रशिक्षण के लिये कब कब राजस्थान के बाहर देश और विदेशों में अध्ययन, अवकाश या प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये हैं ? उनकी सूची सदन की मेज पर रखें।

राज्य मन्त्री, चिकित्सा (श्रीमती सुमित्रा): (1) विभाग की आवश्यकता को देखकर स्क्रीनिंग कमेटी वरिष्ठता व योग्यता के आधार पर चयन करती है। पालना की जाती है।

(2) जी हां। योग्यता प्राप्त प्रार्थना-पत्र किसी से प्राप्त नहीं हुये।

(3) जी नहीं।

(4) चाही गई सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगी कि स्क्रीनिंग कमेटी की कभी भी कोई मीटिंग हुई है और स्क्रीनिंग कमेटी के कौन कौन सदस्य हैं तथा उनकी मीटिंगों की कौन कौन सी तारीखें है ? इसके बारे में जानकारी देने की कृपा करेंगी।

श्रीमती सुमित्रा : अध्यक्ष महोदय,

श्री गिरधारीलाल व्यास: अलग से प्रश्न नहीं है अध्यक्ष महोदय, मैंने क्वेश्चन नं. 1 में साफ लिखा है कि "क्या देश और विदेशों में नर्सों को (पुरुषों व महिला) विशिष्ट प्रशिक्षण के लिए चुनने व भेजने के लिए राज्य सरकार या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने कोई सिद्धान्त बनाये हैं ? बनाये है, तो वे क्या हैं और क्या चयन करने में उनकी पालना की गई है ?" यह क्वेश्चन साफ है। स्क्रीनिंग कमेटी में कौन कौन सदस्य हैं तथा मीटिंगों की कौन कौन सी तारीखें हैं, और क्या क्या निर्णय लिये हैं ?

श्री अध्यक्ष: यस।

चिकित्सा मन्त्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा): मेरा निवेदन करना है स्क्रीनिंग कमेटी है और इसमें एक्सपर्ट को बैठाकर चयन कराया जाता है। मीटिंग कब कब हुई है यह अलग से सवाल है।

श्री गिरधारी लाल व्यास: अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और आपके जरिये मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि कोई स्क्रीनिंग कमेटी इस डिपार्टमेंट का चयन नहीं करती है। मनमाने तरीके से लोगों को सिलेक्ट किया जाता है। न सिनियोरिटी देखी जाती है और न मेरिट देखा जाता है। इस सम्बन्ध में कृपया स्पष्टीकरण करने की कृपा करें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा: स्पेसिफिक इन्सटान्स हो तो उसके बारे में जानकारी दी जा सकती है।

श्री गिरधारीलाल व्यास: जितनी लिस्ट दी गई है वह चाहे इंगलैण्ड में भेजे गये हों या दूसरे विदेशों में भेजे गये हों या भारत वर्ष के अन्य प्रान्तों में ट्रेनिंग के लिए भेजे गये हों सारी की सारी लिस्ट को मैं चेलेन्ज करता हूँ। इसमें न सिनियोरिटी को ख्याल में रखा गया है और न मेरिट का ख्याल रखा गया है। मनमाने तरीके से हैड आफ दी डिपार्टमेंट ने सिलेक्शन किया है। जैसा आपने क्वेश्चन नं. 3 में जवाब दिया है जो नहीं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार को एम. एस. सी. नर्सों की आवश्यकता है ? यदि है, तो किन किन पदों के लिये तथा अभी उसकी पूर्ति किस प्रकार की गई है। आपने जवाब दिया है जो नहीं आपको किन किन पदों को योग्यता वाली नर्सें चाहिये आपने जवाब दिया जो नहीं उसके बाद एम. एस. सी. की ट्रेनिंग के लिये भेजी है आपने कहा नहीं। मैं कहना चाहता हूं इसमें बिना मेरिट और बिना सिनियोरिटी के एक नर्स को ट्रेनिंग के लिये भेजा है।

श्री अध्यक्ष: नर्स का नाम बता दीजिये, स्पष्ट हो जायगा।

श्री गिरधारीलाल व्यास: डिपार्टमेंट वाले स्वयं जानते हैं।

श्री अध्यक्ष: नहीं जानते हैं तो आप बतला दीजिये।

श्रीमती सुमित्रा: माननीय सदस्य का कहना बेबुनियाद है। इसका चुनाव हैल्थ सेक्रेटरी और डाइरेक्टर मेन पावर मिलकर योग्यता और वरिष्ठता के आधार पर करते

Page No. 14

(श्रीमती सुमित्रा)
हैं। इस वर्ष क्योंकि प्रार्थना-पत्र नहीं आये इसलिए मीटिंग की आवश्यकता नहीं समझी गई।

श्री गिरधारीलाल व्यास : वर्ल्ड हैल्थ आर्गेनाइजेशन की तरफ से प्रार्थना-पत्र मांगे गये थे उस पर लिखा गया कि एक भी एप्लीकेशन्स नहीं आयी। एप्लीकेशन्स के सम्बन्ध में जानकारी देना चाहता हूं कि इसके बारे में किसी प्रकार का भी सक्युंलेशन नहीं किया गया। यदि सक्युंलेट किया जाता तो बहुत सारे व्यक्ति योग्यता रखने वाले थे। उनको पता नहीं होने के कारण वे प्रार्थना-पत्र नहीं दे सके। विभाग की तरफ से किसी भी पुरुष और महिला नर्सेज को नहीं सूचित किया गया। तो इस बारे में किस अधिकारी की गल्ती थी या जिम्मेदारी थी उसके खिलाफ क्या सरकार कार्यवाही करेगी ?

श्रीमती सुमित्रा : इसकी पूरी जानकारी दी गई। लास्ट ईयर किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ। भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में जिनको प्रोपोज किया गया उनको माना नहीं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस प्रश्न को स्थगित करने का आदेश प्रदान करें क्योंकि इसका पूरा जवाब नहीं मिला है।

श्री अध्यक्ष : पर्याप्त जवाब मिल गया है फिर भी आप सन्तुष्ट नहीं हैं तो मंत्री महोदय आप इनको सैटिसफाई कर दीजियेगा।

प्रश्न सं. 8 स्थगित

नैक्स्ट। श्री नत्थीसिंह।

भरतपुर जिले में गेहूँ की खरीद

9. श्री नत्थीसिंह (भरतपुर): क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि भरतपुर जिले में इस वर्ष खाद्य निगम द्वारा गेहूँ की खरीद की गई ? यदि हां, तो इस खरीद के आधार व नीति क्या थी ?

(2) क्या यह सही है कि अधिकांश खरीद खाद्य निगम द्वारा सीधे किसानों से न की जाकर व्यापारियों से की गई ? मंडीवार व्यापारियों व किसानों से की गई खरीद की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि खाद्य निगम द्वारा की गई इस खरीद में अनियमितता एवं भ्रष्टाचार की शिकायतें जनता एवं जिले के राज्याधिकारियों को की गई है ? यदि हां, तो ये किस प्रकार की शिकायतें थीं और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या यह सही है कि भरतपुर में क्रय विक्रय सहकारी समिति के बजाय प्राइवेट डीलर्स को खाद्य निगम का एजेन्ट बनाया

(श्री नत्थीसिंह)
गया ? यदि हां, तो क्यों और इस सम्बन्ध में राजकीय नीति की अवहेलना करने के क्या कारण थे ?

उप मंत्री खाद्य (श्री रामदेवसिंह) : अध्यक्ष महोदय, इसकी सूचना प्राप्त नहीं हुई है इसे स्थगित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न स्थगित किया गया।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल (बयाना) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बड़ा महत्व पूर्ण है। यह प्रश्न हमारे इलाके के किसानों की जिस प्रकार से लुटाई हुई है उससे सम्बन्धित है…

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं, प्रश्न पूछिए।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : भाषण नहीं प्रश्न ही कर रहा हूं….

श्री अध्यक्ष : प्रश्न को स्थगित किया गया अब इस प्रश्न को उठाने का और कोई उपाय नहीं।

श्री रामकिशन (बैर) : अध्यक्ष महोदय, हमने इसी विषय पर एक मोशन की सूचना दे रखी है उसे स्वीकार कर लिया जाय। रूल 127 के तहत नोटिस दे रखा है हम उस पर वाद–विवाद करना चाहते हैं जिसके अन्दर यह है कि खाद्य निगम के अधिकारियों ने किस प्रकार की गड़बड़ियां कीं। उन गड़बड़ियों का पर्दाफाश केवल क्वेश्चन से नहीं होगा अतः आप उसको स्वीकार कर लें।

श्री नत्थीसिंह : इसमें पांच सात लाख रुपये का घपला हुआ है। खाद्य निगम के अधिकारियों ने लाखों रुपया बनाया है।

श्री अध्यक्ष : मोशन को मैं देख लूं उसके बाद निर्णय दूंगा।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : हम यह चाहते हैं अध्यक्ष महोदय, हमारे पास तथ्य हैं सबूत सहित जिनको हम पूरी तैयारी के साथ इकट्ठे करके लाये हैं उन तमाम तथ्यों को मय सबूत के सदन के सामने रखना चाहते हैं। ये अधिकारी किस प्रकार से गड़बड़ घोटाले करते हैं। इन्होंने किसानों से 65 रुपया प्रति क्विन्टल गेहूं खरीदा और सरकार से उनका 81.82 रुपया प्रति क्विन्टल के हिसाब से वसूल किया और उसके बाद खाद्य निगम के गोदामों में उसको दाखिल किया गया। इसमें बहुत बड़ा स्केन्डल है इस बारे में हम तथ्य रखना चाहेंगे।

श्री अध्यक्ष : मैं मोशन के बारे में जानकारी ले लूंगा और जिस प्रस्ताव के बारे में कहा है उसको स्वीकार कर लिया जायगा।

श्री नत्थीसिंह : कोई दिन भी तय कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष : यह बाद में देख लिया जायगा।

श्री नत्थीसिंह : जो भी तारीख आप रखें उस रोज उनको जवाब देने के लिए आप पाबन्द कर दीजियेगा।

श्री अध्यक्ष : ऐसा ही किया जायगा।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय आपकी उदारता का अनुचित लाभ उठाने न पायें।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री शंकरलाल :

Page No. 16

पाली जिले की शराब की दुकान

10. श्री शंकरलाल (जैतारण) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पाली जिले में कुल कितनी शराब की दुकानें कहां कहां है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या सरकार पाली जिले की बाली और रायपुर तहसील के पहाड़ी क्षेत्रों की शराब की दुकानें एवं पाली मिल्स क्षेत्र की शराब की दुकानें तुरन्त बन्द करने का इरादा रखती है?

उपमंत्री, आबकारी (श्री शिवचरणसिंह): (1) पाली जिले में कुल 82 शराब की दुकानें हैं। दुकानों की सूची सलंग्न है।

(2) पाली जिले की बाली और रायपुर तहसील के पहाड़ी क्षेत्र की दुकानों को बन्द करने का इस समय कोई प्रस्ताव राज्य के विचाराधीन नहीं है। औद्योगिक संस्थानों से 100 गज की दूरी में शराब की दुकान चलाने की इजाजत नहीं दी जाती है। यदि पाली मिल्स के 100 गज के अन्दर शराब की दुकान होगी तो उसको बन्द करने की कार्यवाही की जायगी।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री शंकरलाल : होगी क्या है आपने सूची में दी है।

श्री शिवचरणसिंह : रेल्वे स्टेशन पर है।

श्री रोशनलाल : आप जब मानते हो कि 100 गज के अन्दर है तो उसको हटाते क्यों नहीं?

श्री शिवचरणसिंह : नियमानुसार कार्यवाही करली जायगी।

श्री मथुरादास माथुर (आबकारी मंत्री): एक्साइज कमिश्नर को कह दिया है कि इस दुकान को उठा दिया जाय।

श्री शंकरलाल : आपने जो सूची दी है उसके अनुसार 82 दुकानें इस क्षेत्र में हैं। सबसे ज्यादा दुकानें पहाड़ी क्षेत्र में हैं, जहां अनूसूचित जाति व जनजाति के लोग रहते हैं?

श्री मथुरादास माथुर : पाली जिले में सब से ज्यादा नहीं हैं। और कई जिले हैं जिसमें यहां से भी ज्यादा हैं।

श्री नत्थीसिंह : वह कौन सा सौभाग्यशाली जिला है उसका नाम ही बता दीजिये?

श्री शंकरलाल : क्या इन पहाड़ी क्षेत्र की दुकानों को बन्द करने का सरकार का विचार नहीं है जब कि यहां शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स की ज्यादा बस्ती है?

श्री रामकिशन : बहुत बड़ी संख्या में जिस जिले में दुकानें बतायी हैं क्या सरकार इस सुझाव पर गौर करेगी कि कुछ दुकानें मांडलगढ़ निर्वाचन क्षेत्र में खोल दी जायं।

श्री अध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरड़क!

प्रश्न संख्या 11.

पंचायत क्षेत्र ललासरी में चीनी का वितरण

11 श्री हरजीराम बुरडक : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पंचायत क्षेत्र ललासरी, तहसील डीडवाना में दिनांक 1 अप्रेल, 66 से

Page No. 17

(श्री हरजीराम बुरड़क)

31 मार्च, 67 तक महावार कितनी कितनी चीनी रिटेलर को वितरण के लिए दी गई तथा उक्त पंचायत क्षेत्र की कितनी जनसंख्या के लिए प्रति व्यक्ति कितनी चीनी का हिसाब लगाया गया ?

(2) रिटेलर ने उपरोक्त महीनों की चीनी गांवों में प्रति व्यक्ति कितनी कितनी बांटी ?

(3) उपरोक्त समय में विभागीय अधिकारियों ने उक्त रिटेलर का कितनी बार निरीक्षण किया और निरीक्षण के समय इस बात का भी पता लगाया गया या नहीं कि रिटेलर के रिकार्ड में जिन व्यक्तियों को चीनी दी गई बताई है उन व्यक्तियों को चीनी नहीं दी गई और राशन कार्ड उनके पास कोरे ही पड़े हैं।

(4) क्या यह सत्य है कि इस पंचायत क्षेत्र में राशन कार्ड देने वाला और चीनी वितरण करने वाला एक ही व्यक्ति है ? और इसी कारण से चीनी वितरण नियमानुसार नहीं होता है ?

उपमंत्री, खाद्य (श्री रामदेवसिंह) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को स्थगित करने की प्रार्थना करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न स्थगित किया गया। श्री रतनलाल रोत !

सिंचाई के साधनों का सर्वेक्षण

12. **रतनलाल रोत (चौरासी सु.)** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में सिंचाई के साधनों और क्षमता का विकास योजनाबद्ध तरीके से कैसे किया जा सकता है ? क्या इस सम्बन्ध में सरकार ने राज्य के अनेक नदी नालों, तालाबों आदि का कोई सर्वेक्षण किया है ?

(2) लिफ्ट इरिगेशन के सम्बन्ध में सरकार की कौन कौन सी योजनायें हैं ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा): (1) जी हां सर्वेक्षण अभी जारी है।

(2) संलग्न सूची की योजनायें सरकार के विचाराधीन हैं।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, यह मंत्रियों को नजाकत की बीमारी कब से आगई वैसे दिखते तो नहीं हैं ?

श्री अध्यक्ष : खामखां आपका खयाल है। आपकी निगाहों में कुछ बदला है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार !

जिला गजेटियर्स का प्रकाशन

13. **श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवा महल, जयपुर)** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) निदेशक, जिला गजेटियर्स विभाग की कुल स्ट्रेन्थ क्या है और वर्तमान में इस विभाग में कोई व्यक्ति किस-किस पद पर कार्य कर रहा है ? इस कुल स्ट्रेन्थ पर वेतन व अन्य सभी भत्तों पर वार्षिक व्यय कितना है ?

Page No. 18

(श्री दुर्गालाल बाढदार)

(2) क्या राज्य सरकार ने निदेशक, जिला गजेटियर के पद के लिये योग्यता निर्धारित की है ? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या निदेशक, जिला गजेटियर्स के पद पर कार्य करने वाले व्यक्ति को सम्पादकीय अनुभव आवश्यक है ? और यदि हां, तो क्या वर्तमान निदेशक उक्त योग्यता से युक्त हैं ?

(4) गजेटियर्स विभाग ने अब तक कुल कितने प्रकाशन निकाले ? सूची सदन की मेज पर रखी जाय। प्रत्येक प्रकाशन पर कितना खर्चा हुआ और प्रत्येक प्रकाशन की बिक्री से कितनी आय हुई ?

(5) क्या यह सच है कि गजेटियर विभाग द्वारा केन्द्रीय गजेटियर्स विभाग, नई दिल्ली को प्रकाशन से पहले गजेटियर का प्रारूप अनुमोदनार्थ भिजवाया जाता है। यदि हां, तो भरतपुर जिला गजेटियर के विभिन्न अध्यायों पर क्या टिप्पणी आयी है और सरकार ने उसके अनुरूप क्या कार्य किया ?

उपमंत्री, गृह (श्री खेतसिंह) : विभाग के स्टाफ की स्वीकृत सं. 56 है। विभिन्न पदों व व्यक्तियों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। वेतन व भत्ते पर 1967-68 में कुल व्यय 1,99,392 रु. था।

(2) निदेशक का पद राजस्थान सांख्यकी सेवा में निदेशक के स्तर के पद में वर्गीकृत है।

(3) नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

(4) विभाग ने अब तक कुल 5 गजेटियर्स प्रकाशित किये हैं। प्रत्येक प्रकाशन पर कितना व्यय हुआ, यह बताना संभव नहीं है क्योंकि एक वर्ष में कई गजेटियर्स के विभिन्न पहलुओं पर एक साथ कार्य किया जाता है, तथा एक गजेटियर्स तथा कुछ गजेटियर्स की सामग्री एकत्रित करने का कार्य, कुछ के लेखन का कार्य कुछ में सी. जी. यू. के सुझावों के अनुसार संशोधन का कार्य, कुछ के नक्शे बनाने व छपाई का कार्य व कुछ की प्रेस को कापियां तैयार करने व मुद्रित करने का कार्य एक साथ होता रहता है। 20 अगस्त 1968 तक गजेटियर्स की बिक्री से जो आय हुई है उसका विवरण सदन में रखी सूचना में अंकित कर दिया गया है।

(5) जी हां। विभिन्न अध्यायों में कुछ सुधार के सुझाव आये थे। उनके अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

श्री दुर्गालाल बाढदार : माननीय मंत्री ने या तो मेरे प्रश्न को पढ़ा नहीं या समझे नहीं मैंने अपने प्रश्न में पूछा है कि जो गजेटियर को पहले अनुमोदनार्थ भेजा जाता है उस पर कोई टिप्पणी आई है और सरकार ने उसके अनुरूप क्या कार्य किया है ? आपने जो उत्तर दिया उसमें आपने यह नहीं बताया कि इसके विभिन्न अध्यायों में केन्द्रीय सरकार के सुधार के सुझाव आये हैं तो कृपया यह बतावें कि वे कौनसे हैं ?

श्री खेतसिंह : आप तशरीफ रखिये। सब्र रखिये। मैं उत्तर दे रहा हूं। मैने निवेदन किया

(श्री खेतसिंह)
कि भरतपुर जिले के गजेटियर सिलसिले में सेन्ट्रल गजेटियर विभाग से कुछ सुझाव आये हैं और उन पर हम कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री दुर्गालाल बाढदार : क्या सुझाव आये हैं ?

श्री खेतसिंह : आप इम्पेशण्ट न होइये। जो सुझाव आये हैं वे 38 पेज में हैं। आप कहें तो मैं पढ़ना शुरू कर दूं, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : नहीं, इतना लम्बा पढ़ने के लिये मैं इजाजत नहीं दूंगा।

श्री दुर्गालाल बाढदार : आप इतना लम्बा है, उसकी नकल मुझे दे सकते थे। खैर, फिर भी आप बता दीजिये कि उसमें मोटी मोटी बात क्या आई है। क्या यह सच है कि भरतपुर का गजेटियर केन्द्रीय विभाग में अनुमति के लिये गये तो वहां से यह रिमार्क आया कि राजस्थान का यह भरतपुर जिले का गजेटियर जो है उसको भाषा तक लिखने का ज्ञान नहीं है। उससे भाषा तक शुद्ध नहीं लिखी जा सकती। क्या इस प्रकार की टिप्पणी आई ? आप क्या इसे स्वीकार करते हैं ?

श्री खेतसिंह : बात तो यह है कि पूरे 38 पेज मैंने खुद ने नहीं पढ़े हैं।

श्री दुर्गालाल बाढदार : अध्यक्ष महोदय, हम सदन में प्रश्न करते हैं। आखिर इसका क्या परिणाम है ? इसका क्या आशय है ? मैं अच्छी तरह जानता हूं कि राजस्थान सरकार में यहां कोई भी प्रश्न उचित पूछा जावे या अनुचित कोई सुनने वाला और जवाब देने वाला नहीं है।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने सत्य बात कह दी, उस पर भी आपको आपत्ति है ?

श्री दुर्गालाल बाढदार : अध्यक्ष महोदय, एक मेरा निवेदन और है कि इस सदन की गरिमा को रखना आपके हाथ की बात है। यह मंत्री लोगों की गिनती तो बढ़ती जावेगी कोई कमी नहीं रहेगी। सरकार का पैसा भी ये खाते जावेंगे।

श्री अध्यक्ष : गजेटियर पर ही प्रश्न करें।

श्री दुर्गालाल बाढदार : किसी भी विषय पर करें। ये बगैर खाये जी नहीं सकते। पर मैं पूछता हूं कि वे खाकर तो काम करें कुछ।

श्री अध्यक्ष : गजेटियर पर प्रश्न।

श्री खेतसिंह : आपका दर्द तो दूसरा है।

श्री दुर्गालाल बाढदार : आप यह बताने की कृपा करें कि जिस योग्यता के व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त किया जाता है उसको पद तो कुछ और दिया जाता है और उससे काम कुछ और लिया जाता है।

श्री खेतसिंह : जहां तक सम्भव होता है वही काम कराया जाता है। पर यह आवश्यक भी नहीं है कि वह उसी काम पर लगा रहे। उससे दूसरा काम भी ले सकते हैं।

(श्री खेतसिंह)

उसकी योग्यता देखते हुए सरकार किसी भी पद पर रख सकती है।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : कहां इनको अध्यक्ष महोदय, पढ़ने लिखने के काम में लगा दिया डंडा छुडा कर ?

श्री खेतसिंह : आपने किसके लिए पूछा है ?

श्री दुर्गालाल बाढदार : मैंने स्पष्ट पूछा है। आर. सो. अथैया अनुसन्धान अधिकारी हैं। क्या उनसे अनुसन्धान का ही कार्य लिया जाता है ?

श्री खेतसिंह : यह तो अलग से प्रश्न है।

श्री दुर्गालाल बाढदार : स्पष्ट प्रतीत होता है मन्त्री महोदय ने मेरे प्रश्न को नहीं पढ़ा है। मेरा प्रश्न स्पष्ट है। आप उसे थोड़ा पढ़ने की चेष्टा करें। यह योग्यता का प्रश्न है, आपको ज्ञान होना चाहिये। कौन कम्पीटेन्ट है ?

श्री खेतसिंह : मैंने अपने उत्तर में निवेदन कर दिया है। सम्पादकीय योग्यता होनी ही चाहिये ऐसा नहीं है आई. ए. एस. ऑफिसर यह भी उस केडर का आफिसर है। इनका काम सरकार ने सन्तोषजनक पाया है।

श्री दुर्गालाल बाढदार : क्या यह सही है कि अभी तक जबसे यह काम चालू हुआ इस पद पर आई.ए.एस. व्यक्ति नियुक्त किये जाते थे और अब उसे आर. ए. एस. कर दिया है। क्या कारण है इसका ?

श्री खेतसिंह : अब तक तीन अफसर इस पद पर रहे हैं और तीनों आई.ए.एस. रहे हैं। जोजफ आई. ए. एस. थे, उनके बाद वाले आई. ए. एस. थे।

श्री दुर्गालाल बाढदार : आप मेरे प्रश्न का हां या ना में जवाब तो दें। जब से गजेटियर विभाग कायम हुआ उसमें आई. ए. एस. का आदमी रखा जाता था पर कुछ अरसे पहले आर. ए. एस. का पद कर दिया गया क्या यह सही है ?

श्री खेतसिंह : यह अलग से प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : यह कामनसेंस के कारण निकलता है क्या ? (सदन में लगे पर्दे के पंखे को छूने पर) परदे को सम्भालो, यह व्यवधान हो गया।

श्री रामकिशन (वेर) : योग्यता का मापदण्ड होना चाहिये। नहीं हैं तो विचार करना चाहिये। इसका मैं एक प्रमाण देना चाहता हूं। गजेटियर एक डाक्यूमेन्ट होता है हमारी पुरानी सभ्यता संस्कृति का वह साक्षी बनता है। आप इस भरतपुर के गजेटियर को देखेंगे तो आप उसमें भरतपुर के सम्बन्ध में यह लिखा पावेंगे कि वहां जाट जाति रहती है। वे अपने जाति के रीति रिवाज के अनुसार दो विवाह नहीं कर सकते। पर मैं बताऊं वहां के महाराजा ने 24 विवाह तो किये हैं। बड़ी मुश्किल से अब दो पर आये हैं। तो उसमें यह जिक्र नहीं है।

श्री अध्यक्ष : यह सदन की जानकारी में भी नहीं है।

श्री दुर्गालाल बाढदार : यह गजेटियर कब से काम कर रहा है। यह पन्द्रह साल से काम कर रहा है और इस लम्बे अरसे में

Page No. 21

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

इसने अब तक केवल 5 प्रकाशन किये हैं। अब इसके लिये आपने विभाग पर सालाना खर्चा बताया है एक लाख और कई हजार का। पन्द्रह सालों तक लगातार हर साल इतना खर्चा करने के बाद आपने पांच प्रकाशन इसके किये हैं क्या इसे आप वाजिब समझते हैं ?

श्री अध्यक्ष : इतना लाखों रुपयों का खर्चा करने के बाद 5 का प्रकाशन हुआ यह आपका प्रश्न है।

श्री दुर्गालाल बाढदार : एक और रह गई बात।

श्री अध्यक्ष : उसको भी प्रश्न में पूछ लीजिये।

श्री दुर्गालाल बाढदार : अध्यक्ष महोदय, उत्तर ही नहीं मिलता प्रश्नों का तो। क्या यह सच है कि 15 सालों में पांच गजेटियर प्रकाशित किये ?

श्री खेतसिंह : जैसा उत्तर दिया अभी तक पांच प्रकाशित हुए हैं। पांच पर काम चल रहा है साल भर में वे प्रकाशित हो जावेंगे। इसी प्रकार से विभिन्न चरणों में सूचनाएं एकत्रित की जा रही हैं। ज्यों ज्यों वे एकत्रित होती जावेंगी प्रकाशित करते जावेंगे।

श्री दुर्गालाल बाढदार : राजस्थान में यह गजेटियर कब से चालू हुआ ? कौन से सन् से ? यह बताइये, इससे पकड़ में आवेंगे।

श्री अध्यक्ष : (श्री मुकुट बिहारी लाल को खड़े देखकर) एक मुकुट बिहारी लाल जी का भी प्रश्न आ रहा है। इसका भी सुनकर साथ में उत्तर दे दीजियेगा।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत मन्त्री महोदय से यह आश्वासन चाहूंगा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा 38 पेज की जो टिप्पणी लिखी गई है क्या आप उसे एग्जामिन करके उसके अनुरूप फैसला लेने का आश्वासन देंगे ?

श्री खेतसिंह : मैंने अपने उत्तर में यह बता दिया है कि जो टिप्पणी पर उन्होंने सुझाव दिये हैं उन पर हम कार्यवाही करने का प्रयत्न करेंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री दुर्गालाल बाढदार : माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: ऑर्डर प्लीज। श्री रामानन्द अग्रवाल। माननीय सदस्य।

श्री दुर्गालाल बाढदार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक फायदे की बात बताता हूं। राज्य सरकार के फायदे की बात बताता हूं।

श्री अध्यक्ष : अब नहीं चाहती राज्य-सरकार फायदे की बात।

श्री दुर्गालाल बाढदार : सुन तो लीजिये फायदे की बात है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। कोई फायदे की बात नहीं है। नेक्स्ट।

श्री रामानन्द अग्रवाल : प्रश्न संख्या 14

निलम्बित डाक्टर की नियुक्ति

14. श्री रामानन्द अग्रवाल क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

(1) क्या यह सही है कि डॉ. टी. पी. भारद्वाज जो इस समय प्रोफेसर पैथोलोजी के पद पर सरदार पटेल मेडीकल कॉलेज, बीकानेर में कार्य कर रहे हैं एक फौजदारी केस में मुलजिम हैं और उसके कारण इस पुर्ननियुक्ति से पूर्व निलम्बित थे ?

(2) क्या यह सही है कि सरकार ने अपनी आज्ञा सं. एफ. 1 (37) एपा. ए. III 64, दिनांक 3-3-1966 द्वारा यह आदेश दिया था कि जब तक उनके खिलाफ कोर्ट में केस चलेगा तब तक वह निलम्बित रहेंगे ?

(3) क्या यह सही है कि डॉ. टी. पी. भारद्वाज के खिलाफ अभी तक वह फौजदारी केस चल रहा है ? यदि हां, तो उसको पुन-नियुक्त करने के क्या कारण हैं ?

(4) क्या यह सही है कि सरकार डॉ. भारद्वाज के खिलाफ चल रहे फौजदारी मुक-दमें को भी वापिस ले रही है ?

राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा सिंह) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का सम्बन्ध नियुक्ति विभाग से और गृह विभाग से भी है और वहां से अभी तक सूचना उपलब्ध नहीं होने से इसे अगली तिथि के लिये पोस्टपोन करने का निवेदन कर रही हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न पिछले पांच वर्षों से सदन में आ रहा है । जो इसमें तथ्य है उसका सीधा मेडिकल विभाग से सम्बन्ध है । उनको कॉलेज में प्रोफेसर नियुक्त किया गया । उनके खिलाफ जो केस था उसको विथड्रा किया गया है उस विभाग की स्वीकृति से तो मन्त्री महोदय के पास जो उनके विभाग की जान-कारी है वह सदन को दे दें । यदि उससे पूर्ति नहीं होगी तो फिर उसे स्थगित करने का प्रश्न आता है ।

श्री अध्यक्ष : स्थगित तो फिर इसे दो इन्सटालमेन्ट में मैं नहीं करूंगा । पर्याप्त सूचना हो सरकार के पास तो दे दें ।

श्रीमती सुमित्रा देवी : पर्याप्त सूचना नहीं है अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : मैं स्थगित करता हूं और इसको शीघ्रातिशीघ्र सदन में पुनः रखा जावे ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जान बूझकर देरी की जा रही है इसमें अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : इसीलिये कहा कि यह जल्दी आ जावे ।

श्रीमती सुमित्रा देवी : जान बूझकर देरी करने का प्रश्न पैदा नहीं होता । कन्सर्न्ड फाइल नियुक्ति विभाग से आ नहीं सकी है इसलिये अगले दिन के लिये निवेदन कर रही हूं ।

श्री नरपतसिंह : हमारे पास सारी फाइल आ गई । यह सरकार है या मजाक है ।

श्री अध्यक्ष : आपका कमाल है ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : फाइल चूंकि उधर चली गई इसलिये इधर नहीं आई ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह प्रश्न 7–3–68 को दिया था और इस सदन में इसको रिपीट किया है तो अब इसको 5 महिने से अधिक समय डिपार्टमेन्ट के पास गये हो गया तो आप इस बात को महसूस कर सकते हैं कि क्या यह समय थोड़ा था कि जिसमें पूरी सूचना नहीं मंगाई जा सकती थी और माननीय मंत्री महोदया उसके लिए और समय चाहती हैं ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर !

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्वयं इस फाइल को देखा है और जो उत्तर प्राप्त हुआ है उससे मुझे संतोष नहीं था इसलिए समय चाहा गया है ।

श्री रामकिशन : आप तो उनसे (श्रीमती सुमित्रा) भी कमजोर आवाज में बोल रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट श्री पंचायत मंत्री ।

हड्डियों का ठेका, परबतसर

15. श्री परसराम गंगाराम (परबतसर-सु.) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रधान, पंचायत समिति, परबतसर द्वारा वर्ष 68–69 के लिए कोई हड्डियों का ठेका दिया गया है ? यदि हां, तो किस को ?

(2) क्या यह सही है कि वह ठेका बोरावड़ हड्डी सहकारी समिति को न दिया जाकर एक व्यक्ति को दिया गया है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(3) उक्त ठेका दिये जाने के लिए टेन्डर आमंत्रित क्यों नहीं किये गये थे ?

उप मंत्री पंचायत (श्रीमती प्रभा मिश्रा): (1) स्थाई समिति द्वारा ठेका श्री हाजी अहमद, निवासी डेगाना को दिया गया ।

(2) जी हां, सहकारी समिति ने न तो नीलामी बोली लगाने हेतु जमानत राशि ही जमा कराई और न बोली में ही भाग लिया इस कारण ठेका नहीं दिया गया ।

(3) नीलामी नोटिस जारी कर नियमानुसार कार्यवाही की गई, इसलिए टेन्डर लेने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

श्री परसराम गंगाराम : 1968–69 में कितने में ठेका दिया गया ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : 4500 में ।

श्री परसराम गंगाराम : और इस साल कितने में दिया गया ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : इसी साल का तो बताया है आपको ।

श्री परसराम गंगाराम : 1967–68 में कितने में दिया गया ? याने लास्ट ईयर में ?

पंचायत मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : श्री हाजी अहमद को 9000 रुपये में दिया गया ।

श्री परसराम गंगाराम : तो फिर इस साल में कम में क्यों दिया गया ?

श्री परसराम मदेरणा : नीलामी में नोटिस निकाल करके अखबार में छाया किया गया और उसके बाद में 3 दफा इसकी बोली

(श्री परसराम मदेरणा)

लगी। पहली दफा में बोली लगी तो पंचायत समिति ने नीलामी बोली को स्वीकार नहीं किया क्योंकि कान्ट्रैक्टर्स नहीं आये थे। दूसरी बार फिर बोली लगी और इस बार चूंकि बोली कम आई इसलिए इसको पोस्टपोन करके फिर अखबार में नोटिस निकाला गया और उसकी नीलामी बोली 4500 रु. की आई और वह स्वीकार की गई और स्वीकार करने के बाद में पंचायत समिति की स्टेंडिंग कमेटी ने सेंक्शन दी और उसका ठेका इस तरह से मन्जूर किया गया।

श्री डूंगाराम राजोरिया (दौसा-सु.) : जिस समय ठेका दिया गया तो बोराबड़ हड्डी सहकारी समिति को यह क्यों नहीं दिया गया......

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री डूंगाराम राजोरिया : अध्यक्ष महोदय मेरे प्रश्न का उत्तर दिलाया जाये...

श्री अध्यक्ष : आर्डर, प्लीज ! माननीय सदस्य दूसरा प्रश्न से लिया गया है।

श्री डूंगाराम राजोरिया : अध्यक्ष महोदय इसमें जानकारी चाही गई है ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, दूसरा प्रश्न ले लिया गया है। मेरे पास 15 प्रश्न और हैं और समाप्ति का समय नजदीक आ रहा है।

श्री डूंगाराम राजोरिया : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने कहा कि कई बार स्थगित किया। एक बार किया, दो बार किया, और तीसरी बार किया। मगर हम तो चाहते हैं कि जो सोसाइटी बनी थी उसको टेन्डर के लिए भी आप इन्कार करते हैं तो क्या वैधानिक काम किया आपने....

श्री अध्यक्ष : हां, क्या वैधानिक काम किया मंत्री महोदय, जवाब दे दें।

श्री परसराम मदेरणा : सोसाइटी ने तो सिक्योरिटी मनी जमा कराई ठेके की शर्तों में था कि बोली लगाने के पहले सिक्योरिटी मनी 250 रुपये जमा कराना है तो उसने न तो यह रकम जमा कराई और न बोली लगाई और न बोली में भाग ही लिया। इसलिए सोसाइटी को ठेका देने का प्रश्न ही नहीं है।

श्री डूंगाराम राजोरिया : लेकिन अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, माननीय सदस्य। नेक्स्ट, श्री सिंचाई मंत्री महोदय जवाब दें।

श्री डूंगाराम राजोरिया : जो सोसाइटी बनी थी वह पिछड़े वर्ग की थी और इसको फायदा नहीं पहुँचाया और एक व्यक्ति विशेष को फायदा पहुँचाया ....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। नेक्स्ट, श्री देवीदत्त गाड़िया।

दोहरे लगान की वसूली

16. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले की अन्ता, मांगरोल व इटावा आदि तहसील

(श्री देवीदत्त गाड़िया)
क्षेत्रों के नहरी क्षेत्र के किसानों ने नहरी पानी सिंचाई लगान के साथ साथ उनके खेतों पर पुराने कुओं के सिंचाई का लगान भी जो कि जमीन के लगान के साथ जुड़ा हुआ है, वसूल किया जा रहा है ?

(2) यदि हां, तो किस कानून से दोहरा सिंचाई का लगान वसूल किया जा रहा है ?

(3) क्या सरकार ने इस दोहरे सिंचाई के लगान के भार से किसान को मुक्ति दिलाने की कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही हुई ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (1) व (2) सिंचाई कर राजस्थान सिंचाई जल व निकास अधिनियम 22 शिड्यूल II के अन्तर्गत वसूल किया जाता है। 2500 एकड़ से ज्यादा पीवल करने वाले तालाबों का डिमाण्ड नोट सिंचाई विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। लगान निर्धारित व वसूली राजस्व विभाग द्वारा की जाती है।

(3) जी हां, सरकार ने यह आदेश प्रसारित किया है कि जो जमीन पहले कुओं से पीवल होती थी और उनकी लगान में पिलाई का अलीमेन्ट शामिल है और वह जमीन अब नहरों से पीवल होती है तो नहरों से पीवल होने का सिंचाई कर वसूल किया जावेगा यह लगान में 40 प्रतिशत कमी से वसूल की जायेगी।

श्री देवीदत्त गाडिया : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न पूछा है कुओं का और यह तालाबों से संबंधित जवाब दे रहे हैं। मेरा सवाल यह था कि क्या यह सही है कि कोटा की अन्ता मांगरोल, लाडपुरा, इटावा इन तमाम तहसीलों में जो कुओं से सिंचाई होती थी और अब उन इलाकों में जो नहरें चली गई हैं तो रियासत के जमाने में कुओं से जो सिंचाई होती थी उसकी लगान दर 6 रु. 85 पैसा थी आज वहां पर सिंचाई देने के बाद भी मय कुओं की सिंचाई के सहित वसूल किया जाता है यदि हां, तो क्यों ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया कि ऐसे मामलों में जहां पहले जमीन कुओं से पीवल होती थी और कुओं के लगान में पिलाई की दर शामिल है—चाही लगान—इन जमीनों से यदि अब नहर से सिंचित की जाती है तो नहर की पिलाई इरिगेशन एण्ड ड्रेनेज रूल्स के अन्तर्गत ली जायेगी लेकिन जो राजस्व का लगान है वह केवल 60 प्रतिशत ही लिया जायेगा। 40 प्रतिशत इस बात का छोड़ा जायेगा कि यह दोहरी वाटर रेट्स उनसे वसूल नहीं की जाये यह व्यवस्था राज्य सरकार की ओर से 1960 से प्रचलित है। यदि इस व्यवस्था के प्रतिकूल कहीं कोई कार्यवाही हुई है या हो रही हो तो वह राज्य सरकार के ध्यान में लाई जा सकती है और उसका निराकरण किया जा सकता है।

श्री देवीदत्त गाडिया : अध्यक्ष महोदय, कुओं की सिंचाई 4 रु. है प्रति बीघा और लगान 2 रु. 80 पैसा है जबकि मंत्री जी कह रहे हैं कि उनको 40 प्रतिशत की छूट दी जायेगी लगान में ड्योढी कुओं को सिंचाई की दर थी इसलिए क्या मंत्री महोदय आश्वासन देंगे कि रियासत के समय में जो कुओं की सिंचाई को लगान के साथ लिया गया वह पूरी की पूरी छूट दी जायेगी और जिस समय सन् 57 से उन किसानों से जो कि

(श्री देवीदत्त गाड़िया)
कोटा जिले के 20 हजार किसान हैं और 30 हजार बीघा के ऊपर आज तक उनसे 4 रु. जो अधिक वसूल किये जा रहे हैं और इस तरह से 3 लाख रुपया प्रति वर्ष के हिसाब से 10 साल में 30 लाख रुपया राज्य सरकार ने अनधिकृत रूप से वसूल किया है तो क्या राज्य सरकार यह रुपया उनको वापस लौटाने की घोषणा करेगी और जो अब वसूल किया जा रहा है उसको रोकने के संबंध में राज्य सरकार आश्वासन देगी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह बात असत्य है।

श्री देवीदत्त गाडिया : यह बात सही है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आप पहले पूरा जवाब सुनलें। 1960 में ही एडहाक बेसिस पर ऐसे मामलों में लगान वसूल करने का निर्णय लिया गया था और यह उस समय तक लागू रहेगा जब तक कि उन इलाकों में नहरी रेट्स इवाल्व नहीं हो जायें तो इन्टरिम पीरियड के लिए जब तक नहरी रेट्स फाइनल होकर लागू नहीं हो जाये तब तक के लिए ऐसे मामलों में 60 प्रतिशत ही लगान लेने का गवर्नमेंट ने फैसला किया और उसके अनुसार किया जा रहा है। चाहे वह माननीय सदस्य के कथनानुसार पहले 4 रुपया लिया है, 2 रुपया लिया है इसका इसमें प्रश्न नहीं है। यह एडहाक बेसिस पर चूंकि लगान लिया जा रहा है उसको 60 प्रतिशत लिया जाकर 40 प्रतिशत एबेयेन्स में या रिबेट के तौर पर रखा गया था। तो उसी निर्णय की तामील की जा रही है।

श्री देवीदत्त गाडिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री महोदय ने कहा 1960 के अन्दर ऐसे आदेश जारी किये मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या उन आदेशों का इस इलाके के जिलाधीश महोदय ने, उप-जिलाधीश महोदय ने और तहसीलदार ने आज तक पालन किया है ? मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज तक भी...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य प्रश्न हो गया क्या पालन किया। (श्री रामानन्द जी अग्रवाल के खड़े होने पर) माननीय रामानन्द जी भी प्रश्न पूछ लें फिर मंत्री महोदय दोनों प्रश्नों का उत्तर दे दें।

(12 मध्यान्ह)

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : मेरा एक प्रश्न है माननीय मन्त्री महोदय से, जैसा कि अभी कहा कि 1960 में एडहाक बेसिस पर निर्णय किया था कि 40 परसेन्ट रखा जाये। वास्तव में जो रेट्स चाही की होती है, जब वाटर रेट चाही की लगाते हैं तो यह सही बात है कि 2/3 पानी का होता है और 1/3 लगान का होता है। सही बात तो यह है कि जब पानी की रेट अलग ले रहे हैं तो 40 परसेन्ट लेने का क्या है ?

उप मंत्री सिंचाई (श्री गंगाराम चौधरी): मैंने पहले ही इस सम्बन्ध में निवेदन कर दिया, उसके बाद भी अगर ऐसा किया गया तो फिर मैं निवेदन करता हूं कि सरकार के नोटिस में लाया जाये अगर कहीं आज्ञा का पालन नहीं हो रहा है तो उसको हम पालन करायेंगे। माननीय रामानन्दजी ने पूछा कि 40 परसेंट ही क्यों किया है, ज्यादा क्यों नहीं किया ?

(श्री गंगाराम चौधरी)

जहां तक इरिगेशन डिपार्टमेंट का सम्बन्ध है, हमारे जो रूल्स और एक्ट बने हुए हैं उसके अनुसार ही किया जाता है। यह तो राजस्व विभाग ने बनाये। वह कुओं का पानी ले लेते हैं। अब नहीं लेते हैं तो वह कुवें अनुपयुक्त हो गये हैं। वह कुवें काम में आते हैं, इसलिए 40 परसेंट कम लेने का फैसला किया है। जब नहर होगी तो वह भी समाप्त हो जायगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री डागा।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : आज तक जो 40 परसेंट लिया गया है, सरकार घोषणा करे कि उसको वापिस दे दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट श्री डागा।

पंचायत समिति राणी द्वारा पम्पिंग सेट्स के लिए ऋण

17. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पाली जिले की राणी पंचायत समिति द्वारा 2 अक्टूबर, 1659 के पश्चात् किन-किन काश्तकारों को किस किस तारीख को पम्पिंग सेट का ऋण वितरण किया गया? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त काश्तकारों में से किस किस काश्तकार ने किस किन तारीख को पम्पिंग सेट खरीदा व कब कब कुए पर लगाये व किन किन काश्तकारों ने पम्पिंग सेट आज तक नहीं खरीदे? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें,

(3) उक्त सूची में से किन किन काश्तकारों ने एग्रो इन्ड पम्पिंग सेट इन्जन खरीदे हैं व किस किस ने पम्पिंग सेट खरीदे? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) उक्त सूची में से जिन काश्तकारों ने पम्पिंग सेट आज तक नहीं खरीदे व आज तक नहीं लगाये उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई और नहीं की गई तो क्यों नहीं? और अब कब तक कार्यवाही की जायेगी?

(5) ऋण का सही उपयोग नहीं करने पर वसूली की कार्यवाही आज तक नहीं करने की जिम्मेदारी किस पर थी और आज तक नहीं करने पर उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही तजवीज की और अब कब तक तजवीज की जायेगी?

उप मंत्री पंचायत (श्रीमती प्रभा मिश्रा):

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) पम्पिंग सेट खरीदने की तारीख का रेकार्ड नहीं है। पम्पिंग सेट नहीं खरीदने वाले काश्तकारों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) पम्पिंग सेट के सम्बन्ध में तकनीकी स्वीकृति के उपरान्त ही ऋण वितरण किया गया है।

(4) पम्पिंग सेट नहीं लगाने वाले काश्तकारों से एक मुश्त रकम वसूल करने के लिए विकास अधिकारी द्वारा तहसील को सूचना भेजी गई है।

(5) वसूली की जिम्मेदारी तहसील की है।

Page No. 28

(उप मंत्री पंचायत)

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री मूलचन्द डागा : यह वसूली करने के लिए कौन सी तारीख को तहसील को चालान भेजे गये हैं ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : 14-4-67 को और 19-5-67 को।

श्री मूलचन्द डागा : क्या वापिस रिमाइन्डर भेजा है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : आवश्यकता ही नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : यह बताइये कि भवानी सिंह पुत्र इन्द्रसिंह, प्रेमसिंह, मुहब्बत सिंह इन तीनों को, ह्रीन परमेन्ट नहीं दिया है ?

उप मंत्री (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : इसकी पूरी जानकारी देखकर ही बताई जा सकेगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री रामचन्द्र आर्य।

तहसील नोहर में भूमि का अलाटमेंट

18. श्री रामचन्द्र आर्य : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील नोहर, जिला श्री गंगानगर में गत वर्ष कितने काश्तकारों को भूमि अलाट की गई ?

(2) उक्त काश्तकारों को भूमि का पट्टा क्यों नहीं दिया गया ?

(3) क्या सिंचित क्षेत्र से बाहर की भूमि अलाटमेंट का नियम 10 साला है ?

(4) अगर हां, तो नोहर में एक साला अलॉटमेंट करने से सरकार को क्या लाभ है ?

(5) क्या यह सही है कि साल दर साल भूमि को अलॉट करने में अधिक उपजाओ आन्दोलन में बाधा पहुंचती है।

उप मंत्री (श्री गंगाराम चौधरी) : अध्यक्ष महोदय, सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न स्थगित किया गया। नेक्स्ट।

श्री रामचन्द्र आर्य : आज तक सूचना प्राप्त नहीं हुई है ? इसका क्या कारण है ? इनको अब तक सूचना नहीं मिली ? यह झूठ है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ! माननीय सदस्य। स्थान ग्रहण करें।

दूसरा प्रश्न ले लिया गया है।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह झूठ है...

श्री अध्यक्ष : रिकार्ड नहीं किया जाये।

सिंचाई मंत्री।

गोवर्धन ड्रेन के कार्य का भुगतान

19. श्री गंगासहाय (कठूमर सु.) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि गोवर्धन ड्रेन के काउण्टर वर्क का कार्य केवल 50 हजार

Page No. 29

(श्री गंगासहाय)

रुपये का था और उसका भुगतान 21 लाख रुपये का किया है ?

(2) क्या यह सही है कि गोवर्धन ड्रेन के मील 15 और 18 के बीच में कुछ चेन्स में ड्रेन की चौड़ाई एस्टीमेट से ज्यादा कराबी जिसमें लगभग ढाई हजार रुपये का घोटाला है।

(3) क्या यह सही है कि गोवर्धन ड्रेन का बहुत सा कार्य बी. एस. आर. रेट्स 40 प्रतिशत पर देने से सरकार को 5 लाख रुपये की हानि हुई है ?

(4) क्या यह सही है कि 40 प्रतिशत वर्क आर्डर देने का अधिकार मुख्य अभियन्ता को भी नहीं है ?

उप मंत्री (श्री गंगाराम चौधरी): (1) जी नहीं।

(2) चौड़ाई बढ़ाई थी लेकिन इसमें कुछ घोटाला नहीं है।

(3) जी नहीं।

(4) जी हां।

श्री गंगासहाय : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि ये कौन लोग थे ?

उप मंत्री सिंचाई (श्री गंगाराम चौधरी): यह उसी में था।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री फूलचन्द बाफना।

सरपंच राणावास द्वारा भूमि पर अवैध कब्जा

20. श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि सरपंच राणावास (जिला पाली) ने स्टेशन के निकट की आबादी में पंचायत भूमि पर नाजायज कब्जा कर लिया है और पक्की ईंटों का हत्था भी खींच लिया है ?

(2) क्या यह सही है कि इनके लिए पंचायत राणावास से न तो स्वीकृति ली है और न विक्रय विलेख ही प्राप्त किया है ? यदि हां, तो कितनी भूमि सरपंच महोदय ने गैर कानूनी रूप से कब्जे की है और इस सम्बन्ध में सरपंच से इस अनियमित कार्य के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या यह सही है कि राणावास स्टेशन पर आबादी से लगती हुई राजस्व विभाग की भूमि पर भी सरपंच राणावास ने गैर कानूनी कब्जा दे दिया है और राजस्व विभाग की इस भूमि का पंचायत से निःशुल्क विक्रय विलेख भी कर दिया है जब कि इस भूमि पर आबादी भूमि में परिवर्तन नहीं हुआ है ?

(4) सरपंच राणावास ने आबादी भूमि और राजस्व भूमि का गैरकानूनी कब्जा आज तक विक्रय विलेख देकर किस किस को कितनी कितनी भूमि का करवाया है ?

उप मन्त्री पंचायत (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (1) कब्जा विवादग्रस्त है जिसकी जांच की जा रही है।

(2) विवादग्रस्त भूमि सम्बन्धी मामला उप खण्ड अधिकारी सोजत के न्यायालय

(श्रीमती प्रभा मिश्रा)

में विचाराधीन है। यह भूमि 3150 वर्ग फुट है।

(3) ग्राम पंचायत राणावास के निर्णय के अनुसार निःशुल्क किसान बोर्डिंग के लिए राजस्व भूमि में से जमीन दी गई है। अभी यह भूमि आबादी में परिवर्तित नहीं हुई है। इसकी भी जांच की जा रही है।

(4) सरपंच द्वारा गैर कानूनी तरीके से भूमि पर कब्जा कराने की अन्य कोई सूचना कलेक्टर के कार्यालय में नहीं है पंचायत के रिकार्ड में भी ऐसा कोई मामला नहीं है।

श्री फूलचन्द बाफना : यह जो जांच की जा रही है, इसका मतलब सेक्रेटरिएट के जरिये जांच होकर कार्यवाही हो जायगी ?

श्रीमती प्रभा मिश्र : जल्दी से जल्दी खत्म की जाएगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री वृद्धिचन्द जैन।

बाडमेर जिले के ग्राम

21. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बाड़मेर जिले के सुन्दरा, हरसाणी नेदूसर, गिराव एवं जैसिंघर ग्रामों का क्षेत्रफल कितना है ?

(2) उन गांवों को कितने रेवेन्यू गांवों में विभाजित करने के लिए राजस्व विभाग में कार्यवाही चल रही है ? यदि हां, तो कब से ?

(3) क्या यह सही है कि इस कार्यवाही में अत्यधिक विलम्ब हुआ है ? यदि हां, तो विलम्ब का क्या कारण है ?

(4) यह कार्यवाही कब तक पूर्ण कर दी जावेगी ?

उप मंत्री राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : अध्यक्ष महोदय, सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न स्थगित किया गया।

नेक्स्ट, श्री लाभचन्द वैद।

ग्राम पडिहारा में भूमि एलाटमेंट

22. श्री लाभचन्द वैद (सुजानगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि चूरू जिला स्थित रतनगढ़ तहसील के पडिहारा ग्राम में खसरा नं. 499 में कोई जमीन एलोट की गई है ? अगर हां, तो कितनी व किसको व किस आधार पर ?

(2) जिस व्यक्ति को जमीन एलॉट की गई है क्या वह पडिहारा का निवासी है ? अगर नहीं, तो क्या पडिहारा में भूमिहीन नहीं हैं और क्या वह पुश्तैनी काश्तकार है ?

(3) क्या यह जमीन एलॉट करने से सार्वजनिक तालाब का पायतन खराब नहीं होगा और तालाब में पानी की आमद कम नहीं होगी ?

(4) क्या यह जमीन जोहड़ में दर्ज था ? यदि हां, तो क्या उसको कृषि भूमि में परिवर्तन किया है ?

उप मंत्री राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी): (1) जी हां, तहसील रतनगढ़ जिला चूरू के

Page No. 31

(उप-मंत्री राजस्व)
ग्राम पड़िहारा के खसरा नं. 499 रकबा 58.14 बीघा श्री ओमप्रकाश पुत्र हीरालाल निवासी बीदासर को एलाट की गई है। प्रार्थी का पिता राजनैतिक पीड़ित है।

(2) जी नहीं। पड़िहारा निवासियों की ओर से कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं, जिससे यह मालूम हो सके कि उनको जमीन की आवश्यकता है या नहीं? प्रार्थी पुश्तैनी काश्तकार नहीं है, किन्तु अब काश्तकार है।

(3) यह भूमि ताल जोहड़ की नहीं है, इसलिए आवतन के खराब होने व पानी की कमी का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(4) जी नहीं।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि वह राजनैतिक पीड़ित सिद्ध कैसे हुआ है यह जानकारी सदन को दी जावे। वह प्रमाणित किया जाये कि वह राजनैतिक पीड़ित है या नहीं?

श्री गंगाराम चौधरी : यह बीकानेर के जिलाधीश द्वारा प्रमाणित किया गया है कि वह राजनैतिक पीड़ित है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न कर्ता।

श्री लाभचन्द्र वैद : मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिस आदमी को एलाट की गई है क्या वह राजनैतिक पीड़ित है?

श्री रामचन्द्र आर्य : वह राजनैतिक पीड़ित नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री लाभचन्द्र वैद : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यदि पिता को देनी थी तो उसके नाम से देनी चाहिए थी। लड़का मेडिकल हाल में पढ़ता है।

एक माननीय सदस्य : मेडिकल कालेज।

श्री लाभचन्द्र वैद : लड़का मेडिकल कालेज में पढ़ता है।

श्री गंगाराम चौधरी : नियमानुसार सारी कार्यवाही की गई तथा यह अधिकृत व्यक्ति है। एडवाइजरी कमेटी की भी यह राय रही। उसके सर्वसम्मत निर्णयानुसार यह भूमि एलाट की गई है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या यह सही है कि नियमों के अनुसार राजनैतिक पीड़ित व्यक्ति को ही भूमि एलाट की जा सकती है? अगर वह खुद जिन्दा है तो किसी दूसरे को उसके नाम पर भूमि एलाट नहीं की जा सकती?

श्री गंगाराम चौधरी : उसका पुत्र भी अधिकारी है।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : कैसे?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पुत्र भी अधिकारी है इससे मैं इन्कार नहीं करता, लेकिन राजनैतिक पीड़ित पुत्र नहीं है, राजनैतिक पीड़ित उसका पिता है तो पिता के नाम से भूमि का एलाटमेंट क्यों नहीं किया गया?

श्री विजयसिंह (मकराना) : पुत्र यदि अधिकारी है तो पुत्र अपनी जगह यहां आकर क्यों नहीं बैठता?

श्री लाभचन्द वैद : क्या यह आपकी जानकारी में है कि जिसके नाम से भूमि एलाट की गई है उसका पिता स्मगलर है ?

श्री अध्यक्ष : क्या ?

श्री लाभचन्द वैद : जिसके नाम पर भूमि का एलाटमेंट किया गया है···

श्री मनोहर सिंह मेहता : अध्यक्ष महोदय, राजनैतिक पीड़ित कितने वर्षों तक मानते जायेंगे––यह भी बता दीजिए ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसका क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष: प्रश्न समाप्त हुए ।

श्री लाभचन्द वैद : मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया । मुझे और भी प्रश्न पूछने हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में व्यवस्था शासन की तरफ से होनी चाहिए । जिस व्यक्ति को राजनैतिक पीडित होने के आधार पर भूमि का एलाटमेंट करते हैं, वह व्यक्ति जिस पर स्मगलिंग का मामला चल रहा है, जो स्मगलिंग में पकड़ा गया है और जिसके नाम से वारन्ट जारी हुआ है––उसके नाम से भूमि एलाट न करके उसके लड़के के नाम से भूमि का एलाटमेंट करना अन्याय है, नियम विरुद्ध है और अवैधानिक है । वह लड़का कालेज में पढ़ता है । तो राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में आवश्यक जांच कराने का कम से कम आश्वासन देना चाहिए ।

श्री मूलचन्द डागा : यह बात नहीं है ।

श्री लाभचन्द वैद : अध्यक्ष महोदय, इसके विषय में और भी प्रश्न पूछने हैं ।

श्री अध्यक्ष आर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य ! स्थान ग्रहण करें ।

स्थान ग्रहण करें ।

स्थगन प्रस्ताव !

श्री भगवानदास शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, प्रश्नोत्तर काल साढ़े बारह बजे तक हैं ।

श्री अध्यक्ष : वैद महोदय ! स्थान ग्रहण करें ।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, यह राजनैतिक पीड़ित के सम्बन्ध में प्रश्न कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! स्थान ग्रहण करें ।

श्री रामानन्द अग्रवाल, श्री केदारनाथ तथा श्री भैरोंसिंह···

श्री लाभचन्द वैद : मेरे प्रश्न का क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें ।

श्री लाभचन्द वैद : मेरे प्रश्न का क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : समाप्त हो गया । प्रश्नोत्तर काल समाप्त हो गया । स्थान ग्रहण करें । अध्यक्ष अपने पैरों पर खड़ा है । स्थान ग्रहण करें ।

श्री लाभचन्द वैद : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को आप स्थगित कर सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष : स्थगित करना यदि सम्भव हुआ तो मैं देख लूंगा । कृपया स्थान ग्रहण करें ।

(अध्यक्ष)

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए परिशिष्ट 5 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

चूरू जिले के परिवार नियोजन केन्द्र

श्री रूपसिंह (सरदारशहर) : क्या परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) चूरू जिले में कितने परिवार नियोजन केन्द्र खोले गये हैं।

(ख) क्या परिवार नियोजन केन्द्रों एवं प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों में गर्भ निरोधक दवाइयां और उपकरण उपलब्ध हैं ? यदि हां, तो अब तक इनका लाभ कितने लोगों को मिल चुका है।

उत्तर

(क) चूरू जिले में 5 नगर परिवार नियोजन केन्द्र एवम् 7 ग्रामीण परिवार नियोजन केन्द्र कार्य कर रहे हैं व इसके अलावा स्टेटिक स्टेरलाइजेशन यूनिट जिले के 4 अस्पतालों में खोले गये हैं जहां नसबन्दी के आपरेशन किये जाते हैं।

(ख) उपरोक्त केन्द्रों पर गर्भ निरोधक दवाइयां उपलब्ध हैं व पूरे जिले में शुरू से मार्च, 1968 तक की प्रगति या ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

(1) नसबन्दी किये गये—2022

(2) लूप लगाये गये—2593

सन् 1966-67 में 179 व सन् 1967-68 में 572 व्यक्ति गर्भ निरोधक उपकरणों से लाभान्वित हुए।

अप्रैल, 1966 से पहिले के गर्भ निरोधक उपकरणों के वितरण का ब्यौरा चूरू जिले का अलग से उपलब्ध नहीं है। अतः इससे लाभान्वित व्यक्तियों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

गिरोलिया बांध

2. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पाली तहसील में कौन कौन सी लघु सिंचाई योजनाओं का सर्वेक्षण किया जा चुका है और उन पर कितनी कितनी धनराशि लगने की सम्भावना है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सत्य है कि गिरोलिया का बांध पाली तहसील में बंधवाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जावेगा ?

(3) क्या यह सत्य है कि इस बांध से आस पास के बीस गांवों को लाभ पहुंच सकता है ? यदि हां, तो कौन-कौन से गांवों को ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) इस तहसील में हेमावास फिडर खारडा फिडर का एवं गिरोलिया नामक योजनाओं का सर्वेक्षण किया जा चुका उसके अनुसार हेमावास फिडर पर 6.37 लाख

(सिंचाई मन्त्री)
रुपया एवं गिरोलिया पर 25.00 लाख रुपये खर्च होने की सम्भावना है।

(2) जी हां, योजना का तखमीना तैयार किया जा रहा है उसके पश्चात् यदि योजना तकनीकी व आर्थिक दृष्टि से लाभ प्रद हुई तो धन उपलब्ध होने व प्रशासनिक स्वीकृति के पश्चात् कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।

(3) अभी तक इस योजना की नहर व कमाण्ड की विस्तृत सर्वे नहीं हुई है इस कारण सूचना नहीं दी जा सकती।

मनिहारी बांध

3. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:––

(1) पाली तहसील में सन् 1967 में मनिहारी बांध से कितनी भूमि को पानी दिया गया और किन किन काश्तकारों की भूमि को और कितनी कितनी को ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जिन लोगों को मनिहारी बांध से पानी दिया है उनसे कुछ वसूल करेगी और करेगी तो कितनी कितनी रकम ?

(3) क्या यह सत्य है कि यदि मनिहारी बांध में एक नाला, जो पास में बहता है, डाल दिया जावे तो और अधिक भूमि की सिंचाई हो सकती है ? यदि हां, तो कितनी भूमि ?

उत्तर

(1) मनिहारी बांध से सन् 1967 में 2085) 3 बीघा में सिंचाई हेतु पानी दिया गया काश्तकार वाइज सूची संलग्न है।

(2) बांध से सिंचाई हेतु जिन जिन काश्तकारों को पानी दिया है उनसे नियमानुसार सिंचाई कर वसूल किया जायेगा जिसकी सूची संलग्न है।

(3) नाले के सर्वे का कार्य प्रगति पर है जिसके पश्चात् ही कुछ कहा जा सकता है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान-सभा पुस्तकालय भेज दी गई।)

घोड़ी तालाब से सिंचाई

4. श्री विद्यासागर (खेरवाड़ा)–क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) घोड़ी लोअर तालाब कब बना था और इसके बनाने में कुल कितना रुपया व्यय हुआ ?

(2) क्या यह सही है कि घोड़ी तालाब से घोड़ी का कुछ एरिया व टपना बरना की सारी जमीन पीवल नहीं हो रही है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार लोअर घोड़ी तालाब की पाल को ऊंचा उठाने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो क्या इसका कोई एस्टीमेट बनाया गया है ?

(3) घोड़ी तालाब से सन् 67–68 में कितना एरिया (एकड़) जमीन पीवल हुई ?

(श्री विद्यासागर)

(4) क्या यह सही है कि पिछला एक पानी नहीं दे सकने से वहां की फसल सूख गई ?

(5) लेफ्ट और राईट नहर जो खोदी गई है उसमें से कितने चैन तक व कितने एकड़ में पानी दिया गया व कितनी एकड़ जमीन व कितने चैन तक पानी नहीं दिया गया है ?

(6) क्या यह सही है कि नहरों से पानी का बहुत ही सीपेज होता है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार नहरों को पक्का बनाने का इरादा रखती है ?

(7) क्या नहरों को पक्की बनाने का कोई एस्टीमेट बनाया गया है ? अगर बनाया गया है तो वह कितना है व कब तक मंजूर कर लिया जायगा ?

उत्तर

(1) यह तालाब सन् 1963–64 में बना था इस पर 9,21,000 रुपया व्यय हुआ है।

(2) घोड़ी गांव की कुछ जमीन नहर से ऊंची होने कारण के पिलाई नहीं होती है, टपना बरना गांव की ज़मीन नहर के राईट कैनाल के टेल पर है गत वर्ष जहां नहर पूरी नहीं हुई थी। नहर में झरण भी काफी है, घोड़ी तालाब की पाल को ऊंचा उठाने का प्रश्न ही नहीं उठता और न कोई प्रस्ताव ऊंचा उठाने का विचाराधीन है।

(3) सन् 1967–68 में घोड़ी तालाब से 290 एकड़ जमीन सिंचित हुई है।

(4) जी नहीं।

(5) लेफ्ट कैनाल में 465 चैन तक पानी दिया गया और राइट कैनाल में 100 चैन तक पानी दिया गया। दोनों नहरों से 290 एकड़ पिलाई हुई है। पिछले साल तक जहां तक दोनों नहरें तैयार थीं पूरे टैल तक पानी दिया गया।

(6) नहरों में कुछ भाग में सीपेज होता है जिन्हें पक्का करने का भी मामला विचाराधीन है।

(7) नहरों को पक्की बनाने का 1,50,000 का अनुमानित व्यय है एवं जैसे जैसे हर साल नहरों को पक्की करने के लिए रकम प्राप्त होती है उसके अनुसार नहरों में लाइनिंग कराई जाती है।

हरसोरा बांध की मरम्मत

5. श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) अलवर जिले के हरसौरा बांध को टूटे हुये कितना अरसा हो गया है ?

(2) सरकार इस बांध को कब तक दुबारा बंधाने का इरादा रखती है ?

उत्तर

(1) लगभग 4 वर्ष।

(2) तकमीने की प्रशासनिक स्वीकृति एवं धन की व्यवस्था के पश्चात् कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।

साबी नदी पर बांध

6. श्री बद्री प्रसाद गुप्ता (बानसूर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अलवर जिले में साबी नदी पर बांध (Dam) बनवाने के संबध में अब तक क्या प्रगति हो रही है ?

(2) क्या इस नदी पर शीघ्र बांध बनवाने का प्रोग्राम है ?

उत्तर

(1) यह योजना केन्द्रीय जल विद्युत् आयोग के विचाराधीन है ।

(2) योजना अभी विचाराधीन है ।

नागौर में लिफ्ट सिस्टम से सिंचाई

7. श्री हरजी राम बुरडक (लाडनूं) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि राजस्थान केनाल से नागौर तक लिफ्ट सिस्टम से सिंचाई का पानी पहुंचाने की योजना बनाई गई थी ? यदि हां, तो कब और कितने रुपयों की तथा उक्त योजना को क्रियान्वित क्यों नहीं किया गया ?

उत्तर

(1) जी हां ।

उक्त योजना अक्टूबर, 1965 में 24.16 करोड़ रुपये की बनाई गई थी । परन्तु योजना पर खर्च बहुत अधिक आने तथा सिंचाई की लागत बहुत मंहगी पड़ने के कारण इस योजना को क्रियान्वित नहीं किया गया ।

सिस्टम से सिंचाई

8. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान नहर क्षेत्र के ग्रामों में लिफ्ट से सिंचाई करने की योजना कितने ग्रामों की बनाई गई है ?

(2) लिफ्ट से सिंचाई योजना कहां से शुरू की जावेगी और आखरी कहां पर जाकर समाप्त होगी तथा अलग अलग योजना अनुसार कितनी एकड़ भूमि में लिफ्ट से सिंचाई होगी ?

उत्तर

(1) लूणकरणसर–बीकानेर लिफ्ट सिंचाई योजना से राजस्थान नहर क्षेत्र के 74 गांवों में सिंचाई करने की योजना है ।

(2) लिफ्ट चैनल राजस्थान मुख्य नहर के 48 वें मील से विरधवाल गांव के पास से निकलेगी तथा बीकानेर तक जावेगी । इस योजना से लगभग 1,26,000 एकड़ भूमि में सिंचाई होगी ।

बाडमेर घास डिपो को क्षति

9. श्री अर्जुनलाल (हिन्डौन-सु) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि बाड़मेर में घास के डिपो में वर्ष 1967 में आग लग जाने से बहुत बड़ी क्षति हुई ?

(श्री श्रवणलाल)

(2) यदि हां, तो कितनी घास जली और कितना नुकसान सरकार को हुआ है ?

(3) उपरोक्त आग लगने के क्या क्या कारण थे ?

उत्तर

1. 1967 में बाड़मेर में किसी सरकारी घास डिपो पर आग नहीं लगी। दिनांक 12-5-67 को रेल्वे स्टेशन, बाडमेर पर सरकारी व गैर सरकारी चारे में सायंकाल 4 बजे आग लगी थी।

2. 1391–50 क्वि. कडवी जली जिसका मूल्य 12) रु. प्रति क्वि. की दर से 19,698) रु. था।

3. यह आग रेल्वे इन्जिन के शंटिंग करते समय राख व कोयले के गिरने से लगी थी।

ग्रामीण क्षेत्र की चीनी का ब्लैक

10. श्री भगवान दास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या इस प्रकार के मामले सरकार के पास आये हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिये जो चीनी दी गई थी वह वहां की जनता को न दी जाकर शहरों में काले बाजार में बेच दी गई ? यदि हां, तो इस प्रकार के कितने मामले हैं ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य के कुछ नगरों में समय समय पर 150 ग्राम से अधिक चीनी का वितरण किया गया है ? यदि हां, तो कहां कहां और कब कब ?

उत्तर

1. ऐसा कोई मामला राज्य सरकार के पास नहीं आया है कि ग्रामीण जनता को चीनी न दी जाकर शहरों में काले बाजार में बेची गई है। परन्तु कुछ जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में रिटेलरों द्वारा चीनी वितरित नहीं की है जिनके विरुद्ध कार्यवाही कर मामले अदालत में चल रहे हैं। उन मामलों की सूची संलग्न है।

2. यह सही है कि कुछ जिलों में चीनी का अधिक अलाटमेंट अथवा स्टाक होने के कारण कतिपय माहों में 150 ग्राम से अधिक चीनी वितरित की गई है। जिन महीनों, जिन जिन जिलों में 150 ग्राम में अधिक चीनी वितरित की गई है उनकी सूची संलग्न है।

(परिशिष्ट 6 देखिए)

सवाई माधोपुर जिले को चीनी, मैदा व सूजी का कोटा

11. श्री श्रवण लाल (हिन्डौन–सु) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला सवाई माधोपुर को सन् 1965–66 में कितना कितना कोटा चीनी, मैदा व सूजी का एलोट हुआ था और अब कितना कितना एलोट होता है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उपरोक्त कोटे में प्रत्येक तहसील को कितना कितना एलोट किया जाता है

(श्री श्रवणलाल)

(3) क्या कोटे का माल समय पर भेजा जाता है ?

उत्तर

1. जिला सवाई माधोपुर को वर्ष 1965—66 में चीनी, मैदा, सूजी का निम्न प्रकार कोटा एलोट हुआ :—

चीनी	मैदा	सूजी
36390 बोरी	3994 बोरी	1405 बोरी

जनवरी 68 से जुलाई, 68 तक निम्न आवंटन होता रहा है :—

चीनी	मैदा	सूजी
12445 बोरी	730 बोरी	240 बोरी

2. उपरोक्त कोटे में से जनवरी 68 से तहसीलवार निम्न माहवारी आवंटन किया गया है :—

नाम तहसील	चीनी एलाटमेंट (बोरी में)	
सवाई माधोपुर	2107	बोरी
बोंली	866	,,
खण्डार	480	,,
गंगापुर	1487	,,
बामनवास	947	,,
हिन्डौन	1391	,,
महुवा	772	,,
टोडाभीम	1017	,,
करौली	1873	,,
सपोटरा	707	,,
नादोती	798	,,

मैदा तथा सूजी का आवंटन सब डिवीजनलवार जनवरी 68 से जुलाई, 68 तक निम्न किया गया है:—

	मैदा	सूजी
सवाई माधोपुर	190 बोरी	73 बोरी
गंगापुर	40 ,,	33 ,,
हिण्डौन	108 ,,	58 ,,
करौली	92 ,,	67 ,,
हलवाई तथा बिस्कुट बेकरीज	300 ,,	9 ,,

3. जी हां।

खाद्य सलाहकार समितियां तथा उनियारा में चीनी के वितरण में गड़बड़ी

12. श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि राज्य सरकार द्वारा खाद्य सलाहकार समितियों का जिलेवार निर्माण किया गया है ? यदि हां, तो इस समिति में कौन कौन सदस्य होते हैं ?

(2) क्या यह सत्य है कि शक्कर के वितरण में जिला टोंक में काफी अनियमितता हो रही है और शक्कर का कोटा ठीक समय पर प्राप्त नहीं होता है ?

(3) क्या यह सत्य है कि उनियारा कस्बे के कुछ व्यापारियों के विरुद्ध शक्कर वितरण में गड़बड़ करने की शिकायत की गई थी ? यदि हां, तो कब और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

(श्री दिग्विजयसिंह)

(4) क्या यह सत्य है कि तहसीलदार उनियारा जिला टोंक को शिकायत किये जाने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है? यदि हां, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी हां, सदस्यों की सूची संलग्न है।

(2) टोंक जिले में शक्कर वितरण में कोई विशेष अनियमिततायें नहीं हुई हैं। शक्कर का कोटा समय पर ही प्राप्त किया जाता है।

(3) दिनांक 23-3-67 को तहसीलदार उनियारा के पास एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिस पर उसी दिन शिकायत प्रस्तुत कर्ता के समक्ष तहसीलदार द्वारा स्टाक चेक करने पर सही पाया गया।

(4) यह सही नहीं है।

(परिशिष्ट 7 देखिये)

आयातित गेहूं बिक्री तथा रकम की वसूली

13. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे:—

(1) कलेक्टर बीकानेर ने सन् 64-65 में बीकानेर नगर के खुदरा व्यापारियों को आयातित गेहूं दिये उसमें कितने रुपये व्यापारियों से कम वसूल किये ?

(2) कम रुपये वसूल करने का कारण क्या था और सरकार के ध्यान में यह बात कब आई?

(3) सरकार ने उक्त कम वसूली के लिये किसको दोषी ठहराया और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की ?

(4) कम वसूल हुई राशि बाद में कब वसूल की गई ?

उत्तर

(1) 61,398.68 पैसे कम वसूल हुये।

(2) आयातित गेहूं की दर 41) रुपये प्रति क्विंटल की बजाय 40) रुपये निर्धारित की गई। मार्च, 1965 में यह बात ध्यान में आई।

(3) इस कम वसूली के लिये तत्कालीन जिलाधीश बीकानेर ही जिम्मेवार थे जिनके विरुद्ध नियुक्ति विभाग में विभागीय कार्यवाही हेतु लिखा गया था। नियुक्ति विभाग द्वारा बीकानेर जिले के भूतपूर्व जिलाधीश श्री गोर्वधनसिंह चौधरी को उक्त मामले में दिनांक 25-1-68 को चार्जशीट दी जा चुकी है तथा अग्रिम कार्यवाही अभी नियुक्ति विभाग में चल रही है।

(4) चूंकि कम वसूल हुई राशि का लाभ किसी व्यक्ति विशेष को न होकर आम जनता को हुआ था इसलिये वसूली करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

चैरेटी फंड की रकम

14. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नियंत्रित खाद्य वस्तुओं के वितरण की जो दरें निर्धारित

(श्री हरजीराम बुरडक)

की जाती है उनमें चैरेटी फंड की राशि जिलाधीशों द्वारा वसूल की जाती है? यदि हां, तो कौन कौन से जिले में कितनी कितनी चैरेटी फंड की रकम कब कब जमा हुई और वह राशि कहां कहां जमा है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त राशि को वसूल करने और खर्च करने के संबध में कोई नियम राज्य सरकार ने बना रखे हों तो उन नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या उक्त वसूल हुई राशि में से कोई राशि खर्च की गई? यदि हां, तो किस किस जिले में कितनी कितनी राशि किस किस कार्य में कब कब किस किस के द्वारा खर्च की गई? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां, 10 अगस्त, 1961 के बाद जब जब नियंत्रित वस्तुओं को बेचने हेतु भाव तय किये गये हैं तब तब चैरेटी फंड में जिलों में राशि जमा हुई हैं। जमा राशि की जिला वार सूची संलग्न है।

(2) नियमों की सूची संलग्न है।

(3) जी हां, कुल राशि जो खर्च की गई है उसकी जिलेवार सूची संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय को भेज दी गई)

पंचायत समिति ज'ाजा में किये गये कार्य का भुगतान

15. श्री फतहसिंह (ब्यावर): क्या सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति जवाजा (अजमेर) में ग्रामीण-जन शक्ति परियोजना के अन्तर्गत चालू किये कई कार्य सम्पूर्ण भी हो गये लेकिन अजमेर जिला परिषद् में नियुक्त सहायक अभियन्ता द्वारा इनके भुगतान में जान बूझ कर रोक लगाई जा रही है?

(2) क्या सरकार शीघ्र ही भुगतान कराने की व्यवस्था करेगी?

उत्तर

(1) जी नहीं। केवल 10 कार्य पूर्ण हुए हैं जिनको अंतिम भुगतान करना बाकी है। 10 कार्य अधूरे हैं जिनका कुछ भुगतान करना है। अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1966-67 में कुछ कार्यों के संबंध में आक्षेप होने पर जिलाधीश अजमेर ने सहायक अभियन्ता द्वारा जांच पूरी की जाने तक भुगतान नहीं करने के निर्देश दिये हैं।

(2) जांच पूरी होने पर भुगतान की शीघ्र नियमानुसार व्यवस्था की जायेगी।

हाउस टैक्स

16. श्री मदनलाल (हिन्डौन—सु.): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि ग्राम पंचायत किशनगढ़ रेनवाल द्वारा हाउस टैक्स लगाया

(श्री श्रवणलाल)

गया था ? यदि हां, तो कब और उससे पंचायत को कितना रुपया किस–किस साल में प्राप्त हुआ है ?

(2) हाउस टैक्स किस–किस साल का किस–किस पर कितना कितना बकाया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) क्या यह सच है कि हाउस टैक्स की बकाया वसूली को सरकार ने माफ कर दिया है ? यदि हां, तो कब से माफ किया गया है और यदि नहीं, तो कब तक बकाया रकम वसूल की जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां । सन् 1955 से लगाया गया । वार्षिक आय का विवरण सदन की मेज पर रखा गया है ।

(2) सूची सदन की मेज पर रखी गई है ।

(3) जी नहीं । पंचायत ने वसूली स्थगित कर रखी है इसलिये निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता की बकाया कब तक वसूल हो जायगी ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय को भेज दी गई)

न्याय पंचायतों के कर्मचारियों के वेतन का भुगतान

17. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन सु.) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सच है कि न्याय पंचायतों के सचिवों व चपरासियों का वेतन बकाया चला आ रहा है ?

(2) यदि हां, तो किस–किस साल से किस–किस जिले में कितना–कितना रुपया कितने–कितने समय का बकाया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) उपरोक्त बकाया को चुकाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है और नहीं की है, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(3) इस समस्या को सुलझाने हेतु उप जिला विकास अधिकारियों से टिप्पणी प्राप्त की गई है । उनके प्राप्त होने पर आवश्यक समाधान किया जायेगा ।

(परिशिष्ट 8 देखिये)

ग्राम पंचायत बनेठा के सरपंच के विरुद्ध गबन के आरोप

18. श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ।—

(1) क्या यह सत्य है कि ग्राम पंचायत बनेठा, पंचायत समिति उनियारा, जिला टोंक के ऑडिट वर्ष 1965–66 में सरपंच के विरुद्ध गबन के कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं ? यदि हां, तो जिलाधीश टोंक द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई है ? यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई तो क्यों नहीं ? कृपया

Page No. 42

(श्री दिग्विजयसिंह)
ऑडिट रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सत्य है कि ऑडिट द्वारा सरपंच को दोषी मानते हुए रकम का गबन बतलाया है व वसूली के लिये सुझाव दिया है? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

उत्तर

(1) गम्भीर वित्तीय अनियमितताएं कोष का दुरुपयोग तथा एक मामले में 59.25 पै. की राशि गबन किया जाना अंकित किया गया है। जिलाधीश आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं।

(2) ऑडिट ने अनियमित भुगतान इत्यादि के सम्बन्ध में राशि वसूली का सुझाव दिया है। उस पर जिलाधीश आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं।

पंचायत समिति परबतसर द्वारा दिये गये ऋण

19. श्री परसराम गंगाराम (परबतसर-सु.) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

पंचायत समिति परबतसर द्वारा 1966-67 में कितना और किस–किस को लोन दिया गया और किस–किस कार्य के लिये?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय को भेज दी गई)

भकरी पशु मेले से आय

20. श्री परसराम गंगाराम (परबतसर-सु): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति परबतसर को भकरी पशु मेले से 1967 में कितनी आमदनी हुई और कितना खर्चा किस–किस मद पर हुआ?

(2) बचत की रकम कहां लगाई गई?

उत्तर

(1) विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) बचत में कोई रकम नहीं रही।

(परिशिष्ट 9 देखिये)

न्याय पंचायत, पांचला

21. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पांचला न्याय पंचायत, पंचायत समिति सांचोर, में कितने न्याय पंच है? तथा कौन से पंच कब–कब से न्याय पंच पद पर है?

(2) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त न्याय पंचायत में कुछ पंच अपनी अवधि से ज्यादा समय से कार्य कर रहे हैं? अगर हां, तो कौन–कौन व कितनी ज्यादा अवधि से व क्यों?

Page No. 43

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

(3) क्या यह सत्य है कि कई पंचों की अवधि निकलने पर भी उनका स्थान रिक्त घोषित कर नई गोलियां नहीं निकाली गई हैं? अगर हां, तो क्यों? अब गोलियां निकाल कर नये पंच कब तक ले लिए जावेंगे? निश्चित अवधि बताने का कष्ट करें।

(4) क्या यह सत्य है कि इस न्याय पंचायत के खिलाफ कई शिकायतें प्राप्त हो चुकी है? अगर हां, तो उस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

(5) क्या यह भी सत्य है कि इस न्याय पंचायत का काफी अर्से से निरीक्षण भी नहीं हुआ है? अगर हां, तो क्यों? अब निरीक्षण कब तक कर लिया जावेगा?

(स्थगित किया गया)

पंचायत समिति उनियारा द्वारा कुओं पर नालियों के निर्माण के लिए अनुदान

22. श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति उनियारा, जिला टोंक द्वारा गत वर्ष 1966-67 व 1967-68 में कुओं पर नालियां बनाने के लिए अनुदान दिया गया था? यदि हां, तो किन-किन काश्तकारों को और कितना-कितना? सूची सदन मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या नालियां जिनके लिए अनुदान दिया गया था वे सब तैयार हो गई हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि नियमानुसार यह अनुदान किश्तों में दिया जाता है और अन्त की किश्त कार्य पूरा होने पर ही दी जाती है? यदि हां, तो अब आखिरी किश्त के कितने रुपये देने हैं?

उत्तर

(1) जी हां, सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां, किन्तु इस समय सूची में उल्लेखित संख्या 1 से 5 तक के व्यक्तियों के कुओं पर सीमेंट पाइप नहीं है।

(3) 250) रुपये से अधिक अनुदान होने पर आखिरी किश्त कार्य पूर्ण तथा प्रमाण-पत्र मिलने पर दी जाती है। अब कोई धन-राशि देय नहीं है।

(परिशिष्ट 10 देखिये)

पाली एवं रोहट में कुओं के निर्माण के लिए ऋण

23. श्री मूलचन्द डागा (पाली): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पाली और रोहट पंचायत समितियों में कितने-कितने कुए किन-किन गांवों में और किन-किन लोगों के नष्ट हो गए? सूची सदन की मेज पर पूरे विवरण के साथ रखने की कृपा करें।

(2) क्या पंचायत समितियां उन लोगों के लिए सहायता के रूप में कोई धनराशि देगी? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

(श्री मूलचन्द डागा)

(3) कितनी लागत से सब कुओं की मरम्मत हो सकती है ?

(4) सरकार यदि सहायता के रूप में धनराशि नहीं दे सकेगी तो क्या कुओं के निर्माण के लिए धनराशि कर्ज के रूप में देगी ?

उत्तर

(1) विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) धनराशि के अभाव में पंचायत समितियों द्वारा सहायता के रूप में राशि दिया जाना संभव नहीं है।

(3) लगभग 70,000 रुपये खर्चा होगा।

(4) कर्ज के लिए नियमानुसार प्रार्थना-पत्र देने की हालत में पंचायत समिति द्वारा धनराशि उपलब्ध होने पर ऋण दिया जा सकता है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय को भेज दी गई)

पंचायतों को गृह आवास व्यवस्था के लिये दिया गया रुपया

24. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(1) राज्य सरकार ने पंचायत समितियों की स्थापना से सन् 1965–66 तक गृह आवास व्यवस्था के लिये कितना–कितना रुपया किन–किन पंचायत समितियों को दिया ? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि बहुत सी समितियों ने इस राशि का उपयोग नहीं किया या उपयोग किया तो इतना ही किया कि राशि को पार्टियों को दे दी और क्या यह सही है कि उन पार्टियों ने मकान नहीं बनाये ? यदि हां, तो ऐसी दोनों प्रकार की कौन–कौन सी पंचायत समितियां हैं ? विस्तृत ब्यौरा रकम सहित सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त रकम की वसूली नहीं हुई है ? यदि हां, तो किन किन समितियों में कितनी कितनी रकम किन किन पार्टियों में बकाया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(स्थगित किया गया)

राजस्व मण्डल के हिन्दी में निर्णय

25. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या भाषा विभाग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि राजस्थान रेवेन्यू बोर्ड अपने निर्णय प्रायः अंग्रेजी में ही देता है ? यदि हां, तो सरकार की उन निर्णयों को हिन्दी में दिलाने की क्या योजना है ? और यदि नहीं है, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

राजस्थान राजस्व मण्डल के निर्णयों में इस समय हिन्दी व अंग्रेजी दोनों का प्रयोग

(श्री भाषा विभाग मंत्री)

है लेकिन समस्त निर्णय हिन्दी में दिये जा सकें, इसके लिए राजस्व मण्डल के कुछ निर्णयों का हिन्दी अनुवाद सरकार उपलब्ध करा रही है।

श्री राम रसायनिक खाद कारखानों में दुर्घटना

26. श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा (प्रकलेरा): क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) दिनांक 5-4-68 को कोटा स्थित श्री राम रसायनिक खाद कारखाने में कोई दुर्घटना हुई है?

(2) दुर्घटना के कारण क्या थे?

(3) दुर्घटना में कितने आदमी किस-किस श्रेणी के मरे? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) मृतक व्यक्तियों के परिवारों को कितना-कितना मुआवजा दिया गया? सूची देने की कृपा करें?

(स्थगित किया गया)

एम्प्लायमेन्ट एक्सचेन्जों के द्वारा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के लोगों को नौकरी

27. श्री परसराम गंगाराम (परबतसर सु.):–क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गत पांच वर्षों में विभिन्न एम्प्लॉयमेन्ट एक्सचेन्जों में अनुसूचित व अनुसूचित जन जाति के कितने उम्मीदवार एम्प्लॉयमेंट के लिये पंजीयत हुए? कृपया साल वार व प्रत्येक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेन्जवार सूचना देवें।

(2) उक्त अवधि में इन एम्प्लॉयमेन्ट एक्सचेन्जों द्वारा कितने अनुसूचित व अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों को एम्प्लॉयमेंट मिला है? कृपया सालवार व प्रत्येक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेन्जवार सूचना देवें।

उत्तर

(1) सूचना संलग्न है। (तालिका संख्या–1)

(2) सूचना संलग्न है। (तालिका संख्या–2)

(परिशिष्ट 11 देखिये)

सर्वेलेन्स इन्सपेक्टर्स

28. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन–सु.): क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:––

(1) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन विभाग, राजस्थान के सर्वेलेन्स इन्सपेक्टर्स को अब तक स्थायी नहीं किया गया है। यदि हां, तो क्यों और उन्हें कब तक स्थायी किया जायेगा?

(2) क्या यह सही है कि एक बहुत जूनियर इन्सपेक्टर को स्थायी किया गया है जबकि अन्य कई वरिष्ट इन्सपेक्टर अब तक अस्थायी हैं? यदि हां, तो इसका क्या कारण है?

उत्तर

(1) जी हां। सर्वेलेन्स इन्सपेक्टरों को वरिष्ठता सूची को अन्तिम रूप देने के पश्चात् ही विभागीय पदोन्नति समिति के द्वारा इन्हें स्थायी करने की कार्यवाही शीघ्र ही की जावेगी।

(2) जी हां, एक सर्वेलेन्स इन्सपेक्टर को कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदस्थापित करने के पश्चात् उसके पूर्व पद पर स्थायी किया गया था। पूर्व पद के वेतन को सुरक्षित रखने एवं आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए ही विशेष तौर से स्थायीकरण किया गया था अन्य सर्वेलेन्स इन्सपेक्टरों को स्थायी करते समय ध्यान में रखा जावेगा कि उनकी वरिष्ठता में किसी प्रकार का फर्क न आवे।

फालना स्टेशन पर अस्पताल

29. श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि फालना स्टेशन पर बस्ती में अस्पताल बनवाने का निर्णय लिया गया था ? यदि हां, तो यह निर्णय कब लिया गया था और उसे कार्यान्वित कब तक किया जायेगा ?

उत्तर

जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

मेडिकल एलाउन्स

30. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या सरकार चिकित्सा व्यय के रीएम्बर्समेन्ट की वर्तमान व्यवस्था को समाप्त करके उसके स्थान पर राज्य कर्मचारियों को निश्चित मेडिकल एलाउन्स देने का विचार रखती है ?

उत्तर

जी नहीं।

अवैध कब्जे को हटाने की कार्यवाही

31. श्री आईदानसिंह (भीनमाल) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि जिला जालोर के सांचोर ग्राम पंचायत द्वारा बस स्टेण्ड के पास सरकारी बेरे के नजदीक नाजायज कब्जा करने पर 91 एल. आर. एक्ट के तहत श्री रामचन्द्र को हटाने का आदेश दिया गया था ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि उस फैसले की अभी तक तामील नहीं कराई जा रही है ? यदि हां, तो क्यों व कब तक हटाने का विचार रखती है ?

सिवाय चक व गोचर में बने बाड़ों को उठाने के लिए नोटिस

32. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा

(श्री दौलतराम सारण)
करेंगे:--

(1) फागी तहसील में गांवों के समीप सिवाय चक या गोचर में बने बाड़ों के कितने मामले हैं ?

(2) कितने किसानों को तहसील की ओर से सिवाय चक या गोचर में बने बाड़े उठाने के लिए नोटिस दिये गये हैं और कब कब ?

(3) क्या राज्य सरकार के यह ध्यान में आया है कि यह समस्या सारे राजस्थान में व्यापक रुप से है ?

(4) यदि हां, तो इसके समाधान के लिए राज्य सरकार का क्या इरादा है ?

(5) क्या यह सही है कि ऐसे बाड़े अधिकांश में पुराने बने हुए हैं ?

(6) क्या यह भी सही है कि सिवाय चक गोचर या जोहड़ गैर मुमकिन जिसमें बाड़े बने हुए हैं वह वास्तव में आबादी भूमि है, परन्तु केवल राजस्व रेकार्ड में आबादी दर्ज न होने के कारण यह मुकद्मेबाजी की परेशानी बढ़ती है ।

(7) क्या राज्य सरकार राजस्व रेकार्ड में गांव के समीप स्थित ऐसी भूमि को आबादी भूमि में बदलवाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? यदि हां, तो कब तक ।

उत्तर

(1) तहसील फागी के ग्रामों के बाड़े के मामले 432 हैं जो गांवों के समीप के भी हैं व ग्राम से दूरी के भी हैं ।

(2) तहसील में रिपोर्ट पटवारी पेश होने पर जेर दफा 91 राज. लै. रे. एक्ट के नोटिस दिये गये हैं जिनमें विशेषतया इसी वर्ष दिए गए हैं ।

(3) जी हां, जिसके बारे में वर्तमान नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है ।

(4) सरकार इस सारे मामले पर विचार करेगी ।

(5) बाड़े पुराने भी बने हुए हैं व नये भी बनाये गये हैं । इसकी सही स्थिति धारा 91 रा. लै. रे. एक्ट की कार्यवाहीं की जांच से मालूम हो सकेगी, जो जेर तकमील हैं ।

(6) जिन स्थानों पर अनाधिकृत रूप से बाड़े बने हुए हैं वे आबादी भूमि नहीं है । जहां आबादी इस प्रकार की भूमि पर हो गई है और उसे पंचायत ने आबादी वृद्धि हेतु मांग की है उन स्थानों के मामले आबादी भूमि में परिवर्तित करने के चल रहे हैं ।

(7) आबादी के समीप आबादी वृद्धि हेतु यदि भूमि की आवश्यकता स्थानीय नगरपालिका एवं ग्रामपंचायत महसूस करती है तो उनका प्रस्ताव आने पर उस सिवाय चक भूमि को आबादी में लगान का 40 अथवा 20 गुना लेकर आबादी में परिवर्तन करने के राज्यादेश पूर्व में ही प्रसारित हो चुके हैं ।

Page No. 48

(श्री राजस्व मंत्री)

डांगरथल के पटवारी के विरुद्ध शिकायत

33. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) क्या यह सही है कि डांगरथल, तहसील निवाई जिला टोंक के पटवारी के विरुद्ध श्रवण ब्राह्मण से रिश्वत लेने की शिकायत एस. डी. ओ. टोंक तथा तहसीलदार निवाई को की गई थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि तहसीलदार निवाई ने जरिये नोटिस शिकायतकर्ताओं को निवाई बुलाकर बयान लिए थे ? यदि हां, तो कितने व्यक्तियों के लिए थे ?

(3) बयान लेने के पश्चात् क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? क्या वह पटवारी अब भी वहीं है ? यदि है, तो कब से है ?

उत्तर

1. जी हां,

2. जी हां,

(1) श्री श्रवण ब्राह्मण

(2) श्री सीताराम ब्राह्मण

(3) श्री लादूराम ब्राह्मण

(4) बदरीप्रसाद ब्राह्मण

(5) श्री रघुराज सरपंच

3. कार्यवाही चालू है। दिनांक 7-10-67 से पटवारी उस हल्के में कार्य कर रहा है और फिलहाल वहीं है।

तहसीलदार लाडनूं के पास मामले

34. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) लाडनूं, जिला नागौर में लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 91 के तहत वित्तीय वर्ष 67-68 में कौन कौन से केस दर्ज हुए तथा उनका तहसीलदार ने कब कब फैसला किया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) किस किस मामले में क्या क्या फैसला हुआ ?

उत्तर

(1) सूची की एक प्रति सदन की मेज पर रखने हेतु प्रस्तुत है (सूची की शेष प्रतियां बाद में तैयार कराके भेजी जावेंगी)।

(2) किस किस मामले में क्या क्या निर्णय हुआ उसका विवरण संलग्न सूची में अंकित है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

ग्राम रामधना की गोचर भूमि में पत्थर की खानें

35. श्री हरजी राम बुरड़क (लाडनूं): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम रामधना, तहसील लाडनूं, जिला नागौर में खसरा नम्बर 205 गोचर भूमि दर्ज है उसमें से कोई पत्थर निकालने की खानें हैं ? यदि

(श्री हरजीराम बुरड़क)

हां, तो कब से और वहां से किस किस प्रकार से पत्थर निकाले जाते हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस प्रकार से चरागाह भूमि से पत्थर बिना सरकार की स्वीकृति के नहीं निकाले जा सकते ? यदि हां, तो जिन लोगों ने पत्थर निकाले हैं या निकाल रहे हैं उनके खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की ? और यदि कार्यवाही नहीं की, तो क्यों ?

(3) क्या इस प्रकार से उपरोक्त भूमि से नाजायज पत्थर निकालने का मामला तहसील कार्यालय या एस. डी. ओ. कार्यालय में चल रहा है ? यदि हां, तो कब से और इस प्रकार से अनावश्यक देरी का क्या कारण है ?

उत्तर

(1) जी हां, ग्राम रामधना तहसील लाडनूं जिला नागौर में खसरा नं 205 गोचर भूमि दर्ज है, किन्तु मौके पर गोचर भूमि नहीं है, जगह जगह पत्थर निकालने की प्राचीन खानें हैं।

(2) यह सही है कि गोचर भूमि में से कंकर पत्थर निकालना वर्जित है। इस भूमि में से ग्राम जनता द्वारा पत्थर निकालना पाया गया है। ऐसी सूरत में इस भूमि पर से पत्थर न निकाले जावें। इसके लिए जिलाधीश द्वारा आम विज्ञप्ति जारी कर दी गई है।

(3) जी हां, इस संबंध में तहसील में मुकदमा दिनांक 2–3–68 को दायर हुआ था जिस पर दिनांक 13–3–68 को मौका मुलाहिजा किया गया जिस पर समस्त ग्रामवासी इस भूमि पर से पत्थर निकालने के दोषी पाये गये हैं। मुकदमे में कोई विलम्ब नहीं हुआ है।

गंगानगर जिले के स्वर्णकारों की दरख्वास्तें

36. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गंगानगर जिले में कुल कितने स्वर्णकारों की दरख्वास्तें पांच हजार या पांच हजार से ज्यादा रुपये कर्जे लेने की थीं ?

(2) इसमें से कितनी दरख्वास्तों पर पांच हजार रुपये दिये गये ?

(3) अगर किसी को भी नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिले में कुल 38 आवेदन-पत्र पांच हजार या पांच हजार से अधिक ऋण हेतु प्राप्त हुए।

(2) केवल एक दरख्वास्त पर पांच हजार रुपया कर्ज दिया गया।

(3) शेष आवेदन-पत्र राजस्थान स्वर्णकार विस्थापित (ऋण) नियम 1964 के नियम 7 व 8 के अनुसार अपूर्ण थे–इसलिए इनको 1000–1000 रु. ऋण दिया गया।

जिला सवाई माधोपुर में फौजियों को भूमि का अलाटमेंट

37. श्री श्रवणलाल (हिण्डौन–सु.) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जिला सवाईमाधोपुर में कितने फौजियों को कहां कहां पर किस किस समय जमीन एलाट की गई है ?

Page No. 50

(श्री श्रवणलाल)

(2) उपरोक्त भूमि पर कितनों को सरकार ने कब्जा करा दिया है और कितनों को अभी तक नहीं कराया गया है ?

(3) अब तक कितने फौजियों को जमीनों सम्बन्धी दरख्वास्तें आई हैं और कितनों को जमीन दी गई ?

(4) उपरोक्त जिले के फौजियों को सवाई माधोपुर को छोड़ के कहीं दूसरी जगह भी जमीन दी गई है ? यदि हां, तो कहां कहां पर कितनी कितनी ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) 296 सैनिकों को जिले की विभिन्न तहसीलों में 1962 से 31-7-68 तक भूमि आवंटित की गई है।

(2) 274 सैनिकों को कब्जा करा दिया गया है 22 सैनिकों को कब्जा कराना शेष है।

(3) 701 सैनिकों के प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए। 296 सैनिकों को भूमि आवंटित की गई।

(4) दो सैनिकों के परिवारों को राजस्थान नहर क्षेत्र में भूमि आवंटित की गई है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(परिशिष्ट 12 देखिए)

पाली तहसील की ग्राम पंचायतों में भूमि का अलाटमेंट

38. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पाली तहसील की किन किन ग्राम पंचायतों में सन् 1963, 1964, 1965 और 1966 में किन किन को कितनी कितनी भूमि किस किस रकबे में एलाट की गई है ? उसकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सत्य है कि यह अलाटमेंट 90 प्रतिशत तहसील कार्यालय में ही हुआ और ग्राम पंचायतों के स्थानों पर नहीं हुआ ?

(3) क्या यह सत्य है कि जो भूमि का आवंटन हुआ वह नाबालिकों को, एक कुटुम्बियों को, गांव के बाहर वालों को विशेष रूप से हुआ ? यदि हां, तो सरकार ऐसे गलत अलाटमेंटों के लिए क्या कार्यवाही करेगी ?

(4) क्या यह सत्य है कि एलाटमेंट के समय सारे नियमों की अवहेलना की गई है ? यदि हां, तो सरकार उन व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही करेगी जिन्होंने नियमों की अवहेलना की और गलत अलाटमेंट किए हैं ?

उत्तर

(1) वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है सो बाद में आने पर भेजी जावेगी।

(2) मुख्यतः भूमि का आवंटन ग्राम पंचायतों के मुख्यावास पर ही किया गया है।

(3) जी, नहीं। अनाधिकृत व्यक्तियों को किए गए आवंटनों के सम्बन्ध में नियमानुसार अपील अथवा निगरानियों के द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

(4) जी, नहीं। भूमि आवंटन करते समय भूमि आबंटन सम्बन्धी नियमों का पालन किया गया है।

Page No. 51

ग्राम गुड़ा एन्दला में सूकड़ी नदी से नुकसान

39. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पाली तहसील में ग्राम गुढ़ा एन्दला के अनुसूचित जाति के मकानों को सूकी नदी बहा कर ले गई ? यदि हां, तो कितने मकान ?

(2) क्या यह सत्य है कि ग्राम गुढ़ा एन्दला को बचाने के लिए नदी का तटबन्धन आवश्यक है ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस बाढ़ के पहले भी नदी कई घरों को बहाकर ले गई थी ? यदि हां, तो कब और क्या उस समय सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि नदी का तटबन्धन कराया जायेगा ? यदि हां, तो आज तक उसका तटबन्धन क्यों नहीं कराया गया ?

उत्तर

(1) जी हां, गत वर्ष पाली तहसील के गांव गुढ़ा एन्दला में सूकड़ी नदी 8 मकान बहाकर ले गई, जिनमें से एक मकान पिछड़ी जाति के लोगों का है ।

(2) जी हां ।

(3) जी नहीं, इस वर्ष बाढ़ नहीं आई है । गत वर्ष में आई बाढ़ से ही उक्त मकान बहे थे । इस प्रश्न का शेष भाग सिंचाई विभाग से सम्बन्ध रखता है । जहां से सूचना एकत्रित की जा रही है ।

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

श्री रामानन्द अग्रवाल, श्री केदार नाथ तथा श्री भैरों सिंह, सदस्य विधान सभा ने मालवीय रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, जयपुर के बन्द हो जाने से उत्पन्न स्थिति के बारे में स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी है ।

श्री भैरों सिंह, श्री रामानन्द अग्रलाल व श्री केदारनाथ सदस्य विधान सभा ने श्रीगंगानगर में प्रादेशिक कांग्रेस अधिवेशन के अवसर पर पुलिस द्वारा जनता में किए गए लाठी प्रहार एवं संभ्रान्त व्यक्तियों की गिरफ्तारी से उत्पन्न स्थिति के बारे में स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी है ।

श्री विजय सिंह, श्री बाल सिंह व श्री सुमेर सिंह सदस्य विधान सभा ने मेडीकल कालेजों में जो 5 प्रतिशत स्थान फौजी बच्चों के लिए सुरक्षित रखे गये हैं उनमें से जो मैरिट लिस्ट में आ चुके हैं उनके अलावा 5 प्रतिशत स्थान फौजी बच्चों को न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है ।

श्री विजयसिंह मकराना ने श्री दुर्गाशंकर दुर्गावत एवं मिस मेनन सचिव एवं आचार्य, राजस्थान महिला विद्यालय उदयपुर को उक्त संस्था भवनों में से किसी पुराने भवन के निर्माण को प्रदर्शित करके शिक्षा मंत्रालय अथवा युनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन से धोखा देकर नये भवन का अनुदान प्राप्त करने से उत्पन्न स्थिति के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है ।

श्री जयनारायण सालोदिया ने राजस्थान में पंचायत समितियों के अधीनस्थ अध्यापकों के चल रहे आन्दोलन से उत्पन्न स्थिति के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है ।

उपरोक्त पांचों स्थगन प्रस्तावों के विषय महत्वपूर्ण होने से मैं सम्बन्धित मंत्री महोदय

(श्री अध्यक्ष)

से निवेदन करूंगा कि वे इन विषयों के बारे में स्थिति को स्पष्ट करते हुए आज या कल सुविधानुसार वक्तव्य देने की कृपा करें। मैं इन स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति देने में असमर्थ हूं। ये इतने अविलम्बनीय लोकमहत्व के नहीं हैं कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित की जाकर इन पर विचार किया जाय।

श्री राम चन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, गंगानगर से सम्बन्धित जो स्थगन प्रस्ताव आया है वह अविलम्बनीय लोकमहत्व का यदि नहीं है तो आप फिर किसको अविलम्बनीय लोकमहत्व का मानते हैं? गंगानगर में इतना अन्याय हुआ है···

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य !

श्री राम चन्द्र आर्य : वहां पर निर्दोष लोगों को लाठी से पीटा गया

श्री अध्यक्ष : रिकार्ड न किया जाय।

(अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार श्री रामचन्द्र आर्य द्वारा आगे अभिव्यक्त किये गये विचारों को प्रतिवेदित नहीं किया गया)

श्री अध्यक्ष : मैं पुनः माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि यह व्यवधान माननीय श्री आर्य—मैं कुछ कहना नहीं चाहता श्री आर्य द्वारा बारबार यह व्यवधान पैदा करना, जब कि व्यवस्था दे दी है कि स्टेटमेंट देना है इस सम्बन्ध में तो यह आपत्ति करना कहां तक उचित है? यह परम्परा डालना कहां तक उचित है?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय इस बात पर क्यों जाते हैं। लेकिन एक जो व्यवस्था दी, श्री गंगानगर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक के समय पर जो पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों के ऊपर लाठी चार्ज किया गया उसके सम्बन्ध में व्यवस्था दी है आपकी उस व्यवस्था के अनुसार इस प्रश्न पर राज्य सरकार की ओर से, श्री गृह मंत्री जी की ओर से आज या कल वक्तव्य दिया जाना है। ऐसी व्यवस्था आपने दी है। आपकी इस व्यवस्था के परिणामस्वरूप भी यह सदन अंधेरे में है कि राज्य सरकार, आपका जो निर्देश है, उसके अनुसार वक्तव्य आज देगी इस सदन में या कल देगी। इसकी जानकारी न देकर सरकार ऐसे मौन होकर बैठी रहती है और आपकी व्यवस्था पर रीएक्ट नहीं करती है। आपकी व्यवस्था आज ज्यों ही हो बस खड़े होकर यह कह दें कि इस सम्बन्ध में वक्तव्य आज दिया जायगा या कल दिया जाय यह दिन निर्धारित हो जाय···

श्री अध्यक्ष : आर्डर—आर्डर ! माननीय सदस्य !

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : तो माननीय सदस्यों को भी सुविधा रहे और सम्बन्धित माननीय सदस्य उपस्थित रह सकें। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आप सरकार को निर्देश दें कि जो निर्देश आसन की तरफ से दिया जाता है, उसके अनुसार राज्य सरकार तुरन्त सदन को सूचित करे कि इस सम्बन्ध में स्टेटमेंट कब होगा।

श्री बाज सिंह सोढा : अध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा एक स्थगन प्रस्ताव ···

श्री अध्यक्ष : देखिये, मैंने अपनी व्यवस्था में आज या कल सुविधानुसार शब्दों का प्रयोग किया है इसमें सदन की सुविधा का प्रश्न है, इसके बिजनेस का प्रश्न है। मैं गृह मंत्री जी से अपने चेम्बर में बात करके निश्चित तारीख की आपको सूचना दे दूंगा। आज का तो सम्भव नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह कैसे ? यह कैसे मान लें कि सम्भव नहीं है ? गृह मंत्रीजी से पूछिये कि आज या कल देंगे। गृह मंत्री जी ··

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कह दें कि वह आज देंगे या कल देंगे ?

श्री अध्यक्ष : सुविधानुसार आज चेम्बर में बुला कर जो तिथि होगी वह निश्चित कर दूंगा। यह सदन में निश्चित करने का प्रश्न नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसमें सरकार की सुविधा का प्रश्न नहीं है। गृह मन्त्री जी यहां बैठे हैं उनको कहना चाहिए। विधान सभा का सेशन चल रहा है तो श्री गंगानगर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक के समय जो लाठी चार्ज हुआ . . .

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उस पर उन्हें सदन में वक्तव्य देना है, तो वह कब देना है ताकि सदन को मालूम हो···

श्री अध्यक्ष : तिथि निर्धारण यहां करने लगूं तो कई माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्तावों के ऊपर बहुत ज्यादा समय लग सकता है। इसलिए मैं सदन में तिथि निर्धारित नहीं कर सकता।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था आपकी इस स्थगन प्रस्ताव के बारे में है तो हर एक प्रस्ताव, जो भी स्थगन प्रस्ताव हैं जिनमें स्टेटमेंट मंत्रियों को देना है, उसका दिन घोषित हो जाना चाहिए कि कौनसे दिन स्टेटमेंट होगा, कौनसी तिथि को होगा, कौनसी तारीख को होगा ताकि सम्बन्धित सदस्य उपस्थित रह सकें और उस ··

श्री अध्यक्ष : मैंने आपके प्रश्न को समझ लिया है। इसमें मैं अपनी सुविधा को भी देखता हूं। कई प्रश्न 11 बजे आते हैं, कई दस बजे आते हैं स्थगन प्रस्ताव। इस सम्बन्ध में अभी से तारीख निश्चित कर सकूं—यह सम्भव नहीं है। यह प्रश्न मेरी सुविधाओं के आधार पर भी है। प्रश्न चूंकि डिलेड आते हैं इसलिए उनको देने में थोड़ी देर लगती है। इस प्रश्न को लेने में और सुविधाओं को भी देखना है। यहां तारीख निश्चित नहीं हो सकती। मैं प्रयास करूंगा कि निश्चित तारीख से आपको जल्दी से जल्दी सूचित कर दिया जाय।

श्री रामचन्द्र आर्य : माननीय सदस्यों ने जो स्थगन प्रस्ताव रखे हैं···

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ): अध्यक्ष महोदय, आपने मंत्री महोदय की सुविधा का फर्मा दिया मंत्री महोदय तैयार थे और जवाब भी देना चाहते थे। जहां तक आपका प्रश्न था, आपने निर्णय दे दिया है। उस पर गृह मंत्री जी

(श्री मदनसिंह)
अभी भी निर्णय दे सकते हैं, उनके बोलने में क्या हर्ज है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र !

श्री बालसिंह सोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक···

श्री मदनसिंह : गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक प्रश्न···

श्री मदनसिंह : गृह मंत्री जी बार बार बोलना चाहते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अलवर में बिजली की व्यवस्था के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव आपके पास भेजा है। वहां स्थिति यह है कि एक या दो दिन की अव्यवस्था नहीं है, रोजमर्रा ही ऐसी समस्या होती है कि जिसमें पन्द्रह–बीस मिनिट के लिए बिजली बिल्कुल खत्म हो जाती है।

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न आप सदन के सामने मत लाइये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : बिल्कुल अंधेरा गुप्प हो जाता है···

श्री अध्यक्ष : अन्य स्थगन प्रस्ताव हैं इनके अतिरिक्त उनको मैंने अस्वीकार किया है और उसकी सूचना माननीय सदस्यों को दी जा रही है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उस पर स्टेटमेंट इस गवर्नमेंट द्वारा करना जरूरी है क्या वह इतना महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है, बिजली और पानी का···

श्री अध्यक्ष : उसके बारे में आप यहां कन्विन्स करें, मैं नम्र निवेदन करूंगा कि मैंने उसे अस्वीकार नहीं किया है। अब आप क्या चाहते है ? इस प्रांगण पर कोई दूसरा उपाय नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उस बात को स्ट्रेस करके कन्विन्स करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : यह प्रांगण ही है कि आप कन्विन्स करें। माननीय सदस्य सभी स्थगन प्रस्तावों के बारे में कन्विन्स करने लगें तो आगे बिजनेस नहीं चल सकता। मैं निवेदन करूंगा कि मैंने अस्वीकार किये हैं दूसरे स्थगन प्रस्ताव।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अस्वीकार तो सारे ही किये हैं। सवाल यह है····

श्री अध्यक्ष : सवाल पैदा होने का मुद्दा नहीं है। यह तो कम से कम इस प्रांगण पर नहीं होता है। उस पर कन्विन्स करने का प्रश्न है उसके लिए मैं एक्सेसिबल हूं।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव आपकी सेवा में पेश किया था। वह नाम आपने नहीं पुकारा। उसके ऊपर क्या व्यवस्था दी है ? क्या आपने उसको रद्द कर दिया। मैंने तहसील नोहर··

श्री अध्यक्ष : आर्डर–आर्डर ! स्थान ग्रहण करें।

श्री बालसिंह सोढा : यह सूचना दे दी जाय कि अन्य जो हैं क्या इनको अस्वीकार कर दिया है। हमें क्या मालूम है।

श्री अध्यक्ष : ऐसे प्रश्न हैं जानकारी जिनमें प्राप्त की गई है ।

श्री बालसिंह सोढा : उनकी सूचना···

श्री अध्यक्ष : श्री हरिवल्लभ शर्मा, श्री रामानन्द अग्रवाल–अलवर में बिजली, श्री जय नारायण सालोदिया–जयपुर शहर में छात्रों का कत्ल और आत्म हत्यायें आदि का, एक है श्री विजय सिंह की मृत्यु की जांच।

दूसरे श्री हरजीराम बुरड़क, श्री दौलतराम सारण, श्री मेघराज, श्री रामचन्द्र आर्य, श्री नत्थीसिंह ने कुचामन सिटी के लोगों का देशी बन्दूकों में लगने वाले लोहे का पुर्जा बनाने सम्बन्धी धन्धा बन्द हो जाने, श्री लादूराम मुलानिया का लालसोट, दौसा, बस्सी, चाकसू तहसीलों के बैरवा हरिजनों पर मीणा जाति द्वारा किये जा रहे अत्याचार, श्री श्रवणलाल का तहसील हिण्डौन के तहसीलदार के विरुद्ध शिकायत, श्री हरिवल्लभ शर्मा का सीमेण्ट फैक्टरी सवाई माधोपुर के मैनेजमेन्ट द्वारा ठण्डा पानी की व्यवस्था न करने से सम्बन्धित स्थगन प्रस्तावों को मैंने अस्वीकार किया है । जानकारी के लिये जो अवशेष प्रस्ताव हैं, वे पेण्डिंग हैं जिसमें श्री रामचन्द्र आर्य का तालाब कुण्ड आदि के नष्ट हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव भी है ।

श्री बालसिंह सोढा : मेरा स्थगन प्रस्ताव तीनों में नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : जो प्रस्ताव श्री जयनारायण सालोदिया, श्री रघुनाथ विश्नोई, श्री अब्दुल हादी, श्री दिग्विजयसिंह, श्री दौलतराम सारण श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता एवं श्री रामचन्द्र आर्य ने दिये हैं उन प्रस्तावों पर बहस के लिये पृथक् समय रखा गया है । अतः उस समय उठाया जा सकेगा । इसकी मैंने अनुमति नहीं दी है ।

श्री बालसिंह सोढा : बहस के लिये रखे गये स्थगन प्रस्ताव···

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करिये···

श्री बालसिंह सोढा : (अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! इसको चेलेन्ज मत करिये ··

(12.20 म.प.)

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

श्री सचिव : मैं राजस्थान विधान सभा द्वारा गत सत्र में पारित निम्नांकित विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूँ जिन पर राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है :–

(1) राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों के परिलाभ) (संशोधन) विधेयक, 1968,

(2) राजस्थान विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 1968.

(3) उदयपुर विश्व विद्यालय संशोधन) विधेयक, 1968.

(4) राजस्थान नगरीय भूमि कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1968.

(5) राजस्थान बिक्री कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1968.

श्री अध्यक्ष : श्री अमृतलाल यादव ।

कार्यवाही का अंश नोट नहीं कर देने के सम्बन्ध में आपत्ति और उस पर व्यवस्था

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार): एक व्यवस्था का प्रश्न है । मैं आपका ध्यान नियम 297, 298, 299 की ओर आकर्षित करता हूं, जिसमें इस सदन की कार्यवाहियों को, रिपोर्टस् और उनके भाषणों को निकालने की व्यवस्था की गई है । अध्यक्ष महोदय, इन तीनों नियमों को पढ़ने के पश्चात् आप इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि सदन की कार्यवाही के दौरान यदि कोई माननीय सदस्य ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो डिफेमेटरी हों, अन पार्लियामेण्टरी हों indecent un-dignified हों उन शब्दों को कार्यवाही में से निकालने का अधिकार अध्यक्ष महोदय को दिया गया है । मैं अध्यक्ष महोदय, इस बात पर आपत्ति प्रस्तुत करता हूं कि कल जब सदन की कार्यवाही शुरु हुई और जिस समय यह स्थगन प्रस्ताव उठाया – जयपुर शहर की पानी की समस्या गंभीर थी, और इस सम्बन्ध में इस सदन के माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये, इन सारे विचारों को और उनके भाषणों को सदन की कार्यवाही में अंकित नहीं किया गया ? यह एक प्रकार का गंभीर मसला है, नियमों के अनुसार 4 प्रकार के शब्दों के प्रयोग होने देने पर आपको अधिकार दिया है । उन्हें प्रकाशन में से आप निकाल सकते हैं । लेकिन मैं समझता हूँ इस प्रकार से, अध्यक्ष महोदय, परम्परा से सदन में कोई भी सदस्य, भाषण दें, उनके भाषणों को चाहे वे कितने ही आपत्तिजनक हों, दूसरे तरीके के हों, सरकार के लिये अरुचिपूर्ण हों, उसे न रिकार्ड करने के संबंध में अधिकार का प्रयोग, यह लोकतन्त्र की परम्परा के विरुद्ध होगा । इस प्रकार की व्यवस्था लोकसभा में भी नहीं है । कई विधान सभाओं में भी कार्यवाही रिकार्ड नहीं करने का कोई प्रावधान नहीं है । मैं आपसे निवेदन करता हूं, इसकी व्यवस्था चाहता हूँ कि इस प्रकार के सदन में दिये गये भाषणों को जो आपत्तिजनक हो सकते हैं उनको निकालने का अधिकार आपको दिया गया है । लोकतन्त्र की भावनाओं के अनुसार, उनको ध्यान में रखते हुए यह अधिकार कभी भी सदन ने नहीं दिया है कि उनके भाषण को रोकें और उसके भाषण को रिकार्ड ही न होने दिया जाये । यह मेरी आपत्ति है ।

श्री अध्यक्ष : जो आपत्ति नियम 297, 298, 299 के अन्तर्गत···

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल (बयाना): एक आपत्ति मेरी···

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करिये । यह घोर अव्यवस्था है ।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : यह व्यवस्था आपको निवेदन करना चाहता हूं, यह नितान्त स्पष्ट होना चाहिये । आपने कृपापूर्वक जो कल प्रश्न उठाया, उसके ऊपर कोई व्यवस्था दे रहे हैं । मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा आपने उसे रिकार्ड ही नहीं होने दिया मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस पर आप स्वस्थ परम्परा की दृष्टि से पुनर्विचार करें और सदन की गरिमा के अनुसार भाषण और दूसरों के विचारों की स्वतन्त्रता कायम रखने के लिये मैं अध्यक्ष महोदय निवेदन करना चाहता हूं कि इस परम्परा को बढ़ाना गलत होगा । इस तरह

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

मैं एक दूसरे ग्रादमी के विचारों को रोकना होगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सतीशचन्द्र अग्रवाल ने कल शपथ लेने के समय या पूर्व – जयपुर में पानी के संबंध में कुछ अव्यवस्था की बात उठाई थी। परम्पराग्रों को ध्यान में रखते हुए मैं निवेदन कर दूं कि सदन में शपथ लेना एक पवित्रता का काम है। शपथ लेते हुए, शपथ लेने के पूर्व, उस वक्त ऐसी कोई ग्रापत्ति, कोई ऐसा भाषण अभी तक इस सदन के प्रांगण पर नहीं हुग्रा। इसलिये स्वस्थ परम्परा यो है कि शपथ लेते समय माननीय सदस्यों को कोई व्यवधान नहीं डालना चाहिये। शपथ देना एक पवित्र काम है इस सदन के लिये। यह परम्परा ग्रभी तक चल रही है। शपथ लेते समय, शपथ लेने के पूर्व, माननीय सदस्य शपथ पत्र पढ़ रहे हों, उस समय सदन की गरिमा पवित्रता को ध्यान में रखते हुए व्यवधान नहीं डाला जाय। जो प्रश्न उठाया गया वह स्वयं इतना महत्वपूर्ण नहीं था कि शपथ लेते हुए माननीय सदस्य को सदन में व्यवधान डाला जाय। इस सदन की गरिमा को बचाने के लिये, परम्परा को निभाने के लिये ग्रौर शपथ की पवित्रता को कायम रखने के लिये एक व्यवस्था दो। व्यवस्था यह दी कि यहां शपथ के पूर्व या शपथ के समय, भाषण के द्वारा एक समस्या को दिखलाकर रुकावट नहीं करें तभी हमारी परम्परा, सदन की शोभा कायम रह सकेगी। नियम 197, 298, 299 का जो हवाला दिया है, मैंने उस प्रसंग को शपथ के कार्यक्रम से अप्रासंगिक मानते हुए, हटाने का उसको रिकार्ड नहीं किये जाने का, यहां की परम्परा के ग्राधार पर, नियमों के ग्राधार पर ही निर्णय दिया।

(विराम)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ग्राप बाद में दे दीजिये व्यवस्था।

श्री अध्यक्ष : नहीं, वह तो सामयिक है, इसलिये इसी समय दे दी जाय।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : अध्यक्ष महोदय, . . .

श्री अध्यक्ष : ग्रार्डर, ग्रार्डर प्लीज! तो मैंने 25 का भी . .

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 297 साहब।

श्री अध्यक्ष : ग्रापके लिये 297 लग गया, मेरे लिये ग्रौर दूसरा है। .

(विराम)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ऐसी जल्दी क्या है?

श्री अध्यक्ष : तो मैं इसे यहां समाप्त करता हूं। मेरा यह विश्वास है कि जो कुछ कल किया गया, मैं कई माननीय सदस्यों से मिला तो उन्होंने भी कहा कि वह प्रसंग अप्रासंगिक था, इसलिये मैंने उस समय व्यवस्था देकर रेकार्ड नहीं करवाया है। माननीय सदस्य स्वयं समझते हैं। ग्रापत्ति भले ही उठा लें पर मेरा ऐसा करना ठीक ही था। शपथ के लिये माननीय सदस्य खड़े हुए ग्रौर कुछ शब्द पढ़ भी लिये, तो उस वक्त वह व्यवधान ठीक नहीं था इसलिये मैंने यह व्यवस्था दी।

(श्री अध्यक्ष)

मैं 296 का हवाला माननीय सदस्यों को देना चाहता हूं, जो परंपराओं को निबाहने के सम्बन्ध में पावर्स दिये है, अधिकार सदन को दिये हैं जो मेरी मार्फत सदन कभी कभी काम में लेता है :

"The Speaker shall preserve order and shall have all powers necessary for the purpose of enforcing his decisions."

इसको बाद इन्टरप्रेट किया जाय तो बड़ा विशाल प्रोविजन है, आर्डर को मेन्टेन करने का। जो स्थिति इन प्रावधानों में नहीं है, वह इसमें इन्टरप्रेट की जा सकती है।

इसलिये मैं माननीय सदस्य की आपत्ति को स्वीकार नहीं करता और मैं समझता हूं कि आधुनिक स्वस्थ परम्परा के आधार पर मैंने यह किया और भविष्य में इससे आपको बल मिलेगा। भविष्य में इस प्रकार का व्यवधान यदि किसी ओर से पैदा होगा तो इस व्यवस्था से आपको बल मिलेगा।

श्री मदन सिंह (दांतारामगढ़) : आप माननीय सदस्य श्री सतोषचन्द्र जी को फरमा सकते थे कि बीच में भाषण बन्द कर दीजिये। जब भाषण हो चुका था तो उस समय इस प्रकार की व्यवस्था· · · ·

श्री अध्यक्ष : दे चुके थे नहीं, दर्म्यान में, माननीय सदस्य बोल रहे थे। प्रोसीडिंग को देखें तो मैंने कुछ शब्द कहे हैं कि माननीय सदस्य नहीं बोलें।

दूसरे, मैंने व्यवस्था दे दी है, उसको कन्वेस करना चाहते हैं तो यह और गलत परम्परा होगी। दूसरे अवसर पर अपने अधिकार के प्रयोग की बात कह सकते हैं पर वह पवित्र समय, जिसकी अपनी सैंक्टिटी है उस समय कहते हैं तो स्वस्थ परम्परा नहीं होगी।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कन्वेस नहीं करना चाहता, पर एडीशनल फैक्ट्स हैं, उनको रखना चाहता हूं। आपने कहा कि इस सदन में और दूसरी जगह ऐसा नहीं हुआ लेकिन जिस समय कुंभारामजी ने शपथ ग्रहण की थी उस समय सदन में भाषण हुए थे, एक घंटे तक भाषण हुए थे, रोका गया, सारी कार्यवाही अंकित की गई है, वह सारी की सारी कार्यवाही अंकित की हुई है इस हालत में जो आप कहते हैं कि इस प्रकार की परम्परा नहीं है, यह गलत है· · ·

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज· ·

श्री नत्थीसिंह : 297 में, 298 में· ·

श्री अध्यक्ष : मैं आपको इजाजत नहीं दूंगा, माननीय सदस्य· · · ·

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि यह हमारे अधिकारों का प्रश्न है, हम चुपचाप सोते हुए नहीं रहेंगे, हम यहां पर कहने के लिये आये हैं, कहने का हमको हक है, उसको अंकित नहीं करने दिया जाय, यह आपको अधिकार नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मैं आपके इस प्रश्न को इर्रिलेवेन्ट मानता हूं माननीय कुंभारामजी की स्मृति अभी दिलाई कि उस समय अंकित किया गया किन्तु वह पोइन्ट आफ आर्डर था· · · ·

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : यह भी पोइन्ट आफ आर्डर था।

श्री अध्यक्ष : मैं इनमें नहीं जाना चाहता। यदि कोई गलत एक्शन हो गया है तो मैं उसको फोलो नहीं कर सकता, यदि कोई ठीक परम्परा नहीं है तो उसको शुद्ध करना पड़ेगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : यह गलत परम्परा भी उसी तरफ से हुई थी, कुंभारामजी के समय।

श्री नर्थसिंह : सुखाड़िया जी को आज भी दिलचस्पी है, एक थैली के चट्टे बट्टे रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, जो आपत्ति उठाई गई उस पर निर्णय देने का आपको अधिकार है, पर मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि रूल 307 का हवाला दे कर इतना काम्प्रेहेन्सिव स्कोप बनाने की कोशिश की है कि जो इन रूल्स में अधिकार नहीं हैं वह तमाम अधिकार 307 आपको देती है, तो मैं निवेदन करूंगा कि यह आपकी व्यवस्था है, इस पर पुनर्विचार करें। 307 के तहत · · · ·

श्री अध्यक्ष : मैं पुनर्विचार करने का प्रयास करूंगा। आप स्थान ग्रहण करें, मैं पुनर्विचार कर लूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 6-7 अप्रैल को स्पीकर्स कान्फ्रेन्स हुई थी तो उसमें आपने यह रखा था कि किसी भी बाधा के बावजूद सदन को कार्य करते रहने दें · · ·

श्री अध्यक्ष : This is not a binding on the House.

वह अन्दर की व्यवस्था है अध्यक्षों की, उसका रेफेरेंस यहां आना भी नहीं चाहिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपके प्रस्ताव का पालन होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : वह सीक्रेट है, वह लिखा भी होगा, कहां से आपके हाथ में आ गया, मुझे परेशानी है।

यस।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में दो शब्द निवेदन करना चाहूंगा। 296 रूल कहता है।

The Speaker shall preserve order and shall have powers necessary for the purpose of enforcing his decisions.

298 में अध्यक्ष महोदय, उल्लेख है।

If the Speaker is of opinion that words have been used in debate which are defamatory or indecent or unparliamentary or undignified, he may, in his discretion, order that such words be expunged from the proceedings of the House.

मेरा यह निवेदन है अध्यक्ष महोदय, कि जब कोई भी सम्माननीय सदस्य इस सदन के अन्दर शपथ ग्रहण करते हैं तो वह बहुत पुनीत अवसर है। उस समय मेरे खयाल से आपने जो भी विचार व्यक्त किये, उसका मैं समर्थन करते हुए यह निवेदन करूंगा कि उस समय कोई बाधा नहीं डालनी चाहिये। किन्तु माननीय सदस्य श्री सतीशचन्द्रजी अग्रवाल ने जो कुछ भी बाधा की, उस सम्बन्ध में आपका निर्णय था, उसका

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

पालन तो हुआ, मैं समझता हूं 296 का बहुत वाइड इन्टरप्रिटेशन लेकर आप उस समय कोई भी माननीय सदस्य, इस सदन के, अपने विचार व्यक्त करें, उन विचारों को प्रोसीडिंग्स के अन्दर से एक्सपन्ज कर दिया जाय, यह व्यवस्था 296, 298 की स्पिरिट के विरुद्ध है। 296 को इस प्रकार इन्टरप्रेट करते हैं, खींच कर इन्टरप्रेट करना चाहते हैं तो आपकी व्यवस्था तो सर्वमान्य है पर यह व्यवस्था इस सदन के सम्माननीय सदस्यों को अखरती हुई कुछ प्रतीत होती है। ऐसा मैं अनुभव करता हूं। इसलिये मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि आपका जो निर्णय था वह तो कार्यान्वित हो गया, माननीय सतीशचन्द्र जी अग्रवाल जो कुछ समस्या को लेकर बोल रहे थे वह भी हल हो गया पर प्रोसीडिंग्स को एक्सपंज करने की जो आपकी व्यवस्था थी उस पर पुनर्विचार करने के लिये मैं निवेदन करूंगा।

(कुछ माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री अमृतलाल यादव (खादी एवं ग्रामोद्योग मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 1968 (अध्यादेश सं. 1, 1968) को सदन की मेज पर रखता हूं।

सदन की मेज पर रखी गई अधिसूचनाएं एवं प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष : अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखी जांय।

श्री यादव।

परिवहन मंत्री (श्री अमृतलाल यादव) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान मोटर गाड़ी करारोपण अधिनियम, 1951...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय अधिसूचनायें रख रहे हैं इसके सम्बन्ध में मेरी आपत्ति है। यह राजस्थान मोटर गाड़ी करारोपण अधिनियम, 1951 की धारा 3 (2) के अन्तर्गत, गृह (ख-1) विभाग की अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखने के लिये अनुमति चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, यह अधिसूचना 29 मार्च, 1968 को जारी की गई थी। दूसरी अधिसूचना भी 29 मार्च, 1968 को जारी की गई थी। मैं यह पूछना चाहता हूं कि पिछला बजट सत्र हुआ था उस समय तुरन्त ये अधिसूचनायें सदन की मेज पर क्यों नहीं रखी गई थी? आप इतने दिन क्यों सोते रहे?

श्री अमृतलाल यादव : इसके बाद भी रख देने में मेरे ख्याल से कोई आपत्ति नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय आपको माफ कर दें तो दूसरी बात है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मार्च और अगस्त...

(व्यवधान)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्षीय शासन से अधिसूचनायें जारी होने के बाद सदन की मेज पर रखी जाती हैं। एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी। ऊपर से और आप रोब गांठना चाहते हैं। एक तो भूल स्वीकार की जानी चाहिये थी और ऊपर से अक्स्प्लेनेशन चाह रहे हैं।

श्री रामकिशन (वैर) : सबसे शानदार रिमार्क्स तो मेडिकल मिनिस्टर साहब के आये हैं कि मार्च और अगस्त में कोई फर्क नहीं है। इसी प्रकार ध्यान दिया गया तो बजट का दिवाला निकल जायगा।

श्री मदनसिंह दांता : ये चीजें हैं और मंत्रियों द्वारा होती हैं ?

श्री अध्यक्ष : विलम्ब इसमें है।

श्री अमृतलाल यादव : विलम्ब तो इसमें है माननीय अध्यक्ष। सचिवालय से आदेश हुए, विभागाध्यक्ष के पास ये भेजे गये। इसमें इसलिये देर हो गई, मैं सदन से क्षमा चाहता हूं।

(विराम)

श्री अध्यक्ष : क्या अधिसूचनायें मेज पर रख दी गई ?

श्री अमृतलाल यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान मोटर गाड़ी करारोपण अधिनियम, 1951 की धारा 3 (2) के अन्तर्गत, गृह (ख–1) विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखता हूं।

(1) अधिसूचना संख्या एफ 1 (1) (11) होम (बी ग्रुप–1) 65, दिनांक 29 मार्च, 1968, तथा

(2) अधिसूचना संख्या एफ. 1 (1) 18 एच. (बी ग्रुप–1) 67, दिनांक 29 मार्च, 1968।

(विराम)

श्री अध्यक्ष : यस। श्री जोशी।

राजस्थान वित्त निगम, जयपुर का प्रतिवेदन

उप मंत्री उद्योग (श्री भीमसेन) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान वित्त निगम, जयपुर का 13 वां प्रतिवेदन (31, मार्च, 1968) को सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने राजस्थान वित्त निगम का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। उसके साथ साथ मैं आपके द्वारा उनको निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में जितने कार्पोरेशन्स हैं और जितनी कम्पनियां हैं जहां जहां पर राजस्थान सरकार का इन्वेस्टमेन्ट है उन सब के प्रतिवेदन प्राप्त हो गये हैं इस वर्ष के जितने भी प्राप्त हो गये हैं –उनको यहां प्रस्तुत कर दिया जाय। पिछले समय से इस प्रकार की प्रणाली यहां पर चली आ रही है कि जब सदस्यों द्वारा उन प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने की मांग की जाती है तो बजट के समय उनको पेश किया जाता है जिसके कारण माननीय सदस्य उनका पूरी तरह से अध्ययन करने से वंचित रह जाते हैं। और इस कारण जो उनके विषय में यहां सदन में बहस में योगदान करना चाहिये वह नहीं हो पाता है। इसलिये मैं आपके द्वारा माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि जितने कार्पोरेशन्स और कम्पनियां राज्य सरकार की चल रही हैं उनके प्रतिवेदन और साथ ही साथ उनमें जो इन्वेस्टमेन्ट किया गया है जो रिपोर्ट बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स को पेश हो गयी है और जो सरकार को प्राप्त हो गयी है उन सबको इसी सैशन में रख दिया जाय तो उनके अध्ययन के बाद जब कभी मौका मिले। उन पर ठीक प्रकार से चर्चा की जा सकेगी।

उद्योग मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : पिछले सदन में भी इस प्रकार का प्रश्न आया था उस समय मैंने यह निवेदन किया था कि जहां तक इन रिपोर्ट्स को पेश करने का सवाल है, जैसे ही सरकार के पास आती हैं तो उनको पेश किया जाता है। बाज वक्त इसमें देरी होती है। इसलिये सब ही सम्बन्धित व्यक्तियों को लिख दिया गया है कि जल्दी से जल्दी रिपोर्ट्स भेजी जाय और उनको सदन में पेश करने के लिये सेक्रेटेरियेट में उनको एक अफसर देखता है और उनके लिये उसकी ड्यूटी रख दी गई है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : देर में पेश करने के क्या कारण है ? रिपोर्ट पेश करने में देरी, सवाल का जवाब देने में देरी। देरी है या अन्धेरी। जिधर देखो उधर देरी ही देरी है। आपको ओर से माननीय मंत्रियों को सचेत कर दिया जाय कि देरी में अन्धेरी करके सारे देश को गारद करने की क्यों सोच रहे हैं।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, आर्थिक मामलों से सम्बन्धित जो बातें थी उनको स्टेट एन्टरप्राइजेज कमेटी के अध्यक्ष महोदय ने हमारे सामने रखी। मैं इसको किसी प्रकार कम अहमियत न देकर यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो रिपोर्टस् बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स के पास नहीं गयीं हैं वे जल्दी जाय, जो रिपोर्टस् पब्लिश नहीं हुई है वे पब्लिश हों, समय पर सरकार के पास आयें। हानि लाभ को बेलेन्स शीट जल्दी आवे। बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स में सरकार के प्रतिनिधि हैं वे अपनी रिपोर्टस् सरकार को दें और जो आवश्यक सूचनायें हैं उनको सूचना सदन को दी जाय, उसकी पूरी व्यवस्था की गयी है।

श्री भैरों सिंह : बोर्ड आफ डाईरेक्टर्स में सरकार के जो प्रतिनिधि हैं उनके लिये कोई इस प्रकार के आदेश नहीं है कि जब बोर्ड आफ डाईरेक्टर्स के पास रिपोर्ट, पेश को जाय तो कितने दिन में सरकार के पास पेश को जाय और फिर सरकार सदन को मेज पर उसको रखे। बोर्ड आफ डारेक्टर्स के पास रिपोर्ट के जाने पर सरकार के पास भी वह पहुंचे तब सरकार उसको तुरन्त सदन को मेज पर रखे।

श्री हरिदेव जोशी : बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स के पास पेश करने का जहां तक सवाल है कम्पनी ला में स्पष्ट है। गवर्नमेन्ट को वह तुरन्त आनी चाहिये और सदन के सामने नेक्स्ट सेशन में वह आ जानी चाहिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इसी प्रसंग में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के तीन विश्वविद्यालय हैं जिनको बहुत बड़ी मात्रा में सबसिडी दी जाती है। उनकी एन्युअल एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स सरकार के सामने आती हैं वह सदन के सामने आनी चाहिये ताकि उनके बारे में सदन में बहस करने का मौका मिल सके। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अब तक राजस्थान सरकार के पास जो रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दें और अपटुडेट रिपोर्ट्स मंगवा कर सदन के सामने रख दें ताकि विश्वविद्यालय के लिये कुछ कहने का मौका मिल सके।

शिक्षा मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : अध्यक्ष महोदय, विश्वविद्यालयों की रिपोर्ट्स के बारे में माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया उस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि किन किन की

(श्री शिवचरण माथुर)
रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं उसको जानकारी करके उसको सदन में रखूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री अमृतलाल यादव !

(12.47 म.प.)

शासकीय विधायी कार्य

पुरः स्थापित किये जाने वाले विधेयक

मंत्री, खादी तथा ग्रामोद्योग (श्री अमृत लाल यादव) : अध्यक्ष महोदय, मैं खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1968 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : कारणों के विवरण को भी।

श्री अमृतलाल यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 1968 (अध्यादेश सं. 1 सन् 1968) को जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूं।

(विराम)

श्री अध्यक्ष : श्री यादव !

राजस्थान मोटर गाड़ी करारोपण अधिनियम

श्री यातायात मंत्री (श्री अमृत लाल यादव) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान मोटर गाड़ी करारोपण (संशोधन) विधेयक, 1968 को पुरःस्थापित करता हूं।

(विराम)

श्री अध्यक्ष : श्री यादव।

राजस्थान होमियोपैथिक चिकित्सा विधेयक

श्री अमृतलाल यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान होमियोपैथिक चिकित्सा विधेयक, 1968 को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष : श्री दामोदर लाल व्यास !

राजस्थान चलचित्र (नियमन) संशोधन विधेयक

राज्य मंत्री, गृह (श्री हीरालाल देवपुरा) अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान चल चित्र (नियमन) संशोधन विधेयक, 1968 को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष : श्री दामोदर लाल व्यास !

राजस्थान पुलिस विधेयक

राज्य मंत्री गृह (श्री हीरालाल देवपुरा): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पुलिस (अप्रीति उद्दीपन) विधेयक, 1968 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिदेव जोशी।

राजस्थान उद्योगों के लिये राजकीय सहायता

(विराम)

आज्ञा के लिये भी प्रस्ताव कर दें।

श्री अध्यक्ष : राजस्थान पुलिस (अप्रीति उद्दीपन) विधेयक, 1968 को पुरःस्थापित करेंगे।

गृह मन्त्री !

राज्य मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पुलिस (अप्रीति उद्दीपन) विधेयक, 1968 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : आज्ञा के लिये।

श्री हीरालाल देवपुरा : वह पहले पढ़ लिया था।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा दी जाय ?

(स्वीकृत) आज्ञा प्रदान की गई।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पुलिस (अप्रीति उद्दीपन) विधेयक, 1968 को पुरःस्थापित करता हूं।

(विराम)

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल देवपुरा !

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय मैं राजस्थान चलचित्र (नियमन) संशोधन विधेयक, 1968 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत) आज्ञा प्रदान की गई।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन तथा उस पर विचार।

कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन

गृह मंत्री (श्री दामोदर लाल व्यास) : मैं कार्य-सलाहकार समिति के 12वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

(विराम)

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 12वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कार्य सलाहकार समिति के 12 वें प्रतिवेदन को लिया जाय ?

(विराम)

(स्वीकृत) सहमति प्रकट की गई।

विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1968। उपरोक्त विधेयक से सम्बन्धित अध्यादेश को अस्वीकार करने का संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

श्री रामकिशन !

श्री रामकिशन : कारणों का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : कारणों का विवरण प्रस्तुत करेंगे।

(कारणों का प्रस्ताव रखा गया)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : इस अध्यादेश को अस्वीकार करने के सम्बन्ध में मेरा भी प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन, श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, श्री दुर्गालाल बाढ़दार, श्री मनोहर सिंह मेहता, श्री केदारनाथ, श्री दौलतराम सारण ये मान लिये जायं।

(उपरोक्त सदस्यों द्वारा निम्नांकित परिनियत संकल्प प्रस्तुत किया गया)।

परिनियत संकल्प

निम्नांकित परिनियत संकल्प प्रस्तुत किया गया:-

द्वारा

श्री रामकिशन

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल

श्री दुर्गालाल बाढ़दार

श्री मनोहर सिंह मेहता

श्री दौलतराम सारण

यह सदन श्रीमान् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 22 जून, 1968 को प्रख्यापित राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 1968 (अध्यादेश सं. 1 सन् 1968) को अस्वीकार करता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : संशोधन प्रस्तावों पर बहस का टाइम बाद में लेंगे?

श्री अध्यक्ष : वह तो बाद में आयेगा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, जो संकल्प रखा है आपने और जो संकल्प के साथ प्रस्ताव रखा है, इन दोनों को साथ ले लिया जाय तो अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष : इसके बाद।

श्री मूलचन्द डागा : दोनों साथ ले लें तो अच्छा हो।

श्री रामकिशन : इसलिये तो वकालत नहीं चली पाली में।

अध्यक्ष महोदय, इस बिल पर मेरा प्रस्ताव इस प्रकार है:—

'यह सदन श्रीमान् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 22 जून, 1968 को प्रख्यापित, राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश 1968 (अध्यादेश सं. 1 सन् 1968) को अस्वीकार करता है'

अध्यक्ष महोदय, इस सदन में एक बार नहीं अनेक बार इस बात की चर्चा हुई है कि राजस्थान सरकार और सरकारें जो भी हैं उनको अविवेक पूर्ण ढंग से आर्डिनेन्स के अधिकार दिये हैं। वे उनका दुरुपयोग करते हैं। मैं सारे तर्कों को इसलिए दोहराना नहीं चाहता कि सदन में अनेक बार चर्चा हो चुकी है कि सरकार को किन परिस्थितियों में आर्डिनेन्स निकालना चाहिए। आज हमारे संविधान में जो सरकारों को अधिकार है उनमें स्पष्ट लिखा है कि विधान सभा सत्र में नहीं हो और कोई एमरजेन्सी क्रियेट हो गई हो ऐसी संकटकालीन स्थिति में जिसमें कानून बनाना आवश्यक हो उस स्थिति में इसको काम में लिया जाय। जिन लोगों ने संविधान बनाया है, जो संविधान निर्मात्री समिति के सदस्य रहे हैं उनके दिमाग में स्पष्ट था कि जो अधिकार सरकार को दिये हैं वे विशेष परिस्थितियों में देश में चाहे राज्य में कोई संकट पैदा हो गया हो, उस हालत में आर्डिनेन्स जारी करें लेकिन अध्यक्ष महोदय, मुझे ताज्जुब होता है और किसी मामले में सही या न सही लेकिन मंत्री महोदय को यह जानकारी थी कि अगस्त में विधान सभा का अधिवेशन होने वाला है। विधान सभा में पिछले अधिवेशन में यह बात स्पष्ट थी कि अगस्त में विधान सभा का अधिवेशन होने वाला है तब कौनसी एमरजेन्सी आ गई कि

(श्री रामकिशन)

22 तारीख को यह अध्यादेश निकाल दिया। मैं सरकार को चुनौती देता हूं और यह जानकारी चाहूंगा कि सरकार इस अध्यादेश से क्या उपयोग करना चाहती है? 15–20 दिन का फरक पड़ा है, इससे सरकार को क्या हानि हो जाती और अब इस अध्यादेश द्वारा सरकार ने क्या प्राप्त कर लिया है। माननीय मंत्री महोदय से जानकारी चाहूंगा कि इस बोर्ड में जो परिवर्तन किए गए हैं उनसे इन 20 दिनों में बोर्ड को क्या लाभ हो गया है, माननीय मंत्री महोदय, इस सम्बन्ध में स्पष्ट जवाब देंगे।

अध्यक्ष महोदय, इस सरकार की आदत बन गई है कि हर मामले को अध्यादेश द्वारा रखा जाय। इससे लोगों के अन्दर गलत धारणा हो नहीं पैदा होती बल्कि राजस्थान की सरकार जनता की नजरों में गिरती है। लेकिन मैं इसको दूसरे रूप में ज्यादा चिन्तन करता हूं। मौजूदा सरकार जिस प्रकार अध्यादेश का प्रयोग करती आ रही है न करें कभी नासमझ सरकार आ जाय और अगर आ गई तो वह और भी ज्यादा पैमाने पर इसका दुरुपयोग करें तो इस मुल्क को क्या स्थिति होगी इस सम्भावना को नजर में रखते हुए मंत्री महोदय से चाहूंगा कि इसका स्पष्टीकरण करें। अध्यक्ष महोदय, मुझे ताज्जुब होता है, इस अध्यादेश में क्या है। केवल तीन संशोधन किए हैं। एक तो अब तक राजस्थान खादी बोर्ड के जो मंत्री होते थे, जिनके पास यह विभाग होता था वही उसके अध्यक्ष होते थे, दूसरे जो सदस्य होते थे गैर सरकारी वे अब 10 होंगे और तीसरे इसमें वेतन भत्ता आदि की व्यवस्था की गई है। ऐसा कौनसा मामला अर्जेन्ट था? अर्जेन्ट किस दृष्टि से था? सदस्यों को मनोनीत करने की दृष्टि से था या सरकार की कोई दूसरी दृष्टि थी? तभी मैं समझता हूं इनको अध्यक्ष बनाया गया है। कौनसी विशेष उपलब्धि होगी? इस व्यवस्था को करने से सरकार को कौनसा लाभ इन दिनों में हो चुका है? अध्यक्ष महोदय, खादी मंत्री महोदय श्री अमृतलाल जी ने ऐसा किया हो, यह भी नहीं है। मैं समझता हूं ये तो निमित मात्र हैं। असल में शक्ति और है। इसके अध्यक्ष बनाये गये हैं श्री माणिक्यलाल जी वर्मा। हम 47 से पहले के कार्यकलापों के उनके प्रशंसक रहे हैं। आजादी के वे सिपाही रहे हैं। हम जैसे लोगों के वे प्रेरक रहे हैं। हम उनका पूरा आदर और सम्मान करते हैं लेकिन मैं यह जानना चाहूंगा कि वर्माजी को अध्यक्ष बनाकर क्या खादी बोर्ड विशेष उपलब्धियां प्राप्त करना चाहता है? जो वे 10–15 साल से फुर्सत में बैठे हुए थे, 15 साल से उनकी प्रखरता और गुणों का उपयोग क्यों नहीं किया गया? अध्यक्ष महोदय, आप जानकारी रखते हैं, उदयपुर की राजनीति से। यह उदयपुर की राजनीति रही है। सारा राजस्थान जानता है वर्माजी के त्याग और तपस्या को। वे उग्र भी रहे हैं। एक दो साल पहले वे सरकार के कार्य कलापों का विरोध करते रहे हैं। सुखाड़िया जी इस बात में थे कि उनकी राजनीति को समाप्त किया जाय। राजनीति में दो तरीके हैं एक तो लोगों पर प्रहार और मीठी मार। राजस्थान के मुख्य मंत्री चेक, बल्गारिया, रुमानिया और हंगरी की तरह तो रहे नहीं लेकिन एक प्रणाली के वे बड़े माहिर रहे हैं। राजस्थान के मुख्य मन्त्री मुस्कराते मुस्कराते मारने में बहुत प्रवीण हैं, हो

(श्री रामकिशन)

चुके हैं। अब इसकी आलोचना ज्यादा होगी यह वे जानते हैं।

(1 म. प.)

श्री माणिक्यलाल वर्मा जैसे व्यक्ति को इसका चेयरमेन बना दिया जाय ताकि उनकी सदन में आलोचना हो। बीस साल पहले जिस प्रकार की वर्मा जी की हैसियत थी उनकी प्रतिभा का ही उपयोग करना था तो बीस साल पहले भी कर सकते थे। लेकिन आज की स्थिति में उन्होंने सुखाड़िया जी की गुलामी स्वीकार की और यह साफ बात है कि वर्मा साहब को सदन की निगाहों से और जनता से गिराने के लिए सुखाड़ियाजी ने यह चाल चली है। जब देखा वर्मा जी मेरे कार्यों की आलोचना कर रहे हैं तो इसको किस तरह से बन्द किया जाय उनके सामने और कोई तरीका नहीं था उन्होंने सोचा कि यही तरीका ऐसा उपयुक्त है जिससे वर्मा साहब का व्यक्तित्व भी गिरेगा और जो लोकजीवन मे उनकी हैसियत बनी है उस पर भी आंच आयेगी और सदन में भी उनकी आलोचना होगी और वे हमेशा उनके पैरों के नीचे दबे रहें। श्री अमृतलाल यादव को तो केवल हथियार बनाया गया है असल में यह शक्ति श्री सुखाड़िया की है जो वर्मा साहब को बदनाम करने पर उतारू हैं। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि ऐसी कौनसी अध्यादेश की आवश्यकता पड़ गई जो सदन के चालू होने से पन्द्रह, बीस रोज पूर्व इसको जारी किया गया, और जारी कर दिया तो इस अर्से में उन्होंने क्या उपलब्धियां हासिल कर ली।

हम समाजवादी लोग खादी के बारे में एक अलग दृष्टिकोण रखते हैं। हम खादी के विरोधी नहीं लेकिन जो आजकल कांग्रेसियों ने खादी को अपना आभूषण बना लिया है। मैं मानता हूं कि कोई पहनावा किसी राजनीति का पोषक नहीं है पहनावा किसी पार्टी का निशान भी नहीं होना चाहिए। लेकिन हम हिन्दुस्तान में समाजवादी लोग खादी को एक दार्शनिक ढंग से और दूसरे ही ढंग से देखते हैं और उसमें विश्वास करते हैं। हमारे देश में आबादी अधिक है जमीन की कमी है। पूंजी निर्माण की शक्ति कम है हम चाहते हैं कि ऐसे उद्योग हमारे यहां हों जिसमें कम तो पूंजी लगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ पहुँचे। उसी रूप में हम खादी को देखते हैं और इसी रूप में हम खादी के समर्थक हैं। हम चाहते हैं कि देश में खादी एवं ग्रामोद्योग पनपें क्योंकि हमारे देश का विकास यूरोप के ढंग से या रूस के ढंग से हो नहीं सकता वहां जमीन ज्यादा है, आबादी कम है। उनके पास पूंजी निर्माण की ताकत है जो हमारे यहाँ से सत्तर गुना ज्यादा है। इसलिए हमारे मुल्क के लिए यह जरूरी है कि हमारे यहां ग्रामोद्योग की बढ़ोत्तरी हो और इसके विकास के लिए जो जो हम प्रबन्ध करें वह किये जाने चाहिए।

मेरी समझ में नहीं आया आज तक इस पर मंत्री जी काम करते रहे अब इस पर वर्मा जी काम करेंगे तो क्या ज्यादा सफलता मिल जायेगी। खादी बोर्ड की हालत भी बड़ी विलक्षण है। यहां पर अनेक बार खादी बोर्ड के बारे में चर्चा हो चुकी है, इस पर बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगाये हैं। यहां तक भी कहा गया कि इस खादी बोर्ड में करीब एक करोड़ के आस पास घोटाला है। इस बात पर उत्तेजित होकर मुख्य मंत्रीजी ने कहा था अगर खादी बोर्ड के घोटाले की बात करते हैं तो मैं इस बारे में कमेटी बिठाने के लिए तैयार हूं

(श्री रामकिशन)

जो इसकी जांच करे । इस बात को चार पांच साल हो गये लेकिन मुझे मालूम नहीं कि कमेटी बैठी या नहीं, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उस कमेटी ने कोई रिपोर्ट दी है या सदन में वायदा करके मुख्य मंत्रीजी मुकर गये । यदि मुकर गये हैं तो यह प्रिविलेज मोशन के रूप में आ सकता है । आज सरकार के अन्दर यह दम नहीं कि वह किसी चीज को सही रूप में स्वीकार कर सके । आज कोई ठोस निर्णय भी सरकार नहीं ले सकती चाहे व खादी का मामला हो चाहे शराबबन्दी का मामला हो या प्लानिंग का मामला हो । आज यह हिम्मत होती तो मुख्य मंत्री कमेटी को बिठाते और उसकी रिपोर्ट सदन के सामने रखते । अगर उसमें गड़बड़ नहीं है तो उसकी रिपोर्ट को सदन के सामने रखने में उनको किसी प्रकार की बाधा नहीं होनी चाहिए । जहां तक मुझे जानकारी है इस प्रकार की कोई कमेटी नहीं बनी । और यहां तक भी मुझे याद पड़ता है मुख्य मंत्री ने उस समय यह भी कहा था इस कमेटी में भैरोंसिंहजी को भी सदस्य रखा जायगा । उनको सदस्य रखा या नहीं लेकिन यह सही है कि उस कमेटी की रिपोर्ट नहीं आयी ।

जो लोग खादी में लगे हुये हैं या ग्रामोद्योग में लगे हुए हैं और जो समाजवादी प्रवृत्तियां चल रही हैं उनको भ्रष्ट करने के लिए इसका गठन किया गया है । आज हम देखते हैं मंत्रियों की कितनी ही आलोचना की जाय उनका असर नहीं होता वे एक प्रकार से वाटर प्रूफ हो गए उन पर लगाये गये आरोपों का असर नहीं होता, उनकी बुराइयों का असर नहीं होता आज उनका मानस इतना कमजोर हो गया है कि वे किसी सही बात को भी स्वीकार नहीं करते ।

अध्यक्ष महोदय, इस बोर्ड का सभापति श्री वर्मा जी को बनाया गया । इसके लिए इसमें व्यवस्था की गई लेकिन मेरा आपसे यह निवेदन है कि भारत सरकार ने अभी एक कमिशन का गठन किया था अशोक मेहता के सभापतित्व में । उन्होंने हिन्दुस्तान के सारे खादी बोर्डों और ग्रामोद्योगों की व्यवस्था को देखा और उन्होंने सुझाव दिया है कि इस प्रकार के बोर्ड्स को किस प्रकार से संचालित किया जाय । इस कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है और वह मंत्री महोदय के पास भी है । यदि माननीय मंत्री महोदय उसको पढ़ते तो उनको शायद यह अनुभव होता कि वे उन सुझावों को देख कर एक नये विधेयक के रूप में इसको लाते । उस अशोक मेहता कमीशन ने यह सिफारिश की है कि हमारे जो इस प्रकार के ओरगेनाइजेशन हैं उनमें प्रशासनिक खर्चा बढ़ता जा रहा है, खादी एक अनार्थिक उद्योग बनता जा रहा है अतः इसको आर्थिक उद्योग बनाये इस ओर ध्यान देना चाहिए ।

एक तरफ तो अशोक मेहता की रिपोर्ट है उसमें यह दिया हुआ है कि प्रशासनिक व्यय को कम किया जाय उसको कम करके खादी को क्वालिटी को बढ़ाने के उपाय करने चाहिए । इसके लिए बाजार का निर्माण करना चाहिये और इसके प्रशासनिक व्यय को घटाना चाहिए । इस रिपोर्ट को भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया है । इस खादी बोर्ड का प्रशासनिक व्यय करीब 6 लाख के आसपास है जो राज्य सरकार वहन करती है । इस बोर्ड को बीस पच्चीस लाख रुपया सालाना लोन का देना पड़ता है वह भारत सरकार देती है

(श्री रामकिशन)

और इसका प्रशासनिक व्यय राज्य सरकार उठाती है।

आज देखना यह है कि खादी बोर्ड के पास काम कितना है साल भर में इस बोर्ड को पच्चीस तीस लाख का लोन वितरण करना पड़ता है, कर्जा देना पड़ता है। पच्चीस तीस लाख का कर्जा देने के लिए 6 लाख का प्रशासनिक व्यय जो पच्चीस प्रतिशत पड़ता है। इन सारी बातों पर अशोक मेहता कमेटी ने विचार किया और उन्होंने सिफारिश की है कि इस प्रकार के व्यय को घटाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, जहां कमेटी की जो सिफारिश है उसके अनुसार इसके प्रशासनिक व्यय को घटाना चाहिए वहां वर्मा जी को इसका अध्यक्ष बनाकर इसके व्यय को बढ़ाया गया है। मैं वर्मा जी से पूछना चाहता हूं कि उनको बुढ़ापे में सुखाड़ियाजी की यह गुलामी करना कैसे भा गया, क्या बुढ़ापे में उनका विवेक भी खो गया? वैसे उनका सम्पन्न परिवार, वे कोई अशक्त आदमी भी नहीं जो सुखाड़ियाजी उनकी मदद करते। उनको अध्यक्ष पद पर नियुक्त करने से बोर्ड का 75 हजार का खर्चा बढ़ गया। वर्मा जी ने अपने वेतन में कुछ कटौती भी कर दी फिर भी 63.64 हजार का तो खर्चा बढा ही है। उसके लिए अशोक मेहता कमेटी की बात कहां मानी। आप तो सुखाड़िया मेहता जो कहते हैं वह करते हैं। आप भी तो उनकी कृपा से मंत्रिमंडल में आये आपको जगजीवनरामजी के कहने से ही सुखाड़ियाजी ने नौकरी दी है आप में यह हिम्मत कैसे हो सकती है? आपमें कहा इतना साहस। आपमें साहस का इतना अभाव कैसे हो गया, मैं समझ नहीं पाया। आज सब जगहों के लिए अशोक मेहता कमेटी ने यह रिपोर्ट दी है कि प्रशासनिक व्यय को कम किया जाय लेकिन राजस्थान सरकार ने वर्मा साहब पर कृपा करके उनको नौकरी में लगा दिया। यह केवल इसलिए कि वर्मा साहब जनता के बीच आलोचना के शिकार हों, उनका व्यक्तित्व जो बढ़ा है वह गिर जाय, उनकी बदनामी हो जाय। आज हम देख रहे हैं कि उनमें कोई विलक्षणता नहीं जो इस पद पर आकर इसको सुधार कर सके। आज हम देखते हैं कि सुखाड़िया साहब के जो कृपा पात्र हैं जिन्होंने उनके शासन को बनाये रखने में योग दिया है ऐसे व्यक्तियों को वे चुन चुनकर बिठा रहे हैं। मेहता साहब जिनका बुढ़ापा है, जिनका शरीर कांप रहा है उनको भी एक निगम का अध्यक्ष बना दिया गया।

यह सुखाड़िया जी शायद यह समझते हैं कि इस प्रकार वर्माजी को अध्यक्ष बनाकर अपना समर्थन मजबूत कर लेंगे। पर उनको इतिहास के कुछ प्रमाण देना चाहता हूं। के. बी. सहाय को ही वे देख लें। उन्होंने भी 32 बोर्ड बना दिये थे। पहले तो मंत्री बनाये उन्होंने 55। पर जो बाकी रह गये उनमें से 32 को बना दिया अध्यक्ष इन बोर्डों का और सबको दे दिया मन्त्री का दर्जा। वह समझ रहे थे कि इतना सब करने के बाद उनकी कुर्सी सुरक्षित रहेगी। पर परिणाम यह निकला कि दो जगह से चुनाव लड़ा उन्होंने और जमानत तक जब्त हो गई। आप कांग्रेस के कुछ लोगों को, भूतपूर्व मुख्य सचिव को आप खुश करना चाहते हैं। और इसमें जनता की गाढ़ी खून

(श्री रामकिशन)

पसीने की कमाई को निर्दयता मे बरबाद करना चाहते है। यह बात भी जन जीवन मे फैलती है, सुखाड़िया साहब को मालूम होना चाहिए । वे अपनी राजनैतिक हैसियत मजबूत करने के लिए इस तरह के कदम उठाना चाहते है। यह ठीक नही हैं। के. बी. सहाय का क्या हस्र हुआ है दूसरों का क्या हस्र हुआ है यह उनके सामने हैं।

कुछ खरीद फरोख्त से उन्होंने अपनी सत्ता जमाई है तो वे ऐसा क्यों समझते हैं कि खरीद फरोख्त वे ही कर सकते हैं, कुछ ऐसे लोग भी आ सकते है कि जो उनके वर्षों के कार्य कलाप को खरीद फरोख्त से या इन बोर्डों के माध्यम से या वर्मा साहब को इस तरह खुश कर देने से इससे सरकार नहीं चल सकती। मैं पूछना चाहता हूं अशोक मेहता ने इस खादी बोर्ड के बारे में दूसरी ही रिपोर्ट दी है। उन्होने साफ डाइरेक्टिव दिए हैं कि जो बोर्ड का अध्यक्ष हो, वह इन्डस्ट्रीज मिनिस्टर होना चाहिए। पर इसके विपरीत मिनिस्टर को तो हटाया जा रहा है यहां।

बोर्ड के गठन के सम्बन्ध में भी सुझाव दिये गये हैं। मिनिस्टर भी अध्यक्ष रहे हैं। मैं भी मेम्बर रहा हूं। पर मैं इसकी दूसरी दृष्टि से आलोचना करना चाहता हू।

आज जो रकम बोर्ड से ली जाती है उसे वापिस देने का नाम नहीं। जब वसूली की कार्यवाही होती है तो राजनीति बीच में आ जाती है। इस लोन देने करने का मतलब होता है संस्थाएं फले फूले बढ़े। पर आपने ऐसों को कर्जा दे रखा है जो वापिस देना नहीं चाहते। आज राजस्थान खादी बोर्ड ने सन् 55 से तीन करोड़ 80 लाख का कर्जा विभिन्न संस्थाओं को दे रखा है। उसमें से केवल 1 करोड़ 41 लाख के आसपास वसूल हुआ है। कुछ ऐसी हैं संस्थायें जो चल रही हैं। बाकी 40 लाख की रकम ऐसी है जो समाप्त हो चुकी है। संस्थायें लेकर। ये संस्थायें, सोसायटियां डिफंक्ट हो चुकी हैं। उन संस्थाओं के सुधार के लिए संशोधन के लिए अगर आप यह आर्डिनेन्स लाये होते तो हमारी समझ में बात आ सकती थी। अशोक मेहता ने सुझाव दिया कि बोर्ड और खादी कमीशन में सुधार होना चाहिए। उनके अध्यक्ष उन्हीं को रखा जावेगा जो या तो वित्त के मामलों में विशेषज्ञ होंगे या दूसरी तरह के विशेषज्ञ होंगे, जो यह जानते हों कि असीम शक्ति बिखरी पड़ी है, ग्रामोद्योग की, असीम हाथ पड़े हैं बेकार उनको किस तरह से यूटीलाइज किया जावे।

अब आपने जिनको खादी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है वे क्या अर्थ के विशेषज्ञ हैं या किसी अन्य के विशेषज्ञ हैं? यह हमें आप समझा दें।

आज इस अध्यादेश के मार्फत जो जो हालत होती जा रही हैं उनसे चिंता हो रही है। सरकार गलती सुधारने के बजाय इसके निरन्तर गड्ढे में गिरने की कोशिश कर रही है।

हम ऐसे लोगों को तो खुशी होगी कि यह सरकार गड्ढे में गिर जावे। पर इसके गड्ढे में गिरने से पहले छींटे कहीं हमारे कपड़ों पर न पड़ जावे इस दृष्टि से अपने कपड़ों पर

(श्री रामकिशन)
छोटे बनाने के लिए हम यह करना चाहते है, आलोचना।

अशोक मेहता कमेटी ने सिफारिश की है कि खादी बोर्ड को तोड़ दिया जावे। इसके स्थान पर विलेज इन्डस्ट्री डेवलपमेन्ट बोर्ड बना दिया जावे और सारी ग्रामीण अर्थ व्यवस्था इसके द्वारा संरक्षण किया जावे और इसके अनुसार योजनायें बनाई जावें। योजना बनाकर उस कमीशन को दिया जावे और फिर सरकार से एप्रूव करावें।

उनके इन्टरनल आडिट के बारे में सुझाव दिया है कि बोर्ड इसके लिए अपने नियम बनावे। यह बोर्ड सन् 55 से बना हुआ है पर आप ताज्जुब करेंगे कि काफी लोग इसमें लगे हैं। उनके प्रोमोशन वगैरह के कई प्रश्न हैं पर वे नियम आजतक नहीं बने हैं। इसलिए कोई मन्त्री आता है वह अपने किसी व्यक्ति की नियुक्ति करता है, कोई करोली का ले आता है तो कोई भरतपुर से या उदयपुर से आता है तो वहां से ले आता है। नतीजा यह होता है कि जिस संस्था को प्रदेश के लाखों निर्धन बेसहारा लोगों को आजीविका का साधन बनाना चाहिए वहां वह सौ पचास परिवारों के भरण पोषण का साधन बन कर रह गई है।

अगर आप कोई आर्डिनेन्स के जरिये इस स्थिति को बदलने की कोशिश करते या कोई रिसर्च इन्स्टीट्यूट इसमें कायम करते पुरानी टैकनिक कताई बुनाई को जो है उसको इम्प्रूव करने के लिये कोई लेबोरेटरी कायम करते और इसके बाद खादी को जिसे आप कहते हैं कि इसके तार में ईश्वर का वास है, ऐसे लोगों में से तो मैं खैर नहीं हूं, पर इतना जरूर मैं मानता हूं, मेरा सम्बन्ध दूसरी बातों से है कि खादी राजस्थान और हिन्दुस्तान के लाखों करोड़ों गरीब असहाय लोगों की जीविका का प्रमुख साधन हो सकती है। तो इसको नई टैक्निक के अनुसार नई पावर, नई शक्ति प्रणाली लगाकर नहीं चलेंगे तबतक यह उन लाखों करोड़ों का सहारा बन सकती है यह मैं नहीं मान सकता। हां कुछ लोगों का कुछ परिवार वालों का भरण पोषण का सहारा जरूर बन कर रह जावेगी। इसके लिये अशोक मेहता कमेटी ने विस्तार से इसका विवेचन किया है। आप उसके सारी रिकमण्डेशनों को मानें या न मानें मैं इस सम्बन्ध में विस्तार में नहीं जाना चाहता। पर जो खराबियां गड़बड़ियां है उनको दूर करने के लिये अगर यह विधेयक लाया जाता तो कुछ समझ में आ सकती थी आपकी बात।

पर आप यह लाये हैं किसलिये। इसके आठ सदस्य गैर सरकारी होंगे, और अध्यक्ष भी गैर सरकारी होगा। जो मन्जूर होगा, भत्ता जरूर दे दिया जावेगा। इसके लिये ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि आप को अध्यादेश लाना पड़ा यह समझ में नहीं आता। इससे अध्यादेश का महत्व भी कम होगा।

सुखाड़ियाजी के इन कारनामों को देखकर मुझे न तो उन पर दया आती है, न शर्म आती है न हंसी ही आती हैं। यह तो मृत प्रायः लोगों का संगठन है। न उनके कोई मन है, न हृदय रह गया हैं, न दिमाग। ये तो केवल पत्थर की मूर्ति बने बैठे हैं मन्त्रीगण। यह तो माननीय मन्त्रीजी ने यादव साहब ने केवल दस्तखत भर कर दिये हैं

(श्री रामकिशन)

और उस पर राज्यपाल महोदय का भी समाधान हो गया है कि यह मामला अर्जेन्ट है। उन्होंने भी इसे नहीं देखा और इसीलिये तो हम चाहते हैं कि राज्यपाल पद को ही समाप्त कर दिया जावे। इस पर राज्यपाल महोदय का समाधान ऐसे हो गया। क्या यह कोई इमर्जेन्सी का मामला है अर्जेन्ट है और इसलिये अध्यादेश को जरूरत है ? इन रिकार्डों से तो कुछ समझ में नहीं आता। इसलिये माननीय अमृतलालजी जो एक कुलीन वर्ग के लोग हैं। आपको इन कुलीन लोगों की वजह से तो··

श्री अध्यक्ष : मैं आपको भी कुलीन वर्ग का मानता हूं इसलिये आपन हीं हैं।

श्री दुर्गालाल बादशार : आप उनको कुलोन नहीं समझते हैं क्या ?

श्री रामकिशन : आपकी हैसियत कुलोन वाली है।

श्री अध्यक्ष : मैं तो आपको भी कुलीन वर्ग का समझता हूं।

श्री रामकिशन : मैं नहीं हूं। मैं तो बिलकुल नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष : मैं तो यूयं यूयं वयं वयं।

श्री रामकिशन : जिन कारणों से यह अध्यादेश लाया गया है उनमें कोई वजन नहीं है इस को मंत्री जी स्वीकार करेंगे और इसलिये अस्वीकार कर देंगे। जो मंत्री जी हैं उनका विवेक जायेगा और वे इसको वापिस ले लेंगे। और अगर आप भी सुखाड़िया साहब के सहयोगी बन गये हैं वर्मा साहब को बदनाम करने के इस षड़यन्त्र में तो वर्मा साहब का बीस साल का चिट्ठा खुल जावेगा। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूंगा। पर मेरे पोछे वाले यह कार्यवाही करने वाले हैं। वर्मा साहब को हैसियत मत गिराओ। उन्होंने देश को आजादी के आन्दोलन में काफी काम किया है। इतिहास में उनकी कीमत रहने दो कुछ काम उन्होंने किया है तो। वर्मा साहब को जरूरत नहीं है पैसे की धन की। वे कहते हैं मुझे तो केवल 500) की जरूरत है। इसकी भी जरूरत इनको नहीं होनी चाहिये क्योंकि उनका परिवार सब जगह काम पर लगा हुआ है। पर वे सुखाड़िया के खिलाफ विरोध में आवाज न उठा सकें, इन दिनों वे उन पर चोट पर चोट कर रहे थे तो उनका मुंह बन्द करने के लिये यह सुखाड़िया जी ने कार्यवाही की है। इससे मुझे लगता है कि वर्मा साहब का विवेक जगेगा और सम्भव है इस सदन की बहस को सुनने के बाद वे स्वयं यह पद छोड़ जावें। इन लोगों की तो जो पिछले बीस साल से गालियां खाने की आदत पड़ गई है। कुछ विरोधियों को तो जो हार गये उनको तो ठिकाने लगा दिया। कुछ रह गये हैं। आप कृपा करके उनकी तो बेइज्जती न करें। यादव साहब इनको तो आप बख्शें जिनके चरणों में बैठकर आपने राजनीति की शिक्षा ली है।

इन सारी बातों को लेकर अगर आप खादी बोर्ड की अनियमितताओं और दूसरी गड़बड़ियों के बारे में चर्चा करना चाहते हैं और उनको दूर करना चाहते हैं तब तो यह ठोक होगा। वर्मा साहब का मुंह बन्द करने के लिये यह सब कुछ करना चाहते हों तो यह ठीक नहीं होगा। वर्मा साहब के बारे में चर्चा हुई। इन्हों सुखाड़िया साहब ने कहा कि कमेटी बिठावेंगे। सोमेंट के बारे में और दूसरी गड़बड़ियों के बारे में जब चर्चा आई थी तब। मैं उन गड़बड़ियों के बारे में कोई चर्चा नहीं करना चाहता। सुखाड़िया जी ने उसको भी दबा

(श्री रामकिशन)

दिया। कलेक्टर कोटा ने क्या रिपोर्ट दी, नहीं बताया। पर सुखाड़िया साहब चतुर हैं। वे इन हत्यारों को अपने पास रखते हैं और इनका भय बताकर लोगों से गलत काम करवा लेते हैं और उनको अपनी जेब में रख लेते हैं। अपने गलत कारनामों के बारे में कोई उन पर शेर होता है तो कहते हैं पहले अपना चेहरा तो देख लो। तो उनके प्रयत्न आज लोगों को चरित्रहीन बनाने और हैसियत गिराने के लिये हो रहे हैं। यही सुखाड़िया जी अब कुम्भाराम जी इनके साथ थे तो कह रहे थे गुड़ का कोई घोटाला नहीं है और यही आजकल पब्लिक प्लेटफार्म से कहते हैं कि कुम्भाराम जी गुड़ खा गये। दो जीभ वाला इन्सान बड़ा खतरनाक होता है। वह इन्सान नहीं होता, पशु होता है। तो मैं उनसे भी कहता हूं वे अपनी हैसियत बनावें, साख बनावें, जो कहूं दिया एक बार तो उस पर लोग ट्रस्ट करें।

इन कारणों से मैं इस अध्यादेश का विरोध करता हूं और सदन से निवेदन करता हूं कि वह इसे अस्वीकार कर दे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान खादी तथा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड 'संशोधन' अध्यादेश जो राज्यपाल महोदय द्वारा 22 जून, 1968 को प्रख्यापित किया गया उसको अस्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में मैंने भी एक प्रस्ताव रखा है। अभी मेरे से पूर्व बोलने वाले माननीय सदस्य जो बैर से आये हैं श्री रामकिशन जी उन्होंने इस अध्यादेश के सम्बन्ध में और इस विधेयक के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करते हुए खादी की मीमांसा, आजादी के आन्दोलन का कुछ इतिहास, माणिक्यलाल जी वर्मा द्वारा की गई देश की सेवायें और सुखाड़िया जी द्वारा वर्मा जी को बदनाम करने की यह साजिश, अमृतलाल जी यादव को भोलेपन में फंसाने की कुचेष्टा और उनको अच्छी नसीहत, इन सब पहलुओं पर बहुत सी बातें न कहते हुए भी जो उन्होंने कहा है मैं समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, इस अध्यादेश का विरोध उन्होंने अनेक कारणों के आधार पर किया है।

अध्यक्ष महोदय, आपको अच्छी तरह से याद होगा और यह सदन भली भांति जानता है कि संविधान की धारा 213 के अन्तर्गत जिस समय विधान सभा का अधिवेशन नहीं हो और किसी प्रकार के कानून बनाने की अत्यन्त आवश्यकता हो तो हमारे राज्य में राज्यपाल महोदय को यह असाधारण शक्ति दी गई है संविधान की धारा 213 के अन्तर्गत कि वह इस प्रकार का कानून एक अध्यादेश के माध्यम से बना सकते हैं। यह, अध्यक्ष महोदय, कोई एक्जीक्यूटिव डाइरेक्शन्स नहीं हैं, यह प्रशासनिक आदेश या नियम नहीं हैं परन्तु 26 जनवरी, 1950 को भारत का जब संविधान स्वीकार किया गया उसके अन्तर्गत संविधान की धारा 213 के अन्तर्गत इस प्रकार की असाधारण शक्ति राज्यपाल महोदय को दी गई कि असाधारण परिस्थितियों में इस अधिकार का वह उपयोग करें। जनतंत्रीय शासन-प्रणाली में कानून बनाने का अधिकार राज्य की विधान सभाओं को और देश की लोकसभा को दिया गया है लेकिन अगर विधान सभा और लोकसभा का अधिवेशन नहीं हो रहा हो और देश में कोई असुरक्षा की स्थिति पैदा हो जाय, देश में अराजकता की स्थिति पैदा हो

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

जाय, देश के लिए कानून बनाने की आवश्यकता पैदा हो जाय और विधान सभा और लोकसभा का अधिवेशन नहीं हो तो संविधान के निर्माण-कर्त्ताओं ने यह व्यवस्था की कि ऐसी परिस्थितियों में राज्यपाल महोदय और राष्ट्रपति महोदय को ऐसे अधिकार दिये जाने चाहिए कि देश की सुरक्षा की आवश्यकताओं की दृष्टि से, देश में कानून और व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से किसी प्रकार का कानून बनाने की असाधारण शक्ति उनको होनी चाहिए। इसलिए भारत का संविधान बनाने वालों ने संविधान में 213 धारा रखी। वह इसलिए नहीं रखी थी अगर लोक सभा की डिबेट को देखें तो उस धारा 213 के बनाने के पीछे यह भावना थी कि ऐसा मौका आ सकता है, ऐसी परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं कि जब विधान सभा और लोकसभा का अधिवेशन नहीं हो, ऐसी परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं कि जब मामला बहुत ही महत्वपूर्ण हो, ऐसी परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं कि जब देश की सुरक्षा के लिए और राष्ट्रीय हित के लिए कानून बनाने की आवश्यकता अध्यादेश के द्वारा हो इसलिए संविधान के निर्माताओं ने संविधान के अन्तर्गत धारा 213 का निर्माण किया। उसके पीछे यह भावना थी लेकिन, अध्यक्ष महोदय, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिन्होंने संविधान की सोगन्ध चुनाव लड़ने से पहले खाई, माननीय मंत्री महोदय चुनावों के बाद सौगन्ध खाते हैं और दो-दो और तीन-तीन बार सौगन्ध खाते हैं और सौगन्ध खाने के बाद, प्रश्न उठाने के बाद, सदन में राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करने के बाद यह राज्य सरकार, अध्यक्ष महोदय, किन शब्दों का प्रयोग किया जाय संविधान की धारा 213 में दिये गये अधिकारों का उपयोग इस बेशर्मी के साथ करती है कि इसके लिए जिन शब्दों का भी उपयोग किया जाय वह कम है। मैं जानना चाहता हूं कि कौनसी ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई जिनसे आपको इस प्रकार का अध्यादेश जारी करना पड़ा? हमारा बजट अधिवेशन 5 अप्रेल, 1968 को समाप्त हुआ। उसके बाद में अध्यक्ष महोदय आपने घोषणा की थी कि अगला अधिवेशन विधान सभा का अगस्त में होगा। तो अप्रेल में पिछला अधिवेशन खत्म हुआ और अगला अधिवेशन अगस्त में शुरू होने को था तो बीच में 3 महीने बाकी रहे। आपने 22 जून, 1968 को राज्यपाल महोदय से राज्य के मंत्रिमण्डल ने इस प्रकार के कानून को स्वीकृति प्राप्त करने की चेष्टा क्यों की? यह अध्यादेश क्यों जारी किया गया? मैं पूछना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार क्या 3 महीने इन्तजार नहीं कर सकती थी? राज्य सरकार को आवश्यकता क्या थी इस प्रकार के असाधारण शक्ति को उपयोग में लाने की? कौनसी देश की सीमाओं का प्रश्न था? कौनसी राजस्थान और पाकिस्तान की सीमाओं पर घटनायें हो गई थीं? कौन से राजस्थान में घुसपैठियों का प्रश्न आगया था? और जो 18 हजार राजस्थानी पाकिस्तान में चले गये थे और अब वापिस राजस्थान में घुसे आ रहे हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करने का प्रश्न खड़ा हो रहा था? किस प्रकार की एन्टी-नेशनल एक्टीविटीज के अन्तर्गत लोगों के खिलाफ राजस्थान में कार्यवाही करने का सवाल खड़ा हो रहा था? राजस्थान के समाचार दूसरे देशों को भेजने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने का कौन सा प्रश्न खड़ा हो रहा था?

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

उसके लिए तो आप कानून नहीं बनाते हैं, उसके लिए अध्यादेश जारी करने की बात नहीं सोचते, लेकिन आपने अध्यादेश जारी किया कि खादी बोर्ड का चेयरमैन हम एक नॉन-ऑफिशियल को बनाना चाहते हैं और इसलिए यह ऑर्डीनेन्स जारी करने की आवश्यकता है। आपको खादी बोर्ड का चेयरमैन किसी नॉन-ऑफिशियल को बनाना था, और वह भी श्री माणिक्य लालजी वर्मा को बनाना था, और आपने यह निश्चय कर ही लिया था कि हम उनको खादी बोर्ड का चेयरमैन बनाना चाहते हैं, चाहे वह एक राजनैतिक सौदेबाजी के आधार पर हो, चाहे उनको खुश करने के लिए हो, चाहे गुरु दक्षिणा उनको चुकानी हो, चाहे उनको बदनाम करने की भावना हो—मेरे खयाल से जितने बोर्ड बनते हैं राजस्थान में अध्यक्ष महोदय, करौली ग्राम सेवा मण्डल के सम्बन्ध में राजस्थान के उच्च न्यायालय में केस गया श्री चिरंजीलाल जो के सम्बन्ध में उस समय जयपुर के मामले में हुआ, अजमेर की सहकारी समितियों के सम्बन्ध में हुआ। राजस्थान में दो तीन फैसले उन सारी खादी की संस्थाओं के सम्बन्ध में मौजूद हैं जिनके सम्बन्ध में राजस्थान के उच्च न्यायालय ने निर्णय दिये हैं कि दुर्भाग्य की बात है कि आजादी से पहले आजादी की प्रेरणा देने वाली खादी की संस्थाओं को राज्य सरकार के संरक्षण में हालत यह हो गयी कि आज मिलावट घी, दूध में नहीं किसी प्रकार के खाद्य पदार्थों में नहीं जो मिलावट कांग्रेस की ओर से राजस्थान की खादी में और सूत में की जाती है। यह हालत आज खादी की हो गई है और आज इस प्रकार की खादी की संस्थायें चलती हैं···

श्री श्रवणलाल : आप तो खादी की बात कर रहे हैं और खाद्य में मिलावट की कह रहे है यहां तो मंत्रियों में भी मिलावट चल गई है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि आज खादी की संस्थाओं और खादी की प्रतिष्ठा वह नहीं है जो हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई के समय सन् 47 से पहले थी। जिस खादी को पहनने में फक्र होता था, जहां खादी को पहनने के बाद हिन्दुस्तान के आदमी राष्ट्रभक्त माने जाते थे आज दुर्भाग्य है कि आज खादी पहनकर कोई जाये—जैसे सब्जी के बाजार में कोई धोती पहन कर जाये तो कहेंगे आइये लालाजी, कोई पेन्ट वाला वहां जाये तो उसे कहेंगे आइये बाबूजी, और अगर कोई खादी के कपड़े पहनकर सड़क पर निकल जाये तो आज पान की दुकान पर खड़े होने वाले, आज खादी की हालत यह है कि खादी पहनने वाले को डाकू बेईमान कहते हैं, गुण्डा और बदमाश कहते है। न गुण्डा कहने की जरूरत है और न चोर और डाकू कहने की जरूरत है। ये डाकू खादी धारी, एक शब्द कहा जाये इन खादी धारियों के लिए, ये खादी के नाम पर कलंक है।

श्री खेतसिंह : ये जो कहते हैं यदि वह सही है तो ये रामकिशन जी और दौलतराम जी भी खादी धारी हैं।

श्री रोशनलाल शर्मा : वास्तव में ये गाली हमको दी जा रही है।

एक माननीय सदस्य : श्री खेतसिंह जी खादी-प्रेमी कब से हो गये?

श्री खेतसिंह : ये तो पुराने खादी पहनने वाले हैं।

श्री रामकिशन : (श्री खेतसिंह से) ऐसा लगता है कि आप सदन में नहीं आये हैं, अरेबियन नाइट्स देखने चले आये हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय उपमंत्री महोदय ने क्या कहा मुझे पता नहीं है। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आपने तो खादी आजादी के बाद पहनी है। हमने खादी आजादी के पहले पहनी है। जब मैं स्कूल में पढ़ता था। परन्तु सन् 47 के बाद खादी नहीं पहनी है। लेकिन आपने सन् 52 में भी नहीं पहनी थी। आप सन् 52 में कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़के आये थे। उस समय आप इधर बैठते थे आपने खादी मजबूरी से पहनी है। जब कांग्रेस में आप शामिल हुए हैं: यह मजबूरी के आधार, अवसर–वादिता के आधार पर आपने पहनी है। पुराने खादी पहनने वाले ये किशनलाल जी बैठे हैं, गोकुल प्रसाद जी हैं। आपने मजबूरी से पहनी है।

श्री मदनसिंह दांता : इनाम मिला है।

श्री सतीशचन्द्र अगवाल : आजादी के पहले यह खादी आजादी के सिपाही की ड्रेस मानी जाती थी। आज वह आजादी के सिपाहियों की ड्रेस नहीं है। पहले जब जनता खादी पहनने वाले को देखती थी तो यह मानती थी कि वह जनता के लिए संघर्ष करेगा। आज वह स्थिति नहीं है। आज खादी पहनने वाले को जनता देखेगी तो वह उसे जनता का संघर्ष करने वाला सिपाही नहीं समझेगी। वह समझेगी कि हमको सेक्रेटरिएट में परमिट दिलाने वाला दलाल मिल गया है। या तो खादी पहनना छोड़ दो नहीं तो खादी की प्रतिष्ठा देश में कायम करो। खादी की प्रतिष्ठा इस तरह से नहीं होगी। खादी पहनने के साथ–साथ जिस प्रकार का व्यवहार और आचरण होगा उससे खादी की प्रतिष्ठा कायम होगी।

इसलिए अध्यक्ष महोदय, आज जो राजस्थान के अन्दर खादी संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं के कर्मचारियों की हालत क्या है? उनकी सेवा के कोई नियम नहीं हैं। इच्छा हुई उसको निकाल दिया। तनख्वाह कुछ दी जाये, रसीद कुछ ली जाय। खादी के सूत में मिल का सूत मिला दिया जाय। अध्यक्ष महोदय, खादी की संस्थाएं घोटाले और डकैतियों के अड्डे बने हुए हैं। घोटालों के स्थान बने हुए हैं। ऐसे घोटाले जिनमें राजस्थान खादी बोर्ड की संस्थाओं का यह धन्धा बन गया है। ऐसे लोगों को मुक्त करो। जिनके चंगुल में ये फंस गई हैं। जिनके हाथों की उंगलियों में धागे लिपट गये हैं। उनको मुक्त करो। यह खादी पहनने वालों की ज्यादा जिम्मेदारी है। उनका आचरण सरल और सादा होगा, तभी जनता के सामने उनकी प्रतिष्ठा होगी। केवल खादी, खादी चिल्लाने से नहीं होगा। खादी देश की जनता की, गरीब जनता की है। गरीबों के लिए है। महात्मा गान्धी ने इसे प्रतिष्ठा दी थी। आज मन्त्रियों को कमरे नहीं मिलते हैं। कृषि भवन में उनको कमरे दे दिये गये तो वह कहते हैं कि कृषि भवन में हम नहीं बैठेंगे। छः महीने से कमरे खाली पड़े हुए हैं। एल.डी.सीज. से कमरे खाली करा लिये हैं। मन्त्री जाकर बैठते नहीं हैं। आप का मन और मस्तिष्क टेरीकाट का बना हुआ है। मन की आत्मा को स्वदेशी बनाइये टेरेलिन, टेरीकाट जैसी कि जितनी बुद्धि है, इससे कुछ नहीं होता है। अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा नही कहता हूं।

श्री रोशनलाल शर्मा : ये मन्त्री कौन हैं जो कमरों में जाकर नहीं बैठते हैं ?

श्री रामकिशन : ये भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम नाम बतायें ?

एक माननीय सदस्य : ये भेड़ें आपने इकट्ठी की हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप जाकर मालूम कर लें।

एक माननीय सदस्य : ये टेरीकाट है या पेटीकोट है ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि श्री मणिक्यलाल वर्मा को चेयरमैन बनाने के लिए ये अध्यादेश जारी किया गया है। इस प्रकार के अध्यादेश जारी करना राजस्थान सरकार की एक परम्परा बन गई है। मैं इसकी निन्दा करता हूं। किसी व्यक्ति विशेष की नियुक्ति की दृष्टि से, सार्वजनिक हित के लिए नहीं। सरकार विधान सभा के पहले ही इसे अध्यादेश के रूप में लाई। इसके बाद अध्यक्ष महोदय, इसमें उनके लिए अलाउन्स आनरेरियम की भी व्यवस्था है। 19 जुलाई 68 को यह आॉर्डिनेन्स निकाली गया है। राजस्थान के मन्त्रियों के अनुसार वेतन और सुविधाएं उनको उपलब्ध होंगी। श्री माणिकलाल वर्मा को यह पद सरकार प्रदान करती है। सारी मन्त्रिस्तर की सुविधाएं इस बोर्ड के अध्यक्ष को दी जायेंगी। यह स्पेशल डिस्क्रिमिनेशन किया गया है। विशेषतया खादी बोर्ड चेयरमैन के साथ इस सरकार ने क्यों किया है ? उनको सरकारी गाड़ी होगी। 500 लीटर पेट्रोल, पानी, बिजली, टैलीफोन की सुविधा। सारी सुविधाएं उनको प्राप्त होंगी। अध्यक्ष महोदय, मन्त्री पर 10 हजार रु. आता होगा। लेकिन इस प्रकार के खर्चे जो मणिक्यलाल वर्मा के ऊपर होंगे वह उससे कहीं अधिक हैं। जो वर्मा जी देश के आजाद होने के बाद इस देश की सरकार कैसी होगा, यह कहा करते थे कि जब देश में कांग्रेस राज आये तो मुझे एक साइकिल खरिदवा देना। आजादी से पहले एक साइकिल खरीदवा देना इसकी तमन्ना रखने वाले व्यक्ति को या तो खुश करने के लिए आपने रिश्वत दी है या उस आदमी को गिराया है और गिरा करके उसे धरातल तक पहुंचाने का कदम उठाया है। दोनों दृष्टि से राज्य सरकार का यह कदम निन्दनीय है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, सारी सुविधायें, मन्त्री–स्तर की सारी सुविधायें देना इन सारे बोर्डों से चेयरमैन, नॉन ऑफिशियल चेयरमैन को–यह परम्परा दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे यह कहते हुए अफसोस होता है, अध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान सरकार का रवैया यह हो रहा है कि जो व्यक्ति चुनाव में हार जाय तो उसको कहीं पर एडजस्ट किया जाय। यह परम्परा और यह प्रक्रिया राजस्थान में चल रही है। उधर जो दल बदल कर जाय या जिनको कीमत देकर खरीदें–उनको कुछ बनायें, यह प्रक्रिया आपने विधान सभा के बाहर सारे, सम्पूर्ण समाज में प्रारम्भ की है। यह चुनाव में हार गया तो इसको किसी कार्पोरेशन का चेयरमैन बनाओ। चुनाव में फलाना हार गया तो इसे कार्पोरेशन का चेअरमैन बनाओ। किसी ने कहा कि कार्पोरेशन नहीं है तो कहा कि कार्पोरेशन बनाओ और कार्पोरेशन

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

बनाओ उसके लिए एक कमेटी बनाओ और इस व्यक्ति को उस कमेटी का चेयरमैन बनाओ–तो उसे कमेटी का चेयरमैन बनाओ–यह प्रक्रिया राजस्थान में चल रही है कि चुनाव में हारे हुए नेताओं का पुनर्वास करना, रिहेबिलिटेट करना कांग्रेस के शरणार्थी और हारे हुए प्रतिनिधियों का, तो इस प्रकार आप क्यों करना चाहते हैं ? एक साथ कानून ले आइये इस विधान सभा के सामने। तो इस प्रकार कार्पोरेशन बनाये और उनमें हारे हुए लोगों को चेयरमैन बनाया। और इतना ही नहीं, इस प्रक्रिया के सम्बन्ध में, अध्यक्ष महोदय, आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि यह प्रक्रिया सर्विसेज में भी जारी है। जिन्होंने आपको चुनाव जिताया, जिन्होंने राजस्थान में आपका राज्य बनाया, जिन्होंने एम.एल.एज. तोड़ने में मदद की, जिन्होंने एम.एल.एज. को फरार किया, जिन्होंने एम.एल.एज. को उड़ाया और जिन्होंने एम.एल.एज. को अपने घरों में छिपाया–ऐसे ऑफिसरों को क्या इनाम दिया जाय। तो अब कह रहे हैं कि इसको विजिलेन्स कमीशन का चेयरमैन बनाओ। विजिलेन्स कमीशन का चेयरमैन बनाया जाय–इसके लिए साजिश शुरू हो गई है। इनाम देना है, राजस्थान में कांग्रेस का राज्य बनाने के लिए एम.एल.एज. को तोड़ने और राज्य कायम करने के षड़यन्त्र में सहयोग देने के लिए इसलिए ही राज्य सरकार के मुख्य सचिव मेनन को विजिलेन्स कमीशन का चेयरमैन बनाया जा रहा है। उनकी क्या योग्यता है उसके सम्बन्ध में जिस समय इस सदन के सामने विजिलेन्स कमीशन की रिपोर्ट आयेगी उस समय उदाहरण हाउस में मैं दूंगा। अभी मैं कहना चाहता हूं कि सेन्ट्रल ब्यूरो आफ इन्वेस्टीगेशन, दिल्ली में जो है, सी.बी.आई. उसने टायर स्केण्डल के अन्दर इन्हीं मेनन के खिलाफ जांच की है और प्रिलिमिनरी एन्क्वायरी में इनके ऊपर लगाये गये चार्जेज को साबित पाया है। प्रेलिमिनरी इन्क्वायरी में राजस्थान के मुख्य सचिव को, जिस समय वह दिल्ली में थे, टायर स्केण्डल के लिए दोषी पाया गया है, ऐसे व्यक्ति को राजस्थान विजिलेन्स कमीशन का चेयरमैन बना दें तो राजस्थान के विजिलेन्स कमीशन का मजाक हिन्दुस्तान भर में होगा और हिन्दुस्तान में राजस्थान का भी मजाक होगा। इससे तो अच्छा है कि आप विजिलेन्स कमीशन को तोड़ दीजिए। इसके अलावा भगवतसिंह मेहता, बी. मेहता, जिन्होंने राजस्थान के सम्पूर्ण प्रशासन को सुखाड़िया जी की मुट्ठी में डाल दिया, वह इस प्रकार के व्यक्ति हैं जिन्होंने राजस्थान की बाकी सारी सर्विसेज को डिमोरेलाइज किया है; बीकानेर, कोटा, जयपुर और जोधपुर की सर्विसेज को डिमोरेलाइज किया है, सारी स्टेट सर्विसेज को डिमोरेलाइज करके एकछत्र राज्य सर्विस पर कायम करके सुखाड़िया जी की गद्दी को राजस्थान के शासन में मजबूत किया है, ऐसे बी. मेहता जिन्होंने उस समय के सेन्टर के मन्त्री श्री एस.के.डे. को सांगानेर में एक श्योपुरा के ठिकाने में फर्जी पट्टा बना कर जमीन खरीदवाई, जिसको रेग्युलेराइज करवाया, जिस पर फार्म बनवाया, जिसके मसले को इस विधान सभा में मैंने उठाया था और उसके बाद डे. उस फार्म को बेचकर चले गये थे, उन बी. मेहता को पद्म श्री दिलवाया, अब उनको मिनरल कार्पोरेशन का चेयरमैन बना रहे हैं, यह राज्य सरकार

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
की स्वीकृति के बिना नहीं हो सकता। यह तमाशा क्या है। इसी तरह से राजस्थान के आई. जी. पी. को कहते हैं कि उन्हें एका-मोडेट करेंगे। यह सारी प्रक्रिया सर्विसेज में चल रही है।

राजस्थान का कोई ऑफिसर 55 वर्ष की उम्र में रिटायर हो जायगा जब कि केन्द्रीय सरकार का ऑफिसर 58 वर्ष की उम्र में रिटायर हो जायगा अब आप उसको यह पुरस्कार दे रहे हैं कि 58 साल की उम्र होने में एक साल बाकी है तो वह पब्लिक सर्विस कमीशन में पहुंच जाय, उसको 1800 से 2500 की ग्रेड मिल जाय, 1800 के बजाय उसको 2500 मिल जाय, 58 साल से वह 60 साल की उम्र तक चलता चला जाय, उसका सेवा काल बढ़ जाय, उसकी तनख्वाह बढ़ जाय। तो सर्विसेज के लोगों को पुरस्कृत किया जाता है–यह परम्परा और प्रक्रिया, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में प्रारम्भ हुई है, यह सर्विसेज को डिमोरेलाइज करने वाली है।

अध्यक्ष महोदय, लोकतन्त्र के चार स्तम्भ होते हैं–एक्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, लेजिस्लेचर और प्रेस। अब इस सरकार की नजर जुडिशियरी की तरफ जा रही है। इस सरकार ने एक्जी-क्यूटिव को छोड़ा नहीं है, यह सरकार लेजिस्लेचर को छोड़ती नहीं है। इसी तरह से यह प्रेस को छोड़ती नहीं है। सबको डिमोरेलाइज करके, हतप्रभ करके, दबा करके, चंगुल में रखने की इसकी एक साजिश है और इसके द्वारा यह राजस्थान में और हिन्दुस्तान में लोकतन्त्र की कब्र खोद रही है। अब जुडिशियरी में रिटायर होने वाले जजेज की उम्र 65 या 62 हो रही है तो इनका कहना है कि इनको कहां पर लगाया जाय। अब डिस्ट्रिक्ट जजेज को रिटायर करने में अजीब हाल है, किसी को कब रिटायर कर दिया, किसी को कब रिएम्प्लायमेंट दे दिया इस प्रकार का यह डिस्क्रिमिनेशन सर्विसेज में करना प्रारम्भ किया है, और खासकर जुडि-शियरी की सर्विसेज में, तो आप समझ लीजिए, आपने कब्र खोद दी है, इसके ऊपर मिट्टी डालकर और ढक कर आप जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, यह सदन जरा गम्भीरता से इस प्रश्न पर विचार करे कि संविधान के आर्टिकल 213 में दी गई असाधारण शक्तियों का इस प्रकार उपयोग करना एक व्यक्ति विशेष को नियुक्त करने के लिए, उसको मन्त्री-स्तर की सुवि-धायें देना इस प्रकार व्यक्ति विशेष के लिए करना राजस्थान के एक्सचेकर के साथ कितना बड़ा अन्याय है? राजस्थान एक गरीब प्रदेश है, यह पिछड़ा हुआ है और राजस्थान की सरकार फाइनेन्स कमीशन के सामने झोली पसार कर खड़ी होकर कहती है कि यह सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं बढ़ा सकती इसलिए इसे ज्यादा ग्रान्ट दें। यह राजस्थान की सरकार आज राज-स्थान के कर्मचारियों की तनख्वाह चुकाने में असमर्थ है लेकिन व्यक्ति विशेष को मंत्री-स्तर की सुविधा दे सकती है। इस राजस्थान सरकार का दो तरह का व्यवहार है। एक तरफ तो यह लोकतंत्र की कब्र खोद रही है, एक तरफ यह जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा कांग्रेस के नेताओं को लुटा रही है और दूसरी तरफ यह लोकतन्त्र की परम्पराओं को कुण्ठित कर रही है। इन भावनाओं के साथ मैं इस सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस अध्या-देश को अस्वीकार करें और इसके बाद जो

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

विधेयक प्रस्तुत किया जाय उस पर नये सिरे से विचार किया जाय, इन शब्दों के साथ मैं इस अध्यादेश का विरोध करता हूं और अपना संकल्प इस सदन में प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री दुर्गालाल बाढ़दार।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रीमान् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 22 जून, 1968 को प्रख्यापित राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश को अस्वीकार करने के लिए जो संकल्प मैं सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। यह मेरे संकल्प के द्वारा विरोधी पक्ष की ओर से तो मैं इसका सबल विरोध कर ही रहा हूं लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम के द्वारा उस ओर बैठने वाले सभी माननीय सदस्यों से मैं यह निवेदन करता हूं कि आज उनकी वास्तविक परीक्षा है और यह देखना है कि इस सदन में आने से पूर्व जो संविधान को शपथ खाकर उन्होंने यह प्रतिज्ञा की थी कि संविधान के सारे प्रावधानों और मर्यादाओं का वह निश्चयात्मक और यथेष्ट रूप से पालन करते रहेंगे। आज उनके संस्कारों को चुनौती देने वाला मेरा संकल्प है। आज, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन के अन्दर देखना है कि उस ओर बैठने वाले माननीय सदस्यों में से कितने इस प्रकार के हैं कि जो संविधान की शपथ उन्होंने खाई थी उसका अनुशालन करने के लिए तैयार हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे देश के संविधान के वरिष्ठ शास्त्रियों ने जिस समय हमारे संविधान का निर्माण किया था तो उनके सामने एकमात्र समस्या यह थी कि देश में विभिन्न राज्यों के सामने इस प्रकार की समस्या आ सकती है कि जब पार्लियामेन्ट वर्क न करती हो या विधान सभा काम न करती हो तो ऐसे अत्यावश्यक कानूनों को बनाने की आवश्यकता अगर है तो उसके लिए गवर्नर को यह पॉवर दी गई कि वह ऑर्डिनेन्स के द्वारा कानून बना दे। यह साइमलटेनियस पावर है जो संविधान में दी गई है और राज्यपाल महोदय को दी गई है। लेकिन किन परिस्थितियों में इस शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए यह भी संविधान के अन्दर आर्टिकल 213 में लिखा हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आवश्यक बात है, संविधान के आर्टिकल 213 का फेयर रीडिंग इस बात को स्पष्ट कर देता है कि दो बातें नितान्त आवश्यक होती हैं। राज्यपाल महोदय को ऑर्डिनेन्स पास करने से पहले अपने आपको इन बातों के लिए संतुष्ट करना होगा, एक तो संतुष्ट इस बात के लिए करना होगा कि विधान सभा सत्र में नहीं है, दूसरे सदन के सत्र में न होते हुए यह आवश्यक है कि देश के अन्दर एक व्यवस्था

(1.50 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

कायम रखने के लिए किसी कानून को बनाने की आवश्यकता है। अगर यह आवश्यकता नहीं है, यह दो उपकरण उपलब्ध नहीं हैं तो मैं निश्चयात्मक रूप से कहता हूं कि संविधान के आर्टिकल 213 की अवहेलना, जब कभी राज्यपाल कानून बनाते हैं, तब नहीं करते हैं। जो मौजूदा कानून हैं, मौजूदा ऑर्डिनेन्स है, उसके शब्दों का, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप स्वयं पठन कीजियेगा

(श्री दुर्गालाल बाहदार)

उसका पठन करने के पश्चात् आप स्वयं इस परिणाम पर पहुँचेंगे कि राज्यपाल महोदय ने स्वयं ने यह भावना कहीं व्यक्त नहीं की है कि वह आवश्यकता समझते हैं इस बात की कि राज्य में ऑर्डिनेन्स के द्वारा कानून बनाये जाने की जरूरत है अगर आर्डिनेंस द्वारा कानून बनाये जाने की जरूरत स्वयं राज्यपाल महोदय नहीं मानते हैं स्वयं राज्यपाल महोदय अपने आदेश में इस बात को व्यक्त नहीं करते हैं तो संविधान के आर्टिकल 213 के प्रतिकूल यह ऑर्डिनेन्स बना हुआ है। जब यह ऑर्डिनेन्स संविधान की धारा के प्रतिकूल बना हुआ है तो जो संविधान की शपथ खाने वाले माननीय सदस्य इस सदन में बैठे हुए हैं यह उनके अधिकारों को चुनौती है, जिस ऑर्डिनेन्स के द्वारा मर्यादाओं की पालना नहीं की गई है, उस ऑर्डिनेन्स को स्वीकार नहीं करना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय ऑर्डिनेन्स निकालने का अधिकार राज्यपाल महोदय को दिये जाने का प्रश्न था, उस समय कहीं भी सवाल नहीं था केवल पार्लियामेण्ट में कानून बनाया जा सके, वह अधिकार देने का प्रश्न था। लेकिन आज हमारे देश का शासन ऐसे ऐसे व्यक्तियों के हाथ में है, देश की शक्ति, सत्ता उन व्यक्तियों के हाथ में है, जिन्हें देश के कल्याण का, उन्नति का ध्यान नहीं है। उन्हें सिर्फ एक ही बात का ध्यान है, अपनी शक्ति को वे किसी न किसी प्रकार बनाये रखें। यही एक लक्ष्य है अपने स्वार्थ की पूर्ति किस प्रकार होती है। चाहे कानून सही न बने, चाहे कानून को गलत बनाना पड़े किन्तु किस प्रकार से शक्ति कायम रह सके यही ध्यान रहता है : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय चाकू, बन्दूक आदि ऐसी चीजों का निर्माण किया गया था, निर्माणकर्ताओं ने इस बात को कभी सोचा ही नहीं था कि ये अपराध की वस्तुएं बन जायेंगी : इसी प्रकार देश के संविधान शास्त्रियों ने जब धारा 213 का निर्माण किया था, उनकी कल्पना में नहीं था कि इस शक्ति का, इस धारा 213 का ये मनमानी ढंग से प्रयोग करेंगे। मनमानी करने वाले शक्तिशाली व्यक्तियों का यह खिलौना बन जायेगी। जो कानून बनायेंगे अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिये। मैं पूछना चाहता हूं माननीय मन्त्री महोदय आपसे कि किन परिस्थितियों में, जनता के हित के लिये या किसी प्रशासनिक कठिनाई के निराकरण के लिये इस ऑर्डिनेन्स को जारी किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूँ कि राजस्थान में खादी बोर्ड कितने वर्षों से काम कर रहा है? उस खादी बोर्ड में अचानक ऐसी क्या आवश्यकता आ गई कि मन्त्रि मण्डल के एक सदस्य, मन्त्री महोदय के स्थान पर एक गैर-सरकारी व्यक्ति को चेयरमैन बनाकर इस पद पर नियुक्त किया गया। यह निश्चित रूप से मानना पड़ेगा कि जो व्यवस्था इतने वर्षों से खादी बोर्ड में चल रही थी, उस व्यवस्था के अन्दर क्या कोई रुकावट सरकार को नजर आयी, किन कारणों से अथवा किन दोषों से उसमें यह परिवर्तन किया गया? क्या देश के हित के लिए, देश की जनता के लिए या राष्ट्र की सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह आवश्यकता बनी थी कि ऑर्डिनेन्स को आपको लाना पड़ा? क्या मन्त्री महोदय यह मानने को तैयार है कि ऑर्डिनेन्स के द्वारा खादी बोर्ड के कर्मचारियों के ऊपर

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

कोई भारी असुविधा थी और उसका निराकरण करना जरूरी हो गया था ? मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं । हमारे देश के ग्रामोद्योगों में जहां ढाका की मलमल जैसे कपड़े का निर्माण होता था, अब उसकी उन्नति की तरफ कोई ध्यान नहीं है । क्या इसको उन्नति के लिए कोई प्रावधान रखने की आवश्यकता नहीं है ? मन्त्री महोदय इसका आपके पास कोई उत्तर नहीं है । सिर्फ एक गैर-सरकारी सदस्य की नियुक्ति करके उसको समझाना-मात्र है । राजनैतिक दबाव के कारण, किसी कारणवश या अन्य कोई कारण रहे हों, यह उसका मुआवजा दिया गया है । राज्य सरकार खादी बोर्ड को अनुदान देती है, उस अनुदान में गरीब जनता की टैक्सेज के रूप में रकम है, केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार भी बोर्ड को विशेष सहायता देती है । क्या सरकार इनके जरिए उसका दुरुपयोग करना चाहती है ? फिर किस आधार पर मन्त्री-मण्डल के सदस्यों को जो सुविधा है, वह इन्हे देना चाहते हैं ? जिनके सामने खादी बोर्ड की उन्नति का कोई प्रश्न नहीं है बल्कि, उपाध्यक्ष महोदय, खादी बोर्ड जैसी संस्था के ऊपर एक महान सफेद हाथी बिठाया जा रहा है; जिसके खर्च को देखा जाये तो उस खर्चे से करीब 2000, 5000 गरीबों को रोजी दी जा सकती है । जिस समय आर्टिकल 213 का निर्माण हमारे देश के संविधान शास्त्रियों ने किया था उन्हें यह कल्पना नहीं थी कि इस 213 का दुरुपयोग आगे जाकर इस प्रकार होगा ? इस खादी के अन्दर ही इसका दुरुपयोग होगा । इस देश के बड़े भारी नेता महात्मा गांधी के नाम पर खादी ग्रामोद्योग का काम चल रहा है और ये उनके नाम का ही दुरुपयोग करते जा रहे हैं । खादी ग्रामोद्योग का काम, संस्थाओं का काम इस तरह किये जाने की उनकी यह मन्शा नहीं थी । जिस प्रकार से इनके अन्दर भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और जितनो प्रकार का अनाचार होना चाहिए वह सारा अनाचार वहां है । उपाध्यक्ष महोदय, आप खुद जयपुर शहर के मिर्जा इस्माइल रोड पर खादी ग्रामोद्योग के जो 6-7 भण्डार हैं, उनको देखेंगे तो उनकी सजावट, चमचमाहट और उनके ऊपर जिस प्रकार का आडम्बर अपनाया जा रहा है, उनको देखकर ताज्जुब करेंगे । मैं निश्चयात्मक तौर से कहता हूं कि महात्मा गांधी की आत्मा को इससे शान्ति नहीं होगी । मेरा विश्वास है कि वे ऐसे आडम्बर को पसन्द नहीं करते । आप तो उनके नाम का फायदा उठा रहे हैं । और इन संस्थाओं में, उनके नाम पर अपने आदमियों को बिठा रहे हैं । केवल यही लक्ष्य आपके सामने हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय से मैं यह जानकारी चाहूंगा कि आपने इस आॅर्डिनेन्स के जरिये जिस गैर-सरकारी सदस्य का एपॉइन्टमेन्ट किया है । उसके बारे में आपने क्या कभी सोचा है ? क्या खादी ग्रामोद्योग बोर्ड जैसी संस्था के लिये जिन जिन अनुभवों की आवश्यकता होनी चाहिए, उसकी उन्नति के लिए, उसकी प्रगति के लिए, जिस जिस प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता होना चाहिए, क्या उन सब पर आपने विचार किया था ? आपने विचार नहीं किया तो मेरा प्रश्न फिर आपके सामने स्पष्ट रहता है । क्या इस आर्डिनेन्स के लिए अत्यन्त आवश्यक परिस्थितियां हो गई थीं ? क्या राज्यपाल महोदय को इस बात का सेटिसफेक्शन हो जाने के ऊपर कि इस प्रकार का कानून नहीं बना तो राज्य की व्यवस्था में किसी प्रकार का व्यवधान होने

(श्री दुर्गालाल बाद्‌दार)
वाला है ? यदि मुझे अपने इन सब प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता तो निश्चयात्मक तौर से मैं दावे के साथ कहने को तैयार हूँ कि जो आर्डिनेन्स राजस्थान के राज्यपाल महोदय ने पास किया है, जिसको आर्टिकल 213 के निहित यह शक्ति दी गई है, उसका दुरुपयोग किया है। राज्यपाल महोदय को इस शक्ति का दुरुपयोग करने के लिए अग्रसर किसने किया है ? राजस्थान के मन्त्री मण्डल के नेता, राजस्थान के मुख्य मन्त्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया और राजस्थान के मुख्य मन्त्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया के निर्देश में चलने वाले माननीय मन्त्री महोदय आपने। लेकिन मैं आपको, आपके आका श्री सुखाड़ियाजी को यह बताना चाहता हूँ कि जिन माणिक्यलाल वर्मा को राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया और जिन्हें एक मन्त्री मण्डल के सदस्यों के समान कैडर देकर, एक मिनिस्टर को मिलने वाली सुविधा देकर, उनके हृदय को जीतना चाहते हैं।

(2 म.प.)

मैं तो यह कहूंगा कि श्री माणिक्यलाल वर्मा श्री मोहनलाल सुखाड़िया के राजनैतिक गुरु हैं, वे मोहनलाल सुखाड़िया के चेले नहीं हैं। भूल जाओ उन कहानियों को कि श्री विजयसिंह पथिक जिन्होंने राजस्थान में सबसे पहले आजादी के लिए राजनैतिक आन्दोलन चलाया, उनके साथ माणिक्यलालजी वर्मा ने क्या कार्यवाही की, वृहत् राजस्थान में मुख्य मन्त्री माणिक्य लाल बने तो जेल में विजयसिंह पथिक को डाला था, यह मोहनलालजी सुखाड़िया को भूल नहीं जाना चाहिए कि ऐसे प्रलोभनों में आ कर दब जायेंगे, जरा सोच कर देखते। यह वही माणिक्यलाल वर्मा हैं जिसको खादी बोर्ड का चेयरमैन बना कर जीतना चाहते हैं, पर यह क्यों भूलते हैं कि

श्री गिरधारीलाल व्यास : पैरवी बहुत ऊंची कर रहे हो।

श्री दुर्गालाल बाद्‌दार : मैं यह बताना चाहता हूँ कि आपके क्या कारनामे हैं -मुख्य मन्त्री जी के। राजस्थान के प्रशासन में भ्रष्टाचार के बीज डालने वाला यदि कोई व्यक्ति है तो वह राजस्थान का मुख्य मंत्री मोहनलाल सुखाड़िया है। क्या सेक्रेटेरियेट के, क्या पुलिस के उन्हीं अधिकारियों को तरक्की दी जा रही है जो मोहनलाल सुखाड़िया के निदेशों के अनुसार चलते हैं। चाहे जनता पर गोलियां चलाई जायं, चाहे जनता की जेन्वाइन डिमाण्ड्स की परवाह नहीं की जाय, चाहे जनता की सही मांगों के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की जाय, जो अधिकारी जनता के अधिकारों की, जनता की जेन्वाइन डिमाण्ड्स पर विचार नहीं करके इनके निर्देश पर काम करते हैं उनको स्टार्स दिए जाते हैं। जो अधिकारी ईमानदारी से कार्य करते हैं उनकी उन्नति का प्रश्न नहीं, जिस राज्य में इस प्रकार का प्रशासन है, जहां न्याय की बातों पर कोई विचार नहीं और फिर सदन में दावा किया जाता है कि हम जनतन्त्र में आस्था रखने वाले हैं, लोकतन्त्र के सही रूप में भक्त हैं। इस प्रकार से इनकी कथनी और इनकी करनी से बिल्कुल विभिन्न है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस आर्डिनेन्स के जरिए इस प्रकार का बिल लाकर इसे एक्ट बनाना चाहते हैं। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूँ कि एक ओर दल की परम्परा के अनुसार दल का साथ देने का सवाल आता है पर यह नहीं भूलना चाहिए कि एक एक

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

आदमी यहां 60–60 हजार आदमियों का नुमायन्दा है, एक लाख आदमियों की आवाज को बुलन्द करने वाला है। इस बात को आप मत भूलो, और मत भूलो अपनी आत्मा की उस आवाज को। मैं आपकी आत्मा की आवाज को चुनौती देकर निवेदन करना चाहता हूं कि इस कानून को लाते समय क्या संविधान के आर्टिकल 213 का पालन किया गया है, क्या यह खादी उद्योग के मजदूरों के उत्थान के लिए लाया गया है, क्या इससे खादी की वृद्धि होने वाली है? क्या खादी बोर्ड के इतने वर्षों के कार्यकाल में देश के छोटे-छोटे उद्योग, इन्डस्ट्रीज, ग्रामोद्योग हैं उनमें अच्छे कलाकौशल सम्पन्न व्यक्तियों को लाकर बैठाने की कोशिश की है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर क्या कारण था कि आर्डिनेन्स लाना पड़ा?

यदि इस खादी बोर्ड के बजट को देखा जाय, जो इसमें घोटाले हैं उनको देखा जाय तो पता चलेगा कि कई करोड़ों की सहायता, कई करोड़ों के अनुदान इन खादी संस्थाओं को दिये गये, उन रुपयों का क्या हुआ, क्या उनका प्रोपर यूटिलाइजेशन हुआ? नहीं हुआ तो क्या उन रुपयों को वापिस लेने की कोशिश की गई? लेकिन जवाब यही आयेगा कि नहीं। क्योंकि यह राजस्थान की सरकार, यह राजस्थान का मंत्रि-मण्डल उन लोगों को तकावी देता है, उन लोगों को सहायता अनुदान देता है जो चुनाव के वक्त इनकी मदद करने के लिए आगे आते हैं। उन लोगों से रुपया वापिस लेने का सवाल आता है तो इनकी कुर्सियां खिसकती नजर आती हैं और इस तरह से अपनी कुर्सियों को बचाने के लिए राजस्थान की गरीब जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा जो राजस्थान की गरीब जनता से टैक्स के रूप में लिया जाता है, वह रुपया राजस्थान के मंत्रि-मण्डल द्वारा उड़ाया जा रहा है, लुटाया जा रहा है। मन्त्रिमण्डल के सदस्य इसी वजह से कोई कार्यवाही नहीं करते जा रहे हैं।

इसलिए मैं इस खादी बोर्ड कानून का घोर विरोध करता हूं और राजस्थान की सरकार से यह याचना करता हूं कि इसे वापिस लिया जाय। यह बात तो सही है उपाध्यक्ष महोदय, एक बार नहीं, यह विधान सभा चली है तब से कई अवसर यहां आ चुके हैं जब इस विषय पर चर्चा हुई है। राजस्थान सरकार आर्डिनेन्स बनाती है और इस सदन के माननीय सदस्य उनका घोर विरोध करते हैं, संविधान के आर्टिकल 213 को समझाने की कोशिश करते हैं पर यह सरकार उस पर कोई विचार नहीं करती, इनके सामने एक ही लक्ष्य रहता है कि किस प्रकार ये अपनी शक्ति को बनाये रखें। इस बोर्ड के और भी गैर सरकारी मेम्बर बनने वाले होंगे यह भी साफ बात है। मुख्य मन्त्री जी ने अपने राजनैतिक गुरु को चेयरमैन बना दिया पर जो उनके साथी थे उनको और मेम्बर बनाने वाले हैं और इस प्रकार जो पैसा खादी की तरक्की करने के लिए, खादी की वृद्धि करने के लिए खर्च होना चाहिए वह केवल इस बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेशन में ही खर्च हो जायगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस आर्डिनेन्स का घोर विरोध करता हूं और मन्त्री महोदय को चुनौती देना चाहता हूं कि मन्त्री महोदय आपको खड़े होकर कह देना चाहिए, स्पष्ट रूप से मान लेना चाहिए कि जो आर्डिनेन्स

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)
बिल के रूप में सदन के सामने आ रहा है वह संवैधानिक नहीं है, यह जनता के हित में नहीं है, राज्यपाल महोदय के सामने कोई परिस्थितियां इस प्रकार की नहीं थीं कि जिससे राज्यपाल को यह सेटिस्फेक्शन हो कि विधान सभा के नहीं होते हुए इनको आर्डिनेन्स बनाने की आवश्यकता हुई। ऐसी परिस्थितियां हैं तो इस आर्डिनेन्स का आपको खुले रूप में विरोध करना चाहिए। यदि मुख्य मन्त्री जी के दबाव की बात आती है तो आपको यदि किसी प्रकार का लोभ नहीं है तो त्याग-पत्र दे देना चाहिए ताकि आप एक नजीर राजस्थान में पेश कर सकें कि राजस्थान में भी एक ऐसे मन्त्री हैं जो इतनी हिम्मत रखते हैं। गैर कानूनी तौर पर राजस्थान सरकार कोई कानून बनाने जा रही थी, उसका उन्होंने विरोध करते हुए त्याग पत्र दे दिया। पर मन्त्री महोदय इस प्रकार के नजर आते नहीं हैं क्योंकि उनके खिलाफ तीसों मसलों पर इस सदन में चर्चा हो चुकी है, कई गम्भीर आरोप इन पर लगाये पर इनके कान पर जूं तक नहीं रेंगी।

माननीय रामकिशनजी ने बताया कि आर्डिनेन्स की वजह थी आपकी और मेरी कुलीन आपत्ति, किसको क्या आपत्ति है, यदि सोच लेते तो यह समस्या नहीं आ सकती थी पर मैं निश्चयात्मक रूप से जानता हूं कि आपमें वह साहस नहीं है, व्यक्तिगत आरोप होने पर भी कार्यवाही नहीं करते। सुबह का भूला शाम को घर आ जाय तो समझा जाता है कि भूला नहीं। राजस्थान के हित को ध्यान में रखते हुए यदि इस आर्डिनेन्स का विरोध करते हैं और फिर भी यदि राज्य सरकार नहीं मानती है तो आप यदि त्याग-पत्र दे देते हैं तो मैं समझूं कि आप सही माने में राजस्थान की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप एक ही चीज को यदि 50 दफा कहेंगे तो भी वही नतीजा होगा और एक दफा कहेंगे तो भी वही नतीजा होगा, फिर आप एक ही चीज को बार बार क्यों कह रहे हैं?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मैं जानता हूं नतीजा कोई नहीं निकलने वाला है, इतनी हिम्मत कहां है? उपाध्यक्ष महोदय, यह तो उन ऊंटों में से हैं जिन पर नगारे भी बजाये जायेंगे तो कोई असर नहीं होगा।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मकसद की बात रोज होती है वह तो कही हो नहीं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मैंने कह दी।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि आज जब कि मेरे गुरु के सम्बन्ध में ही चर्चा चल रही है मुझे कुछ यहां बोलना पड़ेगा। पूज्य वर्मा साहब माणिक्यलालजी उन लोगों में से हैं जिन्होंने चने खाकर लड़ाई लड़ना सिखाया था। वर्मा साहब के वे शब्द आज भी याद आते हैं :

"सेवक की तकदीर में गोली गाल अभाव।
मिलता देख्या मैं नहीं, कड़ा गोप सिरपाव।"

सेवक के तकदीर में तो गोली लिखी है, या तो वह गोली खाकर मरेगा या कभी गाली खायगा और अभाव में औरतों को बच्चों को दवा नहीं मिलती थी, कपड़ा और

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

खाना नहीं मिलता था। जिनके बीस बीस पैबन्द लगते थे उनकी हालत आज क्या होगई? उनके पास आज बंगले हैं, बसों के परमिट हैं, कारें हैं, शहरी जमीन हैं, औरतें सोने से लाद हो रही हैं और पचास रुपयों के प्लाट छत्तीस हजार में बिक रहे हैं! वह दिन दूर नहीं जब इन सफेद कपड़े वालों को लोग मारेंगे तो हमें भी कोई बचा नहीं सकेगा और वे लोग कहेंगे कि तुम सब एक हो। क्या स्थिति आगई है? आज राष्ट्रपति महोदय को और गवर्नर महोदय को अधिकार है जैसा भगवान कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र था। उसका उपयोग आज किस प्रकार हो रहा है? आखिर स्थिति ऐसी क्यों आगई? वर्मा साहब जैसे आदमी जो हिन्दुस्तान के बड़े लोगों में से हैं यदि उनको मंत्री पद का दर्जा मिल गया तो कोई बड़ी बात नहीं। उनको बड़ा दर्जा देना चाहिए था। पच्चीस सौ रुपया तनख्वाह देते और दो हजार रुपया छोड़ते तो त्याग दो हजार कहलाता यह अच्छी बात नहीं हैं। वर्मा साहब से यह अपेक्षा नहीं थी। वर्मा साहब बाहर रहते और हम से कहते कि तुम भी चले आओ। आज सब जगह अराजकता फैल रही है, भयंकर भ्रष्टाचार फैल रहा है, व्यभिचार फैल रहा है अनाचार फैल रहा है। यह सब एक ही हल्के में नहीं है। यह सब ही सबकों में है। इसको कैसे दूर किया जाय? गांवों से सम्बन्ध छूट गया है उसको कैसे ठीक किया जाय। लेकिन वर्मा साहब ने आधीनता स्वीकार कर ली। वे खादी बोर्ड के चेअरमैन बने हैं। दुर्भाग्य है कि वर्मा साहब का खादी में विश्वास नहीं है। वे कभी चर्खा चलाते नहीं। गांधी ने चर्खा चलाया! गांधी जब राउन्ड टेबल कान्फ्रेंस में गये तो रात के दो बजे भी चर्खा चलाते थे। उन्होंने चर्खा चलाना पसन्द किया। वे कहते थे कि मेरा भारत गांवों में बसा हुआ है। अन्न के मामले में जिस तरह से स्वावलम्बी होना है उससे अधिक गांवों को वस्त्र के माने में स्वावलम्बी होना है। यदि उस बूढ़े की बातों पर ध्यान देते तो आज हमारी यह हालत नहीं होती। आज ग्रामोद्योग मर रहे हैं। जगह जगह काश ऐसे होते जो अन्न के मामले में वे स्वावलम्बी होते, वस्त्र के माने में स्वावलम्बी होते, तेल के माने में स्वावलम्बी होते। गांव के झगड़े गांव में निपटते। लेकिन यह सब नहीं हुआ। खादी-बोर्ड में इतना खर्चा! आशा तो यह थी कि 232 पंचायत समितियों के रूप में जो सफेद हाथी हैं वे समाप्त होंगे, समाज कल्याण में 70-80 सफेद हाथी बन्धे हुए हैं वे समाप्त होंगे। छत्तीस का मन्त्रि-मंडल 12 में आजाय लेकिन जो हार गये हैं उनको वापिस स्थापित किया जा रहा है। किसी को होटल में तो किसी को बोर्ड में। वर्मा साहब जैसे व्यक्ति को आपने क्यों जाल में फांसा? वर्मा साहब के एक शिष्य के नाते उनके प्रति मैं बहुत अदब रखता हूं। मैं उन्हीं का दोहा आपके सामने कहूंगा:

धाड़ेती बैठा महलां में
अर चोर मक्या का जेलों में,

जो भुट्टों की चोरी करते थे वे राजा महाराजाओं के जमाने में जेल में जाते थे। लेकिन आज हालत क्या हो रही है कि जो दो रुपया रिश्वत खाता है वह तो जेल में मिलता है और एक दिन में 60 हजार रुपया खा जाता है वह मौज करते हैं और गुल

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

छर्रे उड़ाते हैं। कोई अन्तर नहीं है। गांधी ने खुद ने कार्य किया था। चर्खा चलाया था। गांधी की खादी क्या थी? सर्वांगीण उन्नति की द्योतक थी। उसमें केवल सूत ही नहीं था। गांधी कहते थे कि इसमें से सत्य निकलता है, इसमें से अहिंसा निकलती है और इसमें से ग्राम स्वावलम्बन निकलता है। और क्या था? वे सोचते कि इससे सब लोग सुखी होंगे। अपना धन वैभव देख कर सुखी होंगे। लेकिन सब मामला चौपट होगया।

गवर्नर महोदय ने अध्यादेश जारी किया। पूज्य वर्मा साहब ने क्यों इसको स्वीकार किया? उनके लिये क्या यह दुर्लभ था? इसमें कोई शक नहीं कि हिन्दुस्तान में त्याग करने वालों में उनका स्थान भी सर्वोपरि है। उनको एक राजनैतिक पीड़ित की तरह भी पांच सौ रुपये दिये जा सकते थे। जहां उनका पसीना गिरता वहां हमारा खून गिरता। सुनते हैं कि खादी में बड़ी बेईमानी चल रही है। पर सब जगह नहीं। कई जगह जाकर देखिये अच्छा काम हो रहा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि वे खादी में विश्वास नहीं करते।

"कालो ने देखे कुणी, रियामोकला लाग।
धोली चद्दर ऊपरे फबे न कालो दाग।।"

जो काली चद्दरें हैं उनमें दाग लग सकता है लेकिन उसको कौन देखता है। परन्तु सफेद चद्दर पर एक भी धब्बा लगता है तो वह सब को दिखाई देता है। आइये आप हम सब इस चद्दर को पवित्र बनावें। खादी को राजनैतिक अड्डा नहीं बनावें। ऐसे लोगों को लायें जिनका खादी में विश्वास हो। वर्मा साहब ने साढ़े सात सौ रुपया कम लिया। 8.9 हजार रुपये की बचत की साल की। लेकिन एक लाख का खर्चा तो बढ़ गया। अफसोस है कि गवर्नर महोदय ने इसमें भी सुदर्शन चक्र का उपयोग किया। वैसे उनको अधिकार है, पर अध्यादेश निकालने की आवश्यकता क्या थी? क्यों अपने अधिकार का इस प्रकार से उपयोग किया? पाकिस्तान का हमला हुआ होता या कोई ऐसी बात होती तो इस प्रकार का अध्यादेश निकालने के लिये वे अधिकारों का उपयोग करते। यादव साहब को कहना चाहिये था कि मेरे में क्या दोष है? क्या मैं इस काम को करने लायक नहीं हूं? क्या मैंने काम ठीक नहीं किया? उन्हें चाहिये था कि वे त्याग-पत्र दे देते। क्यों मेरे से यह महकमा ले रहे हो? कार्यभारी अध्यक्ष हैं वे। वर्मा साहब जो शेर की तरह दहाड़ते थे, उस शेर को आपने पिंजरे में बन्द करने की चेष्टा की है। खादी का तो इसमें हित होने का सवाल ही नहीं क्योंकि उनको खादी में विश्वास ही नहीं है मैं स्वयं चर्खा चलाता हूं। मैं जो कमीज पहनता हूं उसमें मेरे हाथ का कता हुआ सूत है। ज्यादा हिस्सा उसमें मेरी पत्नी का है: वर्मा साहब से कोई पूछे कि कौनसी चीज आप ग्रामोद्योग की काम में ले रहे हो? कुछ नहीं। आपने क्यों बोर्ड की अध्यक्षता स्वीकार की? मेरा उनका एक शिष्य होने के नाते उनके चरणों में निवेदन है कि उनको चाहिये था कि वे इस पद को स्वीकार नहीं करते और एक नेता बन कर जिस प्रकार पहले उन्होंने नेतृत्व ग्रहण किया था, कार्यकर्ताओं को भी कहते कि वे भी वैसा ही करें। अतः मैं आप से निवेदन करूंगा कि इस विधेयक को स्वीकार नहीं किया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री केदारनाथ।

(अनुपस्थित)

श्री दौलतराम सारण।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ) : उपाध्यक्ष महोदय, खादी ग्रामोद्योग अध्यादेश के सम्बन्ध में मैं विरोध प्रकट करने के लिये उपस्थित हुआ हूं। यह सही है कि राज्य सरकार को संवैधानिक मर्यादाओं के प्रावधानों के अन्तर्गत अध्यादेश जारी करने का अधिकार है लेकिन किन परिस्थितियों में? क्या खादी ग्रामोद्योग अध्यादेश जारी करने के समय वे परिस्थितियां थीं जिनके अन्तर्गत संविधान ने राज्य सरकार को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया है? इसका स्पष्टीकरण कारणों की सूची में मंत्रीजी ने नहीं बताया। केवल राज्यपाल उन कारणों से संतुष्ट हो गये और उन्होंने इसकी स्वीकृति दे दी, मान्यता दे दी, और आज्ञा दे दी। यह पर्याप्त कारण नहीं। राज्यपाल के प्रति भी इस सदन की धारणा उचित नहीं बन पाती इस प्रकार के अध्यादेशों को वे अगर अनुमति देते हैं। ऐसा कौनसा आसमान गिरता था कि थोड़े दिनों के लिये आप वर्मा जी को अध्यक्ष बनने का इन्तजार नहीं कर सकते थे? या कौनसी ऐसी परिस्थितियां थीं कि जिनके कारण खादी ग्रामोद्योग बोर्ड तबाह हो रहा था, कौनसा काम खराब हो रहा था या कौनसी आर्थिक हानियां हो रही थीं या इसके बिना देहातों में कोई आपतकालीन स्थिति पैदा हो गई थी या खादी ग्रामोद्योग बोर्ड नष्ट होने की स्थिति में आगया था जिसको बचाना जरूरी था? उपाध्यक्ष महोदय, जिस अदूरदर्शिता और नासमझी से इन्होंने अपने अधिकारों का उपयोग किया है उससे जनता के अन्दर सरकार को दी हुई संवैधानिक मान्यताओं के प्रति निष्ठा हिलती है, अविश्वास होता है, शासन के प्रति विरोध बढता है। मैं कहता हूं अधिकार वही रख सकते हैं जो अधिकारों के लिए अपने कर्तव्य को भलीभांति अंगीकार करें। सरकार का कर्तव्य इसको निभाने के लिए है, वह अगर पालना नहीं करती है और इसका दुरुपयोग करती है, गलत तरीके से इस्तेमाल करती है तो फिर सरकार को संवैधानिक अधिकार उपभोग करने का अधिकार नहीं है। इस अध्यादेश में कोई ऐसी परिस्थिति नहीं, कोई ऐसा कारण नहीं जिससे यह अध्यादेश जारी किया जाता। इस अध्यादेश को जारी करके और वर्मा जी को अध्यक्ष बनाकर आपने कांग्रेस की प्रतिष्ठा पर प्रहार किया है, आपने वर्मा जी की प्रतिष्ठा पर प्रहार किया है और आपने खादी की प्रतिष्ठा पर प्रहार किया है। केवल संवैधानिक दुरुपयोग ही नहीं किया है बल्कि कांग्रेस की परम्पराओं और सिद्धान्तों पर प्रहार किया है। वर्मा जी ने भाषण दिया था भीलवाड़े के अन्दर और कहा था कि इन्द्र भगवान जब सत्ता के मद में मदहोश होकर रास लीला करते थे, अत्याचार और उत्पीड़न करने लगते थे उस समय भारत के ऋषि मुनि त्याग और तपस्या के बल पर इन्द्र के आसन को हिला देते थे। उस समय इन्द्र का आसन हिलने लग जाता था। त्याग में वह शक्ति जो अप्सराओं····

एक माननीय सदस्य : आपका उदाहरण गलत है। इन्द्र ने कभी रास लीला नहीं की

श्री दौलतराम सारण : रास लीला पसन्द नहीं करते तो रंग लीला कर लीजिये मैं यह कह रहा था कि जब ऋषि मुनि या कोई सन्त महात्मा तपस्या करता था तो इन्द्र भयभीत हो जाता था, उसका आसन हिलने लगता था। वर्मा जी ने भीलवाड़ा में भाषण दिया कि मैं इस सरकार के कारनामों से उद्वेलित हो रहा हूं। इनके कारनामों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। जो भ्रष्टाचार और अनैतिकता बढ़ रही है उसके खिलाफ हर ईमानदार व्यक्ति को कदम उठाने चाहिए। लेकिन एक तरफ तो वर्मा जी त्याग और तप की बात उस भाषण में बाल रहे थे और दूसरी तरफ सुखाड़िया की सत्ता ने उस भाषण को पढ़ते ही वर्मा जी को कुर्सी का लालच भेजा और थोड़े दिन बाद वर्माजी उसमें उलझ गये। वर्माजी के त्याग और तप की सारी प्रक्रिया समाप्त हो गई। आज वर्मा जी सरकार की कार में घूमते हैं। आज वर्मा जी ने मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर बनने के लिए प्रयास किया होता तो हमारी समझ में आ जाता। वर्मा जी राज्य सभा के सदस्य बनने के लिये प्रयास करते या और कोई बड़े पद पर कांग्रेस के प्रेसीडेन्ट बनते तो हमारी समझ में आ सकता था लेकिन वर्मा जी को एक अध्यादेश के जरिये खादी बोर्ड के चेयरमैन बनाकर उनके व्यक्तित्व को कुंठित किया है, उनकी प्रतिष्ठा को गिराया है और अपने कारनामों को स्पष्ट प्रकट कर दिया है। किस तरह सत्ता की लोलुपता है, किस तरह सत्ता का दुरुपयोग किया करते हैं, किस तरह सामाजिक कार्य कर्ताओं की कमजोरियों का लाभ उठा कर उनको पतित करने की चेष्टा करते हैं–मोहन लाल जी सुखाड़िया इस बात में माहिर हैं। वे व्यक्ति के आचरण को नहीं देखते हैं, वे व्यक्ति की निष्ठा को नहीं देखते हैं। वे व्यक्ति में केवल एक बात देखते हैं कि इसमें कमजोरी कहां है और उस कमजोरी को पकड़ कर उसको कठपुतली बनाना चाहते हैं। इस मामले में वर्मा जी को पकड़ लिया। वर्मा जी खादी की संस्था के घोटाले को ठीक कर देंगे, यह भविष्य बतलायेगा कि वर्मा जी ठीक करेंगे या नहीं करेंगे लेकिन अनुभव यह बताता है कि वे जहां जहां रहे हैं वहां की व्यवस्था को ठीक नहीं कर सके। जो जो योजनायें वर्मा जी ने उठाईं वे सब फेल हुईं। वर्मा जी ने आदिवासी कल्याणकारी कार्य उठाया वह बुरी तरह फेल हुआ। उनके खिलाफ भयंकर आरोप थे। वर्मा जी ने विमुक्त जाति का काम उठाया, उसमें भयंकर गड़बड़ियां हुईं। यह सारा इतिहास इस सदन में कई बार आ चुका है। वर्मा जी ने सीमान्त क्षेत्रीय कार्य को हाथ में लिया उसको भी वर्मा जी पूरा नहीं कर सके उसमें भी अनेक अनियमितताएं हुईं उसका नमूना भी इस सदन में स्पष्ट हो चुका है। मैं उन बातों पर जाना नहीं चाहता। वर्मा जी में कमजोरियां है लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि वर्मा जी में प्रशासनिक कुशलता नहीं है। वर्मा जी राजनैतिक कार्यकर्ता हो सकते है। वे अच्छे प्रशासक नहीं हैं। इसलिए वर्मा जी के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि वे बोर्ड को ठीक प्रकार से सचालित कर लें यह सही दृष्टिकोण नहीं है। आपका उत्तर यह हो सकता है कि हमने गैर सरकारी सदस्यों को स्थान दिया है और यह संस्था साधारण लोगों से सम्बन्ध रखती है और वर्मा जी का त्याग और तपस्या है, वे नेता हैं।

मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि वर्मा जी का खादी में विश्वास नहीं है। एक बार में

(श्री दौलतराम सारण)

खादी ग्रामोद्योग भवन, पांच बत्ती में गया वहां वर्मा जी का स्वागत हो रहा था। वर्मा जो ने कहा आओ भाई आओ अब चर्खे की खादी नहीं चल सकती है। जो व्यक्ति यह विश्वास रखता है और उसी को खादी का इन्चार्ज बनाया जाय-खादी के काम को सम्भालने के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर माननीय मंत्री जी कतीने और उनकी रोजी को बढ़ाने के लिये यह अध्यादेश लाते तो अच्छा होता, किन्हीं गरीब लोगों की सहायता के लिए यह अध्यादेश लाते तो मैं पहला व्यक्ति होता जो समर्थन करता लेकिन मुझे खेद है यह अध्यादेश उस कार्य के लिए लाये हैं जिसमें हजारों रुपये उन गरीब कतीनों से छीनकर सफेद हाथियों में बांटे हैं। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं। मैं आपसे (श्री अमृतलाल यादव) निवेदन करना चाहता हूं कि आपने किस उद्देश्य से किया है। लेकिन मैं अच्छी तरह से समझता हूं इसमें आपका कोई हाथ नहीं है, न हो सकता है, यह काम आपका नहीं हो सकता है यह काम उस एक व्यक्ति का है जिसके सामने सब लोग झुकते हैं। किसी से कोई बात कहो तो कहते है कि जरा सुखाड़िया साहब के कान में से निकाल दो। अगर हम सुखाड़िया साहब के कान में से निकाल दें तो आप फिर केबिनेट में क्यों बैठे हैं। इस सरकार को कोई घोषणा नहीं, बजट अधिवेशन में राज्यपाल महोदय से कुछ घोषणा कराते हैं और वित्त मंत्री जो कुछ घोषणा करते हैं और ठीक उसके विपरीत आचरण करते हैं। मेरे पास उपाध्यक्ष महोदय, इतना समय नहीं है—नहीं तो मैं उन सबका एक एक का पर्दा फाश करता। घोषणा कुछ करते हैं और करते कुछ और हैं मुझे अच्छी तरह से मालूम है गंगानगर में जब गरीब लोग अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने आये तो उन पर लाठी बरसाते हैं। गंगानगर में हरिजन 500 रुपया प्रति बीघा को जमीन खरीद नहीं सकता, वह उसके लिये लम्बी किश्त मांगता है तो आर्थिक दृष्टि से राज्य असमर्थ है यह बात कही जाती है। गरीब चपरासी के वेतन बढाने की बात आती है तो आर्थिक असमर्थता का बहाना लिया जाता है। राजस्थान का भूमिहीन पिछड़े वर्ग का आदमी यदि किसी प्रकार की राहत की मांग करता है तो कहा जाता है कि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। इस तरह के अनेकों सवाल खड़े हो जाते हैं। लेकिन आपने जो यह राजनैतिक लोगों को शरण देने का रास्ता बनाया है, जो पिंजरापोल बना रखा है, जिसमें हारे हुए, जनता से उपेक्षित और जनता से ठुकराये हुए लोगों को, डिसकार्डेड लोगों को पिंजरापोल में डालकर उनके गुजार, दाने-पानी का इन्तजाम कर दिया है। जहां पर वे बैठे बैठे अपना जीवन बिताते रहें ताकि जो उनकी गरीब जनता के प्रति निष्ठा या प्रतिष्ठा बननी चाहिये वह नहीं बनने पावे।

आप लोग समाजवाद का ढिंढोरा पीटते हैं लेकिन जिस गरीब का खेत ले लिया गया उसको आप वर्षों तक मुआवजा तक नहीं देते। लगान उससे लेते रहते हैं। उसके लिये कोई अध्यादेश लाने की बात नहीं करते आपको जल्दी रहती है इस प्रकार के अध्यादेश लाने की जिनमें आपके लोग लगाये जा सकते हों। यह जो सोचने का आपका नजरिया है इसको आप बदलिये। मैं

(श्री दौलतराम सारण)
गिरधारीलाल जी व्यास से निवेदन करना चाहता हूं · · ·

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : आप सीधे माननीय सदस्य को सम्बोधित नहीं कर सकते आसन की मार्फत कहिये · · ·

श्री दौलतराम सारण : आसन को. को सम्बोधित करते हुए मैं उनसे कहता हूं उनसे मुझे मुरव्वत है · · · ·

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : गिरधारी नाम तो बहुत पवित्र है इसलिये लेते हैं। मूलचन्द का नाम कोई लेना नहीं चाहता।

श्री दौलतराम सारण : उपाध्यक्ष महोदय, पद से व्यक्ति कभी बड़ा नहीं होता। कुछ व्यक्ति पद से भी बड़े होते हैं। यह कोई जन्म से नहीं होते, आचरण से पद की गरिमा बढ़ती है। वर्मा जो को आपने यह पद देकर आपने वर्मा जी के व्यक्तित्व को और उनकी गरिमा को समाप्त किया है। गान्धीजी ने कोई पद नहीं लिया। आज भी लोग उनको राष्ट्रपिता कहकर पुकारते हैं। सुखाड़िया जी भले ही बड़े पद पर हों लेकिन उनके इस पद से हटने के बाद उनको कोई रोने वाला भी नहीं मिलेगा यह मैं कह सकता हूं।

एक मा० सदस्य : क्या ये छत्तीस बनाये हैं ये नहीं रोयेंगे?

श्री दौलतराम सारण : उपाध्यक्षजी, माननीय सदस्य जो बड़े उचक उचक कर बोल रहे हैं उनको याद होना चाहिये मेरे पास हरेक का चिट्ठा है, हरेक का चिट्ठा पढ़ सकता हूं किस तरह से सुखाड़िया जी ने किस किस को क्या क्या दिया। यह मेरे पास चिट्ठा है जिसको पूरा भर कर लाया हूं इसको इस समय खोलना अप्रासंगिक होगा इसलिये मैं इसमें जाना नहीं चाहता।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था पद की गरिमा केवल पद पर बैठ जाने से नहीं होती। यह जो वर्मा जी का मुंह बन्द करने के लिये पद दिया है यह उनके लिये भी ठीक नहीं हुआ। मैं समझता हूं वर्मा जी ने यह पद स्वीकार करके अपनी विचार शक्ति का खोखला पन तो बताया ही हैं, साथ ही अपनी साधारण समझ का भी उपयोग नहीं किया। जिन परिस्थितियों में यह अध्यादेश लाया गया है, मैं समझता हूं, संविधान में प्रदत्त अधिकारों का दुरुपयोग किया है, उसकी मर्यादा और संविधान की निष्ठा का भी अपमान किया है। यह मेरा कहना उन लोगों के लिये व्यर्थ है जिन पर कहने का असर कुछ नहीं होता क्योंकि कहावत है: "सीख शरीरों ऊपजे दिया लागे डाम"।

सीख उसी को दी जाय जिसको सीख सुहाती हो, अच्छी लगती हो। सीख बन्दर को मत दीजिये। 'सीख बन्दर को देवतां घर बया को जाय' ऐसे लोगों को सीख देना व्यर्थ है। इनको सीख देने का मतलब है किसी मूर्ख को टोकना। जिसमें अक्ल नहीं उसको टोकने से कोई फायदा नहीं। वह तो जितनी खुद की अक्ल होगी उतनी ही बात करेगा।

संविधान में हमें अधिकार दिया है अध्यादेश निकालने का लेकिन उसका उपयोग हमें कैसे करना चाहिये यह भी हमें देखना है। बिजली का काम है प्रकाश करना लेकिन यदि कोई उस बिजली के तार को छू ले तो

(श्री दौलतराम शारण)

उसका नतीजा क्या होगा यह आप जानते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपके हाथ में जो लोकतन्त्र का हथियार है उसका उपयोग राज्य के हित में होना चाहिये। हमें संविधान की परम्पराओं को और संविधान की मर्यादा को कायम रखना चाहिये इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस अध्यादेश को रद्द किया जाय और मेरे संकल्प को स्वीकार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान खादी ग्रामोद्योग अध्यादेश को अस्वीकार किये जाने के सम्बन्ध में जिन माननीय सदस्यों ने प्रस्ताव रखा है उसका मैं घोर विरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जिन्होंने इस अध्यादेश का विरोध किया और जिस प्रकार के भाषण दिये उससे मुझे ऐसा आभास हुआ कि उनकी अपनी दलीलों में ही विरोधाभास है। माननीय सदस्यों ने यह स्वीकार किया कि श्री माणिक्यलाल जी वर्मा को जिनको इस बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है वे बड़े अच्छे नेता रहे हैं। उनका यह कहना है कि उनको यह पद देकर उनको पद-दलित करने की कोशिश की जा रही है। सभी सदस्यों ने उनके गुणों की तारीफ की है किसी ने उनको गुरु स्वीकार किया है किसी ने उनको बड़ा नेता माना है, यह भी कहा गया कि ऐसे बड़े नेता को पिंजरे में बन्द करने की कोशिश की जा रही है।

उपाध्यक्ष जी, जहां तक वर्मा जी के चरित्र का सम्बन्ध है, उनकी लगन और ईमानदारी का सवाल है किसी ने शंका प्रगट नहीं की, किसी ने उनके व्यक्तित्व को बुरा नहीं कहा। उनका व्यक्तित्व बहुत ऊंचा है यह सभी ने माना है। राजस्थान की जनता इस बात को जानती है वर्मा जी का इस देश की आजादी के आन्दोलन में कितना सहयोग रहा और उनका किस प्रकार का त्याग था। यह सभी जानते हैं कि वे राजस्थान के उन उच्च कोटि के नेताओं में से हैं जिनमें श्री जयनारायण व्यास, विजय-सिंह पथिक आदि को माना जाता है। वे भूतपूर्व राजस्थान के मुख्य मंत्री रह चुके हैं। लोक सभा के सदस्य भी रह चुके हैं। उनसे भूमि सुधारों के बारे में हमें बराबर सत्परामर्श मिलता रहा है। सीलिंग कानून के बारे में भी परामर्श देते हैं। उनका इस बारे में यह मानना है कि यहां नक्सलबाड़ी जैसी स्थिति नहीं आने देनी चाहिये। उनका यह मानना है कि हम सीलिंग कानून लागू कर भूमि का बंटवारा कर लें। जो लोग जमीन के बंटवारे के सिलसिले में उनसे मिले उनका यह मानना था कि हमें राज-स्थान में भी भूमि का बंटवारा करना पड़ेगा इन सब बातों से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि वर्मा जी के व्यक्तित्व के बारे में, उनके चरित्र के बारे में किसी को कोई सन्देह नहीं है। यह सब मानते हैं कि उनका स्थान राजस्थान में ऊंचा रहा है।

इसलिए उनके लिए इस पद को सुशोभित करना अयोग्य नहीं कहा जा सकता।

दूसरी तरफ यह भी स्वीकार किया जाता है कि राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड में घोटाले रहे हैं, कर्मचारियों की दशा अच्छी नहीं है, इसका 55 से बनने के बाद का सारा

(श्री शंकरलाल)

ही इतिहास अच्छा नहीं रहा है, इसको भी सब स्वीकार करते हैं फिर समझ में नहीं आता कि उनके पास कौनसी दलील है जिसके आधार पर वे कहते हैं कि वर्मा साहब को अध्यक्ष नहीं बनना चाहिए था या आर्डिनेन्स नहीं लागू करना चाहिए था।

मैंने अभी अभी राजस्थान विधान सभा की जन लेखा समिति की रिपोर्ट का विवरण पढ़ा। उसमें लिखा है बोर्ड को 9 लाख रुपयों के प्रमाण-पत्र देने बाकी हैं जो बोर्ड की लापरवाही के कारण नहीं आ सके हैं। तो जहां एक और इस तरह की दुर्दशा और दुर्व्यवस्था विपक्षी सदस्य भी इस बोर्ड में होना स्वीकार करते हैं। उन्होंने तो यहां तक कह डाला कि खादी को पहनने वाले चोर कहलाते हैं परमिट लेने वाले कहलाते हैं। तो मैं इस बारे में नम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूँ कि इस प्रकार के शब्द उन्हें नहीं कहने चाहिए। न तो खादी पहनने वाले प्रत्येक आदमी चोर या साहूकार हैं, न खादी न पहनने वाला साहूकार या चोर हो सकता है। तो कपड़े पहनने पर कोई लांछन लगाना शोभा की बात नहीं हैं। कपड़े से कोई अच्छा बुरा नहीं होता।

आज भी खादी आजादी से पूर्व की तरह स्वदेशी भावना को जगाने वाली चीज है जिसे गांधी जी ने माना है तो अगर हम आज उस खादी की तरक्की करना चाहते हैं, ग्रामोद्योग पनपाना चाहते हैं तो आज एक ऊंचे आदमी को जरूरत है। विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों को खुद की दलीलों से ऐसा मालूम होता है कि जरूरत है तो अगर इसके लिए आर्डिनेन्स लाया गया तो यह अहितकर नहीं हो सकता। मैं समझता हूं कि एक महीने बाद सत्र होने वाला है पर जिस रोज यह महसूस हो गया उसी रोज आर्डिनेन्स ले आया जाना चाहिए था। यह तो फिर भी देर से लाया गया है। बोर्ड की दुर्दशा हो रही है तो इसे ठीक करने के लिए तो बहुत पहले आर्डिनेन्स लाना चाहिए था। जिसमें यह दुर्दशा की स्थिति हमारे सामने नहीं आती आज ऐसे आदमी की आवश्यकता है इसके लिये और अगर वर्मा जी जैसा आदमी चेयरमैन के पद पर आसीन किया गया तो मैं समझता हूँ कि इसका विरोध करना अच्छी बात नहीं है। यह राजस्थान के हित में है। राजस्थान के खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के हित में हैं।

यह कहा गया कि वर्मांजी ने इतनी 2 संस्थाएं चलाईं और किसी में सफल नहीं हुए यह सही नहीं है। आदिवासियों का सेवक संघ बनाने के बाद दशा सुधरी है। गाड़िया लुहारों की भी दशा सुधरी है। उनकी लगन, नीयत और व्यक्तित्व का जहां तक प्रश्न है कोई दो राय नहीं हो सकती। ऐसा एक व्यक्ति हमारे खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का चेयरमैन बना है।

यह भी कहा एक ने कि यादव साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए था। उनका पोर्टफोलियो छिन गया इसलिए। यह गलत है। यादव साहब स्वयं मानेंगे कि वर्मा साहब उनके लिए भी बड़े आदरणीय नेता हैं। फिर उनको भी अयोग्य समझना ठीक नहीं है। मिनिस्टरों के पोर्टफोलियो तब्दील होते रहते हैं। मन्त्री कई कार्यों में व्यस्त रहता है इसलिए इस संस्था का कार्य जैसा देखना चाहिये नहीं देख पाता था इसलिये

(श्री शंकरलाल)
इस के लिये तो वास्तव में उच्च, पवित्र और आदर्श व्यक्ति की आवश्यकता थी। इसलिये उनको आसीन किया गया।

रामानन्द अग्रवाल : आपने फिर यादव साहब के खिलाफ मेमोरेण्डम पर दस्तखत कैसे किये ?

श्री शंकरलाल : जो यह संशोधन प्रस्ताव रखा गया है वह रद्द किया जाना चाहिए। मैं इसका विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय सदस्य भी इसका विरोध करेंगे।

दो साल तक कम से कम हमें देखना चाहिए कि इसका क्या रिजल्ट आता है। फिर कुछ कह सकते हैं कि सुधार हुआ है या नहीं। आज कहना इस तरह के व्यक्ति के प्रति न्याय नहीं होगा। इन शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्रीजी।

श्री मूलचन्द डागा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय . . .

श्री उपाध्यक्ष : इसमें और अवसर आवेंगे यह विधेयक के रूप में आ रहा है।

श्री राम नारायण (मंडावा) : उपाध्यक्ष महोदय, दोनों साथ साथ हो जाते तो अच्छा होता। तो मैं भी आपके माध्यम से अपने विचार सदन के सामने रखना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। इसके पश्चात् विचारार्थ लिया जावेगा, फिर पारण करने का प्रस्ताव आवेगा तो काफी समय तक उस समय आप बोल सकेंगे। अभी मन्त्री महोदय जवाब देंगे फिर संकल्प पर मतदान करने का ही प्रश्न है।

श्री अमृतलाल यादव (यातायात मन्त्री): माननीय उपाध्यक्षजी, इस आर्डिनेन्स के जरिये से श्रद्धेय माणिक्यलालजी वर्मा को खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया इस पर आपत्ति प्रस्तुत की माननीय सदस्यों ने और कहा कि इसकी इतनी अत्यन्त आवश्यकता क्या थी? इसके अलावा उन्होंने वर्मा साहब के सम्बन्ध में भी कुछ बातें कहीं।

मैं यह आपको निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड जो काम करता है वह केवल एक राजस्थान में ही खादी का काम नहीं करता बल्कि संसद के एक एक्ट के जरिये भारत सरकार ने एक खादी कमीशन संस्था मुकर्रर की है और हर जगह स्टेट बोर्ड बने हैं जिनको कि रकम खर्च करने के लिए और काम करने के लिये दी जाती है और खादी कमीशन द्वारा अखिल भारतीय खादी बोर्ड के सदस्यों की जो कि स्टेट बोर्ड के अध्यक्ष भी होते हैं उनकी भी मीटिंग समय समय पर इन कार्यों का सिंहावलोकन करने के लिए की जाती हैं।

स्टेट्स में जो इसका ढांचा तय किया गया वह सब जगह ऐसा किया गया कि जहां पर भी स्टेट बोर्ड मुकर्रर किया जावे वहां पर सम्बन्धित मन्त्री इसका अध्यक्ष हो। यह एक पहला प्रयोग था जो कि किया गया।

काम करते करते पिछले चार पांच सालों में कमीशन ने, और भारत सरकार ने, और इस ट्रेड में काम करने वाले कार्यकर्ताओं ने, विशेषज्ञों ने भी यह महसूस किया कि चूंकि राज्य मन्त्री मण्डल के सदस्य अन्य कार्यों में

(श्री अमृतलाल यादव)

बहुत व्यस्त रहते हैं इसलिए अपना उचित समय इस काम में नहीं दे पाते और यह एक ऐसा सर्वव्यापक काम है जिसमें कम से कम अध्यक्ष को ऐसा होना चाहिए जो अधिक से अधिक समय इस काम की देखभाल में दे सके।

इससे माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोई अपरिचित नहीं है कि हमारे देश में जिस प्रकार से गरीबी, दरिद्रता और बेकारी है उसको हल करने की दिशा में कोई क्रियाशील और व्यवहारिक कदम ऐसा उठे जिससे इन सब समस्याओं का समाधान हो जाये। यह लक्ष्य महात्मा गांधीजी का था और यहां आप यह देखेंगे कि औद्योगिक दृष्टि से जो देश आगे बढ़ा हुआ हो वहां भी हस्तकला उद्योग और ग्रामोद्योग का अपना एक महत्व है। बल्कि उस बढ़े हुए औद्योगीकरण से जो लोग वहां बेकार रहते हैं उनको कैशडोल भी देना पड़ता है। लेकिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने इस बात को इस रूप में ज्यादा ठीक समझा कि कैशडोल बैठे हुए व्यक्ति को देने के बजाय स्वल्प साधनों से वह स्वयं कुछ काम कर सके और उसकी आजीविका निकल सके तो उस व्यक्ति का स्वाभिमान भी जागेगा और उसको काम भी मिलेगा। यह मैं निवेदन नहीं कर रहा हूं बल्कि पालियामेंट और पालियामेंट के सदस्यों ने भी इसको स्वीकार किया है और देश के अर्थशास्त्री भी इसको स्वीकार करते हैं कि खादी कमीशन के जरिये और स्टेट बोर्ड के जरिये हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों को रोजी रोटी मिली है और जो ट्रेडीशनल आर्टीजन्स हैं, जो कारीगर हैं और परम्परागत कारीगर हैं, जो गांवों के अन्दर बुनकर हैं, रंगरेज हैं, लुहार हैं, खाती हैं इस प्रकार के जितने लोग हैं वह स्वल्प साधनों में अधिक से अधिक काम करें और उनको इसके लिए आजीविका मिली हो तो यह कोई कम महत्व की बात नहीं है और इसको किसी मील या बड़े उद्योग के मुकाबिले में कम समझा जाये। यह महसूस किया गया कि इन कामों को अधिक बढ़ाया जाये और इसके लिए जितना स्कोप हो सकता हो उसको बढ़ाया जाये। अधिक से अधिक रोजगार लोगों को मिले। तो यह बात कमीशन में महसूस की गई कि ऐसा वक्त आ गया है इस कार्य के लिए स्टेट बोर्ड के अध्यक्ष के स्थान पर मन्त्री की जगह कोई भी सेवाभावी और अनुभवी, पूरे टाइम के लिये अध्यक्ष मुकर्रर किया जाये जो कि अपना पूरा समय उसमें लगाकर स्टेट के जितने रिसोर्सेस हो सकते हैं, उनको अपने सामने लाकर उपयोग कर सके और अधिक से अधिक लोगों को काम दे सके। इस दृष्टि से यह कमीशन में महसूस किया गया था और कमीशन के अध्यक्ष श्री ढेबर भाई की तरफ से सभी राज्य सरकारों को लिखा भी गया कि यह व्यवस्था हम लोग चाहते हैं कि राज्य के मन्त्री के स्थान पर अगर कोई सेवाभावी, त्यागी पुरुष इसके लिए सम्पूर्ण समय के लिए रखा जा सके तो यह ज्यादा उपयुक्त हो सकेगा। तो यह विचार चलते थे और इन विचारों के चलने के साथ साथ राज्य सरकार भी इस बात को सोचने के लिए विचार करती थी। तो वहां से इस प्रकार की इन्सट्रक्शन्स हैं और उसके बाद में अशोक मेहता कमेटी जैसा कि यहां जिक्र किया गया वह बैठी और उस कमेटी ने भी इस बात को महसूस किया कि यह जो अधिक सदस्य होते हैं वह अधिक सदस्य नहीं होकर कम सदस्य रखे जायें तो ज्यादा उपयुक्त होगा और ज्यादा काम्पेक्ट तरीके से बोर्ड

(श्री अमृतलाल यादव)

काम कर सकेगा। यद्यपि इस अशोक मेहता कमेटी की जो रिकमन्डेशन्स हैं वह अभी भारत सरकार के विचाराधीन हैं लेकिन रिपोर्ट में इस बात का विचार किया है इसका एक पोरशन में आपको यहां सुनाना पसन्द करूंगा :

The State Khadi & Village Industries Boards have become a rather unwieldy boby; thus for example, in the States of Madhya Pradesh, Kerala, Mysore, Orissa, Punjab, Rajasthan etc., the Board consists of 15 members. We feel that this is too large a membership for any effective deliberation or useful work.

इस दृष्टि को लेकर यह दूसरी तजबीज की गई कि जो 16 सदस्य हैं उनके स्थान पर 12 सदस्य नियुक्त किये जायें और जब अध्यक्ष और सदस्य नियुक्त किए जाते हैं तो उनके भत्ता और वेतन आदि का प्रावधान करना आवश्यक हो जाता है।

जहां तक श्रद्धेय माणिक्यलाल जी वर्मा के सम्बन्ध में सवाल है उनको राज्य सरकार ने मन्त्री स्तर का पद दिया और वह सब सुविधायें उनको प्रदान कीं लेकिन माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि श्रद्धेय माणिक्यलाल जी वर्मा ने यहां मन्त्रियों को 1250 रुपये का वेतन मिलता है वहां उन्होंने अपनी स्वेच्छा से वेतन में कटौती कर 500 रुपये ही स्वीकार किए हैं। जहां उनको एक मकान यानि वैल फर्निश्ड मकान का प्रावधान है वहां उन्होंने अलग मकान न लेकर खादी बोर्ड के दफ्तर में जो एक कमरा है उसी को अपना निवास रखा है इसके अलावा उनके पास 2 टेली-फोन रहते हैं उनकी जगह पर एक ही टेलीफोन उन्होंने स्वीकार किया है ...

श्री श्रवणलाल (हिण्डौन सु.) : इसके साथ ही साथ यह भी बता दें कि उन्होंने अब तक टी. ए., डी. ए. कितना उठा लिया है ?

श्री अमृतलाल यादव : यह अलग से पूछ लेना। मैं अभी कोई हिसाब लगाकर नहीं बैठा हूं। वह आप प्रश्न पूछेंगे तो जवाब दे दूंगा।

श्री श्रवणलाल : एक हजार ले चुके हैं टी. ए., डी. ए. का अब तक ?

श्री अमृतलाल यादव : यह सूचना आपके पास होगी, मेरे पास नहीं है। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि आप स्वयं ही देख सकते हैं इसमें कोई शक नहीं है कि यह सब उन्होंने किया और माननीय सदस्यों ने इस बात को स्वीकार किया है कि श्रद्धेय माणिक्यलाल जी वर्मा न केवल राजस्थान के बल्कि देश के एक त्यागी, तपस्वी नेता हैं और उनकी देशभक्ति और देश के लिये की गई कुरबानी के लिए उन सब ने इस बात को स्वीकार किया है। तो एक तरफ यह स्वीकार करना कि वह त्यागी, तपस्वी और पुराने देशभक्त हैं और दूसरी तरफ यह आक्षेप लगाना कि वह किसी पद या पैसे के प्रलोभन से इस बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं यह दोनों कान्ट्राडिक्टरी बातें हैं, एक दूसरे के विरोधाभास की बातें हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी पर यह आक्षेप लगाने की कोशिश की गई कि वे श्री माणिक्यलाल जी वर्मा को इस पद और पैसे के प्रलोभन में फंसाकर एक उद्देश्य की पूर्ति करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मैं कहना

(श्री अमृतलाल यादव)

चाहता हूं कि उन्होंने अपने उद्देश्य की पूर्ति की हो या नहीं लेकिन सदन में माननीय सदस्य इस बात की कोशिश जरूर कर रहे हैं कि जो एक अनुभवी और त्यागी व्यक्ति जो कि उस काम को अधिक से अधिक बढ़ा सकेगा जो उनका पवित्र उद्देश्य है उसमें भी राजनैतिक तौर से अपने विचार व्यक्त करना कहां तक मुनासिब बात हो सकती है ? इस पर विचार किया जाना चाहिये। मैं समझता हूं कि यह मुनासिब नहीं होगा और भी कई क्षेत्र हो सकते हैं जिनके बारे में हम लोग आपस में राजनैतिक विवाद में पड़ सकते हैं। लेकिन इसमें भूखों नंगों को रोटो देने का सवाल है और जिसमें देश के उद्योगों को प्रोत्साहन देने का सवाल है और प्रदेश में अधिक से अधिक लोगों को रोजी देने की बात है उस काम को आगे बढ़ाने के लिए और उस जैसे पवित्र उद्देश्य के लिए यह आक्षेप करना मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों के लिए मुनासिब नहीं होगा।

मैं यह जरूर निवेदन करना चाहता हूं कि वह यह कहते हैं कि इस अध्यादेश की ऐसी तत्काल आवश्यकता क्या थी ? मैं इसके बारे में आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि खादी बोर्ड का बजट बनाकर के खादी कमीशन में मन्जूर होने के लिए जाता है और वहां से जो मन्जूर हो जाता है उसके लिए सब संस्थाओं से डिसकशन करना पड़ता है और संस्थायें सारे राजस्थान में फैली हुई हैं और उन संस्थाओं में कईयों में अव्यवस्थायें भी हैं।

(उ.म.प.)

उनको व्यवस्थित करने का प्रयत्न करना और उनके लिए उपयुक्त काम क्या हो सकता है इसे देखना, ऐसी संस्थाओं को और उनके बजट को अच्छी तरह से देखभाल करके काम करना, यह सम्भव तभी हो सकता है जब अध्यक्ष स्वयं वहां जाकर वहां के कार्यों को देखकर वहां की आवश्यकताओं को जज करे और इस बात को देखकर फिर उनके साथ निर्णय करे कि उस बजट को ऐसा बना सके कि जिससे कम वर्षों में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले। कोई संस्था या पदाधिकारी उसमें दुरुपयोग न कर सकें। अगर भारत सरकार से सम्भव हो सकता है तो वहां से कोशिश की जाये तो इसकी आवश्यकता महसूस की गई कि एक पूरे समय का अध्यक्ष हो श्रद्धेय वर्मा जी योग्य व्यक्ति इस काम को हाथ में ले तो वह इसे करे। जिससे कि काम करने का समय मिल सके। इसलिये इस आर्डिनेंस की आवश्यकता हुई। इसमें उनकी नियुक्ति के बाद ही कार्य कर सकते हैं। इस नियुक्ति के बाद भी वह देखकर कार्य कर सकते थे मैं आपको निवेदन करूं कि इस डेढ दो महीने में ही जब से वह आये हैं उन्होंने जाकर स्वयं बुनकरों और कतिनों से जानकारी हासिल की है। उनको कहां कितने चरखे देना है, यह भी कोशिश की है। ऐसे क्षेत्र में किस प्रकार से बढ़ावा दिया जा सकता है ? अधिक से अधिक लोगों को किस प्रकार से रोटी रोजी मिल सकती है। जिन संस्थाओं में गड़बड़ियां हैं उन्होंने भी यह महसूस किया है कि यह गड़बड़ियां अधिक दिनों तक नहीं चल सकती हैं। जहां तक कतनों का सवाल है तो मैं निवेदन करूं कि जिस प्रकार शरीर में रीढ़ का स्थान है उसी प्रकार से उनका ऐसे कार्य में स्थान है। मैं आप को उपाध्यक्ष महोदय, यह बतलाना चाहता हूं

(श्री अमृतलाल यादव)

कि उन्होंने इस बात को जजकर, यह माना है। वह इस दिशा में क्रियात्मक कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से कतिनों को और बुनकरों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुँचा सकते हैं। इसके अतिरिक्त खादी कर्मचारियों के बारे में जो कहा गया है कि कभी भी कर्मचारियों को निकाला जा सकता है। कभी भी रखा जा सकता है। इसके बारे में मैं निवेदन करूं कि खादी बोर्ड के कर्मचारियों पर आर० एस० आर० रूल्स लागू होते हैं। एक चेन बनी हुई है। यह कहना कि वहां कोई नियम नहीं है, यह बात सही नहीं है। उनके ऊपर नियम हैं। इसके अलावा जो बुनकर हैं, उनके वेलफेयर का काम उन संस्थाओं पर है, जिसके लिए लाभ का काम संस्थाएं कर सकें। तो मैं आप से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस सदन में भी माननीय सदस्यों ने समय समय पर संस्थाओं के काम की आलोचना की है और जो संस्थाएं खादी का काम करती हैं, ग्रामोद्योग का काम करती हैं, उनकी भी आलोचना हुई है। तो यह उपयुक्त समझा गया कि पूरे समय का अध्यक्ष रखा जाये जो यह देख सके कि राजस्थान में भूखे नंगे लोग हैं, उनको अधिक से अधिक काम दिया जा सके। इस दृष्टि से अध्यादेश लागू किया गया। इस काम को आगे बढ़ाने की दृष्टि से किया गया। मैं समझता हूँ कि माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन इस अध्यादेश पर रखे गये प्रस्ताव को अस्वीकार करेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार) : यह सरकार ने निर्णय कब लिया कि खादी बोर्ड का चेयरमैन नान-ऑफिशियल हो। जैसा कि आप ने अभी कहा है कि सरकार ने यह निर्णय लिया है कि चेयरमैन नान-ऑफिशियल हो।

श्री अमृतलाल यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने निर्णय लिया है। तारीख मुझे याद नहीं है। जो कुछ मैंने निवेदन किया है, उससे माननीय सदस्यों को सन्तुष्ट हो जाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकिशन
श्री दुर्गालाल बाड़बार
श्री मनोहरसिंह मेहता
श्री दौलतराम सारण
और श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
ने संशोधन प्रस्तुत किये
हैं। इस पर मतदान।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संकल्प सदन में प्रस्तुत किया उसके सम्बन्ध में माननीय मन्त्री महोदय ने जो उत्तर दिया है और रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य शंकर लाल जी ने···

एक माननीय सदस्य : जैतारण से।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जैतारण से आने वाले माननीय सदस्य श्री शंकर लाल जी ने जो दलील प्रस्तुत की है उससे ऐसा लगता है कि उनके स्वयं के विचारों में काफी विरोधाभास है। एक तरफ तो श्री वर्मा जी के व्यक्तित्व की सराहना की है। सराहना के बावजूद खादी बोर्ड के कार्यों की आलोचना भी की है। उन्होंने दबी जुबान से इस बात को स्वीकार किया है कि खादी बोर्ड के जो पहले चेयरमैन थे वह बिल्कुल अयोग्य थे। साधारण मामलों में भी वह निकम्मे थे।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

मैं उनकी दबी जुबान से जो कुछ उन्होंने कहा है, उनके साहस की सराहना करता हूँ। यदि कांग्रेस पार्टी में इस प्रकार के साहसी व्यक्ति पैदा होंगे तो सुखाड़िया जी ने जो गुलाम वंश की परम्परा डाली है, वह समाप्त होगी।

श्री रामकिशन : ये स्वतन्त्र और गुलाम दोनों ही प्रकार के हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरा स्टेच्युटरी सब्स्टेंटिव मोशन है। इसलिए मैं जब तक जवाब नहीं दूंगा, बहस समाप्त नहीं होगी। कानूनी दृष्टि से बहस समाप्त नहीं होगी। मतदान नहीं होगा। इसलिए मुझे जवाब देने का नियमानुसार अधिकार है।

तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था, इस सारी हालत में माननीय मन्त्री जी ने जो उत्तर दिया और जैतारण से आने वाले माननीय सदस्य ने पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी के रेफरेंस दिये हैं। और अभी तक के जितने भी चेयरमैन थे वह उन घोटालों को दूर नहीं कर सके, खादी की संस्थाओं की हालत बुरी रही है यह बात उन्होंने स्वीकार की है, तो मैं चाहता था, उपाध्यक्ष महोदय...

श्री शंकरलाल : आपने स्वीकार की है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैंने आरोप लगाये हैं, आपने स्वीकार की है। आपको इसमें डरने की जरूरत नहीं है। सुखाड़िया जी के राज्य में जिसने भी जरा जूता लगाया वही मन्त्री बनेगा। मूलचन्दजी! पगचम्पी करना यदि जानते हैं तभी उनका नम्बर आयेगा। मैं निवेदन कर रहा था, मैं माननीय मन्त्री जी से एक बात पूछना चाहता हूँ, श्री माणिक्यलाल वर्मा और उनके व्यक्तित्व के सम्बन्ध में सामान्यतः मैंने कोई बात नहीं कही लेकिन उनके त्याग के बारे में, उनके अनुभव के बारे में, उनकी निष्ठा के सम्बन्ध में, उनकी ईमानदारी को प्रामाणिकता के सम्बन्ध में माननीय मन्त्री जी ने बड़ी जोरदार अपील की है, मैं इस राज्य सरकार से और कांग्रेस के माननीय सदस्यों से एक बात पूछना चाहता हूँ कि श्री माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा दी गई उक्ति और उनके द्वारा दिये गये परामर्श के अनुसार क्या राज्य सरकार ने कदम उठाया है, क्या किसी प्रकार का कोई कार्य किया है? जिस समय श्री माणिक्यलाल वर्मा विमुक्त जाति संघ के चेयरमैन थे, उन्होंने इस राज्य सरकार को परामर्श दिया था और यह आपत्ति की थी कि राजस्थान विमुक्त जाति संघ के द्वारा संचालित जयपुर से पांच मील दूर पर सांसी और कंजरों के नाम पर जो केन्द्र था उसकी जमीन पर हरिदेव जोशी ने नाजायज कब्जा किया है, उनको उस नाजायज कब्जे से हटाया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में श्री माणिक्यलाल जी ने स्पष्ट परामर्श दिया है, स्पष्ट राय दी है कि राजस्थान के सांसी कंजरों को जो जमीन है उस पर राजस्थान सरकार के वर्तमान उद्योगपति श्री हरिदेव जोशी ने नाजायज रूप से कब्जा किया है...

श्री रघुनाथ विश्नोई : उद्योग मंत्री उद्योगपति कैसे हो गये?

श्री रामकिशन : यह नई परम्परा है। उद्योग मंत्री उद्योगपति हो जाते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उन्होंने जो यह सलाह दी थी उसके सम्बन्ध में इस सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। क्या श्री माणिक्यलाल जी के विचारों की यही कद्र करते हैं? मैं निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, वर्मा जी ने सीमावर्ती क्षेत्रों के अराष्ट्रीय व्यक्तियों के खिलाफ जिहाद बोला, उसके सम्बन्ध में इस सरकार ने क्या कार्यवाही की है? उनको दबाने का षडयंत्र और कुचक्र यह राजस्थान सरकार कर रही है। एक तरफ आप उनकी तारीफ करते हैं दूसरी तरफ उन्हें हतोत्साहित करने के लिए कोशिश करते हैं। अपने कामों को जस्टीफाई करने के लिए और अपने कदम को उचित ठहराने के लिए इस प्रकार की थोथी दलील देना उचित नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी और राजस्थान की सरकार से पूछना चाहता हूं कि इन खादी बोर्ड के घोटालों के लिए राजस्थान की इस विधान सभा में जिस समय मामला उठाया गया था, उस समय राजस्थान की सरकार ने एक समिति की घोषणा की थी, उस समिति का क्या हुआ? क्या उस समिति की बैठक हुई? क्या उस समिति ने खादी बोर्ड के घोटालों की जांच की? मैं समझता हूं कि उस समिति को डिफेक्ट कर दिया है। यहां इस सदन में इस प्रकार के आरोप लगाये जायं और उसके ऊपर एक समिति का गठन करे–उसका परिणाम क्या हुआ? इस खादी बोर्ड में घोटाले हुए हैं और खादी बोर्ड के घोटाले और यह खादी बोर्ड ही इस खादी बोर्ड के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री हरिभाऊ उपाध्याय को ले बैठा, और खा बैठा राजनीति से। आप वैसी ही हालत माणिक्यलाल वर्मा की करना चाहते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस खादी बोर्ड के सिलसिले में आर्डिनेन्स निकालने का जस्टीफिकेशन और कारण है वह मन्त्री महोदय ने नहीं बताया। इसके अलावा राज्य सरकार ने कब इस सम्बन्ध में निर्णय लिया, किस महीने में लिया, वह महीना और तारीख उन्हें याद नहीं हैं। उन्हें सन और सम्वत् याद नहीं है। अगर इस प्रकार से मन्त्री महोदय सदन के सामने आयें और कहें कि हमारी राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है और वह निर्णय, उस सारे निर्णय का आधार, उस निर्णय की जानकारी उनको नहीं है। तो इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, न तो उन्होंने इस बात का जवाब दिया कि संविधान के अन्तर्गत जो असाधारण शक्तियां राज्यपाल महोदय को दी गई हैं, उनका इस्तेमाल करने की क्या आवश्यकता थी? जैतारण से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि यह आर्डिनेन्स पहिले आना चाहिए था। पहले कब आना चाहिए था? मई या मार्च में? मई या मार्च में आना चाहिए था तो उस समय आर्डिनेन्स की जरूरत नहीं होती, उस समय तो बिल लाया जा सकता था। यदि उसके पहिले निर्णय ले लिया गया था तो उसके बाद में बजट अधिवेशन में एक विधेयक लाना चाहिए था। इसलिए वह जो दलील देते हैं उसका कोई आधार नहीं है। इन सारी बातों के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज राजस्थान सरकार और कांग्रेस के मित्र समझ लें कि उन्होंने संविधान की शपथ खाई है, उसकी सौगन्ध खाई है तो उसकी धाराओं और प्रावधानों की सुरक्षा–यह हमारा मूलभूत अधिकार है, यह हमारा मौलिक कर्त्तव्य है–उससे हम डिगें

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

नहीं। यदि हम राजस्थान सरकार की आलोचना नहीं करते हैं लेकिन जिस प्रकार राजस्थान सरकार अध्यादेशों के द्वारा व्यक्ति विशेष की नियुक्ति करती है–यह परम्परा बिल्कुल निन्दनीय है। इसके लिए राजस्थान सरकार को माफ नहीं किया जा सकता है। इसलिए इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने जो भी दलीलें दी हैं उनमें इस अध्यादेश को जारी करने का कारण या परिस्थितियां, जिनमें संविधान के अन्तर्गत दी गई असाधारण शक्तियों का उपयोग किया गया, इस प्रकार का कोई तर्क या दलील उपस्थित नहीं की गई है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जो प्रस्ताव इस सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया है उसको यह सदन स्वीकार करे और इस अध्यादेश को अस्वीकार करे। उसके बाद में एक विधेयक पर विचार करें और उसमें जो प्रावधान किए गए हैं उन पर निधड़क और बेधड़क होकर अपने विचार रखें। इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है–यही मैं निवेदन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है · · ·

श्री रामकिशन : पांच आदमियों का रिप्लाई का राइट है।

श्री उपाध्यक्ष : एक ने जवाब दे दिया है। बाकी के लिए आगे अवसर आयेगा।

श्री रामकिशन : कुछ एडीशनल फैक्ट्स!

श्री उपाध्यक्ष : एडीशनल फैक्ट्स आप नहीं दे सकते।

संकल्प पर मतदान!

प्रश्न यह है कि यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय, द्वारा दिनांक 22 जून, 1968 को प्रख्यापित, राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 1968 (अध्यादेश सं. 1 सन् 1968) को अस्वीकार करता है।

(ध्वनि मतदान के पश्चात्)

श्री रामकिशन : इनमें से बहुतों को होश नहीं है कि ना किस बात की कह रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ना पक्ष जीता!

(अस्वीकृत)
संकल्प गिर गया

श्री रामकिशन : बृजसुन्दर जी से पूछें, किस बात के लिए पूछ रहे हैं। यह कह रहे हैं कि बूंदी जाना है, इसलिए कह रहे हैं ना। इस बात के लिए कह रहे हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : सब पढ़ लिया है तैयार होकर आते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय!

श्री अमृतलाल यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1968 को विचारार्थ लिया जाय।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने सम्बन्धी प्रस्ताव

(1) श्री गोकुल प्रसाद शर्मा (वि.सं. 31)	द्वारा क्रमशः प्रस्ताव किया गया कि:–
(2) श्री जुझारसिंह (वि.सं. 43)	
(3) श्री रामानन्द अग्रवाल (वि. सं. 137)	
(4) श्री नत्थीसिंह (वि. सं. 60)	

"राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1968 को एक सप्ताह छः माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये।"

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा (बीकानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, जो विधेयक लाया गया है खादी ग्रामोद्योग के सम्बन्ध में इसको बहुत पहले लाने की ग्रावश्यकता थी···

श्री उपाध्यक्ष : पिछले सत्र में ही लाना था।

श्री रामकिशन : नहीं साहब ! यह नहीं कह रहे हैं। जन्म से पहले, खादी ग्रामोद्योग के जन्म से पहले।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : ठहरो भाई।

श्री शंकरलाल : ग्राप क्यों रुक रहे हैं ?

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : मैं इसके बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड में, उसकी संस्थाग्रों में जिस प्रकार के घोटाले हो रहे हैं, जितना ज्यादा खर्चा हो रहा है, जितना फिजूल खर्च हो रहा है, राजस्थान की जनता का धन फिजूल खर्च हो रहा है वह वर्षों से होता ग्राया है। जिस समय मन्त्री महोदय उसके ग्रध्यक्ष थे उसके पहले ही यह देख लेना चाहिए था कि जब तक कोई सार्वजनिक जीवन का ग्रादमी, जो जन साधारण का काम है खादी ग्रामोद्योग, इसके बोर्ड में ग्रध्यक्ष नहीं बनेगा, तब तक वह ठीक तरह से नहीं चल सकेगा। मैं कहता हूं कि घोटालों की बात जब पहले मालूम थी तो यह विधेयक मार्च-ग्रप्रेल में ला सकते थे। बीच में ग्राडिनेन्स लाना कोई ग्रच्छी बात नहीं है। हमेशा ग्रध्यादेश लाकर, कोई न कोई ग्रध्यादेश लाकर काम करना यह ऐसी बुरी परम्परा है जिससे मालूम पड़ता है कि जैसे प्रजातन्त्र दबता जा रहा है। यह बहुत बुरी बात है। ग्रध्यादेशों से राज्य चलायेंगे तो इस राज्य को क्या कहेंगे। ग्रध्यादेश पहले चला करते थे ग्रंग्रेजों के समय में तो उसको हमने काला कानून कहा था। इसका उद्देश्य तो ठीक है लेकिन ग्रध्यादेश लाने की परम्परा बिल्कुल गलत है। खादी ग्रामोद्योग में हमें सफलता प्राप्त करनी है तो वर्मा साहब जैसे ग्रादमी की ग्रावश्यकता है। वर्मा साहब ने क्या कहा ग्रौर सरकार ने उस पर क्या किया, या वर्मा साहब ने यह काम किया, यह सरकार ने कहा–यह सब कुछ नहीं चाहिए। वर्मा साहब, को इसमें इसलिए लाये हैं कि उन्होंने यह तय किया है, जैसा मन्त्री महोदय ने बताया, कि उन्होंने बंगले के लिए कह दिया है–मैं नहीं लेता, मैं ग्रपने रहने के लिए बंगला नहीं लेता। इसके ग्रलावा बारह सौ के बजाय, जो मंत्री जैसा वेतन है, वह पांच सौ लेते हैं। उन्होंने इस बोर्ड में ग्राकर ग्रपने त्याग की साक्षी दी है कि ग्राप उनका ग्रनुकरण करें। मैं समझता हूं कि वर्मा साहब से बड़ा परिवार ग्राज किसी का नहीं है। उनके जैसा खर्च ग्राज किसी का नहीं है। उनके यहां कितने लोग ग्राते हैं ग्रौर कितने लोग जाते हैं। लेकिन वह सिर्फ पांच सौ रुपया लेते हैं। क्या मन्त्री महोदय उनका ग्रनुकरण करेंगे ? क्या मन्त्रिमण्डल के सदस्य उनका ग्रनुकरण करेंगे ? उस वयोवृद्ध त्यागी व्यक्ति के लिए लोगों ने कहा कि उनका खादी में विश्वास नहीं है। मैं समझता हूं कि उनके पास खादी का रूमाल

(श्री गोकुल प्रसाद शर्मा)

होता है और खादी की सारी चीजें पहनते हैं। लेकिन खादी वाले लोग कुछ नाराज हो गये हैं क्योंकि वह स्पष्टवादी हैं और उनको बेईमानी बर्दाश्त नहीं है। उन्होंने आज नहीं तीन चार साल पहले ढेबर भाई से कहा कि फलां संस्था में गडबड़ी हो रही है उसमें सुधार करो। इसलिए मैं कहता हूं कि वर्मा साहब जैसे व्यक्ति की आवश्यकता है। उनके लिए कहा कि वर्मा साहब तो खादी में विश्वास नहीं करते इसलिए उनको नहीं रखा जाय। वर्मा साहब के खादी ग्रामोद्योग बोर्ड में चेयरमैन बनने के बाद घोटाले करने वालों की हवा बन्द हो गई है, वह वहां से भाग छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, वह सोच रहे हैं कि पिंड कैसे छूटे। ऐसे कुछ लोग उनके खिलाफ बोलते हैं कि खादी में इनका आना ठीक नहीं है। मैं समझता हूं कि खादी बोर्ड में वह सुधार करेंगे।

न्यूनतम वेतन का जहां तक सवाल है। मैं मंत्री महोदय से एक प्रश्न करना चाहता हूं जिसका वह जवाब दे दें। आपने जिस जाति में जन्म लिया है वह बिल्कुल महनतकश कौम है। ऐसे लोगों के लिए जब तक न्यूनतम वेतन लागू नहीं होगा और खादी में काम करने वाले व्यक्तियों की नौकरी के स्थायित्व की जिम्मेदारी नहीं लेंगे तब तक इसमें सुधार नहीं होगा। खादी कमीशन के लिए आपने बता दिया है कि उस पर आर. एस. आर. लागू होता है। लेकिन क्या खादी की संस्थाओं में यह लागू होता है जहां पर कि काम चलता है? यह आप नहीं जानते। कतवारियों को छः आना, आठ आना दिया जाता है और बुनकर जो हैं उनको दो रुपये भी नहीं मिलते हैं। यह सब शिड्यूल्ड कास्टस और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं। उनके लिए मैं समझता हूं, वर्मा साहब निश्चित रूप से सोचेंगे और काम करेंगे जिसको आप नहीं कर पाये, गवर्नमेंट नहीं कर पाई। वर्मा साहब के बारे में किसी ने बताया कि वह आदिवासी संघ में थे। विमुक्त जाति संघ, भारत सेवक समाज, मैं समझता हूं, इनमें काम करते हुए उन्होंने जितना काम किया है उतनी जगह का तो आप नाम भी नहीं जानते होंगे। इतना उन्होंने काम किया है। उनके लिए कहा कि जो सीमावर्ती क्षेत्र में शिक्षण संस्थायें चलती हैं उनमें खराबी हो रही है। मैं कहता हूं कि उन्होंने वहां नक्शा बदल कर रख दिया है। सीमा पर जो रहते हैं और जो वहां जाते हैं वह जानते हैं कि उन्होंने क्या काम किया है। पहले वहां के लोग डर के मारे हैरान होते थे, वह आज वहां बहादुरी के साथ खड़े हैं। वह कहते हैं कि हम सिपाही हैं। उनके छात्रावासों से जो भी लड़का निकलता है बाहर वह यह कह कर निकलता है कि मैं सीमा की रक्षा के लिए जिन्दा रहूंगा। वर्मा साहब ने अच्छा काम किया है। मैं समझता हूं कि खादी ग्रामोद्योग बोर्ड में वह काम करेंगे, उससे आप लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए कि हम शासन और संस्थायें कैसे चलायें।

यहां वर्मा साहब की प्रतिष्ठा घटने की बात कही गई। यह नहीं है। उनकी प्रतिष्ठा बढ़ गई और बढी हुई है और इन दिनों घटने का प्रश्न ही नहीं उठता। उनकी और प्रतिष्ठा बढ़ी है कि मंत्री का वेतन और मंत्री का पद और सुख सुविधायें देने के बाद भी उन्होंने उनको स्वीकार नहीं किया और कह दिया कि इससे कम वेतन मैं लूंगा उन्होंने जो कुछ किया है ठीक है। मैं तो यही

(श्री गोकुल प्रसाद शर्मा)

निवेदन करूंगा कि वर्मा साहब से आप लोग कुछ न कुछ शिक्षा लें। आपको इसके अन्दर जोड़ देना चाहिए न्यूनतम वेतन इतना होगा, इससे कम नहीं मिलेगा। आपने इसमें रखा है कि 12 में से 8 सदस्य पब्लिक के होंगे और 4 सरकारी अधिकारी होंगे

(3.20 म. प.)

(श्री केदार नाथ, सभापति, पदासीन)

आपने इसमें 3–4 बातें रखी हैं उनमें पूरा परिवर्तन करना चाहिए था, तो ज्यादा अच्छी बात होती। अगर आपने परिवर्तन नहीं किया है तो आप इसको जनमत जानने के लिए भेज दें, वह जनता आप से कह देगी कि इसमें सम्पूर्ण सुधार होना चाहिए, आमूल-चूल परिवर्तन कराना जरूरी है। तब आपको मालूम हो जायगा कि कितनी पोलें हैं। सारे जोहरियों के कब्जे में हैं। खर्चे को आपको कम करना होगा।

श्री जुझारसिंह : सभापति महोदय। राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1968, पर मेरा प्रस्ताव है कि इसे जनमत जानने के लिए भेजा जाय। मैंने जनमत जानने का प्रस्ताव इसलिए किया है कि विधान सभा और राजस्थान सरकार को यह जानने की आवश्यकता है कि पिछले 20 वर्षों में खादी के लिए जनता में विश्वास बढ़ा है या घटा है। यदि घटा है तो उसके कारण क्या हैं? वैसे हिन्दुस्तान में कांग्रेस के जमाने से हो नहीं, वर्षों पहले से और पीढ़ियों से बहुत अच्छे वस्त्र बनते थे, खादी कोई नई चीज नहीं थी जो गांधीजी से पहले भी अच्छी नहीं बनती रही हो। गांधीजी ने कई पहलुओं को ध्यान में रखते हुए खादी को प्रोत्साहन दिया था। उन पहलुओं में आर्थिक पहलू था, राजनैतिक पहलू था और दूसरे पहलू भी थे। आर्थिक पहलू इस दृष्टि से था कि कांग्रेस और राजनीति में आने से पहले हमारा समाज और खास तौर से शिक्षित समाज इतना वेस्टर्न माइन्डेड हो गया था, उनके कपड़ों में और वेशभूषा में इतनी निष्ठा बढ़ गई थी कि यहां की हर चीज को नीचा देखने लगे थे। हिंदुस्तान की चीज के लिए हिन्दुस्तान के आदमियों में आस्था जागृत हो, उनकी अपने घर की चीज में आस्था बढ़ाने के लिए, गांधीजी खादी पर जोर देते थे और जवाहरलालजी के शब्दों में इस खादी को उन्होंने "लिवरी आफ फ्रीडम" बताया था आज सब महानुभाव और कांग्रेसी सदस्य जानते हैं कि कहां तक यह "लिवरी आफ फ्रीडम" रह गई। जैसे हेम बरुआ ने कहा है कि खादी और ऐसी संस्थाएं डम्पिंग आफ पोलिटिकल हिपीज है, मैं कहना तो पसन्द नहीं करूंगा कि वर्माजी पोलिटिकल हिप्पी हैं लेकिन फिर भी जिस तरह से उन्होंने इस पद को स्वीकार किया है, वह बहुत अच्छा शोभनीय काम नहीं किया है।

खादी को एक आर्थिक पक्ष भी था कि उस समय लाखों करोड़ों की तादाद में मैनचेस्टर और विलायत से विलाइती कपड़ा आता था और हिन्दुस्तान में अंग्रेजों की नींव उनके व्यापार पर जमी हुई थी अगर किसी तरह से हिन्दुस्तान में अंग्रेजों का व्यापार कम किया जा सकता है या उनके व्यापार को हानि पहुंचाई जा सकती है। इस तरह की विचार धारा यदि इस देश में पैदा हो जाय तो अंग्रेज अपने आप में

(श्री झुझारसिंह)

कमजोर पड़ते थे। इस दृष्टि से भी खादी को महत्व दिया गया था। आज खादी का कोई इकोनोमिक पहलू नहीं रह गया। आर्थिक दृष्टि से खादी कोई लाभदायक चीज रह गई हो, आज यह बात नहीं है। आज अगर देखा जाय, एम्प्लायमेंट की दृष्टि से आज के युग में, वैज्ञानिक युग में 83, 000 इन्जीनियर बेकार पड़े हुए हैं, सरकार को इनको किसी तरह रोजगार देने की फिक्र नहीं है, हजारों ग्रेज्यूएट्स निकल रहे हैं और साईंटिस्ट्स तैयार हो रहे हैं, उनके लिए हिन्दुस्तान में जगह नहीं है। आज यहां से ये आदमी विलायत जाते हैं, वहां उनकी कद्र होती है, फैट सैलरीज मिलती हैं और विलायत वालों में इनके काम के कारण अच्छी धारणा भी बनती है कि हिन्दुस्तान में भी काबिल आदमी हैं। उन देशों में जहां साइन्स एडवान्स्ड है वहां ये अच्छे साबित होते हैं। आज इन्जीनियर्स, डिप्लोमा होल्डर्स और डाक्टर्स के लिए टेक्नीकल आदमियों के लिए, अच्छे शिक्षित आदमियों के लिए हमारी सरकार को किसी तरह की चिंता नहीं है। आज वह विचार कर रही है कि पोलीटेक्निक्स को बन्द कर दिया जाय, इन्जीनियरिंग कालेजेज में सीटें कम की जायें। आज कांग्रेस के बेंचेज में करीब करीब मेंटल बैंकरप्सी है, सोचने की कोई शक्ति इनमें नहीं है लेकिन नकल करते जा रहे हैं। गांधीजी ने कोई बात कह दी है तो वह अच्छी है, अगर कोई मन्त्री कभी बाहर चले गए हैं, किसी मुल्क में देख आये हैं कि सन्डे और सैटर्डे की छुट्टी होती है और लम्ब आॅवर्स दिये जाते हैं तो आते ही नकल करने बैठ जाते हैं। थोड़े दिन पहले हमारे बूंदी वाले मन्त्री महोदय जिनेवा लेबर कान्फ्रेन्स में गए। जब तक विदेश नहीं देखा था, बाहर नहीं गए थे तब तक विदेशों की बुराइयां करते थे लेकिन दो महीने के लिए बाहर घूम आए तो तारीफ करते फिरते हैं। आप ऊपर जाकर लाइब्रेरी में देखें, कांग्रेस का कोई व्यक्ति पढ़ने लिखने में विश्वास नहीं करता है वह तो हां या ना जैसे सरकार कहती है, ऊंचा हाथ करना जानता है।

तो खादी की जिस वजह से शुरूआत हुई थी उसका आज कोई महत्व नहीं रह गया है। आज जिन चीजों का महत्व है उनकी तरफ सरकार को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। सरकार उनकी तरफ बिलकुल नेग्लीजेन्ट व इन्डिफरेन्ट है। इस बोर्ड के बारे में कई रिपोर्ट्स दी हुई हैं जो सदन के सामने पेश हो चुकी हैं। जन लेखा समिति ने समय समय पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। आज तक के आंकड़े तो नहीं हैं लेकिन 1965-66 तक 6,17,98,000) रुपये खादी पर खर्च हो चुके हैं, करोड़ों रुपयों का अनुदान है और करोड़ों रुपयों का लोन है। उनका रेकार्ड अच्छी तरह से नहीं रखा जाता है। और 30–35 लाख के तो प्रमाण-पत्र भी नहीं दिये गये हैं, कई और भी घोटाले हैं। एक जगह लिखा है कि 8 हजार रुपये प्रदर्शनी पर खर्च हुए और प्रदर्शनी लगी ही नहीं। सब रुपया खा गए। इस तरह से हजारों रुपए प्रदर्शनियों में लगे हैं, एम्प्लायमेंट में घोटाले होते हैं। खादी का जहां तक महत्व है, चर्खे के बजाय दूसरी खादी को मिलाकर शुद्ध खादी नाम पर बेचते हैं। इस सब के बावजूद भी अगर आप इस बोर्ड को ज्यादा एक्सप्लाइट करना चाहते हैं और इसका इस तरह से ढांचा बदलते हैं कि इस पर नान-आफिशियल को बिठाया जाय और उसके मार्फत

(श्री जुझारसिंह)

बोर्ड को चलाया जाय तो यह और भी बुरी बात है।

जहां तक मैं समझता हूं इसमें सुखाड़िया जी की यह नीति है कि: To kill two birds with one stone अगर उनको वर्माजी को खादी बोर्ड का अध्यक्ष बनाना ही था तो कुछ दिन बाद भी बना सकते थे पहले बना कर खादी बोर्ड संशोधन विधेयक को यहां लाना, इसका मतलब यही है कि लोग उनकी आलोचना करें, उनके बारे में तरह तरह की बातें यहां कही जायं, व अपने पोलिटिकल गुरु को समयानुसार दक्षिणा दी जावे। इसके साथ ही साथ जो खादी के मन्त्री हैं उनके लिये यह बिल ला कर बतला देना कि तुम इन्कांपिटेन्ट हो। इस तरह एक ही पत्थर से दो चिड़ियों का शिकार करने के इरादे से डेलिबरेटली किसी राजनैतिक महत्व से यह बिल लाया गया है, मैं तो इसका मुख्य उद्देश्य यही समझा हूं। सभापति महोदय, खादी बोर्ड के घोटाले हमारे कोटा में भी हुए हैं, हाडोती में 1,79,470 रु. का ऋण दिया गया, 65 हजार का अनुदान दिया गया उसमें से आधे से ज्यादा तादाद में लोग रुपया खा गये, उनको वसूली का खयाल ही नहीं है। इसी तरह से आदिम जाति ग्रामोद्योग संघ उदयपुर को 1959 में डेढ़-दो लाख के अनुदान दिये गये, वहां भी यही हाल हुआ, इसी तरह से बुनकर सहकारी समिति मांगरोल में है, जहां कोटा स्टेट के जमाने में यह इन्डस्ट्री बड़ी अच्छी तरह से चल रही थी। सहकारी समिति बना कर, उसको लाखों रुपया ऋण दिया और उनमें एक इस तरह की मनोवृत्ति पैदा कर दी कि ऋण लेओ और खाओ। और इसका नतीजा यह हुआ, कि आज वह बिलकुल ठप्प पड़ी है। इसी तरह से बारां में हुआ, इसी तरह से कैथून में बड़े घोटाले किये हैं। जिस राज्य में जान बूझ कर घोटालों के लिये ऋण दिया जाय, वहां किस तरह से उद्योग पनप सकते हैं, किस तरह खुशहाली आ सकती है। तो सरकार की यह इस प्रकार की नीति कोई अच्छी परम्परा नहीं है।

जहां तक माणिक्यलालजी का सम्बन्ध है, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। वास्तव में उन्हें खादी पर निष्ठा नहीं है, उनकी मान्यता है कि खादी अब इम्पोर्टेन्स खो चुकी है, हिन्दुस्तान की पोलिटिकल बेकग्राउन्ड और आर्थिक दृष्टि से खादी आज महत्व नहीं रखती है। मैं समझता हूं माणिक्यलालजी वर्मा इससे डिनाई नहीं करेंगे, वे सच्चे आदमी हैं और जो बात उन्होंने मुझसे कही है मैं समझता हूं दूसरे लोगों से भी यही विचार व्यक्त किये होंगे। आज खादी की कोई इम्पोर्टेन्स नहीं रही है। यह पद देने की परम्परा जिसके बारे में सदन के माननीय सदस्यों ने सदन का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है राजनैतिक कार्यकर्ताओं को, सरकारी अधिकारियों को जिस तरह से पोलिटिकल एम्प्लायमेंट दिया जा रहा है और विशेषकर के इन चुनावों के बाद में पोलिटिकल एम्प्लायमेंट अनाप शनाप तरीके से किया जा रहा है, इससे प्रजातन्त्र में लोगों की आस्था कम होती जा रही है। एक लीडिंग इंग्लिश पेपर के एडिटोरियल की तरफ मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, उसमें लिखा है:

"State owned industries and Raj Bhawans atleast a few of which have long been tenanted by politica rejects.

(श्री जुझार सिंह)

मैं यह नहीं मानता कि श्री माणिक्य-लालजी वर्मा को भी राजस्थान की इतनी लम्बी चौड़ी सेवा के बाद में पोलिटिकल रिजेक्ट की श्रेणी में ले लिया गया है। जो चुनाव हार चुके हैं, जिनका महत्व कम हो चुका है, उनको जगह जगह बोर्ड्स, कोर्पोरेशन्स और दूसरी दूसरी चीजें बना कर कांग्रेस सरकार उनको उनमें बैठाती जा रही है, उसके बहुत ही बुरे परिणाम हो रहे हैं। उसके बारे में एक काम्पिटेन्ट ऑथेरिटी के कुछ शब्द मैं यहां क्वोट करना चाहता हूं। वे इस प्रकार हैं :

"Appointing these birds of the passage to key posts in public sector has not only e-roded efficiency but also has demoralised the persons.."

यह सही बात है कि इन लोगों को जगह जगह पर और बिना काम्पिटेन्सी के एम्प्लाय-मेंट देते रहने की वजह से जो जो प्रोफेशनल आदमी हैं, जो एफिशियेन्ट आदमी हैं, उनको यह पूरी तरह से विश्वास हो गया है कि अब हमारे लिये यह जगहें नहीं रह गई हैं, अब इन जगहों से हम हमेशा के लिये महरूम हो गये हैं इससे उनमें मायूसी पैदा हुई है और एफिशियेन्सी कम होती जा रही है, इससे देश को बड़ा भारी नुकसान हुआ है।

मैं इन्हीं बातों की ओर सदन का ध्यान दिलाते हुए निवेदन करूंगा कि इस खादी ग्रामोद्योग विधेयक को जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जाय।

श्री सभापति : श्री रामानन्द अग्रवाल !

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : सभापतिजी, इस विधेयक पर जो मैंने प्रस्ताव रखा है, वह इस विधेयक को जनमत जानने के लिए परिचालित करने के लिए रखा है, उस पर मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। सभापति महोदय, मैं महसूस करता हूं कि अब आजादी के 21 वर्ष बाद हमें अपने देश में इस खादी की फिलोसोफी पर दुबारा विचार करने की आवश्यकता है। जितने फंड्स, जितना रुपया आज खादी कमीशन के द्वारा इन खादी बोर्डों के जरिये खादी का उत्पादन करके हम जो खर्च कर रहे हैं, जो उद्देश्य खादी के सामने, देश की आजादी के आन्दोलन के समय था, काफी बड़ी मात्रा में देश की आजादी के आन्दोलन में पूरा किया। आज यह विचार करने की आवश्यकता है कि क्या खादी आज उन उद्देश्यों की पूर्ति करती जा रही है। आज हमें एक एक रुपये को सोच समझ कर उसका उपयोग करने की आवश्यकता है। क्या हम इस रुपये का उपयोग किसी दूसरी तरह से नहीं कर सकते? मैं समझता हूं आजादी से पहले एक भावना खादी ने पैदा की, आजादी की लड़ाई खादी के साथ जुड़ी हुई थी। लोगों ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद से आजादी हासिल करने के लिए, ब्रिटिश साम्राज्यवाद की अर्थ व्य-वस्था से देश को आजाद करने के लिए, देश के लिए अपनी जिंदगी तक होम देने के लिए खादी का आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन के साथ साथ चलाया था। इस तरह से खादी एक राजनैतिक उत्पीडन के खिलाफ, आर्थिक उत्पीडन के खिलाफ, सामाजिक उत्पीडन के खिलाफ देश का आन्दोलन था। गान्धीजी ने खादी को जिस रूप में लिया था वे तो एक वे आफ लाइफ मानते थे कि किस प्रकार जीवन बनाना चाहिए, किस प्रकार का राष्ट्र का जीवन बने, उस रूप में उन्होंने खादी को

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

फिलोसोफी को रखा था। खादी के बारे में, अहिंसा के बारे में गांधीजी के दृष्टिकोण को इस कांग्रेस के नेताओं ने, देश के आंदोलन ने उस समय भी पूरी तरह से मन्जूर नहीं किया था। उस समय की लड़ाई को आगे बढ़ाने के तरीके पर देश ने इसको मन्जूर किया था। परन्तु आज हम यह देखते हैं कि क्या वास्तव में खादी देश के अन्दर राजनैतिक उत्पीड़न को खत्म करने का एक साधन है? क्या हम यह देखते हैं कि खादी क्या आर्थिक शोषण को खत्म करने का साधन है? क्या खादी वास्तव में सामाजिक विषमता को समाप्त करने के लिए काम में लायी जा रही है? तो मुझे बहुत खेद के साथ कहना पड़ता है कि खादी आज उन तीनों उद्देश्यों के विपरीत है। न तो इससे राजनैतिक उत्पीड़न दूर हुआ है बल्कि बढ़ा है, न ही इसके द्वारा आर्थिक शोषण दूर हुआ है बल्कि आर्थिक शोषण को बढ़ावा मिला है और न ही इसके द्वारा सामाजिक विषमता की समाप्ति हुई है किन्तु उसको बढ़ाने का कारण यह हुई है। सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि आज यह बात छिपी हुई नहीं है और उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों ने भी इसको स्वीकार किया है कि जो खादी इतनी प्रेरणा देने वाली थी जिसको पहिनने के बाद, आजादी से पहले जिसने भी इसको पहन लिया उसको देवता समझा जाता था, देश के लिए अपने जीवन को होम देने वाला समझा जाता था चाहे वास्तव में उसमें कुर्बानी देने की भावना न हो। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि सन् 47 से पहले खादी एक प्रतीक थी। आज उसके विपरीत असर हम देख रहे हैं। मैं इस बात से सहमत हूं माननीय शंकरलाल जी ने कहा कि खादी पहिनने वाले सब ही चोर नहीं होते हैं और जो खादी नहीं पहिनते हैं वे सब साहूकार नहीं होते हैं। इसको मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से जिस तरह से खादी को आज इस्तेमाल किया जा रहा है, आजादी के पहले अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ खादी को अंगीकार किया गया था, आजादी के लिए यह प्रतीक मानी जाती थी, जन जीवन में देश प्रेम को बढाया, लेकिन उनका रुतबा भी खादी ने ही बढ़ाया जो वास्तव में उसके लायक नहीं थे। आज खादी का जिस प्रकार से दुरुपयोग किया जा रहा है, जिस प्रकार से इसके द्वारा राजनैतिक शोषण किया जा रहा है, जिस तरीके से आर्थिक शोषण को बढावा दिया जा रहा है उससे आज यह विषमता बढाने का एक कारण बन गई है। यही कारण है कि खादी पहिनने को आज लोग संदेह की दृष्टि से देखते हैं, उनसे नफरत करते हैं, खादी पहनने वालों को और दृष्टिकोण से लोग देखने लगे हैं चाहे वह पहनने वाले उस क्रिटिसिज्म के वास्तव में मुस्तहक न हों।

खादी जो उस समय बेरोजगारों को रोजगार देती थी, जिस समय अंग्रेज शोषण करके सारा पैसा बाहर ले जा रहे थे उनके मुकाबले बुनकरों को जमाये रखने के लिये, साम्राज्यवादियों के खिलाफ उनके शोषण और अत्याचारों के विरुद्ध भावना बनाने के लिये, आजादी के लिये कुर्बानी की जा रही थी। आज, सभापति महोदय, क्या हालत है? अभी माननीय सदस्य फरमा रहे थे आज कतनियों को छः आना मिलता है, बुनकरों को थोड़ा पैसा मिलता है। लेकिन मिनिमम वेजेज तो नहीं मिलते। यह हालत है।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

गांधीजी वर्ग संघर्ष को स्वीकार नहीं करते थे। वे वर्ग सहयोग को स्वीकार करते थे। अहिंसा की फिलोसोफी उन्होंने बनाई। लेकिन समाज की जो वास्तविकता थी, एक अतर विरोध था उसको गांधीजी दबा नहीं सके। आज भी वर्ग संघर्ष मौजूद है। खादी के कार्यकर्ताओं में आप खुद देख लीजिये। एक तरफ मैनेजीरियल क्लास है। जिनके पास आलीशान बढ़िया बंगले हैं, वे उन बंगलों में रहते हैं, बढ़िया गाड़ियां हैं, टेलीफोन हैं। दूसरी तरफ कर्मचारी वर्ग है जिनको थोड़ी थोड़ी तनख्वाह मिलती है और बावजूद उनके वर्ग संघर्ष की थ्योरी के बजाय इसको कहना कि वर्ग सहयोग है, वह अपने आप में झुठलाना है। खादी में वह वर्ग सहयोग नहीं हो सका। इसी कारण से ट्रेड यूनियन्स के तहत मजदूरों को शरण लेनी पड़ी। उनको अपने हितों के लिये लड़ना पड़ा। खादी में मैनेजीरियल क्लास है उसके खिलाफ उन लोगों को उठना पड़ा। वे कहते हैं कि हम को यह तनख्वाह मिलनी चाहिये। हमारी नौकरी की सुरक्षा नहीं है, जीवन यापन चलाने के लिये पूरी तनख्वाह नहीं मिलती। मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, वह खुद शोषण का विरोध कर रहे हैं। शोषण के विरुद्ध जो खादी नारा लगाकर खड़ी होती थी वही शोषण कर्ताओं की चेरी बन कर खड़ी हो गई है। आज वे लोग अपने राजनैतिक हितों के लिये इसका उपयोग करना चाहते हैं। कहां गांधी जी के राम राज्य का स्वरूप था ? आज वह कितना मेल खाता है ?

सभापति महोदय, मैं यह समझता हूं गांधी जी की अपनी फिलोसफी थी। उनका एक इकोनोमिक प्रोग्राम था। गांधीजी की फिलोसोफी से चाहे खादी की हो या अहिंसा की हो, मैं समझता हूं, खुद पंडित जवाहर लाल नेहरू भी एग्री नहीं करते थे। वे भी उस फिलोसोफी से सहमत नहीं थे। इस तरह से अहिंसा की फिलोसफी को, खादी की फिलोसोफी को अंग्रेजों के विरुद्ध आजादी के लिये एक स्ट्रेटेजी के रूप में कांग्रेस के लोगों ने माना। सिद्धान्त के रूप में नहीं। गांधी जी ने कहा कि मेरे लिए यह आर्टिकल ऑफ फेथ है। गांधीजी की फिलोसफी खादी की हो या अहिंसा की, मैं पहले भी एग्री नहीं करता था और आज तो बहुत ज्यादा एग्री नहीं करता। कांग्रेस में भी इस बारे में मतभेद है। पं० जवाहरलाल नेहरू के प्रधान मंत्रित्व में सरकार बनी तो खादी का प्रोग्राम लेकर चली। जबर्दस्ती का ऊंट बैल का जोड़ा चल नहीं सकता। इकोनोमिक प्रोग्राम यह सरकार दूसरा लेकर चल रही है और उन खादी ग्रामोद्योग में लगे कार्यकर्ताओं को यह सरकार इलेक्शन के लिये इस्तेमाल करती है। उन के लिये यह सरकार बड़ी भारी सबसिडी देकर इसको चलाने की कोशिश कर रही है। न तो उनकी समाज के प्रति और अपनी फिलोसोफी के प्रति ईमानदारी है और न देश के प्रति ही ईमानदारी है। जिस इकोनोमिक प्रोग्राम में आप विश्वास करते हैं आप प्योरली उसको कहें और करें और इस तरह के छोटे 2 फायदों के लिये आप उसका इस्तेमाल करने का प्रयत्न न करें। आज हिन्दुस्तान हैवी इन्डस्ट्रीज बना रहा है लेकिन आज फिर भी पचास करोड़ के हिन्दुस्तान को जरूरत है छोटे 2 ग्रामोद्योगों की। लेकिन खादी ? खादी एक अलग लोगों के लिये, एक प्रिविलेज क्लास के लिये बनाई जा रही

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

है कतनियों और मजदूरों और बुनकरों की कुर्बानियों पर, उनको छः आना देकर, एक तरफ वे कुर्बानी देते हैं, और दूसरी तरफ उन प्रिविलेज्ड लोगों के लिये यह बनाई जा रही है। टैक्सपेयर कुर्बानी देता है और वे मजदूर और बुनकर कुर्बानी देते हैं। सबसिडी किनको दी जाती है? मिनिस्टरों को पतली धोतियां चाहिये। साड़ियां सबसिडाइज्ड कीमत पर देने के लिये। ये सब लोग त्याग और तपस्या की बात भूल गये। कतनियों और मजदूरों की कुर्बानियों पर सबसिडी देते हैं, किस लिये? इसलिये कि आपको सस्ती खादी मिले। प्रोडक्शन की कीमत पड़ती है उसको सबसिडाइज करें। यह आप पोलिटिकली नाजायज फायदा उठा रहे हैं और सामाजिक विषमताओं को आप ज्यादा फैलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। जिन आर्थिक उद्योगों पर हम को चलना है, जिस तरह से ग्राम ग्रामोद्योगों को हम बढाना चाहते हैं उनको स्थान देना चाहिये, मैं नहीं समझता हिन्दुस्तान में पावर लूम चलता है या मिल के धागे से कपड़ा बनता है उनके मुकाबले में उसको ज्यादा प्रोत्साहन देना चाहिये, मैं समझता हूं हिन्दुस्तान में कताई के सूत ले लें और उस लूम को काम में लगा दें जिससे लोगों को रोजगार मिले। लेकिन केवल इस बिना पर कि राजनैतिक फायदा उठाना है, प्रिविलेज्ड लोगों को फायदा देना है, गृह उद्योगों से इसको अलग करके चल रहे हैं मैं समझता हूं यह केवल राजनैतिक फायदे के लिये, देश को इकोनोमिकली बढाने की दृष्टि से कतई नहीं है। आप के खुद के राज्य में, 21 वर्ष का आपका राज्य होने के बावजूद भी एक खादी कार्यकर्त्ता ने कहा कि आजादी से पहले कभी रोटी की चिन्ता नहीं हुई लेकिन अफसोस है कि हर एक खादी भन्डार के अन्दर आज वर्कर्स की हालत यह है कि आजादी से दहाड़ने वाला कोई वर्कर नहीं है। किसी गुलाम की तरह हिन्दुस्तान के नागरिक हैं, उनके दिल में कोई बुलबुला नहीं है। आज जो खादी पहनते हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे गंभीरता से विचार करें कि आखिर यह क्या है। जिन्होंने जीवन दिया है और जब थोड़ी थोड़ी तनख्वाह पाने वालों को देखते हैं तो लाजमी तौर पर यह वर्ग भेद की भावना पैदा होगी। इस रूप में सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि इसको कम्प्रीहेन्सिव तौर से, व्यापक तौर से इस मामले को गृह उद्योगों के रूप में विचार करने की आवश्यकता है। आज इस सदन में श्री माणिक्यलाल जी वर्मा को लेकर काफी चर्चा हुई है और जैसा यह विधेयक और उनके नाम का विधेयक है इस सम्बन्ध में ट्रेजरी बैन्चेज के मेम्बर्स से यह कहना चाहूंगा कि इस मैटर को मूव करने से काम नहीं चलेगा। आपका बहुमत है, आप पास करा लें इसमें कोई शक नहीं हैं। हम थोड़ी देर बोल कर चले जायेंगे लेकिन जनता पर इसका क्या असर पड़ रहा है। हिन्दुस्तान की जनता को आप अपनी नीतियों से क्या सबक सिखा रहे हो इसको आपको समझकर चलना चाहिये। आज आप देख रहे हैं इस आम चुनाव के बाद आपकी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना है, उसकी कोई कान पूंछ नहीं है। पिछला बजट पास किया गया था तब दो करोड़ का घाटा था, पिछले साल 16 करोड़ के घाटे में था अबकी बार बजट पेश हुआ तो 14 करोड़ के घाटे में हैं। इस कारण बहुत सी स्कीमें बन्द कर दी।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

राजस्थान नहर योजना का एक सेक्शन बन्द कर दिया। कितने लोग बेरोजगार हो गये, कितने इंजीनियर बेकार हो गये, कितने मजदूर बेकार हो गये, कितने छात्रों को बेकारी का मुंह देखना पड़ा। कुछ अर्से में रोडवेज ऐसा लगता है—36 मिनिस्टर्स बनाये हैं आपने इस हिन्दुस्तान में बहुत बड़ा मन्त्रि-मण्डल नहीं बनाया है और बहुत बड़ा मंत्रि मण्डल बनाकर बहुत बड़ा एग्जाम्पिल पेश कर दिया हो ऐसा भी मैं नहीं मानता लेकिन उनको जिस प्रकार की नियुक्तियां हैं उनको अच्छी तरह समझा जा सकता है, आपकी बातों को भी समझा जा सकता है। आखिर यह कमजोरी है किसी न किसी हद तक, यह आपको किस तरफ ले जा रही है। किसी न किसी तरह से किसी आदमी को राजनैतिक तौर से अकोमोडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। बावजूद इसके कि आपने सारे प्लान खत्म कर दिये, बावजूद इसके कि सड़क बनाने को पैसा नहीं है। हमारे पी. डब्ल्यू. डी मिनिस्टर साहब बैठे हैं। बेईमानी करके केन्द्रीय सरकार से सड़कों को मेन्टेन करने के लिये पैसा ले लें। इस तरह इस सदन में जिस बात को कहकर चलते हैं, आपके पास पैसा नहीं है टैक्स लगाना चाहते हैं आज इस बात का, सभापति महोदय अफसोस है। राजस्थान का निर्माण अवरुद्ध हो गया है। आप कार्पोरेशन पर कार्पोरेशन खोलने जा रहे हैं और कहते हैं कि इनकी पोजीशन मिनिस्टर के बराबर होगी। मतलब 36 मिनिस्टर्स हैं औरों को मिनस्ट्री में तो ले नहीं सकते वैधानिक दिक्कत खड़ी हो जाती है। धीरे धीरे आप उनको भी समझाना चाहते हैं कि आपकी हैसियत हमारे से कम नहीं है। क्या असर पड़ेगा आप लोगों का। आपके सरक्यूलर जा रहे हैं, हम लोगों को चिट्ठी दी है कि अल्प बचत योजना में आप सहयोग दें। अलवर में इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स ने मीटिंग बुलाई टीचर्स की और कहा गया कि जो लड़के दाखिला लेते हैं उससे अल्प बचत योजना के अन्दर 8 आने के पैसे लो और नहीं तो उसका किसी तरह अकाउन्ट खुलवाओ और जो टीचर नहीं खुलवायेंगे तो उनका वेतन रोकली जायगी। देश में निर्माण के लिये पैसा निकालो इस तरह की घोषणा कर रहे हैं। सभापति महोदय, इसमें कोई ऐतराज नहीं हो सकता है। एक तरफ ये 36 मिनिस्टर्स और फिर रोज मर्रा नये नये कार्पोरेशन। 75 हजार का खर्चा आपको उस अल्प बचत योजना में जिसको सुखाड़िया साहब का डी पी. आर. या महकमा तीन सूत्री रूप में रोज छापता है—एक अल्प बचत योजना दूसरा परिवार नियोजन और तीसरा अधिक उत्पादन बढ़ाओ, ये रोज मर्रा छापता है। यह ठीक है कि आप कुछ लोगों को एडवर्टाइजमेंट देकर प्रशंसक बना सकते हैं लेकिन देश को प्रेरणा नहीं दे सकते हैं। वास्तव में इस प्रकार के निर्माण की कल्पना पैदा हो। लोग समझें कि मेरा पैसा देश के निर्माण के काम में आयेगा। आजादी के लिये जिन लोगों ने कुर्बानियां कीं उन लोगों की आपने परवाह नहीं की छात्रों ने गोलियां खाईं, उनकी परवाह आपने नहीं की। आज आप समझते हैं कि उन कुर्बानियों की भावना नहीं है। हिन्दुस्तान की आजादी में जिन्होंने बहुत बड़ा हिस्सा लिया, उनकी आपने परवाह नहीं की। आज आप उनको प्रेरणा नहीं दे रहे हैं। इसलिये, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि एक तरफ कोड आफ कन्डक्ट की

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

मीटिंग होती है लेकिन मैंने देखा है कि उसी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में कोड ऑफ कन्डक्ट के बारे में विचार हुआ और दूसरी मीटिंग में विचार हुआ कि पंजाब में गिल की मिनिस्ट्री के बाद किसको बैठाया जाय और कांग्रेस की मिनिस्ट्री बन जाय। इस तरह कोड आफ कन्डक्ट कायम नहीं हो सकता है। आज देश जिस रसातल पर पहुंच गया है वह सबको मालूम है। आम जनता की भावना की परवाह न करके, नौजवान बेकार हो गये हैं उनकी परवाह न करके आप अपने स्वार्थों की परवाह करते हैं तो मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि आपका यह बहुमत असेम्बली का बहुमत बचने वाला नहीं है। असेम्बली का बहुमत बनावटी है। आप जनता की भावना को प्रदर्शित नहीं करते। मैं जानता हूं कि आपकी पार्टी में हरएक आदमी के दिल में यह महसूस नहीं हो रहा हो, यह बात नहीं है लेकिन डिसिप्लिन के नाते वे ऐसा कर रहे हैं।

(4 म. प.)

वर्मा जी के बारे में कुछ कहा गया मैं तो यह समझता हूं कि राजस्थान की राजनीति में खास तौर से कांग्रेस की राजनीति में एक लड़ाकू राजनीति का पटाक्षेप हो गया। चाहे वर्मा जी ने निराश होकर यह माना हो या लड़ते हुए वे हार गये हों। राजनीति का हरेक विद्यार्थी जानता है कि जो विभिन्न विचार धारायें कांग्रेस में काम कर रही हैं उसमें कुछ लोग रचनात्मक कार्यों के जरिये गांधी जी के तरीके से ग्रेजुअल रिवोल्युशन के तरीके से तब्दीली लाने की कोशिश करते हैं। उनमें विजयसिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा का नाम आता है जो वर्ग संघर्ष में विश्वास करते है उनको संगठित करके लड़ा दिया बिजोलिया सत्याग्रह उनकी प्रवृत्ति थी। इस बात को मैं कहता हूं कि इनका इसके अन्दर विश्वास नहीं था। मेरे से उनकी एक बार चर्चा हुई थी। वे मजाक में कहने लगे अरे भाई ये तो गांधी जी की विधवायें हैं। इनको क्या कहना ठीक है इनको लगे रहने दो। यह किसी से छिपी बात नहीं जो लोग राजनीति में उखड़ उखड़ कर चले गये हैं, जो सत्ता की कुर्सी पर नहीं बैठ सकते उनको ऐसी जगहों पर बैठाने की कोशिश की जाती है। यह तो वर्मा जी के खुद के सोचने की बात है। केवल इसमें सुखाड़ियाजी को दोष देने की बात नहीं है। यह बात सही है कि उनके द्वारा इस पद को स्वीकार करने से उनका सम्मान और उनका व्यक्तित्व गिरा है यह उनके खुद के सोचने और समझने की बात है।

आज भी कांग्रेस के अन्दर ऐसे सदस्य हैं जो यह कल्पना लेकर चलते हैं कि संघर्ष करके बुराइयों को समाप्त किया जा सकता है। वर्मा जी ने हमेशा इस वर्ग का साथ दिया। आज वर्मा जी के यह पद ग्रहण करने से यह टिम टिमाता हुआ दिया भी बुझ गया। जो प्रेरणा देने की बात करते थे अगेन्स्ट हैवी होर्स जो लड़ने की बातें करते थे वह बात भी समाप्त होगई।

मैं सुखाड़ियाजी की इस बात के लिये तारीफ करूंगा कि जिस प्रकार इन्द्र इस बात की तलाश में रहा करते हैं कोई भी तपस्या करके उनकी गद्दी को छीनने की चेष्टा तो नहीं कर रहा है वह किसी को देख लेता तो उसको विघ्न करने का प्रयत्न करता, उसकी इच्छा को वह पूरी नहीं होने देता, कहां

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

होने देता कहीं वह उसकी जगह न ले ले। वह उनको स्त्रियां भेज कर उनकी तपस्या भंग करवाता। हमारे सुखाड़िया भी बहुत होशियार हैं उनका सी० आई० डी० विभाग पूरा सतर्क है, उनके साथी इस बात में माहिर हैं। वे हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि सुखाड़िया जी की गद्दी पर कोई आंच तो नहीं आने वाली है। जब वे देखते हैं इस व्यक्ति से उनको भय है तो वे लक्ष्मी रूपी देवी को भेजते हैं उसके जरिये उसके मन को जीतने का प्रयत्न करते हैं और उसमें उनको सफलता मिल जाती है। इस तरह से जो इन्द्रासन को गिराने की कोशिश करता है उसको इस तरह से सन्तुष्ट किया जाता है। इसके बहुत से लोग शिकार बन कर अपने अस्तित्व को अपने सिद्धान्त की बलि दे चुके हैं। मुझे खेद है कि वर्मा जी भी आखिरी उम्र में उनके फन्दे में फंस ही गये जिस व्यक्ति ने आखिरी जिन्दगी तक अपने सिद्धान्त की बलि न दी आज वे इस आखिरी उम्र में अपने सिद्धान्त से गिर गये और सत्ता की दासता को स्वीकार कर लिया है। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा निवेदन है कि इस विधेयक को जनमत जानने हेतु प्रसारित किया जाय।

श्री सभापति : श्री मूलचन्द डागा।

श्री विजयसिंह (मकराना) : सभापति महोदय, मैंने भी इस विधेयक पर बोलने के लिये समय मांगा है।

श्री सभापति : आपको भी मिलेगा। श्री मूलचन्द डागा।

(1) श्री मूलचन्द डागा (वि.स.103)
(2) श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत (वि.सं. 141)
(3) श्री वृद्धिचन्द्र जैन (वि. सं. 86)
(4) श्री रघुनाथ विश्नोई (वि.सं. 121)
(5) श्री रामचन्द्र आर्य (वि.सं. 130) ने क्रमशः प्रस्ताव किया कि:—

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड संशोधन) विधेयक, 1968 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाये जो अपना प्रतिवेदन तीन दिन में/पन्द्रह दिन में/एक सप्ताह में तीन दिन के अन्दर/एक माह में प्रस्तुत करे (प्रवर समिति के सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जायेगी)।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति महोदय मैंने इस विधेयक पर जितनी तकरीरें हुई उनको ध्यानपूर्वक सुना मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूं कि जहां तक खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के चेयरमेन बनाने का सवाल है और गैर सरकारी सभापति बनाने का सवाल है उस पर किसी को आपत्ति नहीं है। हमें यह देखना है कि जहां पहले दो करोड की खादी बिकती थी वहां इन आठ वर्षों में 21 करोड की खादी बिकी है यह सभी जानते हैं। आज भी देखने में आया है कि उधर बैठने वाले माननीय सदस्य भले ही खादी नहीं पहनते हों लेकिन उनकी धर्म पत्नियों को तो खादी घर में देखा है, वे आती हैं। आज खादी ने इतनी तरक्की कर ली है....

श्री दुर्गालाल बाढदार : ठीक उसी तरह जिस तरह से आपकी पत्नियों ने टेरेलिन अपनाया है।

श्री मूलचन्द डागा : खादी के कारण जहां पहले दो लाख मजदूरों को काम मिला हुआ था वहां आज खादी में 26 लाख आदमी काम करते हैं यह कहने की बात नहीं है कि हिन्दुस्तान के

(श्री मूलचन्द डागा)

अन्दर खादी और ग्रामोद्योग के अन्दर जो काम होता है उसके अन्दर जो रोजगार गरीबों को मिलता है उसको आज कोई चुनौती नहीं देता।

हमने यह प्रस्ताव पारित किया था ऐसी संस्थाओं का जो सभापति हो वह गैर सरकारी हो। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या आप इस सिद्धान्त को मानते हैं कि इस एक्ट के अन्दर जो विचार धारा का प्रतिपादन किया गया है मैं लोकतन्त्र में विश्वास रखने वाले लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या वे इन संस्थाओं के सभापति होने के लिये गैर सरकारी व्यक्ति का होना पसन्द नहीं करते। एक भी माननीय सदस्य ने इसका विरोध नहीं किया। वर्मा जी का नाम जरूर लिया गया लेकिन आप क्या यह चाहते है कि इसका सभापति गैर सरकारी न हो इस भावना का कोई विरोध नहीं करता। व्यक्ति विशेष के लिये किसी को विरोध हो सकता है लेकिन गैर सरकारी होने में किसी को विरोध नहीं है।

मैंने प्रस्ताव रखा है कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय वह इसलिये कि आपने इसमें यह लिखा है कि इस प्रकार के बोर्ड का सभापति गैर सरकारी व्यक्ति होगा जहां आपने यह लिखा वहां उसको क्या योग्यता होनी चाहिये इस बारे में कुछ भी नहीं लिखा। सारे एक्ट को उठा कर देख लें कहीं इसका प्रावधान नहीं है आपने सेक्शन 4 में संशोधन लाने की इच्छा जाहिर की है आप जिस किसी को सभापति पद पर आसीन करना चाहते हैं उस सभापति की क्या क्वालीफिकेशन होगी। मेरी समझ में आप किसी भी एक्ट को ले लीजिये युनिसिपल एक्ट को ले लीजिये हरेक के अन्दर क्वालिफिकेशन्स लिखी हुई होती हैं। हरेक में यह लिखा हुआ है कि किस योग्यता वाला आदमी सभापति बन सकता है। इसके साथ साथ इसमें मेम्बर होने का भी प्रावधान रखा है वह भी स्पष्ट नहीं कि कौन इसका मेम्बर बन सकता है। सभापति कितने अरसे तक के लिये होगा यह भी कोई स्पष्ट नहीं है आखिर मियाद तो होनी चाहिये क्या जो एक दफा सभापति बन गया क्या वह सारी उम्र तक उसका सभापति रहेगा। सारे एक्ट में जो यह भावना बताई है कि इसका सभापति गैर सरकारी होगा उसका मैं स्वागत करता हूं लेकिन योग्यता का उल्लेख जरूर होना चाहिये। आज मैं समझता हूं इसको हर माननीय सदस्य मानता है कि खादी और ग्रामोद्योग को बढ़ाने के लिये एक बोर्ड होना चाहिये। यह सब की इच्छा है। अब उस बोर्ड में किस प्रकार के लोग हों उनकी क्या योग्यता हो उनकी काबलियत क्या हो यह गवर्नमेन्ट ने इसमें प्रेस्क्राइब नहीं की है यह मैं समझता हूं मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करने से प्रवर समिति में सब तय हो सकता है।

आज यह बात हम राजस्थान में हो चाहते हों यह बात नहीं है। सारे हिन्दुस्तान की स्टेट्स ने यही भावना जाहिर की है कि खादी और ग्रामोद्योग का एक बोर्ड हो और उसका सभापति एक गैर सरकारी सदस्य हो। इसके प्रसंग में वर्मा जी के बारे में माननीय सदस्यों ने कहा। मैं समझता हूं राजस्थान वर्मा जी से अपरिचित हो ऐसी बात नहीं। उनका त्याग, उनका देश के प्रति त्याग किसी से छिपा नहीं है। मैं समझता हूं वर्मा जी को यह पद देने से उनके पद की गरिमा किसी प्रकार कम नहीं होगी उनके प्रति ऐसी भावना व्यक्त करना अच्छा मालूम

(श्री मूलचन्द डागा)

नहीं होता। महरबानी करके अन्य महकमों की तरह इसमें भी आप योग्यता आदि निर्धारित करिये।

एक तरफ सरकार कहती है कि 55 साल के बाद उस व्यक्ति में उपयुक्त कार्य-शक्ति और योग्यता का अभाव हो जाता है इसलिये सरकारी सर्विस में नहीं रखा जा सकता और दूसरी तरफ इन संस्थाओं में उम्र की कोई बन्दिश नहीं रखते तो यह उचित नहीं है।

फिर भी इन सब बातों पर विचार करने के लिये मैंने प्रवर समिति में भेजने की बात कही है और इसके लिये समय भी केवल तीन दिन का मांगा है। वहां इन सब बातों पर बहस कर लेंगे। अन्यथा आगे आपत्तियां खड़ी होंगी।

श्री सभापति : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : सभापतिजी, जहां तक बोर्ड के चेयरमेन के आन आफीसियल होने का प्रश्न है, इसे हम मानते हैं कि यह अच्छी बात है। वर्मा जी जैसे सुयोग्य व्यक्ति की इसके लिये नियुक्ति का भी हम स्वागत करते हैं सिर्फ इसलिये कि उनके जैसा निष्पक्ष, बेलाग व्यक्ति आयेगा तो बोर्ड में जो गड़बड़ियां हो रही हैं, अव्यवस्था हो रही है, रुपयों का दुरुपयोग हो रहा है उसको दूर कर सकेंगे, सम्भाल सकेंगे।

परन्तु सभापति महोदय, इसका स्वागत करने के साथ एक आपत्ति अवश्य है। और वह है आर्डिनेन्स के द्वारा हमारे पर इस कानून का लागू करना। मेरी समझ में नहीं आता कि इसमें आर्डिनेन्स की क्या जरूरत थी। कुछ महीनों पहले विधान सभा का अधिवेशन हुआ था और कुछ अरसे बाद होने वाला था तब फिर क्या ऐसी इमर्जेन्सी पैदा हो गई कि आर्डिनेन्स के जरिये इसको बनाया गया।

आर्डिनेन्स का मतलब होता है इमर्जेन्सी है। देश पर कोई खतरा है या कानून और व्यवस्था के भंग होने का तत्काल कोई खतरा है तो ऐसी स्थिति में आर्डिनेन्स से कोई कानून लाने की बात तो समझ में आती है। पर इस आर्डिनेन्स में इस प्रकार की कोई चीज नजर नहीं आई। फिर यह आज इसी का ही प्रश्न नहीं है। प्रायः हर सत्र में हम इस प्रकार के आर्डिनेन्स का विरोध करते आये हैं और विरोध करके बैठ जाते हैं। मैंने देखा कि आज तक हमारे इस विरोध को सरकार ने कभी गम्भीरता पूर्वक नहीं लिया। यह आर्डिनेन्स निकालना तो आजकल आये दिन की ऐसी चीज बन गई है कि जैसे कोई मामूली सी बात हो अन्यथा आज ही नहीं, ब्रिटिश राज्य में भी अगर आर्डिनेन्स निकलता था कभी कोई तो बहुत बड़ी बात समझी जाती थी। उसे काला कानून की संज्ञा दी जाती थी। पर इस वक्त मामूली छोटी छोटी बातों पर आर्डिनेन्स निकाला जा रहा है। तो मैं इस आर्डिनेन्स के जरिये इस चीज को लाने के लिये विरोध कर रही हूं। अगर यही आर्डिनेन्स लाया जाता इस बोर्ड में व्याप्त भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों को नष्ट करने के लिये तो मैं इसका स्वागत करती। अगर यह लाया जाता इस बोर्ड में रुपये पैसों के गबन और दुरुपयोग को

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

समाप्त करने के लिये तो भी इसका स्वागत करती।

पर सभापति महोदय, मुझे इन संस्थाओं को देखने का काम पड़ा है। चर्म उद्योग, ग्रामोद्योग और न जाने कितने कितने विभाग हैं इसमें। सांगानेर में भी इनका एक केन्द्र है। पी. ए. सी. के मेम्बर की हैसियत से मैंने इसको देखा है। ऐसा लगा जैसे कुछ काम यहां नहीं हो रहा है, कोई सामान बना हुआ नजर नहीं आया। जिस तरह का रुपयों का दुरुपयोग हुआ उससे सदमा सा लगा। इसके लिए पी. ए. सी. ने भी खास तौर से कुछ शब्द कहे हैं उनको मैं सदन के सामने रखना चाहूंगी। "बोर्ड द्वारा दी गई आर्थिक सहायता का सही उपयोग हो इस पर निगरानी रखने के बारे में बोर्ड के अधिकारियों द्वारा बरती गई उदासीनता की कई बातें समिति के सामने आई हैं। इसलिए भी उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जावे और भविष्य में भी इसकी पुनरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से नियमों का पालन कराया जावे।" तो मेरा कहना यह है कि जैसी पी. ए. सी. ने सिफारिश की थी कि अधिकारियों द्वारा उदासीनता बरती जाती है उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जावे। और इसके लिए यह आर्डिनेन्स आप लाते तो अच्छा होता इस आवश्यक कार्यवाही को करने के लिए आर्डिनेन्स लाते तो कोई बात होती।

हमें सोचना है कि करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद बोर्ड कहां तक अपने कार्यों में सफल हो सका है। जब असहयोग आंदोलन देश में चला, देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तब खादी को शस्त्र के रूप में स्वीकार किया गया था। हमारे यहां से करोड़ों अरबों रुपयों का धन विदेशों में चला जाता था। उसको रोकने के लिए और जो मैनचेस्टर और लंकाशायर से करोड़ों का कपड़ा आता था उस को रोकने के लिए इस संस्था को अपनाया गया था। पर आज खादी हमारे सामने आजादी प्राप्त करने का शस्त्र के रूप में नहीं है। आजादी तो हमें प्राप्त होगई। खादी का वह काम पूरा हो गया। आज तो हम इसे केवल एक अर्थ व्यवस्था के रूप में आर्थिक दृष्टि से ग्रहण कर रहे हैं। इस पर भी हमें विचारना होगा। आर्थिक दृष्टि से यह बोर्ड कहां तक काम करने में सफल हुआ है। इन बीस वर्षों में करोड़ों रुपयों की राशि इस पर खर्च की जा चुकी है। मैं मानती हूं कि जहां पहले दो करोड़ की खादी बिकती थी वहां अब 21 करोड़ की बिकती है। यह भी मानती हूं कि पहले के मुकाबले में काम करने वालों की, मजदूरों की संख्या भी बढ़ी है। लेकिन क्या इतना रुपया खर्च करके भी वह श्रद्धा इसके प्रति हमने उत्पन्न की है जो पहले थी। वह श्रद्धा लगन और ईमानदारी की भावना इससे हम पैदा नहीं कर सके, यह मानना पड़ेगा। खादी की इज्जत जो पहले बनी थी वह कायम नहीं रख सके, बढ़ाना तो दूर किनार। आज खादी एक फैशन की चीज बन गई है। आज देश की बड़ी से बड़ी खादी की दुकान पर चले जावें, खादी के नये नये स्टाइल बने हुए मिलेंगे। ठीक है कि इससे एक्सपोर्ट से रुपया भी आता है। यह टूरिस्टों और शौकीनों के लिए शौक की चीज बनती जा रही है। पर साथ ही हमें यह भी देखना है कि हम जो यह कहते हैं कि इससे गरीबों को

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

रोजी देते हैं, वह हम कहां तक देने में कामयाब हुए हैं। पहले हम कतवारियों को जिनमें स्त्रियों की संख्या ज्यादा होती है अच्छी गुजारे लायक रोजी दे देते थे पर आज दिन भर में पूरा काम करने वालों को हम दस आना बारह आना से ज्यादा नहीं दे पाते हैं। आज की इस बढ़ी हुई महंगाई के मुकाबले में यह बहुत ही कम है। अगर यह पत्थर तोड़ने के काम पर भी चली जावे तो दिन भर में कम से कम दो रुपया आसानी से ले आवेगी। अन्य व्यवस्था के कार्य में लगे नौकरों को अच्छा मिल जाता है। पर स्त्रियों की आमदनी इससे पूरी नहीं हो पाती। दूसरी बात खादी अपने प्रारम्भ के काल में गांधीजी के वक्त में समाजवाद का प्रतीक थी, समाजवाद को लेकर चली थी गांधीजी के उसूलों के साथ बराबर मेल खाती थी। पर आज क्या खादी बोर्ड उसी लाइन पर चल रहा है। इसका प्रबन्ध करने वाले तबके के लोग आज साधारण मजदूर कतारिन से दूर चले गये हैं। आज उनको आराम से रहने के लिए बंगले और मोटरों की चाह पैदा हो गई है। कई तरह की सुविधाओं की मांग बढ़ती जा रही है यह सही है कि इन सुविधाओं को लेने से वर्मा साहब ने इन्कार किया है। पर अच्छा होता निम्न अधिकारियों पर इसके लिए अंकुश लगाने के लिए आप आर्डिनेन्स लाते कि उनको केवल आवश्यक सुविधायें मिलें और कतवारियों को भी उनकी आवश्यकता के जितना तो मिलें और इस तरह से यह भेदभाव की दीवार कम करते। अगर इसके लिए आप आर्डिनेन्स लाते तो सभापति महोदय, अवश्य ही हम इस आर्डिनेन्स का स्वागत करते।

सभापति महोदय, सदस्यों ने खादी पहनने न पहनने की भी आलोचना की। मैं समझती हूं यह वाहियात सी बात है। उन्होंने कहा खादी ऊपर से पहनने न पहनने से क्या होता है, हमारा दिल खादी का है या नहीं। यह सही बात है। दिल से मेरा मतलब यह कि जिस खादी ने एक समय देशभक्ति की भावना दी थी वह भावना आज भी खादी पहनने वालों में है या नहीं। जिस आइडियोलोजी को लेकर खादी चली थी, वह आइडियोलोजी आज भी कायम है या नहीं। इसका पालन आज के खादी पहनने वाले कर रहे हैं या नहीं। अगर कर रहे हैं तो खादी को सारी सफलता आ जाती है।

सभापति महोदय, हमने जो इस नये विधेयक में इस खादी संस्था के चेयरमैन को मिनिस्ट्रियल स्टेटस दिया है यह मेरे कानों में भी चुभता है और दिल में भी। जो खादी समाजवाद को लेकर चली थी क्या आज उस खादी संस्था के चेयरमैन को मिनिस्टर के पद की जरूरत हो गई?

मैं सोचती हूं कि इस खादी के साथ खादी का असम्मान करना है। यह खादी उसूलों को लेकर चली है। और आपको चेयरमैन बनाना है तो आप इसमें से मिनिस्ट्रियल शब्द को निकाल दीजिए। हमारे मिनिस्टर साहब ने कहा कि उन्होंने तनख्वाह कम ली है, बंगला स्वीकार नहीं किया है। हम उनकी तो इस बात के लिये तारीफ करते हैं लेकिन हमें भविष्य को भी देखना है। यदि उनके बाद में दूसरा चेयरमैन आया तो क्या वह मोटर को छोड़ देगा, दो दो टेलीफोन को छोड़ देगा? क्या वह भी बंगला और तनख्वाह छोड़ेगा?

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

आखिर यह सारा का सारा हमारे खजाने के ऊपर असर पड़ता है। खादी जैसी पवित्र संस्था के लिए अगर आप आनरेरी चेयरमैन रखते हैं जो कि अपना सारा का सारा जीवन उसके लिये अर्पित करे ऐसी पावन भावना होनी चाहिए और इसी भावना से खादी बोर्ड में चेयरमैन को रखना चाहिए।

तो सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगी कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जो कि इसके ऊपर विचार करे कि कतवारियों को कितना देना चाहिए, जो यह विचार करे कि जो लाखों लोग खादी बोर्ड में काम कर रहे हैं उनके सर्विस रूल्स नहीं बने हुए हैं उनके लिये सर्विस रूल्स बनाये जायें और ऐसे नियम बनाए जायें कि खादी की प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त हो सके। वह फैशन की चीज नहीं बनाई जाये। अगर हम सोचते हैं कि यह इन्डस्ट्री की चीज है और यह सोचते हैं कि अर्थ कमाने की चीज है तो बेशक इसे फैशन की चीज बना ले और इससे कमाये लेकिन दो दो प्रिन्सिपल्स साथ साथ नहीं चल सकते। यदि आप श्रद्धा की भावना रखना चाहते हैं–इधर आप इसको कामर्स की चीज बनाना चाहते हैं और फैशन की चीज भी बनाना चाहते हैं यह आज विरोधाभास चल रहा है हमें सोचना है कि इस तरफ हमें बैठना या इधर बैठना है। तो मेरा यही निवेदन है कि मंत्री महोदय इस पर पुनः विचार करें और बेहतर हो कि इस विधेयक को प्रवर समिति में भेज दिया जाये।

श्री सभापति : श्री वृद्धिचन्द्र जैन !

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर): सभापति महोदय, मैंने भी प्रवर समिति के समक्ष राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1968 प्रस्तुत करने के लिए प्रस्ताव रखा है।

खादी के बारे में विचार मेरे भी मैं सदन में रखना चाहता हूँ। खादी का एक विशेष महत्व आजादी से पहले था और मैं अभी भी समझता हूं कि इसका एक विशेष महत्व है। और कोई खादी के कपड़े पहन कर ईमानदारी से नहीं चले तो यह खादी का दोष नहीं है। या हम चरित्रवान नहीं हैं तो यह खादी का दोष नहीं है। आप इस नतीजे पर पहुंचे कि कोई भी एक कार्यकर्ता कांग्रेस का है, किसी और भी पार्टी का है क्योंकि वे भी खादी पहनते हैं, संसोपा वाले भी खादी पहनते हैं, भारतीय, क्रांतिदल वाले भी खादी पहनते हैं तो सिर्फ खादी पहनने से ही हम उनको घृणा की दृष्टि से देखें यह मैं कभी भी मान नहीं सकता और न जनता कभी मान सकती है।

इस अध्यादेश को लाने को जो कदम असाधारण परिस्थिति में उठाना चाहिये वह साधारणतः प्रयोग में लिया जाय उसको मैं कभी भी सराहना नहीं कर सकता। यह प्रजातंत्र के उसूलों के खिलाफ है। अक्सर मैं देखता हूं कि आर्डीनेन्स निकाल देते हैं और फिर बाद में बिल लाते हैं और फिर बिल एक्ट के रूप में परिणित हो जाता है और जब आर्डीनेन्स शाया हो जाता है या प्रकाशित हो जाता है और उसका एक्ट–अपोन भी कर लिया जाता है। तो फिर उसका गवर्नमेन्ट को भी पालन करना होता है और फिर वह पास कर लिया जाता है। तो अक्सर देखा गया है कि आर्डीनेन्स रखने में योग्यता का परिचय नहीं दिया जाता

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

अब श्री माणिक्यलाल जी वर्मा जिनसे मैं बहुत ही अच्छी तरह से भिज्ञ हूं, मैं उनको भी अच्छी तरह से जानता हू वह बहुत ही ईमानदार हैं, बड़े निर्भीक हैं, सच्चाई के यों कहिये अवतार हैं उनको इस कार्य के लिए जिम्मेदारी सौंपी तो इसके लिए भी गवर्नमेन्ट ने कोशिश की होगी, प्रयास किया होगा कि इस खादी में घोटाले हैं उसमें सुधार किया जाये और उसको ठीक करने में क्योंकि आप जिम्मेदार महानुभाव हैं तभी जिम्मेदारी उन्होंने ली होगी। मैं ऐसा समझता हूं और इस जिम्मेदारी को लेकर उन्होंने इस बात का भी परिचय दिया कि जो मिनिस्ट्रियल स्टेटस के एडवान्टेजेज हैं वह भी उन्होंने नहीं उठाये और मैं तो यह कहता हूं कि वे इस भावना से आये हैं कि वह आनरेरी भी काम कर सकते हैं और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जब वे त्याग की भावना से इस खादी की तरक्की के लिये, ग्रामोद्योग की तरक्की के लिए चेयरमैन की हैसियत से आते हैं वे कम से कम एक उदाहरण रखें कि वह आनरेरी काम करेंगे क्योंकि उनके पास पैसे की कमी नहीं हैं। किसी भी तरीके से उनको पैसे की आवश्यकता नहीं है इसलिये मैं तो यह समझता हूं कि इस पद को आनरेरी समझकर और 500 रुपया भी छोड़कर आनरेरी कार्य करें। जिन महानुभावों ने माणिक्यलाल जी वर्मा के बारे में विचार रखे कि जहां जहां भी उन्होंने कार्य किया वह सफल नहीं हुए। मैंने उनका सीमावर्ती क्षेत्रों में कार्य देखा है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उन्होंने बोर्डिंग स्थापित किये और वह सफल रहे हैं और उससे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को बहुत ही लाभ पहुंचा है और सीमावर्ती क्षेत्र में उसका मनोबल भी बढ़ा है। तो यह न समझिये कि जो उनके कार्य हैं वह सराहनीय नहीं हैं। उनके कार्य सराहने के काबिल हैं और इतनी उमर के अन्दर भी 65 साल की उम्र में भी वह बहुत ही लगन के साथ कार्य करते हैं, कोई भी कार्य करने में हिचकिचाते नहीं हैं। हमारे जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं जैसलमेर और बाड़मेर मैं वहां उनके साथ में गया हूं तो मैंने देखा कि जो डाकुओं के गांव हैं और जहां डाकू रहते हैं उन गावों की काया भी पलट गई हैं। वह लोग भी गृह उद्योग की तरफ आकर्षित हुए हैं। अनुसूचित जाती और अनुसूचित जन जातो के लोग बुराई की तरफ झुके हैं और जो राजपूत हैं उनमें भी घरों में कताई काम करने की भावना जागी है। वह लोग भी इसका लाभ उठाकर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हैं. इसलिये यह ग्रामोद्योग जब कि हमारा देश आर्थिक दृष्टि से कमजोर है, हमारी आबादी बहुत बढी हुई है हम सिर्फ मशीनों को लेकर ही अपना उपार्जन नहीं कर सकते। हमने यह देखा है कि जो आकडा से अकवाला निकलता है काफी रस्सी उससे तैयार की है और हजारों रुपये का कार्य किया है और लोगों को काफी रोजी मिली है।

इस प्रकार यह कार्य तो सराहनीय है। इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। पहले जो गवर्नमेंट के आफिसर्स रहते थे, वह इतना ध्यान नहीं दे सकते थे। आज वह पूरा समय हम को देते हैं। उस क्षेत्र में जो जो क्षेत्र हैं, उनमें भी वह जाकर काम करते हैं। मैं उनसे यह भी निवेदन करूंगा कि वह सीमावर्ती क्षेत्रों में जायें। वहां जाकर देखें कि वहां के लोगों को जितनी रोजी मिलनी

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

चाहिए वह मिलती नहीं है। आज के वैज्ञानिक तरीके अपनाये जायें कातने और बुनाई में, जिससे उनको पर्याप्त रोजी मिले। इसका मतलब यह नहीं है कि ये धन्धे बन्द कर दिये जायें। इस अकाल के समय में इसको बड़ी आवश्यकता है। मैं खुद जैसलमेर और बाडमेर के क्षेत्रों में घूमा हूं। 20 रु० प्रतिमाह जो औरतें काम करती है उनको मिलता है जिससे उनको बड़ा भारी सहारा मिलता है। हमारा देश गरीब है। गरीब देश में हमें छोटे धन्धों को खादी को प्रोत्साहन देना चाहिए। इस सम्बन्ध में मैंने जो मेम्बर्स के बारे में कहा है, मेम्बर्स में योग्यता होनी चाहिए। योग्य सदस्यों को लिया जाये। यह नहीं कि गवर्नमेंट अपनी मर्जी से लोगों को ले ले। जो खादी के बारे में कुछ जानते नहीं। जिन में त्याग की भावना नहीं। अगर इस प्रकार के सदस्य लिये जायें तो वह सदस्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड में अच्छी तरह से काम नहीं कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाये ताकि वह पूरी जांच पड़ताल करके और बाद में यह बिल असेम्बली में आये। मैं इसी आधार से इस भावना का समर्थन करता हूँ।

श्री सभापति: श्री रघुनाथ विश्नोई (अनुपस्थित)

श्री रामचन्द्र आर्य।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि खादी बोर्ड के बारे में जो संशोधन विधेयक पेश किया गया है, इसकी जरूरत नहीं थी। क्योंकि खादी बोर्ड का अध्यक्ष हमेशा मन्त्री ही हुआ करता था। एक चेयरमैन नियुक्त करने के लिए अध्यादेश जारी किया गया और उसके अन्दर संशोधन करने के लिए संशोधन विधेयक पेश किया गया है। महज एक आदमी को पद दिलाने के लिए, अपने समर्थकों को प्रोत्साहन देने के सिवाय और कुछ नहीं है। या तो इस मन्त्री मण्डल के अन्दर कोई सदस्य योग्य नहीं है। इस मन्त्रिमण्डल में 36 सदस्य होते हुए भी एक अन्य व्यक्ति को चेयरमैन बनाया जाये। इससे अधिक लज्जा की बात और क्या हो सकती है। अच्छा तो यह होता कि इस खादी बोर्ड की इन्क्वायरी के लिए अध्यादेश जारी करवाया जाता। इसके अन्दर कितने घोटाले हैं। तब तो यह समझा जाता कि खादी ग्रामोद्योग में जितने घोटाले हुए हैं उनकी सही जांच होगी। जिन लोगों ने घोटाले किये हैं, उनकी जांच होगी। लेकिन खादी ग्रामोद्योग बोर्ड पर उलटे बजन ही डाला गया है। एक अन्य आदमी को, नान-आफीसियल आदमी को चेयरमैन नियुक्त करके धन का दुरुपयोग किया गया है। मैं तो यह कहूँगा कि इस राज्य के अन्दर कोई ईमानदार आदमी नहीं है। चारों तरफ घोटाले ही घोटाले हैं। उन घोटालों पर पर्दा डालने के लिए यह कार्यवाही की जा रही है। श्री माणिक लाल वर्मा के बारे में यह कहा गया है कि वह बड़े ईमानदार हैं। अच्छे हैं तो क्या हुआ? उनके इस पद पर आने का मतलब है कि उनके दिल में यह है कि अपने आदमियों को बनाने के लिए वह आये। बोर्ड के अध्यक्ष का पद अन्य व्यक्ति को देकर जनता के धन का दुरुपयोग किया गया है। इस प्रदेश में धन का बड़ा अभाव है। फिर दूसरे आदमी को चेयरमैन नियुक्त किया जाना अनुचित है। इसलिए मैं कहूँगा

(श्री रामचन्द्र आर्य)

कि इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा जाये। एक महीने बाद पुनः विचार किया जाये। क्योंकि इस विधेयक की कोई जरूरत नहीं है। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड में इतने घोटाले हो रहे हैं, उनकी जांच की जाये। जिन जिन व्यक्तियों ने घोटाले किये हैं उनको सजा दिलानी चाहिए। आप कहते हैं कि हम संशोधन करना चाहते हैं। यह बड़े शर्म की बात है। मामूली मामूली बातों को लेकर अध्यादेश जारी कराया जाता है। मामूली बातों पर सत्ता का दुरुपयोग किया जाता है। हम तो यह मानते हैं, यहां तक ही नहीं पूरे देश में जितने राज्यपाल हैं उनको कठपुतली की तरह से बचाते हैं। उनके हस्ताक्षर करवा कर अध्यादेश जारी करवाये जाते हैं। यह न तो राज्यपाल की इच्छा है। यह मोहनलाल सुखाड़िया, चीफ मिनिस्टर की इच्छा है। यहां के राज्यपाल ने गंगानगर के दौरे में कहा था कि हमारे हाथ में कोई पावर नहीं है। हम तो एक सिंगारी हाथी हैं। अध्यादेश यह सरकार जारी करवाती है, इसका विरोध होना चाहिए। और आयन्दा इस सरकार पर यह प्रभाव डालना चाहिए। क्योंकि अंग्रेजों के राज में भी ऐसे काले कानून नहीं बनाये जाते थे। आये दिन राजस्थान सरकार अपने समर्थकों के कारनामों पर पर्दा डालने के लिए आर्डिनेन्स जारी करवाती है। यह लज्जा की बात है। मैं, सभापति महोदय, यह निवेदन करूंगा कि इस संशोधन के पास होने से पहले विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा जाये और एक महीने के बाद रिपोर्ट आने पर खुले रूप में विचार किया जाये। पूर्व में सब साथियों ने काफी विचार प्रकट किये हैं। यह कहना ही पड़ेगा कि खादी के अन्दर पवित्रता है। लेकिन, इस राज में पवित्रता नहीं है। सारे घोटाले हो रहे हैं। इसको बदलने के लिए इसके शासन को बदलना होगा। मैं अपने एक क्षेत्र का उदाहरण देता हूं। वहां पर 3 नम्बर की ईंट सड़क में लगाई जा रही है। 3 नम्बर की ईंट का भाव 30 रु० हजार है। उसका पेमेंट 100 रु० होता है। इस प्रकार के घोटाले हो रहे हैं। अनेक संस्थाओं में जाकर देखिए, कितनी खराबियां हुई हैं। खादी संस्थाओं की इन सारी खराबियों पर परदा डालने के लिए यह किया जा रहा है। अपने फर्ज को अदा नहीं कर रहे हैं। ये माणिकलाल वर्मा आयेंगे तो जितना खादी बोर्ड की संस्थाओं में घोटाला हुआ है उन पर अध्यक्ष बन कर परदा डाल देंगे। माणिक्यलाल जी के अन्दर जो अच्छाई थी वह किसी जमाने में थी, आज नहीं है। यदि उनके अन्दर अच्छाई होती तो वह आज इन संस्थाओं में नहीं होते, वह भ्रष्टाचारियों से कदम से कदम मिला कर नहीं चलते। इनके अन्दर भ्रष्टाचार पनप रहा है और वह भी भ्रष्टाचार से लिप्त होने की इच्छा से आये हैं वरना वह खादी बोर्ड में नहीं आते। उनको यदि ईमानदारी से रहना था तो बाकी बचे हुए जीवन को जनता की सेवा में उन्हें बिताना चाहिए था, उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र में बिताना चाहिए था...

(4.40 म. प.)

(श्री निरंजन नाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

उन्होंने एक महान् भूल की है। बोर्ड का चेयरमैन उनका बनना यह संकेत देता है

(श्री रामचन्द्र आर्य)

कि अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए उन्होंने ऐसा किया है। यह लज्जा की बात है। माणिक्य लाल वर्मा को उनके कांग्रेसी लोग प्रशंसा करते हैं। मैं उनको प्रशंसा नहीं कर सकता क्योंकि इस प्रकार के व्यक्तियों और भ्रष्टाचारियों से मिल कर और खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के चेयरमैन के पद पर रह कर वह अपने आपको ईमानदारी से कभी नहीं रख सकेंगे, क्योंकि उन्होंने जो भी किया है उस किये हुए पर से वह पर्दा नहीं उठा सकेंगे क्योंकि इनकी दी हुई रोजी पर वह पलेंगे। मैं यह कहूँगा कि माणिक्य लाल जी वर्मा के लिए इन लोगों ने प्रशंसा के शब्द कहे हैं वह उनको भ्रष्ट करने और जान बूझ कर उनको गुमराह करने की मंशा से कहे हैं। आज माणिक्य लाल वर्मा ईमानदार नहीं रहे हैं। इस शासन से जो कदम से कदम मिला कर चलेगा वह ईमानदार नहीं रह सकता। इनके किये हुए पर से पर्दा उठाने से मालूम होगा कि कितना कितना भ्रष्टाचार इन्होंने फैला रखा है। आज कमीशन बैठा कर एक एक की जांच कराई जाय तो कोई भी मंत्री नहीं बच सकता है जिसने कि भ्रष्टाचार में हिस्सा नहीं लिया हो। खादी बोर्ड ही नहीं अनेक संस्थाओं में इस प्रकार के घोटाले हैं। इसलिए मैं सदन का अधिक समय नहीं लूंगा क्योंकि खादी बोर्ड पर ज्यादा कहने की जरूरत नहीं हैं। आज देश के अन्दर खादी पहनने वाले आदमी को इतनी नीची दृष्टि से देखा जाता है जैसे कोई चोर लुटेरा हो, कोई परमिट लेने वाला डाकू हो। इसके सिवाय कुछ नहीं है। इस खादी बोर्ड के द्वारा लोगों को रोजगार देने का सवाल नहीं है। इसमें गरीब लोगों को रोजगार नहीं दिया जाता। ठेकेदार का नाम लिखा जाता है और उसके द्वारा थोड़े पैसे में गरीब लोगों की मेहनत खरीदी जाती है और आगे चल कर जो मठाधीश बैठे हैं वह उनकी मेहनत का लाभ उठाते हैं। इसमें बाइस लाख मजदूरों की बात कही है–यह गलत है। बहुत थोड़े आदमी इसमें काम करते हैं, बाकी लोगों की मेहनत खरीदी जाती है और सस्ते भाव पर खरीदी जाती है।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

मेरा निवेदन है कि इसकी जांच कराई जाय तो इस पर से पर्दा उठ सकता है और पर्दा उठने से मालूम होगा कि इसके अन्दर कितना घोटाला है, किस प्रकार के भ्रष्टाचार इन्होंने किये हैं, इस में अपने समर्थकों को पनपाने के लिए इन्होंने क्या कुछ नहीं किया है। यह आने वाला समय ही बता सकता है। (समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या धारा प्रवाह से बोले हैं!

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं अपना संशोधन पेश करते हुए मांग यह करता हूं कि इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा जाय और एक महीने के अन्दर अन्दर इसकी रिपोर्ट आने पर इस पर पुनः विचार किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं अपना संशोधन पेश करते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री डूंगाराम राजोरिया (दौसा सु.) : अध्यक्ष महोदय, यह जो खादी ग्रामोद्योग बोर्ड विधेयक, 1968 सदन में लाया गया है इसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं••

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में बोल दीजिये।

श्री डूंगाराम राजोरिया : मैं संक्षेप में ही कहूंगा।

मैं यह निवेदन करना चाहता था कि खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के बारे में हर वर्ष, जब सेशन होता है, कोई न कोई संशोधन लाया जाता है। यह ऐसी संस्था बनाई गई है कि जो भी राजनीतिज्ञ हैं उन लोगों को इससे राहत पहुँचाने के लिए और उनकी कमाई का साधन करने के लिए है। यह इस तरह का बोर्ड स्थापित किया गया है। अभी थोड़ी देर पहले मंत्री महोदय ने एक अपना वक्तव्य दिया था संकल्प के बाद में तो उन्होंने यह कहा था कि हमने इस बोर्ड की स्थापना जो की है उससे गांव के लोगों के लिए, खादी ग्रामोद्योग की जो भी संस्थायें हैं उनके माध्यम से रोजी का साधन बढ़ाया है, और कई प्रकार के जो लोग हैं, जो गांवों में काश्त के अलावा धन्धा करते हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए हमने ऐसा किया है। मेरी मान्यता ऐसी है कि जो खादी ग्रामोद्योग बोर्ड है इससे उनको किसी प्रकार की राहत नहीं पहुँची है। इसका उदाहरण आप गांवों में जाकर देख लीजिए। गांवों में आज कोई भी ऐसा उद्योग नहीं चल रहा है जिससे गरीब लोग कमाई करते हों। खाली विधान सभा में बैठ कर यह कह सकते हैं कि हमने अमुक संस्था खोल दी है। वह जो संस्थायें खोली हैं उन संस्थाओं में भी वही ऊंचे वर्ग के खाते कमाते लोग हैं। यह लोग--खादी संस्थाओं के मालिक हैं-इस तरह के धन्धे बना रखे हैं। उनसे गरीब लोगों को रोजी नहीं मिलती है। यह लोग इन संस्थाओं के जरिये खूब बेईमानी से खा कमा कर खाते हैं, और गरीब लोगों का खून चूसते हैं। जो बुनकर हैं उनको मामूली मजदूरी देकर उनका खून चूसा जाता है और गरीब लोगों को किसी प्रकार की राहत नहीं दी जाती है। इसके अलावा एक बात मैं यह भी कहना चाहूंगा। अभी अभी एक माननीय सदस्य ने एक बात कही थी कि गैर सरकारी सदस्य रखने से इस बोर्ड में कुछ सुधार व उत्थान होगा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस समय मंत्री महोदय इस बोर्ड के चेअरमैन रहे, सभापति रहे तो क्या वह गैर सरकारी सदस्य नहीं थे ? जो इतने साल से इस बोर्ड में अनियमिततायें हुई हैं उनका निराकरण वह नहीं कर सके। हरिभाऊ उपाध्याय इस बोर्ड के चेअरमैन नहीं रहते थे ? वह भी इस बोर्ड में जो अनियमिततायें हुईं और इस संस्था में धन का दुरुपयोग किया गया, जनता के धन का दुरुपयोग होता था उसको नहीं रोक पाये। यह बात कांग्रेस के लोग कहते हैं कि यह गैर सरकारी सदस्य लाया गया है वह इस कारण से लाया गया है कि जितनी भी इसमें अनियमिततायें होती थीं, जितनी भी गड़बड़ी होती थीं उनको दूर करके ग्रामीण लोगों को रोजगार देने के लिए उसकी आवश्यकता थी। इसलिए ही एक अनुभवी व्यक्ति की इस बोर्ड में नियुक्ति करके उसको सभी प्रकार के साधन सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। मैं निवेदन करूंगा कि यह बात कही गई है यह बिल्कुल गलत है यह तो संस्था के नाम से व्यक्ति को फायदा पहुँचाने वाली बात है। मैं उस व्यक्ति के लिए कुछ नहीं कह सकता क्योंकि उनसे परिचित तो हूं नहीं। वह भले हो सकते हैं, योग्य हो सकते हैं, सब प्रकार की योग्यता उनमें हो सकती है। लेकिन मैं यह कभी नहीं मान सकता कि इस बोर्ड में आकर वह

(श्री डूंगाराम राजोरिया)
अच्छा काम कर पायेंगे क्योंकि इस पद पर पहले जो व्यक्ति रहे अगर वह कर पाते तो वह भी अच्छा काम कर सकते थे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अगर बोर्ड में अध्यक्ष या बोर्ड के सदस्य रखे जांय तो पिछड़े वर्ग के लोगों में से रखे जांय। ताकि वह बोर्ड में सही काम करे, और इस उद्योग के बारे में समझ सकें और इन उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए रुपये की और दूसरी सहायता दिलवा सकें, संस्थाओं को रुपया दिलवा सकें, जो लोग इसमें चोरियां करते हैं उनके ऊपर वह प्रतिबन्ध लगा सकें और गरीब लोगों की इन संस्थाओं का कब्जा दिला कर इन संस्थाओं को पनपा सकें और जितने धन्धे-उनके हैं उनको कामयाब करवा सके। मैं समझता हूं कि ऐसा होगा तभी यह बोर्ड और संस्था कामयाब हो सकती है नहीं तो गैर सरकारी सदस्य रख कर भी जनता के पैसे का दुरुपयोग होगा। यह तरीका गलत है और इस तरीके को अपनाने से राजस्थान के गरीबों को फायदा पहुंचाने वाली बात नहीं होगी।

इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कुछ सुझावों के साथ (समय–समाप्ति-सूचक घंटी) अध्यक्ष महोदय की घंटी बज रही है और टाइम कम है इसलिए मैं थोड़ी देर में अपना भाषण समाप्त करना चाहूंगा।

अगर इसमें आप कुछ सुधार करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात तो यह है कि आपको गांवों में जाकर वहां के जितने लोग हैं, जितने भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं उन लोगों की स्थिति को देखना पड़ेगा कि उनमें से कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने ऐसे हैं जिन लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। ऐसे लोगों की सर्वे करके उन लोगों में से जिस जिस जाति के जो जो काम करते हैं उन जातियों की उस प्रकार की सोसाइटी बना कर, उन लोगों की संस्था बना कर उस संस्था के थ्रू उन लोगों को रोजगार देना चाहिए और उनके धन्धे खोलने चाहिए। अभी प्रश्नों के समय एक प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सका। उसके प्रश्न में हड्डियों के ठेके वाली बात आई थी उसमें अनुसूचित जाति के लोगों की हड्डियों के काम की संस्था थी उसको ठेका न देकर एक व्यक्ति विशेष को ठेका देना। एक व्यक्ति को फायदा पहुंचाने की गरज से सोसाईटी के कई लोगों के रोजगार छीनना ठीक नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि इस प्रकार संस्था को इस प्रकार के ठेके देने के बाद में उस गांव में हड्डियों का धन्धा चालू किया जाय तो उसमें काम करने वाले लोगों को कामयाबी हासिल हो सकती है। मैं कहना चाहूंगा, अगर आप बोर्ड के थ्रू गरीबों को राहत देना चाहते हैं तो इस बोर्ड के थ्रू जितने गरीब लोग हैं उनको राहत तभी दे सकते हैं जब उनके धन्धे में हर प्रकार····

श्री अध्यक्ष : आर्डर–आर्डर! मंत्री महोदय!

श्री डूंगाराम राजोरिया : की सहायता दी जाय, उनको लोन दिया जाय, सरकार की तरफ से हर तरह की सुविधा दी जाय।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। पर्याप्त हो गया।

श्री अमृतलाल यादव (मन्त्री, खादी, ग्रामोद्योग): मैं इस सम्बन्ध में पहले ही विस्तार से कह चुका हूं। हर स्टेट में खादी

(श्री अमृतलाल यादव)

ग्रामोद्योग बोर्ड है। पार्लियामेंट एक्ट के जरिये खादी कमीशन कायम हुआ। खादी कमीशन ने स्टेट बोर्ड कायम किए। स्टेट बोर्ड में संस्थाओं को अनुदान, ऋण जो खादी ग्रामोद्योग के काम में लगी हुई है, दिया जाता है। यह महसूस किया गया कि राज्य के मन्त्री के स्थान पर अगर पूरे टाइम का अध्यक्ष मुकर्रर किया गया तो वे पूरा समय दे सकेंगे और खादी ग्रामोद्योगों को और एक्सपेन्ड कर सकेंगे और इससे अधिक से अधिक लोगों को काम मिलेगा और जो परम्परागत कारीगर हैं, उनकी कारीगरी का जो हुनर है वह अक्षुण्ण रहे। इस दृष्टि से इसे देखा गया। केवल राजस्थान में ही यह नहीं किया जा रहा है। गैर–सरकारी सदस्य महाराष्ट्र में नियुक्त हो चुके हैं। गुजरात में नियुक्त हो चुके हैं और यहां, राजस्थान में नियुक्त कर पाये हैं। यहां पर माननीय सदस्यों ने इसको प्रवर समिति के सुपुर्द करने, जनमत के लिए प्रसारित करने की बात कही है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं इसमें तीन बातें हैं, एक तो अब तक मन्त्री इसका अध्यक्ष होता था, उसके स्थान पर गैर सरकारी अध्यक्ष होगा। दूसरा अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट–उसमें सदस्यों को कम करने की सिफारिश है। वह ठीक है। 16 के स्थान पर 12 सदस्यों को रखा जाय। तीसरे उनके वेतन, भत्ते आदि के बारे में कहा है। जहां तक इस बोर्ड में उपयुक्त और योग्य अध्यक्ष को रखने का सवाल है, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि श्री माणिक्यलाल जी वर्मा से ज्यादा उपयुक्त आज की परिस्थिति में इस बोर्ड के लिए और कोई नहीं हो सकता। उन्होंने बारडर के ऊपर काम किया है। हरिजनों के लिए काम किया है। आदि–वासियों के लिए काम किया है और उनके···

श्री मूलचन्द डागा: श्री माणिक्यलाल जी वर्मा की बात नहीं है। प्रश्न चेयरमैन बनाने का है। सवाल है कि चेयरमैन कौन हो?

श्री अमृतलाल यादव: मैं निवेदन कर रहा था, उन्होंने जो इस प्रकार की सेवाएं की हैं, ग्रामोद्योग और अन्य धन्धों को प्रोत्साहन देने के लिए उन्होंने जो काम किया है, उस दृष्टि से, उसको देखते हुए राज्य सरकार ने इस बात को उपयुक्त समझा कि उनको इस बोर्ड का अध्यक्ष बनाया जाय। जो कुछ राज्य सरकार ने सुविधाएं दीं, उनमें से उन्होंने जो सुविधाएं नहीं लीं उनका जिक्र, अध्यक्ष महोदय, मैं यहां निवेदन करना चाहता हूं। हमें श्री वर्मा जी जैसे व्यक्तियों की आवश्यकता है···

श्री अध्यक्ष: पर्याप्त है··

श्री दौलतराम सरण: क्या पुराने जितने चेयरमैन थे, वे अयोग्य थे?

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्री मूलचन्द डागा, श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत, श्री वृद्धिचन्द जैन, श्री रघुनाथ विश्नोई और श्री रामचन्द्र आर्य ने···

श्री हीराभाई (कुशलगढ़): व्यवस्था का प्रश्न है। यह जानकारी चाहता हूं···

श्री अध्यक्ष: अब कोई प्रश्न नहीं उठता··प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव

Page No. 126

(श्री अध्यक्ष)

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा, श्री जुझारसिंह, श्री रामानन्द अग्रवाल, श्री नरपतसिंह ने राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक 1968 को एक सप्ताह। छः माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किए जाने के लिए दिया है, स्वीकृत किया जाय ?

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1968 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जावे जो अपना प्रतिवेदन तीन दिन में। पन्द्रह दिन में। एक सप्ताह में। तीन दिन के अन्दर। एक माह में प्रस्तुत करें (प्रवर समिति के सदस्यों की नामावलि बाद में प्रस्तुत कर दी जावेगी), जिसे श्री मूलचंद डागा, श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत, श्री वृद्धिचन्द्र जैन श्री रघुनाथ बिश्नोई और श्री रामचन्द्र आर्य ने दिया हैं, उसको स्वीकार किया जावे।

श्री मूलचंद डागा : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेने की सदन से आज्ञा चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : अब समय नहीं रहा।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

अब इस विधेयक को विचारार्थ लिया जाय ?

श्री हीराभाई : मैं व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करता हूं। जो विधेयक आप पास करने जा रहे हैं कानून बनाने जा रहे हैं उसमें नामीनेट करने का सवाल है, यह कब तक चलेगा ? इसकी कोई सीमा है या नहीं ? खादी ग्रामोद्योग एक संस्था है उसके चुनाव होते हैं। यह जानकारी· · · ·

श्री अध्यक्ष : यह विशेष जानकारी नहीं है। माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करिये। जानकारी का अब प्रश्न नहीं उठता। विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक में जानकारी लेने के कई मौके आयेंगे। प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

(अनेक सदस्य एक साथ उठ खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष : आज इसे पास करना बिजनेस एडवाईजरी कमेटी के निर्णय के माफिक उपयुक्त होगा। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि कार्य सलाहकार समिति में जो निर्णय लिया गया, उसके अन्तर्गत इसको सफल करना इस सदन का कर्तव्य है। मेरा विश्वास है।

अमेण्डमेण्ट अभी ले लिये जांय और थर्ड रीडिंग कल ले ली जायेगी। छोटे छोटे अमेण्डमेण्ट हैं उसमें कोई असुविधा नहीं होगी। आगे दूसरे विधेयकों में आप अधिक समय दे सकेंगे और थर्ड रीडिंग में आपको और मौका मिल जायेगा इसलिये मैं संशोधन ले लेता हूं।

क्लाज 2। श्री मूलचंद डागा।

श्री मूलचंद डागा : एक बड़ा प्रश्न है.

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह अण्डरटेकिंग ले ली जाय कि ये प्रस्ताव को वापस नहीं लेंगे।

श्री अध्यक्ष : सदन का समय यह अमेण्डमेंट समाप्त होने तक सदन की अनुमति से बढ़ाया जाता है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, मेरा अमेंडमेंट इस प्रकार है–

"इस खण्ड द्वारा मूल अधिनियम की धारा 4 जिसका निवेशन प्रस्तावित है, उसकी उप-धारा (1) के खंड

(ख) में प्रयुक्त शब्द "अन्य" तथा "सदस्य" के मध्य में शब्द "राजनैतिक पीड़ित" "अन्तर्निविष्ट किये जावें।"

यह है कि जो बोर्ड के सदस्य बनाये जायं उनमें योग्यता होनी चाहिए। किसी भी बोर्ड का सबसे बड़ा लक्ष्य यह है कि बेरोजगारी को मिटाना है, देश की तरक्की करना है, ग्रामों में खुशहाली लाना है। ऐसे जो महत्वपूर्ण बोर्ड हैं, जिनके द्वारा बेरोजगारी को मिटा सकते हैं, उस बोर्ड के मेम्बर कौन हों, उनमें यह विशेषताएं हों, यह देखना परमावश्यक है। उनमें इस प्रकार की योग्यता होनी चाहिए। इसके लिए मैंने एक अमेंडमेंट दिया है कि जो राजनैतिक पीड़ित हैं, जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया है, जो समझते हैं कि देश में किस प्रकार आजादी मिली है, आजादी बड़ी कठिनता से मिली है। उनमें से विशेष योग्यता वाले लोगों को ही मेम्बर मुकर्रर किया जाय, ऐसों को नहीं कि खादी में विश्वास ही नहीं करते और उनको खादी बोर्ड का सदस्य बना दिया जाय।

इसलिए मैंने यह अमेंडमेंट रखा है।

श्री अध्यक्ष : श्री विजयसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री दिग्विजयसिंह।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन यह है कि एक सदस्य की नियुक्ति की जाती है चेअरमैन की नियुक्ति की जाती है तो उसके आगे यह जोड़ दिया जाय कि 'उसकी अवधि 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी'। मैं यह संशोधन इसलिए पेश कर रहा हूं कि पहले कोई भी किसी बोर्ड का चेअरमैन रहता था तो उसकी अवधि 5 वर्ष की रहती थी पर अब कितने वर्ष तक वह चेअरमैन रहेगा इस प्रकार की अवधि प्रोवाइड नहीं की है इसलिए कम से कम वह तो अवधि निश्चित करें कि वह तीन वर्ष या कोई एक डेफिनेट पोरियड जो आप रखना उचित समझें, कि वह इतने पीरियड के लिए चेअरमैन रहेगा।

मेरा दूसरा संशोधन 6 में है, इसके द्वारा 12 अन्य सदस्य राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे, 8 गैर सरकारी सदस्य होंगे मैं समझता हूं कि इतना बोर्ड गठित करना उचित नहीं होगा, 12 के स्थान पर 10 ही सदस्य रखें जिनमें से 5 नॉनआफिशियल्स रखें तो ठीक होगा। जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने बताया कई घोटाले इन बोर्डों में हुए, कई प्रकार की अनियमितताएं इस बोर्ड में चल रही हैं। ऐसी दशा में अधिक सदस्य न रख कर 5 नॉन आफिशियल सदस्य रखने चाहिए जो कि इस क्षेत्र में एक्सपर्ट हों और जो इन सब बातों को बोर्ड के सामने रख कर इन सारी खराबियों को दूर कर के बोर्ड को मजबूत बना सकें।

श्री अध्यक्ष : श्री रूपसिंह।

(अनुपस्थित)

(श्री अध्यक्ष)

श्री शंकरलाल।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री डागा ने रखा है....

श्री मूलचन्द डागा : मुझे अपना संशोधन वापिस लेने की इजाजत दी जाय।

श्री अध्यक्ष : क्या संशोधन वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री मूलचन्द डागा : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री दिग्विजयसिंह ने जो संशोधन रखे हैं उन्हें स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गये।

धारा 2।

प्रश्न यह है कि धारा 2 को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

धारा 2 स्वीकार की गई।

धारा 3

प्रश्न यह है कि धारा 3 स्वीकार की जाय।

(स्वीकृत)

धारा 3 स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि धारा 4 को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

धारा 4 स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि धारा 1, शोर्ट टाइटिल, प्रियेम्बल इत्यादि, स्वीकार किए जायं।

(स्वीकृत)

धारा 1, शोर्ट टाईटिल, प्रियेम्बल इत्यादि स्वीकार किए गए।

श्री रामकिशन शर्मा (बैर) : हां तो तब मान ली जाय जब कि ये बता दें कि कितनी धाराएं हैं।

श्री अध्यक्ष : आपकी विचार धारा में और उनकी विचारधारा में फरक है।

श्री अमृतलाल यादव (खादी ग्रामोद्योग मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1968 को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : पारित किया जाय...

अनेक माननीय सदस्य : नहीं साहब, अब नहीं।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं 5.05 बजे बुधवार दिनांक 28 अगस्त, 68 के म.पू. 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न सं. 7 की सूची)

सन् 1962 से अब तक जितने कर्मचारी (पुरुष व महिला नर्स) विशेष प्रशिक्षण के लिए डेप्यूटेशन पर गये जिनका ब्योरा :—

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	प्रशिक्षण का विवरण	वर्ष	विषय
1	2	3	4	5
		(विदेश में प्रशिक्षण)		
1.	मिसेस एफ. एस. सिंह	कोलम्बो प्लान	1962	पब्लिक हैल्थ नर्सिंग
2.	कुमारी एल. किशन	यू. एस. आई. डी.	1963	नर्सिंग प्रशासनिक
3.	जानकी अम्बा (कुमारी)	,,	1963	,, ,,
4.	मिस आर. टी. जोन	कोलम्बो प्लान	1963	अडवान्स ट्रेनिंग नर्सिंग प्रशासनिक
5.	मिस के. के. अमाल (के. के. शर्मा)	,,	,,	पोस्ट ग्रेजुएट नर्सिंग एजूकेशन
6.	श्री आई. सी. शर्मा	,,	1964	फीचीएट्रीक नर्सिंग
7.	मिस आर. टी. जौन	इंगलैण्ड	1965	शार्ट स्टैडी
8.	मिस शिला ई. बी. राम	कोलम्बो प्लान	,,	पब्लिक हैल्थ नर्सिंग
9.	मिस शुशिला मेम्यूएल	भारत	1962	सिस्टर ट्यूटर
10.	श्री इन्द्र चन्द	,,	,,	,,
11.	श्री आशाराम	,,	,,	,,
12.	मिस एफ. एस. सिंह	,,	,,	शार्ट टर्म रिफ्रेसर कोर्स अहमदाबाद
13.	श्री गोद्दू लाल	,,	,,	,,
14.	मिस ए. कोशी	,,	1963	सिस्टर ट्यूटर
15.	मिस एल. सिंह	,,	,,	सिस्टर ट्यूटर (इन्दौर)
16.	मिस पी. तनेजा	,,	,,	वार्ड सिस्टर
17.	श्री हरिनारायण असोपा	,,	,,	सिस्टर ट्यूटर
18.	पुष्पा राव	,,	,,	,,
19.	मिस के. सिंह	,,	,,	,,
20.	मिस जे. जे. जेकब	,,	,,	,,
21.	मिस जे. चन्द	,,	,,	,,
22.	मिस पी. एन. मथ्यूस	,,	1964	,,
23.	श्री आर. के. व्यास	,,	,,	,,

Page No. 130

1	2	3	4	5
24.	श्री एम. पी. शर्मा	भारत	1964	सिस्टर ट्यूटर
25.	श्री बन्सीलाल शर्मा	,,	,,	,,
26.	मिस इमान सिंह	,,	,,	,,
27.	मिस ए. रिचर्ड	,,	,,	,,
28.	श्री आर. एस. व्यास	,,	1965	बी. एस. सी. नर्सिंग
29.	मिस भगवती पालिया	,,	,,	सिस्टर ट्यूटर
30.	मिस शीला फिलिप	,,	,,	,,
31.	श्री जे. डी. शर्मा	,,	,,	,,
32.	श्री आई. एस. बेनीवाल	,,	,,	,,
33.	श्री आर. आर शर्मा	,,	,,	,,
34.	श्री के. एन. शर्मा	,,	,,	,,
35.	श्री वी. पी. माथुर	,,	,,	,,
36.	श्री एस. ई. जेकब	,,	,,	,,
37.	श्री कन्हैयालाल	,,	,,	,,
38.	श्री [illegible]मावतार मेहता	,,	,,	,,
39.	श्री आर. सी. शर्मा	,,	,,	,,
40.	मिस बी. एन. दास	,,	1968	पब्लिक हैल्थ नर्सिंग, देहली
41.	मिस के समदीपुरी	,,	,,	,,

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 10 की सूची)

सूची दूकानात मदिरा जिला पाली

क्रमांक 1	नाम दुकान 2	उप दुकान का नाम 3	क्रमांक 1	नाम दुकान 2	उप दुकान का नाम 3
1.	गडवाडा		28.	बेडा	
2.	गुन्दोज		29.	भारुन्दा	
3.	जीतडा		30.	सेवाडी	1. लुणेवा
4.	गुडा एण्डला		31.	खोडी	
5.	पाली सिटी	1. रेल्वे स्टेशन	32.	गाणेराव	
6.	पाली		33.	जवाली	
7.	रोहट		34.	देसुरी	
8.	खेरवा		35.	नाडोल	
9.	एरनपुरा रोड		36.	नारलाई	
10.	कोसेला	1. पावा	37.	बस्सी	
11.	फालना	1. खोमेल	38.	रानी	1. बिजोवा
12.	तखतगढ़		39.	सादडी	
13.	चाणोद		40.	सोमेसर	
14.	नोवी		41.	खीमाडा	
15.	बाखली		42.	वाचोडी	
16.	वीसलपुर		43.	डायलाना	
17.	बीजापुर		44.	अटपरा	
18	मोरी		45.	आऊवा	
19.	सान्डेराव		46.	कन्टालिया	
20.	सुमेरपुर		47.	कन्डावल	1. साडिया
21.	खिवान्दी		48.	जोजावर	
22.	चामरेडी	1. आमलिया	49.	धनला	
23.	ढोला	1. घोला का गांव	50.	धाकडी	
24.	नाणा	1. भीमाणा	51.	बगडी	1. खेखरा
25.	पालडी		52.	लाडपुरा	1. वी जाजी का गुडा
26.	पोमावा		53.	भीमालिया	
27.	बाली	1. मुण्डेरा	54.	मान्डा	

1	2	3	1	2	3
55.	मारवाड जंक्शन	1. दुदोड	69.	बलाड़ा	
56.	राणावास		70.	वालून्ढा	
57.	सारण		71.	रास	
58.	सीरीयारी		72.	चांग	
59.	सोजत सीटी	1. सोजत सिटी	73.	गौरी	
60.	सोजत रोड	1. रेल्वे कालोनी	74.	कुशालपुरा	
61.	बडा गुडा		75.	चावडिया	
62.	कालू		76.	देवली	
63.	कुड़की		77.	बराठिया	
64.	जेतारण		78.	बजरा	
65.	नीम्बाज		79.	सेवंरिया	
66.	निम्बोल		80.	रायपुर	
67.	पीपलिया		81.	सेन्दड़ा	
68.	बर		82.	कोटकीराणा	

———

परिशिष्ट 3

(तारांकित प्रश्न सं. 12 की सूची)

Information regarding Lift Irrigation.

Name of Distt. 1	Name of Site. 2	Name of Distt. 1	Name of Site 2
Bhilwara	Bheru Kheda	Sirohi	Malgan
,,	Cheril Kankeriliya	,,	Chota Bhilra
,,	Zalim Pura	,,	Jawal
,,	Zira	,,	Janta
,,	Bathibhata Zemolo	,,	Nandar
,,	Bhanri Kala	,,	Sautpur
,,	Sakharpur	,,	wason
,,	Ratanpura	,,	Kadambri
,,	Bhuwal	,,	Jetpura
,,	Zahajpur	,,	Badgaon
,,	Degundar	,,	Nosra
,,	Sakhargarh (Raj.)	Bundi	Mandaware
,,	Baroda	,,	Pakaipuria
,,	Ghewaris	,,	Karjana
,,	Amarpura	,,	Tulsa
,,	Rajgarh	,,	Atralia
,,	Sambaganj	,,	Kundanpur
,,	Larkidam	,,	Umarda
Chittor	Cachna	,,	Hinji
,,	Panchewa	,,	Amroli
,,	Saleria	,,	Himatgarh
,,	Chawandia	,,	Babrana
,,	Chittorgarh	Udaipur	Bheraighata
,,	Samiti School	,,	Podi
,,	Wagan	,,	Goar
,,	Gunjjali	,,	Rahimala
,,	-do-	,,	Nayagaon
,,	-hal	,,	Jeoson
Ajmer	Rajma	,,	Kota No. 1.
,,	Hediala	,,	,, No. 2.
,,	Chandpura	,,	,, No. 3.
Alwar	Onghatcanal	,,	Ranchadi
Bharatpur	Dhaundakapura	,,	Deolia
,,	Kathusari	,,	Rathenekakhera
,,	Dhmri	,,	Chandi
,,	Tometti	,,	Som Pickupweir
,,	Bhatasrakhurd	,,	Kalyanpur No. 1.
,,	Sainthal	,,	,, No. 2.
Jaipur	Bhagwatgarh	,,	-do-
,,	-do-	,,	Rujnagar
,,	Karwadi	Banswara	Bharatgarh
,,	Morel	,,	Wagali
,,	Panchela	,,	Parnala
,,	Dheal command	,,	Sakarwada

Name of Distt.	Name of Site	Name of Distt.	Name of Site
1	2	1	2
Banswara	Dodla	Banswara	Devpura
,,	Sankhli	,,	Bewara
,,	Bhaira Darrba	,,	Bhanasimal
,,	Devlla	,,	Chtibura
,,	Isarwada	,,	Pilura
,,	Pohars	,,	Salejo
,,	Bhimsore	,,	Kanpur
,,	More	,,	Wanderved
,,	Kumbji-ka-Padila	,,	Caliket
,,	Ghopa Sag	,,	Gadia
,,	Nandesa	,,	Mansawa 1.
,,	Amartia	,,	,, 2.
,,	Col	Bikaner Division	Lunkaransar Bikaner

———

परिशिष्ट 4

(तारांकित प्रश्न संख्या 13 की सूची)

अधिकारियों और कर्मचारियों की सूची

1. अधिकारी	1–निदेशक	1	– श्री कृष्ण कुमार सहगल
	2–उप निदेशक	1	– सुश्री सावित्री गुप्ता
	3–अनुसंधान अधिकारी	12	1 श्री हरिशंकर शर्मा
			2 श्री विष्णु कुमार गौड़
			3 श्री भगवन्त राव दुबे
			4 श्री के. एल. मोड़
			5 श्री विजयप्रताप सिंह
			6 श्री भागचन्द जैन
			7 श्री सुरेशकुमार अरोड़ा
			8 श्री जगदीश चन्द्र
			9 श्री बी. एल. भाटिया
			10 श्री आर. सी. अथैया
			– दो स्थान रिक्त हैं।
2. कर्मचारी	1–कार्यालय अधीक्षक	1	1 श्री फूलचन्द चौबे
	2–आशुलिपिक श्रेणी द्वितीय	1	1 श्री सुरेश कुमार जैन
	3–आशुलिपिक श्रेणी तृतीय	4	1 श्री सूरज करण शर्मा
			2 श्री एम. एम. सेबस्तेन
			3 सुश्री के. सी. सिसली
			4 नियुक्ति करली गई है किन्तु चयनित अभ्यर्थी ने कार्यभार नहीं संभाला है।
	4–हैड प्रूफ रीडर	1	1 श्री श्याम सुन्दर मोदी
	5–वरिष्ट लेखक स्टेनों	4	1 श्री मालीराम नरेडी
			2 श्री सुन्दरलाल मूलवानी
			3 श्री भवानी सिंह
			4 पद रिक्त हैं।

Page No. 136

	6–सहायक 1		1 श्री प्रेमनारायण माथुर
	7–वरिष्ठ लेखक 2		1 श्री कैलाशचन्द जैन
			2 श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा
	8–कम्पाईलर्स 6		1 श्री जहीर अली रजवी
			2 श्री ईश्वर चन्द्र
			3 श्री कुन्दनलाल
			4 श्री सुधाकर गोस्वामी
			5 श्री रमेशचन्द गोधा
			6 श्री अभीलाल
	9–कनिष्ठ लिपिक 2		1 श्री भगवान दास सोनी
			2 पद रिक्त हैं ।
3. च. श्रेणी कर्मचारी		20	1 श्री भंवरलाल
			2 श्री अयूब खां
			3 श्री ग्यारसीलाल
			4 श्री मोहनसिंह
			5 श्री लादूराम
			6 श्री भोलाराम
			7 श्री नारायण
			8 श्री वशिष्ठ प्रशाद
			9 श्री पन्नालाल
			10 श्री आनन्दीलाल
			11 श्री विरधीचन्द
			12 श्री जगदीश प्रसाद प्रथम
			13 श्री जगदीश प्रसाद द्वितीय
			14 श्री रमेशचन्द्र
			15 श्री कोट्टमल
			16 श्री चन्द्र बहादुर
			17 से 20 पद रिक्त हैं ।

सूची

5. प्रकाशित गजेटियर्स के नाम और उनसे हुई आय के विवरण की तालिका:–

जिला गजेटियर का नाम	बिक्री हुई पुस्तक की संख्या	पुस्तकों का मूल्य	आय रुपये
1. बाड़मेर	303	10 रु.	3030
2. बूंदी	433	10 रु.	4330
3. अजमेर	217	12 रु.	2604
4. झालावाड़	270	10 रु.	2700
5. सिरोही	1	10 रु.	10
सिरोही गजेटियर्स की पूरी प्रतियां अभी तैयार नहीं हुई हैं।			
		कुल	12674

परिशिष्ट 5

(समयाभाव के कारण समय पर न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

बांधों के नाम रखने का आधार

24. श्री जुझारसिंह (रामगंजमण्डी): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) क्या यह सही है कि ग्रजनियां बांध (कपासन) का नाम भवानी सागर व फीडर का नाम नन्दवाना फीडर श्री भवानी शंकर नन्दवाना की स्मृति में रखा गया है या रखा जाने वाला है ?

(2) बांधों के नाम नेताओं व सामाजिक कार्यकर्ताओं के नाम के पीछे रखने में किन किन बातों पर विचार करना होता है व किन किन स्थानों पर अब तक इस प्रकार के नाम रखे या बदले गये है ? कृपया स्थानों के नाम व कारण बताने का कष्ट करें।

(3) राज्य के नेताओं की स्मृति में नाम रखने की दृष्टि से क्या राज्य सरकार कालीसिन्ध पिक-अप वेयर, जिला झालावाड़ का नाम महाराज राणा हरिश्चन्द्र बांध रखने के प्रश्न पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) विचाराधीन है।

(2) इसके लिये कोई निश्चित नियम नहीं है। जवाहर सागर, राणाप्रताप सागर, बजाज सागर आदि बान्धों नाम रखें गये हैं।

(3) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचार के लिये नहीं आया है।

तहसील सरदार शहर व डूंगरगढ के अभावग्रस्त ग्रामों मे राहत कार्य

25. राजवी श्री रूपसिंह (सरदारशहर) क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(क) तहसील सरदार शहर व डूंगरगढ, जिला चूरू में कितने गांव अकालग्रस्त घोषित किये गये है ? इसकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(ख) क्या इन गांवों में राहत कार्य चालू किये गये ? यदि हां, तो क्या क्या व कहां कहां ?

(ग) इस राहत कार्यों में कितनी रकम खर्च हुई व किस किस काम के करने में ?

(घ) गांव गोजूसर, ढानी, पाचेरा, मागपालसर, कुंतलसर, बुकलसर, हरियासर के गांवों मे अकालग्रस्त लोगों के लिये क्या क्या राहत कार्य खोले गये ?

(ङ) तहसील सरदार शहर व डूंगरगढ़ में अकाल के सन्दर्भ में कितने फैमिन कैम्प खोले गये व कौन से गांवों में और इन कैम्पों में कितने मजदूरों को काम दिया गया।

उत्तर

1. तहसील सरदारशहर के 58 एवं डूंगरगढ के 30 ग्राम अभावग्रस्त घोषित किये गये हैं। सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

2. जी हां, तहसील डूंगरगढ़ के ग्राम तोलियासर तथा तहसील सरदारशहर के ग्राम जैतसीसर रातूसर व कालवासिया में जोहड़

(श्री अकाल सहायता मन्त्री)

खुदाई का कार्य हुआ है, तथा 5 सड़क निर्माण कार्य ।

1—सरदारशहर से लूनकरणसर

2—भानीपुरा से महाजन

3—आडसर से पुनरासर

4—लाखासर से बेनीसर

5—सूडसर से मेहूना के हुए हैं ।

3. इन राहत कार्यों पर ?,87,5 5) रु. व्यय हुआ है, जिनमें से 1 हजार रु. जोहड़ कार्यों के करने में तथा .75 5 5) रु. सड़क निर्माण कार्यों पर व्यय हुआ है ।

4. गाजूसर, ढाणी, पाचेरा, आसपालसर, कुन्तलसर, बुकलसर व हरियासर गांवों में राहत कार्य चालू नहीं किये गये, किन्तु इनके नजदीक भानीपुरा–महाजन सड़क का कार्य उक्त गांवों के अभावग्रस्त लोगों के लिये खोला गया था ।

5. तहसील सरदारशहर व डूंगरगढ़ में सड़क कार्यों पर कैम्प इस प्रकार खोले गये हैं :—

तहसील डूंगरगढ़

सूडसर, लोढेरा, सुरजनसर, उदरासर, पुनरासर, लाखासर ।

तहसील सरदारशहर

सोमासर, गरणोसर, भोजासर छोटा, भोजासर बड़ा ।

इन कैम्पों पर राहत पाने वालों की अधिकतम सं. 7,145 श्रमिक प्रतिदिन तक रही है ।

सूची उन गांवों की जो फसल खरीफ सं. 2024 में नष्ट होने के फलस्वरूप अभावग्रस्त किये गये

जिला चूरू

नाम जिला	नाम तहसील	क्र.सं.	नाम गांव
1	2	3	4
चूरू	सरदार शहर	1.	मोमवीदासर
		2.	रैलमोरोसर
		3.	चक रावलवाड़ा
		4.	आसासर
		5.	थिरपासर
		6.	मालूसर
		7.	मुकनसर छोटा
		8.	जैतसिरिया
		9.	ढाणी पाचेरा
		10.	फोगा बास भरतरी
		11.	फोगा हेमराल
		12.	कुनसीसर
		13.	जालपान गर्वो
		14.	मुगडवास
		15.	ढाणी मारनान
		16.	आसलवास
		17.	जालपान सरकी
		18.	राटूसर
		19.	लंडूसर
		20.	खोलासर
		21.	सांडासर
		22.	फोगा कलयान
		23.	सावर
		24.	कहुम्मदेसर

Page No. 140

(श्री अकाल सहायता मंत्री)

1	2	3	4	1	2	3	4
चूरू	सरदार शहर	25.	तासर			57.	वास मेसेरा
		26.	मौगालर छोटा			58.	,, लुकेरा
		27.	,, बडा				
		28.	राजासरचौहिया	चूरू	श्री डूंगरपुर	1.	सातलैरा
		29.	समेरिया			2.	सात्रलसर
		30.	नैणासर			3.	गोपालसर
		31.	केनियासर			4.	दुलवासर
		32.	भाटवाला			5.	वासोमईणान
		33.	राणासर पवारान			6.	लडासर
						7.	हैऊ
		34.	उडसीसर			8.	मूडसर
		35.	सौमासर			9.	देराजसर
		36.	पनपोलिया			10.	गजपुरा
		37.	किकासर			11.	उदरासर
		38.	केव्रलासर			12.	ने मीसर
		39.	मलसीसर			13.	पुनरासर
		40.	बीरासर			14.	समन्दरसर
		41.	गिडमिचिया			15.	मैलवा
		42.	सोनपालसर			16.	ध्रौलिया
		43.	करनसर			17.	उदासरचारनान
		44.	अहोसर			18.	ठुकरियासर
		45.	बालासर			19.	वेसलसर
		46.	मोजरासर			20.	मोरदेसर
		47.	हरियासर			21.	बाडसर
		48.	जससीसर			22.	तौलियासर
		49.	पिरेर			23.	जैतासर
		50.	कालवासिया			24.	मानकराजसर
		51.	बरजामसर			25.	मुरजनसर
		52.	वासपालसर बडा			26.	वासीमारनोलान
		53.	वासपालरमलसर			27.	राजपुरा
		54.	,, मुगलेरा			28.	लोडेरा
		55.	,, का मेरा			29.	अभयसिंह
		56.	,, लालेरा			30	डूसाईसर।

चीतलवाना डिस्पेन्सरी में डाक्टर की नियुक्ति

26. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : –क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि तहसील सांचोर के "चितलवाना" डिस्पेन्सरी में पिछले कई सालों से अभी तक कोई डाक्टर नहीं भेजा गया है ? अगर हां, तो कितने सालों से वहां की जगह खाली है और क्यों ?

(2) अब "चीतलवाना" डिस्पेन्सरी में डाक्टर कब तक भेज दिया जावेगा ।

उत्तर

(1) जी हां । दिनांक 13–11–63 से डाक्टर का पद रिक्त है । राज्य में डाक्टरों का अभाव होने के कारण इस स्थान की पूर्ति नहीं हो सकी ।

(2) राज्य में वर्तमान काल में 775 डाक्टरों के पद रिक्त हैं । डाक्टर प्राप्त होने ही नियुक्त कर दिया जावेगा ।

तहसील पदमपुर में भूमि का अलॉटमेंट

27. श्री केदारनाथ––(श्री गंगानगर) : क्या उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:––

(क) श्री मेलाराम की भूमि चक आई. एफ बी. (ए) तहसील पदमपुर, जिला गंगानगर, नगरपालिका गजसिंहपुर के लिये लेकर उसको तबादले में मु. नं. 86 (नहरी) चक 36 आर. बी तहसील पदमपुर मार्च, 1966 में दे दिया गया था और मौके पर जमीन का कब्जा श्री मेलाराम को दे दिया गया ?

(ख) क्या यह सही है कि उपरोक्त भूमि 1960 में हरचन्दसिंह वल्द केसरसिंह जो नगरपालिका में चोकीदार का कार्य करता था, उसको दी जानी मंजूर हुई थी ?

(ग) क्या यह सही है कि श्री मेलाराम के अलाटमेंट के विरुद्ध श्री हरचन्दसिंह की और से अपील अधिकारी राजस्व, बीकानेर के सामने हुई थी, जो 17 मई, 1966 को खारिज कर दी गई ?

(घ) क्या यह सच है कि संबंधित अधिकारी को यह जानकारी होते हुए भी कि हरचन्दसिंह की अपील खारिज हो चुकी है, उपरोक्त भूमि 1 जून, 1966 को हरचन्द के नाम अलोट कर दी ?

उत्तर

1. जी हां ।

2. जी हां । चक 37 आर.बी. का मु.नं. 86 का 25) बीघा दिनांक 16–[illegible]–1960 को अदालत अतिरिक्त जिलाधीश, गंगानगर द्वारा पुख्ता आवंटन किया गया था ।

3. जी हां ।

4. जी हां ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नापासर के चिकित्सा अधिकारी के विरुद्ध शिकायतें

28. श्री चुन्नीलाल इन्दालिया (नोखा-सु.)––क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :––

(1) क्या यह सत्य है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नापासर (बीकानेर) के

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

चिकित्सा अधिकारी के विरुद्ध वहां की जनता की अनेकों शिकायतों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है ? अगर हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि चिकित्सा अधिकारी के स्थानान्तरण की मांग होते हुए भी उनका स्थानान्तरण नहीं किया जा रहा है ?

(3) क्या यह सही है कि चिकित्सा अधिकारी के होते हुए उस चिकित्सा केन्द्र में मरीज पूरे नहीं जाते तथा बीकानेर जाते हैं ?

(4) क्या इन चिकित्सा अधिकारी को स्थानान्तरित करने का विभाग विचार कर चुका है ? अगर हां, तो कब तक करने का विचार है ?

(5) क्या यह सही है कि ये चिकित्सा अधिकारी गांव के कुछ निवासियों के रिश्तेदार हैं तथा इस कारण पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाते हैं तथा अत्यन्त लापरवाह हैं ?

(6) क्या यह सत्य है कि यह चिकित्सा अधिकारी यहां काफी वर्षों से है ? यदि हां, तो कितने वर्षों से ?

उत्तर

1. जी नहीं।

2. जी नहीं।

3. जी नहीं।

4. डा. रमाकान्त शर्मा, चिकित्सा प्रा. स्वा. केन्द्र नापासर का स्थानान्तरण नापसर से देह (नागौर) में इस चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय के आदेश सं. ई सी.ए.एस. ए.टी।527 दिनांक 14-8-68 के द्वारा कर दिया गया है।

5. जी नहीं ऐसा इस विभाग की जानकारी में नहीं है।

6. जी हां सन् 1965 से कार्य कर रहे हैं।

हरिनों की पूंछों का निर्यात

29. श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चुण्डावत (भीम) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा हरिन (छकारा) और ब्लैक बक प्रवध्य घोषित किये हुए हैं ?

(2) यदि हां, तो इनकी हत्या करने वाले को कानूनन कितनी सजा दी जा सकती है ?

(3) क्या यह सही है कि इसी अवध्य हरिन की पूंछों का निर्यात होते हुए कस्टम में पकड़ी गई ?

(4) क्या यह सही है कि ये पूंछें लगभग 20 पौंड की थी जो लगभग दो हजार हरिनों की होनी चाहिए ?

(5) क्या यह सही है कि दिल्ली जन्तु शाला के डाइरेक्टर ने इन पूंछों की जांच कर राजस्थान के बीकानेर और चूरू जिले के हरिनों की पूंछें बताया और राज्य सरकार को इस बारे में जांच-पड़ताल कर हत्यारों का पता लगाने को कहा ?

(6) यदि हां, तो किस तारीख को यह सूचना राज्य सरकार को मिली और उस

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)
पर कार्यवाही किस दिन शुरू की और क्या की ?

उत्तर

1. जी नहीं, किन्तु राज्य सरकार ने चिंकारा तथा काले हिरणों को अवध्य घोषित किया हुआ है।

2 राजस्थान वन्य पशु एवं पक्षी संरक्षण अधिनियम, 1951 की धारा 8 व 9 के अंतर्गत--

(i) एक मास का साधारण कारावास या एक सौ रुपया जुर्माना या दोनों।

(ii) रिजर्वड क्षेत्र में अपराध होने पर तीन मास का साधारण कारावास या दो सौ रुपये या दोनों।

(iii) रात्रि में अपराध होने पर दुगना दण्ड।

(iv) दूसरे या बाद को उसी प्रकार के अपराधों के लिए एक वर्ष का साधारण या कड़ा कारावास या पांच सौ रुपया जुर्माना या दोनों।

3. जी हां।

4. जी नहीं, किन्तु पूछों का वजन 16 पौण्ड बताया गया है जो लगभग 400 शिकारों की होगी।

5. जी हां,

6. प्रथम सूचना मुख्य वन संरक्षक को 10-1-68 को मिली तथा उनके सम्बन्ध में वन संरक्षक जयपुर तथा मण्डल वन अधिकारी, जोधपुर को 15-1-68 को तथा जिलाधीश एवं पुलिस अधीक्षक, बीकानेर, जैसलमेर व चूरू को 18-1-68 को लिखा गया।

मंदिरों की चल व अचल सम्पत्ति

30. श्री जगन्नारायण सालोदिया (निवाईसु.): क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) प्रत्येक जिले में देवस्थान विभाग के डाइरेक्ट चार्ज मंदिरों की चल व अचल सम्पत्ति कितने कितने रुपयों की है और क्या क्या है ?

(2) देवस्थान विभाग के मकानों, दुकानों आदि को किराये पर देने के क्या नियम हैं ? क्या किराया सार्वजनिक निर्माण विभाग से तय करवाया जाता है।

उत्तर

दिनांक 3-9-68 के लिये स्थगित किया गया।

परिशिष्ट 6

अतारांकित प्र. सं. 10 की सूची

सूची प्रश्न संख्या 3/५. म. भाग 1

क्र. सं.	नाम जिला जिसमें ग्रामीण जनता को रिटेलर द्वारा चीनी वितरित नहीं की गई	कुल केस जो दर्ज हुए	कार्यवाही जो की गई
1.	झुन्झुनू	4	चार केसेज में एफ. आई. आर दर्ज की गई है। अदालत से फाइनल होने पर निर्णय होगा।
2.	बीकानेर	1	एफ. आई. आर. दर्ज दिनांक 3-1-63 को की गई। पुलिस में तफतीश जारी है।
3.	गंगानगर	1	चालान अदालत में पेश कर दिया गया है।
4.	पाली	2	केस न्यायालय में चल रहा है।
5.	सीकर	1	पुलिस में कार्यवाही हो रही है।

सूची अतारांकित प्रश्न संख्या 10

भाग 2

क. सं.	नाम जिला	नाम माह जिसमें अधिक चीनी वितरित की गई
1.	बूंदी	अगस्त, 1968
2.	सिरोही	जून, 1968 जुलाई, 1968
3.	चित्तौड़ गढ़	जुलाई, 1968
4.	उदयपुर	जुलाई, 1968
5.	जयपुर	जून, 1968 अगस्त, 1968
6.	टोंक	जुलाई, 1968
7.	सवाई माधोपुर	अगस्त, 1968
8.	जालौर	जुलाई, 1968 अगस्त, 1968
9.	झालावाड़	मई, 1968
10.	भरतपुर	जनवरी, 1968 से अगस्त, 1968
11.	झुन्झुनू	जुलाई, 1968
12.	बीकानेर	जुलाई, 1968
13.	जैसलमेर	अप्रैल, 1968 जून, 1968 जुलाई, 1968 अगस्त, 1968
14.	गंगानगर	जुलाई, 1968 अगस्त, 1968
15.	पाली	अगस्त, 1968
16.	सीकर	जुलाई, 1968
17.	जोधपुर	जुलाई, 1968

परिशिष्ट 7

(अतारांकित प्र. सं. 12 की सूची)

जिला खाद्य सलाहकार समिति के सदस्यों की सूची

(1)	जिलाधीश	चेयरमैन
(2)	परगना अधिकारी (मुख्यालय)	सदस्य
(3)	प्रमुख, जिला परिषद्	,,
(4)	जिले के लोक सभा व विधान सभा के सदस्य	,,
(5)	सहायक पंजियक सहकारी समितियां	,,
(6)	जिला कृषि अधिकारी	,,
(7)	प्रादेशिक यातायत अधिकारी सहायक प्रादेशिक यातायात अधिकारी	,,
(8)	रेल्वे का एक प्रतिनिधि	,,
(9)	तहसीलदार (मुख्यालय)	,,
(10)	भारत सेवक समाज का एक प्रतिनिधि	,,
(11)	जिला परिषद् के दो प्रतिनिधि	,,
(12)	उप-जिला विकास अधिकारी एवं सचिव जिला परिषद्	,,
(13)	जिला गोदाम निगम का एक प्रतिनिधि	,,
(14)	चेयरमैन उपभोक्ता भंडार	,,
(15)	जिला रसद अधिकारी या सहायक जिला रसद अधिकारी	मेम्बर सचिव।

Page No. 147

परिशिष्ट 8

(अतारांकित-प्र. सं. 17 की सूची)

चपरासियों तथा न्याय पंचायत सचिवों के वेतन की बकाया रकम

(1)	बीकानेर	6754
(2)	चूरू	19014
(3)	गंगानगर	11170
(4)	अलवर	37035
(5)	भरतपुर	64286
(6)	जयपुर	48591
(7)	झुन्झुनू	7628
(8)	सवाईमाधोपुर	36941
(9)	सीकर	7525
(10)	टोंक	11988
(11)	अजमेर	8133
(12)	बाड़मेर	12945
(13)	जैसलमेर	—
(14)	जालौर	5005
(15)	जोधपुर	1320
(16)	नागौर	8962
(17)	पाली	10566
(18)	सिरोही	1970
(19)	बूंदी	20027
(20)	झालावाड़	21470
(21)	कोटा	7593
(22)	बांसवाड़ा	5727
(23)	भीलवाड़ा	35635
(24)	चित्तौड़गढ़	29191
(25)	डूंगरपुर	18705
(26)	उदयपुर	32224
	योग	450565

परिशिष्ट 9

(अतारांकित प्र. सं. ?0 की सूची)

पंचायत समिति, परबतसर के बकरी पशु मेले में सन् 1967 में हुई आमदनी व खर्च का विवरण ।

आय	
1—मेले में पशुओं के रवन्ना से आय	3064—50
2—विविध	2?8—75
	3223—?5
मेले में व्यय (मदवार)	
1—किराया	66—20
2—मजदूरी मैदान सफाई पलंग किराया, मेले का सामान	30?—13
3—बोर्ड पशु मेला	181—00
4—कपड़ा पेन्टिंग	10—00
5—स्टेशनरी	707—00
6—ग्रामोफोन मरम्मत व सामान	54—50
7—झण्डा सामान	1?—50
?—लाउडस्पीकर व एम्प्लीफायर मरम्मत	63—00
9—मेले के सामान का ट्रक किराया	400—00
10—झण्डे के पोल का खर्च	106—75
11—इनाम	?00—00
1?—पानी की व्यवस्था	350—00
1?—निमंत्रण कार्ड छपाई	20—00
14—अल्पाहार	30?—00
1?—जीप किराया	500—0?
16—पंचायत समिति की शेष मरम्मत	1?—75
17—ठेकेदार का भुगतान	190?—75
?8—ठेलियों का भुगतान (पानी)	52?—38
19—ठेलियों पर अनुदान	800—00
?0—मेले में मजदूरी व सफाई	600—00
	7?96—06

परिशिष्ट 10

(अ ???कित प्र. सं. 22 की सूची)

पंचायत समिति, उनियारा द्वारा वर्ष 66–67 एवं 67–68 में कुओं पर नालियां बनाने हेतु दिये गये अनुदान की सूची ।

क्र. सं.	नाम काश्तकार	ग्राम	राशि जो दी गई
	वर्ष 66–67		
1.	श्री भौरपाल पुत्र घासी मीणा	उखलाना	500) रु.
2.	श्री कजोड़ पुत्र भूरा मीणा	,,	500) रु.
3.	श्री नानगा पुत्र जुहारा गूजर	,,	475) रु.
4.	श्री काना पुत्र रामनिवास	,,	465) रु.
5.	श्री जगन्नाथ पुत्र भूरा खाती	,,	500) रु.
	वर्ष 67–68		
1.	श्री मोहम्मद सादिक पुत्र मोहम्मद मख्तार	अलीगढ़	107) रु.
2.	श्री श्र[illegible]ण पुत्र रघुनाथ धाडक शोप	शोप	150) रु.
3.	श्री गुलाम फरीद खां नाजिर	अलीगढ़	3[illegible]0) रु.
4.	श्री मोहम्मद हनीफ पुत्र गुलशेर खां	अलीगढ़	1[illegible]5) रु.

Page No. 150

परिशिष्ट 11

(अतारांकित-प्र. सं. 27 की सूची)

(तालिका संख्या 1)

राज्य के नियोजन कार्यालयों में 1963 से 1967 तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के प्रार्थियों का पंजीयन

नियोजन कार्यालय	1963		1964		1965		1966		1967	
	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन-जाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन-जाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन-जाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन-जाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन-जाति
अजमेर	2267	47	2159	54	2306	46	4607	53	2211	46
अलवर	1052	252	786	260	944	132	875	229	[illegible]43	253
बांसवाड़ा	94	311	82	268	62	341	126	334	135	379
भरतपुर	604	52	197	25	242	27	330	24	380	37
भीलवाड़ा	259	104	349	45	290	59	393	29	67[illegible]	26
बीकानेर	717	—	543	—	642	9	1011	—	1707	46
चित्तौड़गढ़	163	13	158	44	198	41	197	35	2[illegible]	49
जयपुर	1250	307	1648	483	1502	623	1954	465	2388	760
झुंझुनूं	387	52	444	63	453	35	455	56	644	52
जोधपुर	1497	129	1500	113	1536	47	1718	120	1971	111
कोटा	818	123	403	77	1331	262	1303	307	1316	298
नागौर	215	—	176	—	203	—	222	—	19[illegible]	—
पाली	354	31	386	25	402	31	348	32	3[illegible]6	43
सवाई माधोपुर	373	135	573	222	529	168	525	237	1161	220
सीकर	261	39	424	46	373	45	353	50	467	50
सिरोही	305	131	394	137	282	152	404	81	4[illegible]7	169
श्री गंगानगर	337	3	427	—	417	—	606	—	164	—
उदयपुर	548	409	535	484	611	830	815	979	[illegible]91	[illegible]57
योग ..	11501	2138	11184	2346	12322	2848	14242	13031	16314	3296

(तालिका संख्या-2)

राज्य के नियोजन कार्यालयों में 1963 से 1967 तक अनुसूचित जाति अनुसूचित जन-जातियों के प्रार्थियों का नियोजन

नियोजन कार्यालय	1963		1964		1965		1966		1967	
	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति
अजमेर	213	9	144	5	166	4	307	6	166	11
अलवर	244	23	67	17	70	49	87	24	55	28
बांसवाडा	16	81	29	104	18	69	9	115	12	55
भरतपुर	58	1	25	3	11	1	22	1	35	2
भीलवाडा	41	86	39	2	42	7	44	10	81	16
बीकानेर	56	—	80	—	95	2	66	—	101	5
चित्तौडगढ़	35	6	35	13	24	12	26	18	23	6
जयपुर	91	34	100	58	81	36	93	31	126	49
झुन्झुनु	42	5	63	8	40	1	35	10	24	3
जोधपुर	127	19	118	9	183	22	181	11	129	15
कोटा	92	7	34	5	79	24	101	15	88	31
नागौर	29	—	22	—	12	—	41	—	19	—
पाली	58	6	64	3	27	9	59	1	62	5
सवाई माधोपुर	21	17	40	18	23	8	38	3	58	14
सीकर	18	1	73	3	29	2	9	5	31	2
सिरोही	74	38	55	30	54	47	112	20	73	18
श्री गंगानगर	86	2	89	1	70	—	126	—	18	—
उदयपुर	30	70	56	34	54	19	51	33	17	15
योग ..	1361	405	1193	313	1078	312	1407	303	1180	275

परिशिष्ट 12

(अतारांकित प्र. नं. 37 की सूची)

राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में जिला सवाई माधोपुर के मृतक सैनिकों के आश्रितों को आवंटित भूमि का विवरण

क. सं.	नाम	आश्रित का नाम	सम्बन्ध	मुरब्बा नं. जो आवंटित किया	आवेदन का दिनांक	आवंटित भूमि का क्षेत्रफल	ग्राम का नाम	कब्जे का दिनांक
1	श्री मोहन सिंह	श्रीमती आशादेवी	पत्नी	254/401	5–8–64	25 बीघा	13 ए.पी.डी.	6–6–64
2	श्रीरघुवीर सिंह	श्रीमती ओमदेवी	पत्नी	253/405	1–7–67	20 बीघा	13 ए.पी.डी.	19–7–67

शुद्धि-पत्र

(मंगलवार, दिनांक 27 अगस्त, 1968)

स्कम्भ संख्या 1	पंक्ति संख्या 2	अशुद्ध 3	शुद्ध 4
1	2	को	बजे
,,	5	प्रश्नोतर	प्रश्नोत्तर
9	10	जांज	जांच
14	अन्तिम से 5	हाईपेथेटिकल	हाईपोथेटिकल
17	7	की	दी
18	अन्तिम से 3	सदस्यों एक के साथ	सदस्यों के एक साथ
20	16	रहे वह सही	रहे थे वह सही है
21	अन्तिम से 7	अनिर्णित	अनिर्णीत
24	अन्तिम	अध्यक्ष महोदय,	अध्यक्ष महोदय, यह अलग से प्रश्न है।
32	12	जिसमें	जिनमें
33	17	पढ़े	पड़े
,,	19	शेत्र	क्षेत्र
35	9	के	से
36	1	(34)	(4)
37	18	गये	गया
43	अन्तिम से 3	पांच वर्षों	पांच महीनों
47	,, 11	से	ले
48	7	ने तो	ने न तो
56	अन्तिम से 5	इुन	हुने
60	10	श्री लाभचन्द वद	श्री लाभचन्द वैद
65	1	(अध्यक्ष)	—
65	2	शेष	शेष
92	अन्तिम से 5	—	(दिनांक 3-9-68 के लिए स्थागत किया गया)
111	2	नट नहीं कर देने	नोट नहीं करते देने
127	1	श्री अध्क्ष	श्री अध्यक्ष

1	2	3	4
140	अन्तिम से 4	ऐसे	जैसे
143	,, 8	जायेगा	जागेगा
146	,, 2	मैं	में
151	13	लड़के	लड़ करके
153	अन्तिम से 6	माणिक लाल	माणिक्य लाल
,,	,, 5	मन्त्रिस्तर	मन्त्रीस्तर
162	,, 11	पढ़ेगा	पड़ेगा
164	,, 9	होना	होनी
165	12	ओर	और
166	20	इमानदारी	ईमानदारी
,,	अन्तिम से 10	अस्था	आस्था
,,	,, 8 व 7	करनी, से बिल्कुल विभिन्न हैं	करनी बिल्कुल भिन्न है।
170	10	श्र दुर्गालाल बाढ़दार	श्री दुर्गालाल बाढ़दार
,,	15	श्री गिरधार लाल व्यास	श्री गिरधारी लाल व्यास
,,	17	श्र दुर्गालाल बाढ़दार	श्री दुर्गालाल बाढ़दार
177	13	बाल	कर
,,	अन्तिम से 10	के	का
178	8	जा	जो
181	अन्तिम	सुखाड़िमा	सुखाडिया
183	अन्तिम से 9	उनकी	उनको
184	,, 10	व्यक्तित्व	व्यक्तित्व
187	5	रामानन्द अग्रवाल	श्री रामानन्द अग्रवाल
191	9	boby	body
194	21	आय	आये
195	16	क	का
,,	अन्तिम से 12	आलोच ।	आलोचना
,,	,, 3	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार)	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर)
196	,, 9	ी	की
,,	,, 8	उ । क	उनके
,,	,, 2	अयो ।	अयोग्य

1	2	3	4
197	अन्तिम से 11	रेफरेंस	रेफरेन्स
,,	,, 3	आरेप	आरोप
218	12	ा	या
220	अन्तिम से 4	धा,	था,
224 225	अन्तिम 2	होने देता, कहीं होने देता कहीं	कहीं होने देता
227	18	ा	न
,,	20	िरोध	विरोध
230	15	सत्र	सत्र
232	11	। क	एक
234	3	ससझती	समझती
237	अन्तिम से 8	श्री	श्री
238	7	कार्य	कार्य
240	अन्तिम से 11	कार्रवाही	कार्यवाही
241	2	समिसि	समिति
242	अन्तिम से 12	च ते	चलते
,,	,, 8	बाका	बाकी
245	अन्तिम	सा	पैसा
246	अन्तिम से 9	करा	कराते
250	21	श्री दौलतराम सरण	श्री दौलतराम सारण
251	शीर्षक	बोड	बोर्ड
252	16	भाफिक	माफिक
254	2	श्री िग्विजयसिंह	श्री दिग्विजय सिंह
266	अन्तिम से 3	बान्धों नाम	बान्धों के नाम
267	9	हर	पर
269	11	( )	(2)
,,	14	( )	(1)
277	3	उनियां ।	उनियारा